



**51**  
1965-2015




# Annual Report

## वार्षिक रिपोर्ट

### 2014-15

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)

**Cement Corporation of India Ltd.**  
*(A Govt. of India Enterprise)*



## **VISION**

To emerge as a leading cement company committed to contribute to the economy and to enhance value for the stakeholders.

## **MISSION**

To augment the wealth creation for the Company, deliver superior product and sustain market value.

*51st*  
**Annual Report**  
**2014-15**



*51st* ANNUAL REPORT 2014-15

<b>Contents</b>	<b>Page No.</b>
Board of Directors	3
Chairman's Speech	8
Director's Report	12
Secetarial Audit Report	32
Report on Corporate Goveranance	36
Managemant Discussion & Analysis	43
Annual Accounts 2014-15	50
Cash Flow Statement	87
Auditor's Report and Management's Replies	89
C&AG's Comments	98
Our Employees — Our Greatest Assets	100
Salient Features of our Units	103

***Cement Corporation of India Limited***  
***(A Govt. of India Enterprise)***  
***New Delhi***

### Audit Committee

Smt. Divjot Kohli (BIFR Nominee)  
Chairperson  
Shri A.M. Manichan  
(Govt. nominee), Member  
Shri Manoj Misra  
Member

### Statutory Auditors

M/s. SPG Associates  
Chartered Accountants  
1/12, Shivaji Nagar  
Gurgaon (Haryana)

### Registered Office

Cement Corporation of India Ltd.  
Core 5, Scope Complex  
7, Lodhi Road  
New Delhi-110003  
CIN No. U74899DL1965PLC004322

### Bankers

State Bank of India

State Bank of Hyderabad

Corporation Bank

Punjab National Bank

Dena Bank

Central Bank of India

### Branch Auditors

M/s MKA Associates  
Chartered Accountants,  
Adilabad-504001

M/s. S S R & Co.  
Chartered Accountants,  
Rohtak-124001

M/s. Taunk & Srikanth  
Chartered Accountants,  
Raipur-492001

M/s. Gopal & Rajan  
Chartered Accountants,  
Cuddapah-516361

M/s. A.K. Gutgutia & Co.  
Chartered Accountants,  
New Delhi-110049

M/s. Luharuka & Associates  
Chartered Accountants,  
Secunderabad-500003

M/s. P Gagar & Associates  
Chartered Accountants,  
Guwahati-781001

M/s. R.K. Singhania & Associates  
Chartered Accountants,  
Raipur-492001

### Cost Auditors

#### M/s. Jugal K. Puri and Associates

Cost Accountants  
K-19 (G.F.), South Extension  
Part-II  
New Delhi-110049

#### M/s B.V.R & Associates

Cost Accountants  
Flat No. 101, R.V. Naipunya  
H. No.6-3-628/3, Anand Nagar  
Khairatabad, Hyderabad-500004

#### M/s Subhadra Dutta & Associate

Cost Accountants  
Puspak Apartment  
5 Paranashree Pally,  
29, Upendra Nath Banerjee Road,  
Kolkatta-700 060



## BOARD OF DIRECTORS

AS ON 30-09-2015



Shri Manoj Misra  
Chairman & Managing Director



Shri Vishvajit Sahay  
Director



Shri A.M. Manichan  
Director



Smt. Divjot Kohli  
Spl. Director

## COMPANY SECRETARY & CFO

AS ON 30-09-2015



Shri Ajay Kumar Sharma  
Company Secretary




Shri A.B. Deyashi  
DGM (Fin)/Chief Financial Officer


## HEADS OF DEPARTMENT (CORPORATE OFFICE)



Shri S.K. Singh-IRS  
Chief Vigilance Officer



Shri Saju.S. Dominic  
GM (HR)



Shri V.K. Pandey  
GM (P&D)



Ms. Saraswati Devi  
Addl. GM (Ops.)



Shri A.K. Srivastava  
Addl. GM (Non Optg Plants)/MM



Dr. Ashok Kothari  
Addl. GM (P /TSO)



Shri Manish Mehta  
Addl. GM (Fin)

## GENERAL MANAGERS - OPERATING PLANTS



Shri Vivek Kumar  
GM- Tandur



Shri S.K. Sahu  
GM- Rajban




Shri AK Sarkar  
GM-Bokajan


# TURNOVER




# NET PROFIT



# CEMENT PRODUCTION



# MANPOWER





## AWARDS GALORE



1. Corporation won First Award “12th National Award for Excellence in Cost Management 2015” organised by The Institute of Cost Accountants of India.
  2. Second Prize won by Tandor Unit - “Mine Safety Week 2014 Zone -3 A2 Group Environment and Health Management host by KCP”.
- First Prizes was won by Tandur Unit- “Publicity Propoganda and Inovation” organised by Mines Safety & Productivity Council 2013.

**3. A Mine Environment & Mineral Conservation Week 2014-15, 2013-14, 2012-13 at Panchkula (Haryana)**

	2014-15	2013-14	2012-13
Award For Air & Water Pollution Control Measures	-	-	2nd Prize
Award For Waste Dump Management & Reclamation	-	2nd Prize	2nd Prize
Award For Afforestation	3rd Prize	2nd Prize	-
Award For Mineral Conservation	-	3rd Prize	-
Scientific Development of Mine	3rd Prize	-	-

**B Mine Safety Week 2015**

Vocational Training	1st Prize	-	-
Noice, Air Poloution & lighting	3rd Prize	-	-

**4. A 3rd prize won by Bokajan Unite - “Mine Safety day for explosive maintenance”.**

**B 5<sup>th</sup> Mines Environment and Mineral Conservation Week: 2013-14 2012-13 was celebrated at Guwhati and Shillong :**

	2013-14	2012-13
“Waste Dump Management”	2 <sup>nd</sup> Prize	1 <sup>st</sup> Prize
“Reclamation and Rehabilitation”	2 <sup>nd</sup> Prize	1 <sup>st</sup> Prize
Publicity and Propaganda	2 <sup>nd</sup> Prize	-
“OVERALL”	-	2 <sup>nd</sup> Prize
General Health & Welfare	Third Prize	-
“Noise and Vibration Survey”	-	3 <sup>rd</sup> Prize
Paryabaran bhandhu Awards	-	Rs. 1100/-

Speech of the Chairman at the 51<sup>st</sup> Annual General Meeting**Dear Shareholders,**

It gives me immense pleasure and privilege to welcome you all on behalf of the Board of Directors to the 51<sup>st</sup> Annual General Meeting of your Company, Cement Corporation of India Ltd. (CCI). Your presence in this meeting is a testimony of your support and interest in the Company's endeavour for which I am thankful to everyone. The Company's Accounts for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2015 together with Directors' Report and the Auditors' Report have already been circulated. With your permission, I would like to take them as read.

**Industry Outlook**

Cement is the second most consumed material on earth after water. The world consumption of cement is expected to increase to about 3560 million tonne by 2020. Similarly, domestic consumption of cement in India is poised to reach 500 million tonne by the year 2020. The average consumption of cement worldwide is 513 Kgs *vis a vis* 191 Kgs for India, Saudi Arabia at

1,683 Kgs and China at 1,581 Kgs. 84% of the total demand of the world shall be from the developing countries.

There has been considerable slowdown in recent past. With an envisaged 8% GDP growth rate, governmental infrastructure augmentation and population expansion, the Indian cement industry is a market of opportunities waiting to be captured. Multinationals like Holcim and Lafarge, now being merged, will drive Indian cement companies in the building industry to adapt new business strategies to complement the higher demand and competition.

All developed nations are at a standstill position. The population growth has been stunted and mostly renovation and upkeep are being taken up. Whereas in the emerging economies the scope of infrastructure development is tremendous. India being the 11<sup>th</sup> largest economy of the world will play a major role in creating demand for cement.



India has a lot of potential for development in the infrastructure and construction sector and the cement sector is expected to largely benefit from it. Some of the recent major government initiatives involves reconstructing various heritage sites, urban development, slum reconstructions, concrete roads, rural linkage roads and highways. The metro rail projects in Mumbai, Bangalore and Hyderabad and the expansion phase in Delhi will drive cement demand in this segment besides hydel dams, river canal lining & linkage and many other infrastructure related projects. Airports modernization across major cities will also expand demand. Some of the major government initiatives such as development of 98 smart cities, Make in India, Digital India are expected to provide a major boost to the sector.

### Performance Highlights

The year 2014-15 witnessed the highest production of clinker & cement and despatch of cement in the last five years. The million tonne plant at Tandur could achieve the ever highest production of 7 lakh tonne in the last year since inception of the plant in 1987. The production at Rajban Unit was also highest in the last 5 years. The overall capacity utilisation of CCI stood at 66% (the highest in the last 5 years) inspite of many adverse conditions faced by CCI, particularly with respect to running of old and obsolete plant at Bokajan.

The significant milestone achieved by your Company during FY 14-15 include:-

- Increased production over 1 lakh tonne in FY 14-15 compared to 8.36 lakh metric tonne in FY 13-14 which converts to 14% growth.
- Similarly, the capacity utilisation stood at 65.88% over 57.84% during FY 13-14, reflecting a growth of 8.1% despite stiff competition with private players.
- The sales turnover achieved at Rs.449.55 crore as compared to Rs.363.03 crore in FY 13-14 showing a growth rate of 23.83%.
- The net profit was Rs.40.08 crore as against Rs.16.20 crore of FY 13-14, registering agrowth of 147.41%.
- The average ex-factory realisation per bag of cement has also an increase of 10% over FY 13-14.

Your Company has recorded highest production,

capacity utilisation, sales turnover and net profit during the year under review as compared to past years from the FY 10-11 onwards.

### Projects & Development Activities

In order to equip your Company with the latest technologies in the field of cement to achieve energy efficiency and reduced costs, various Project and developmental activities like close circuiting of Cement Mill, installation of LP cyclones in Preheater, installation of multi-channel burner have been initiated for Tandur Plant. Similar activities aimed at improvement in operational efficiency and profitability have also been taken up at Bokajan and Rajban Units.

### Quality Management

Your Company has quality management system in place and the operating plants at Tandur, Rajban and Bokajan have received ISO 9001 certification. Regular trainings are being imparted to employees to inculcate a culture of quality orientation across the Company.

### Human Resource Development

Your Company believe that the human resource is the driving force behind the performance of the organisation. With a view to motivating them and providing nurturing environment in the organisation, concerted and consistent efforts have been made to revive HR policies in today's context and expose them in skill development programme including I.T. applications in thrust areas of the Company. As on March, 2015, the Company has 813 employees consisting of 147 executives and 666 non-executive employees.

### Environment, Health & Safety (EHS)

The Company has been focusing on the two prime objectives of EHS i.e., prevention of accidents and reduction of adverse effects on environment, health and safety. Besides, adequate measures to prevent workers from developing work related diseases are also being adopted. CCI has been continuously getting awards/prizes in the "Mines Environment & Mineral Conservation Week" organised by Indian Bureau of Mines (IBM) and "Mines Safety Week" organised under the aegis of Directorate General of Mines Safety (DGMS) for meticulous implementation of EHS norms. This itself is an evidence to CCI's efforts in management of environment, health and safety.



### Corporate Social Responsibility

The Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, the Company has introduced customised activities keeping in view its need at various plant locations.



*Medical Camp Organized by Rajban Unit*

The Company integrates and aligns its CSR & Sustainability policies and activities with its goals, plans and strategies keeping in view the suggested activities as per schedule VII of the Companies Act, 2013 and Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Govt. of India. The CSR & Sustainability activities will be imbibed by the employees at all levels and it will permeate into all activities, processes, operations and transactions of CCI.

### Customer focus

Your Company has always believed in the philosophy of customer satisfaction and therefore making conscious efforts in organising Dealers' Meet, Masons' Meet and such other developmental programmes at regular intervals to obtain constructive feedback so as to enhance and upgrade our services. It is worth mentioning that the customer satisfaction index has been one of the parameters in the Company's Memorandum of Understanding (MOU) with the Administrative Ministry and the same is being monitored in order to provide customised services so as to have delighted customers.

### Awards and accolades

Your Company was awarded by the Institute of Cost Accountants of India the prestigious 12<sup>th</sup> National Award for Excellence in Cost



*12<sup>th</sup> National Award for Excellence in Cost Management – 2014*

Management - 2014 First prize under the category of Public – Manufacturing Organisation (Medium). This is in addition to many more recognitions to the Board level position and other employees of the Company.

### Corporate Governance

The Company's philosophy on Corporate Governance is to conduct its business in a manner, which is ethical and transparent with all stakeholders in the Company, including shareholders, lenders, creditors and employees. Good governance is a continuing exercise and the Company reiterates its commitment to pursue the same in all aspects of its operations in the overall interest of all its stakeholders. To further enhance the corporate governance standards, the Company has got secretariat audit conducted as per the provisions of the Companies Act, 2013. A separate section under the heading Corporate Governance has also been annexed with the Directors' Report.

### Looking Ahead

Your Company is looking forward to achieve the completion of key projects and schemes as envisaged in the Sanctioned Scheme from the funds to be generated from sale of non-operating units. The Asset Sale Committee (ASC) constituted by Hon'ble BIFR is guiding the sale of non-operating units. Hon'ble BIFR has decided that Operation Agency, IFCI to continue with the ASC constituted earlier under GM of IFCI for sale of idle plants and machinery of the non-operating unit located at Charkhi Dadri after following the laid down procedure of BIFR.

Subsequently, Hon'ble BIFR has also

decided that existing ASC will consider disposal of plant & machinery and moveable assets of CharkhiDadri Unit through MSTC to start with.

### **Acknowledgement**

Your continued support and confidence inspired us in all our endeavours for excellence and on behalf of Board of Directors of your Company, I wish to convey our sincere thanks to you and Government of India particularly to the Department of Heavy Industry, Department of Public Enterprises, for their guidance and support in all our pursuits.

We would not have reached the position with renewed focus and enhanced performance without the support received from all our shareholders and

members of the Board.

I also extend my gratitude to our esteemed customers both in Government sector and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

I acknowledge overwhelmed support of Government of India, State Governments, CAG and all other Authorities and Agencies, Bankers, Statutory Auditors, Principal Director & Member, Audit Board-II.

Last but not the least, I would like to place on record my sincere appreciation for the commitment, involvement and dedication exhibited by the employees in the overall development and growth of the Corporation.

Thanking you,  
Jai Hind.

Place : New Delhi  
Date : 30th September 2015

**( MANOJ MISRA )**  
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR



## BOARD REPORT

To the Members,

On behalf of the Board of Directors of your company, I am delighted to present the 51<sup>st</sup> Annual Report of your Company along with the audited accounts for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2015, the Auditor's Report and the Report of the Comptroller & Auditor General of India.

### 1. FINANCIAL RESULTS

The Company's financial performance for the year under review along with previous year's figures is given hereunder:

CORPORATION AS A WHOLE (Rs. in crore)

S. No.	PARTICULARS	For the year ended 2014-15	For the year ended 2013-14
1	Net Sales	404.10	324.52
2	Other Income (including exceptional income as per Sanctioned Scheme)	57.28	76.74
3	PBDIT	49.41*	28.21*
4	Less: Interest	2.97	2.95
5	Profit before Depreciation	46.44	25.26
6	Less: Depreciation	6.36	9.06
7	Profit after depreciation and Interest	40.08	16.20
8	Less: Current Income Tax	0.00	0.00
9	Less: Previous year adjustment of Income Tax	0.00	0.00
10	Less: Deferred Tax	0.00	0.00
11	Net Profit after Tax	40.08	16.20
12	<b>Balance Transferred to Balance sheet</b>	40.08	16.20

\* Includes exceptional income (interest) of Rs. 21.90 crore (Previous year 43.05 crore)

### 2. DIVIDEND

As per the provisions of the Companies Act, 2013, no dividend will be declared for the financial year 2014-15, in view of the negative net worth of the Company.

### 3. REVIEW OF BUSINESS OPERATIONS AND FUTURE PROSPECTS

Your Directors wish to present the details of

Business operations done during the year under review:

#### Operating Units:-

The capacity utilization of cement (%), Clinker production (MT), Cement Production (MT) and Dispatch of cement (MT) of the operating units individually and collectively are stated as under:-

#### a. Production

Year	BOKAJAN		RAJBAN		TANDUR		FOR OPERATING PLANTS ONLY	
	13-14	14-15	13-14	14-15	13-14	14-15	13-14	14-15
CAPACITY UTILISATION OF CEMENT (%)	46.29	41.41	50.49	68.55	61.94	70.06	57.83	65.88
CLINKER PRODUCTION (MT)	103360	72065	102090	133525	535040	667010	740490	872600
CEMENT PRODUCTION (MT)	91655	82010	125225	170005	619385	700670	836265	952685
DESPATCH (MT)	87366	80274	130605	167691	613078	700020	831049	947986

#### Non-operating Units:-

During the year 2014-2015, the following six non-operating units of the company (except Adilabad) remained closed.

1. Mandhar
2. Kurkunta
3. Nayagaon
4. Akaltara
5. Charkhi Dadri
6. Delhi Cement Grinding Unit

#### Bokajan Expansion Project

As per the Sanctioned Scheme, the installed capacity of Bokajan Unit is to be enhanced to 1200 tpd of clinker, which inter alia envisages



View of Bokajan Plant

enhancement in the cement grinding capacity to 750 tpd at Bokajan and setting up of Silchar Grinding Unit with 50 tpd capacity.

The Work Order for capacity Expansion of Bokajan Cement Factory has been awarded to M/s. Promac Engineering Industries Ltd., Bangalore on turnkey basis at a total cost of Rs.142.40 crore vide Work Order No. 46/10/6(6)/10-MMO dt. 30.09.10. Part equipment supply and part of civil work has been completed.

The Work Order for Setting up of Silchar Grinding Unit of 50 TPH has been awarded to M/s. Promac Engineering Industries Ltd., Bangalore on turnkey basis at a total cost of Rs.39.68 crore vide Work Order No. 47/10/6(7)/10-MMO dt. 30.09.10. The implementation of the project is awaited.

### Technology Upgradation at Tandur

As envisaged in the Sanctioned Scheme, technology upgradation scheme at Tandur has been taken up for implementation:



*Upgradation work at Tandur Unit*

Twenty one schemes have been completed. Balance schemes are under various stages of implementation. Status of major ongoing schemes are as under:

- (1) LOI/work order for Design, Engineering, Modification, supply, civil/ structural design including civil works/foundations, erection and commissioning, and hooking up with existing system for three Schemes under 1<sup>st</sup> phase i.e., replacement of pneumatic transportation to mechanical transport system for Raw Mill Section (1 No.), Kiln Feed Section (1 No.) and Cement Mill Section (2 Nos.), was placed on M/s Enexco Technologies India Ltd., Gurgaon on turnkey basis at a total cost of Rs.6.91 crores.

The Performance Guarantee (PG) tests of Belt Bucket Elevator for Cement Mill No. 1 & 2 and raw mill have been conducted and the same are in operation. Kiln feed belt bucket elevator has also been taken into operation.

In Scheme under 2<sup>nd</sup> phase, Work Order for Design, Engineering, Manufacturing, Supply, Modification, Civil Structural design, erection & commissioning of ESP for Clinker Cooler on turnkey basis for Tandur unit was placed on M/s Andrew Yule & Co. (AYC) at a total cost of Rs.1084.55 lakhs.

Erection of Inlet and Outlet duct, chimney, transformer, emitting and collecting electrodes, hot roof and cold roof, monorail column etc. has been completed. Insulation work is nearing completion. As intimated by the party, work is expected to be completed in October, 2015.

### NIT for four items i.e.

- (i) To replace existing PH top stage cyclones by new Low Pressure Drop high efficiency cyclones
- (ii) Close circuiting the ball mill and producing PPC
- (iii) Replacing the present Mechanical packers by Electronic packers &
- (iv) To replace the existing conventional, static separator by a new generation, high efficiency separator in Coal mills was published.



The estimated cost of these four schemes was Rs.24.00 Crore Based on the discussions with the parties, the tender preparation work of close circuiting of ball mill and producing PPC has been completed and being processed for approval. With the help of these equipments, efficiency of Tandur plant will be increased alongwith saving on power bill.

#### **b. Profitability**

The company has earned a net profit of Rs 40.08 Crores in the year 2014 -15 as against net profit of Rs. 16.20 crores during the previous year. The Cement Production during the year is 9.53 lakhs MT of cement as against 8.36 lakh MT during the previous year. During the year 2014-15 Tandur plant has achieved highest ever capacity utilization after implementation of Sanctioned Scheme.

#### **c. Sales**

The sales turnover during the year 2014-15 inclusive of excise duty was Rs.449.54 crores as against Rs. 363.03 crores in the previous year. Sales Turnover is highest over the last five years.

#### **d. Marketing and Market Environment**

##### **(i) Marketing**

Despite various odds, your company has once again surpassed previous year figures in terms of dispatches, sales and realization achieving best figures in last five years. Cement sale has increased from 8.32 Lakh MT in 2013-14 to 9.59 Lakh MT during 2014-15, registering a growth of 15.26 % while average ex-factory realization has gone up from Rs. 193.61 to Rs. 214.22 per bag, an increase of over 10% over previous year. Tandur Unit has recorded the best ever performance crossing 7.00 Lakh MT of dispatches and sales during the FY 2014-15 registering the figures of 700020 MT and 711707 MT respectively which is an increase of 14% and 16% over the previous year. Rajban Unit has also increased the sale by 38478 MT witnessing a growth of over 29% in terms of sales figure. The increased competition, heavy arrivals, lower demand, political disturbances in Manipur and Nagaland had a negative effect on the price of cement in the North-Eastern market which has resulted in negative growth of 8.13% at Bokajan Unit in terms of sale.

The introduction of new segment of loose cement has contributed positively with a total dispatch of

76081 MT in Tandur unit during the FY 2014-15. Karnataka and Telengana markets have shown improved performance both in sales as well as realization. Dealer network has been expanded both in Tandur area as well as Rajban area which has resulted in expansion of market.

##### **(ii) Quality**

Quality aspects are given utmost importance in all the three operating units of CCI. Regular quality monitoring and control activities from raw material stage to product stage are being done in own well equipped laboratories by well qualified and trained personnel. Besides, cement samples are tested for complete physical & chemical parameters in reputed govt. laboratories such as NTH, NCB etc.

All the three Operating units are ISO 9001 certified. Tandur unit is in the process of obtaining SA 8000 Standard.

#### **e. Future Prospects**

The cement market in India is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.96% during the period 2014-2019. The overall cement demand is estimated to grow in 2015-16. The consumption growth may increase further if investment is made in the infrastructure segment.

## **4. CAPITAL STRUCTURE**

The Corporation has not received any amount as equity from Govt. of India during the year under review and company's capital at the year-end stood at Rs. 811.41 crores.

## **5. IMPLEMENTATION OF ERP AND TALLY ERP 9**

The end-to-end consultant for the purpose of implementation of ERP was appointed during the month of September, 2012 for adoption of technology to help management to take faster and informed decision in transparent environment by computerization of all the activities of the corporation. It was felt that in order to generate real time financial accounting and sales reports etc., online suitable software available in the market should be implemented for better control. It was expedited and work order for implementation of Tally ERP-9 (Multi user License) online package hosted on outsource data center was accorded on an outside party during the month of February, 2015. Implementation status of the package is as under:



- Procurement, deployment and configuration of Tally ERP-9 on identified cloud server has been accomplished.

- Access of the package to all users/computer/ locations along with training to users at all locations has been provided.

- Import of master data and implementation of the package with real time access at all locations is under progress.

- After this, customization and live execution of the package as per our requirement will be taken up by the vendor for all locations.

**6. IMPLEMENTATION OF E-PROCUREMENT / E-TENDERING**

E-procurement service provider agreement was signed with outside agency on 22.08.2014. Training to users at units and corporate office has been completed. The system has been put in line w.e.f. 1st July, 2015 and vendor registration is being done at units and corporate office. Subsequently, tenders for e-procurement on online portal provided by the vendor i.e. M/s MSTC are being uploaded.

**7. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:**

Your Company lays utmost importance on the human resources as employees are the most valued asset of any organization. Manning your company, there are 813 employees possessing a variety of skills, qualifications and competence. Your Corporation is committed to develop human resources and provide them with greater opportunities linked to their contribution to the organization's objectives. The Corporation has been making all efforts to ensure development of human competencies and welfare of its most important and valuable asset i.e. its employees. The industrial relations remained peaceful throughout the year in all the units of the Corporation. Fruitful discussions and interactions are being conducted with the trade unions and employees at various forums which have significantly contributed towards governing redressal, resolving differences and improving industrial relations resulting into no mandays lost during the year.

**8. HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT:**

Human Resource Development has made efforts and given thrust towards development and optimum

utilization of human resources to put up a healthy work culture and to achieve higher goal and productivity as well as to meet the challenges of the future. In order to have an extensive study of manpower restructuring, the company has appointed M/s Administrative Staff College of India (ASCI), Hyderabad for conducting the study of manpower in the Corporation. A preliminary report in this regard has been submitted by the ASCI to the Management and some suggestions were given to the company which are to be incorporated in the report. After receiving the consolidated and final report suitable manpower restructuring will be taken up.

**9. TRAINING AND DEVELOPMENT:**

As part of Human Resource development, your company has given utmost importance to the skill development of all level of employees. During the year 2014-15, total 1028 man-days of in-house training was imparted to the employees to enhance their skill. Your company has also nominated employees for external training on various subjects during the year. A cross section of employees was also nominated for several seminars and conferences on in their functional areas of working at different locations. Senior officers of the company at all the operating units were exposed to training on the concept and implementation of risk management techniques. Besides above, your company has also conducted competency mapping of supervisory level employees at the operating units so as to bridge the skill gap.

**10. WELFARE OF WOMEN EMPLOYEES:**

Cement Corporation of India is fully conscious towards its social responsibility for welfare of women. All statutory and other benefits are being extended to the women employees working at various units/offices of the Corporation.



*Cultural activity at Bokajan Plant*

In order to promote the welfare of the women, the units of CCI are having Ladies Club where various social and recreation activities are being carried out for the women. The vocational programmes on computer literacy, mother & child health care, etc. are being undertaken at these various clubs. The Corporation provides infrastructural and other financial assistance from time to time to undertake such activities for Welfare of women. So far as Sexual Harassment of Woman at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 is concerned, we have not received any complaint.

#### 11. OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION:



*Celebration of Hindi Pakhawara*

The Corporation continued its efforts for progressive use of official language in line with the Official Language Policy of the Govt. The Official Language implementation Committee meeting takes place regularly and the Corporation has also taken active part in the activities of Official Language implementation Committee. Hindi week / Fortnight is being celebrated to encourage and motivate the employees for more and more use of Hindi in their day-to-day official work.

#### 12. COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE



*Swachh Bharat Abhiyan*

CCI is a Central Public Sector Enterprise and the entire shareholding is held by Govt. of India. The company has been making efforts continuously towards raising the standards of corporate governance. Report on corporate governance as per DPE guidelines is enclosed.

#### 13. AWARDS

The Institute of Cost Accountants of India has conferred prestigious 12<sup>th</sup> National Award for Excellence in Cost Management – 2014 - First prize under the category of Public - Manufacturing Organisation (Medium) on Cement Corporation of India Ltd. The Award was presented by Col. Rajyavardhan Rathore, (Retd.) AVSM, Minister of State for Information & Broadcasting in a glittering ceremony held on 15<sup>th</sup> July, 2015 in Hotel Ashok, New Delhi.



*Cost Management Award from ICAI received by Shri Manoj Misra, C&MD*

#### 14. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

The information pertaining to conservation of energy, technology absorption, Foreign exchange Earnings and outgo as required under Section 134 (3)(m) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is furnished in Annexure and is attached to this report.

#### 15. STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The risk management system is an integrated and aligned system with the corporate and operational

objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

#### **16. DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES**

Your Company has always discharged its social responsibility as a part of its CSR philosophy that business and society can become partners for development. In line with its Corporate Social Responsibility, your company has created basket of activities and taken up various initiatives at its plants level.

The details on company's CSR activities is attached as Annexure

#### **17. ACTIVITIES AND ACHIEVEMENTS OF VIGILANCE DEPARTMENT**

Vigilance constitutes an integral part of the management function and its effort is to promote the culture of honesty, managerial effectiveness, fairness and transparency in the affairs of the Organization. The culture of vigilance awareness is inculcated amongst the employees at all levels in the Corporation and emphasis is given for preventive vigilance and for system improvement to prevent the scope for indulging in malpractices besides encouraging a culture of honesty. List of officers of 'Doubtful Integrity' and 'Agreed List' is prepared and follow-up action taken thereof.



*Celebration of Vigilance Awareness Week*

Existing systems and procedures are examined from time to time with a view to plug the loop-holes and simplify the system in order to have transparency in the functioning of all departments of CCI. Regular/Surprise checks are conducted in

sensitive areas, particularly at Sales Dumps.

Action has been initiated for updation of Personnel, Marketing and Purchase Manuals. Finance and Accounts Manual has been released on 20.01.2015. E-tendering is a part of e-procurement. CCI has already been floating NITs through e-tendering. NIT along with tender documents are uploaded on CCI website followed by publishing of small clippings of NIT in the newspapers. CCI is having a list of vendors for centrally procured items. The same is being updated from time to time on the website and adding the new vendors. In CCI, more than 90% payment is released through RTGS. E-procurement, e-auction are implemented to the extent possible. Adoption of Integrity Pact in CCI is in the advanced stage. With a view to leverage the potential of Information Technology, ERP implementation is in progress to cover various activities and operations. CCI's website takes care of its statutory requirement of RTI Act and various functional areas.

Half Yearly Review of Vigilance activities is undertaken by the Board of Directors of CCI. A detailed Agenda is prepared for the purpose, containing all the activities, including complaints received/disposed of, major/minor penalty action taken, brief regarding important cases, training and manpower in vigilance as well as the areas of concern.

Annual Property Returns are being obtained from employees. All prescribed Monthly, Quarterly and Annual Returns pertaining to Vigilance activities are being sent to CVC, DHI, etc. in time. In compliance of CVC's instructions, Vigilance Awareness Week is being celebrated annually at Corporate Office, Units, Regions, etc. Necessary co-operation/assistance provided to CBI in terms of DOPT's instructions by way of deputing CCI employees to secret official duty.

#### **18. STATUS OF SALE OF NON-OPERATING UNITS**

The Assets Sale Committee constituted by Hon'ble BIFR is guiding the sale of non-operating units.

Hon'ble BIFR has decided that operating Agency M/s IFCI to continue with the ASC constituted earlier under GM of IFCI for sale of idle Plants & Machinery of Non-operating unit located at Chakhi Dadri unit, after following the laid down procedure of BIFR. The matter regarding transfer of mining leases in favour of successful bidders is being taken up with concerned State Government.



## 19. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

No govt. loans, guarantees or investments are made under section 186 of the Companies Act, 2013 during the year 2014-15 .

## 20. EXPLANATION OR COMMENTS ON QUALIFICATIONS, RESERVATIONS OR ADVERSE REMARKS OR DISCLAIMERS MADE BY THE AUDITORS AND THE PRACTICING COMPANY SECRETARY IN THEIR REPORTS

Management's reply to the Statutory Audit Report and Secretarial Audit Report is enclosed to Directors' Report.

## 21. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

There was no contract or arrangements made with related parties as defined under Section 188 of the Companies Act, 2013 during the year under review.

## 22. COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES

CCI is a CPSE where policy relating to appointment, remuneration and allowances payable to Directors is determined by the Government of India.

## 23. ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and administration) Rules, 2014 is attached to this Report.

## 24. NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company has conducted five (5) Board meetings during the financial year under review.

## 25. DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENT

In accordance with the provisions of Section 134(5) of the Companies Act, 2013 the Board hereby submits responsibility Statement:—

- (a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had

been followed along with proper explanation relating to material departures;

- (b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) the directors had laid down internal financial controls to be followed by the company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Internal financial control means the policies and procedures adopted by the Company for ensuring the orderly and efficient conduct of its business including adherence to Company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records and the timely preparation of reliable financial information.
- (f) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

## 26. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

## 27. DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposits during the year under review.

## 28. DIRECTORS

The following directors were appointed/ resigned



during the year 2014-15.

- Shri S. S. Mahlawat (Govt. nominee) and Shri S. K. Goyal (Govt. nominee) were ceased to be Directors of the Company w.e.f. 28.04.2014 and 01.10.2014 respectively. The company places on record, its appreciation for their guidance and contribution during their association with the Company.

Shri Vishvajit Sahay, Joint Secretary, DHI (Govt. nominee) and Shri A. M. Manichan, Deputy Secretary, DHI (Govt. nominee) joined the Board w.e.f. 28.04.2014 and 01.10.2014 respectively.

- Shri Manoj Misra assumed additional charge of the post of C&MD w.e.f. 1<sup>st</sup> Oct. 2014, after relinquishment of charge of C&MD by Shri R. P. Tak. Subsequently, Shri Manoj Misra assumed the charge of Chairman and Managing Director w.e.f. 21.01.2015.
- Shri S. C. Agrawal has resigned from the post of Director (Fin.) w.e.f. 05.05.2015

## 29. DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

There is no Independent Director on the Board of CCI since 09.09.2013.

## 30. AUDITORS

### STATUTORY AUDITORS

M/s. SPG Associates., Chartered Accountants, Gurgoan were appointed as Principal Statutory Auditors for the year 2014-15 and M/s. R K Singhania & Associates, M/s. Taunk & Srikanth, M/s. Gopal & Rajan, M/s. AK Gutgutia & Co., M/s. P Gaggar & Associates., M/s. MKA Associates, M/s. SSR & Co., M/s. Luharuka and Associates, were appointed as Branch Auditors. The report of the Statutory Auditors and replies thereto, and comments of the Comptroller & Auditor General of India are annexed to this report.

### COST AUDITORS

In terms of the provisions of Section 148 of the Act read with the Companies (Cost Records and Audit) Amendment Rules, 2014, the Board of Directors of your Company have on the recommendation of the Audit Committee, appointed M/s. Subhadra Dutta & Associates, Cost Accountants, M/s. Jugal K Puri

& Associates., Delhi, Cost Accountants and M/s. BVR & Associates, Hyderabad, Cost Accountants, as Cost Auditors, to conduct the cost audit of your Company for the financial year ending 31st March, 2015, at a remuneration as mentioned in the Notice convening the Annual General Meeting.

As required under the Act, the remuneration payable to the cost auditor is required to be placed before the Members in a general meeting for their ratification. Accordingly, a resolution seeking Member's ratification for the remuneration payable to Cost Auditors forms part of the Notice of the ensuing Annual General Meeting.

### SECRETARIAL AUDITORS

In terms of the provision of Section 204 of the Act read with the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, the Board has appointed M/s. Amit Aggarwal & Associates, Company Secretaries, New Delhi as Secretarial Auditor for conducting Secretarial Audit of your Company for the financial year ended 31st March, 2015. The report of the Secretarial Auditors is attached as Annexure.

In respect of the comments made by the Secretarial Auditors in their report, your Directors have clarified as under :

"The composition of the Board of Directors could not be duly constituted as per section 149 of the Companies Act, 2013 and as per DPE Guidelines due to lack of required Independent Directors on the Board. Concerned Ministry has already been informed for appointing sufficient number of Independent Directors on the Board."

### 31. DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGILMECHANISM

The Audit Committee consists of the following Directors:

- a. Smt. Divjot Kohli (BIFR Nominee), Chairperson
- b. Shri Manoj Misra, Member
- c. Shri A.M. Manichan, Member

The Audit Committee of the Board was reconstituted in 321<sup>st</sup> Board Meeting on appointment of Shri A. M. Manichan as part-time Official director vice Shri S. K. Goyal on the Board of Cement Corporation of India.

The Company has Whistle Blower Policy as approved by Board of Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairperson of the Audit Committee, who are competent authority under the Whistle Blower Policy of the company on reporting issues concerning the interests of employees and the Company. The Whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company [www.cementcorporation.co.in](http://www.cementcorporation.co.in)

### 32. ACKNOWLEDGEMENTS

Board acknowledges the support and guidance your Corporation received from Department of Heavy

Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt. of India and also the support and cooperation of the Ministry of Railways, DGS&D, PESB, BRPSE, BIFR, Financial Institutions, Bankers and other Central and State Government Departments. We extend our gratitude to our esteemed customers both in Govt. and private sector for their continued overwhelming support to the products of CCI.

The Directors are thankful to M/s S.P.G. Associates, Chartered Accountants, Comptroller & Auditor General of India and Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board-II. The Directors wish to place on record their deep appreciation for the dedication of employees of the Corporation.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

Date: 24th Sept 2015  
Place: New Delhi

(Manoj Misra)  
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

## CSR ACTIVITIES

1 A brief outline of the company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy:

CCI's CSR & Sustainability Policy is envisaged as **"A commitment to meet its social obligations by playing an active role to improve the quality of life of the communities and stakeholders on a sustainable basis, preferably in the project areas where it is operating"**.

CCI integrates and aligns its CSR & Sustainability policies and activities with its goals, plans and strategies keeping in view the suggested activities as per schedule VII of the Companies Act, 2013 and Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Govt. of India. The CSR & Sustainability activities will be imbibed by the employees at all levels and it should permeate into all activities, processes, operations and transactions of CCI.

Web-link address to the CSR Policy is: <http://www.cementcorporation.co.in/page.php?id=194>

2. The Composition of the CSR Committee.

The Corporate Social Responsibility committee at the Board level consists of the following directors:

- Shri Manoj Misra, Chairman & Managing Director
- Smt. Divjot Kohli (BIFR Nominee)
- Shri A. M. Manichan (Govt. Nominee)

3. Average net profits of the company for the last three financial years: Rs. 1458 lakhs

4. Prescribed CSR expenditure (2% of the amount as in item 3 above): Rs 29 lakhs

5. Details of CSR spent during the financial year:

- Total amount to be spent for the financial year: Rs 29 lakhs
- Amount unspent, if any: Rs 26 lakhs
- Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
S. No	CSR project or activity identified	Projects or programs (1) Local area or other	Amount outlay (budget) project	Amount spent	Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent: Direct or through implementing agency
1.	Organized Health Camps	Village Muglowala, Tehsil Paonta, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh	Nil	30,000/-	30,000/-	Direct
2.	Distribution of free medicine	-do-	Nil	30,000/-	60,000/-	Direct
3.	Construction of two nos. of Toilets in Schools	Village Rajpur Degli and Village Bhajon, Tehsil Paonta, Distt. Sirmour, Himachal Pradesh	Nil	2,00,550/-	2,60,550/-	Direct

6. In case the company has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof the company shall provide the reasons for not spending the Amount in its Board report.

CCI is a BIFR referred sick company facing scarcity of funds. No specific budget could be earmarked during the year 2014-15, However, 2015-16 onwards proper allocation of funds and projects under CSR activities will be taken up as per the CSR Policy of the Corporation.



**Particulars as required under Companies ‘(Disclosure of particulars in the Report of the Board of Directors) Rules 1988**

**A. Conservation of Energy**

(a) Energy conservation measures taken:-

**BOKAJAN**

- (i) Power consumption is being monitored on daily basis.
- (ii) Idle running of equipment has been controlled and minimized.
- (iii) 6 Nos. VVFD has been installed at mines and factory.
- (iv) Contracted maximum demand has been reduced from 5500 KVA to 4752 KVA and power factor of factory has improved.
- (v) High wattage luminaries have been replaced with CFL fixtures.

**RAJBAN**

- (i) Old and obsolete booster transformer of EOT crane have been replaced with new version of booster transformer.
- (ii) Procurement of new motors are under process for replacement of old and obsolete motors of EOT crane.
- (iii) New EOT crane has been made operative which is equipped with latest version of equipment.
- (iv) Conventional light fittings are being replaced with LED light fittings in plant and colony.
- (v) Only energy efficient electronic chokes and regulators are being installed.

**TANDUR**

- (i) Replacement of existing motors with energy efficient motors in —
    - Coal Mill main drive No.2
    - Coal Mill fan No.1
    - VRM fan main motor
    - LS crusher main motors
  - (ii) Replacement of fluorescent Tube Light with LED tub lights.
- (b) Total energy consumption and energy consumption per unit of production:





<b>1. Electricity</b>	<b>2014-2015)</b> (Operating Units only)	<b>(2013-2014)</b> (Operating Units only)
<b>a) Purchased</b>		
i) Units (in lacs.)	1230.56	1144.84
ii) Total amount (in lacs.)	7426	6346
iii) Rate per Unit	6.03	5.54
<b>b) Own generation</b>		
i) Through Diesel Generation		
· Unit (KWH)	81484	66778
· Unit/ litre of diesel oil (KWH/litre)	2.59	2.94
· Cost per Unit(Rs./KWH)	17.68	15.22
<b>2. Coal</b>		
i) Qty. consumed (Tonne)	205931	175183
ii) Total Cost (Rs. in lacs)	10415	8601
iii) Average rate (Rs. /MT)	5057.60	4909.46
Consumption per unit of production		
i) Electricity (KWH/ tonne of packed cement incl. Township)	129.25	137
ii) Booked coal (kg. /kg. of clinker/ production)	0.2366	0.2360
iii) Coal Quality (UHV) (K.Cal/kg. of coal)	4097	3818
<b>B. Technology Absorption</b>		
I. Research and development (R&D)		
i) Specific Areas in which R&D was carried out by the company – Quality control/improvement activities as mentioned in point no.6 are undertaken.		
ii) Benefits derived as a result of the R&D: Proper maintenance of quality of cement.		
II. Technology Absorption, Adoption & Innovation		
As no technology was imported in the year, the information on absorption, adoption and innovation is NIL.		

**Expenditure on R&D (2014-15) :**

	( Rs. in crores )
a) Capital	—
b) Revenue	<u>NIL</u>
c) Total	<u>NIL</u>
d) Total R&D Exp. As a % of total turnover	<u>NIL</u>

### C. Foreign Exchange Earnings and outgo

Though export enquiries have been received from time to time from different parties but due to locational disadvantage of our plants, which are far away from sea ports, our inland freight from plants to the nearest sea ports works out to be on higher side. Due to this reason our FOB prices do not work out competitive. Close monitoring is being done on export front, to avail the opportunity, as and when arises. However, entire production of cement is being sold in the domestic market.

(Rs. in crores)

Total foreign exchange used and earned :	Nil
Total foreign exchange used during the year :	Nil
Total foreign exchange earned during the year :	Nil

## EXTRACT OF ANNUAL RETURN

As on the Financial Year ended on 31 March, 2015

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act, 2013 and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

**1. REGISTRATION AND OTHER DETAILS :**

- i) **CIN:-** U74899DL1965PLC004322
- ii) **Registration Date:-** 18/01/1965
- iii) **Name of the Company:-** CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED
- iv) **Category/ Sub-Category of the Company:-** MANUFACTURING SECTOR
- v) **Address of the Registered office and contacts details:-**  
CORE-5, SCOPE COMPLEX, 7 LODHI ROAD NEW DELHI - 110003
- vi) **Whether listed company Yes / No:-** No
- vii) **Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, If any:-** NIL

**2. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY**

All the business contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

SI . No.	Name and Description of the main products/ services	NIC Code of the Product/ services	% to total turnover of the company
1	Cement	2394	100%
2	Clinker	2394	

**3. PARTICULARS OF HOLDING , SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES –**

S. NO	NAME AND ADDRESS OF THE COMPANY	CIN/GLN	HOLDING / SUBSIDIARY/ ASSOCIATE	% OF SHARES HELD	APPLICABLE SECTION
	NIL				

**4. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)**

i) Category – wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
<b>A) Promoters</b>									
<b>(1) Indian</b>									
(a) Individual/ HUF	0	0	0	0					

सी सी आई

CCI

## 51st ANNUAL REPORT 2014-15

(b) Central Govt Equity Shares	-	45,59,749	45,59,749	100%	-	45,59,749	45,59,749	100%	NIL
Preference Shares	-	35,54,325	35,54,325	100%	-	35,54,325	35,54,325	100%	
(c) State Govt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(d) Bodies Corp.	0	0	0	0	0	0	0	0	
(e) Banks/FI	0	0	0	0	0	0	0	0	
(f) Any Other	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Sub- total(A) (1):-</b>	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	
(2) Foreign									
a) NRIs- Individuals	0	0	0	0					
c) Bodies Corp.	0	0	0	0					
d) Bank/FI	0	0	0	0					
e) Any other....	0	0	0	0					
<b>Sub- total(A) (2):-</b>	0								
<b>Total shareholding of Promoter (A)=(A)(1)+(A)(2)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>A. Public share holding</b>									
<b>1.Institutions</b>									
a) Mutual Funds	0	0	0	0					
b) Banks/FI	0	0	0	0					
c) Central Govt. /State	0	0	0	0					
e) Venture Capital Funds	0	0	0	0					
f) Insurance Companies	0	0	0	0					
g) FIs	0	0	0	0					
h) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0					
i) Others (specify	0	0	0	0					
Stressed Asset	0	0	0	0					
<b>Sub-total (B) (1):-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					



<b>2. Non-Institutions</b>									
a) Bodies Corp. (Indian & Overseas)	0	0	0	0					
b) Individuals									
(i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	0	0	0	0					
ii) Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh	0	0	0						
<b>c) others (Specify)</b>									
Trusts	0	0	0	0					
NRI & Foreign Corporate Bodies	0	0	0	0					
c-ii) Clearing Members	0	0	0	0					
HUF	0	0	0	0					
<b>Sub-total (B) (2):-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Total Public Shareholding (B)=(B)(1)+(B)(2)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
B. Shares held by Custodian for GDR&ADRs	0	0	0	0					
<b>Grand Total (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>81,14,074</b>	<b>81,14,074</b>	<b>100%</b>		<b>81,14,074</b>	<b>81,14,074</b>	<b>100%</b>	<b>NIL</b>

**(ii) Shareholding of Promoters**

SI No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change Shareholding during the year
		No. of shares	% of total shares of the company	% of Shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of Pledged/ encumb-ered to total shares	
1.	Central Govt.	81,14,074	100%	-	81,14,074	100%	-	NIL
	<b>Total</b>	<b>81,14,074</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>81,14,074</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>NIL</b>

**(iii) Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)**

SI. NO.		Shareholding at the Beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. Of Shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	At the beginning of the year	NO CHANGE			
	Date wise Increase/ Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reason for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):				
	At the end of the year				

**(iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):**

SI. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	For Each of the Top 10 Shareholders				
	At the beginning of the year				
	Date wise Increase/ Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment/ transfer/ bonus/ sweat equity etc):				
	At the End of the year ( or on the date of separation, if separated during the year)				

**(v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:**

SI No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No. of shares	% of total shares of the company
	<b>For Each of the Directors and KMP</b>				
	At the beginning of the year				NIL
	Date wise Increase/Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase /decrease (e.g. allotment /transfer/ bonus/sweat equity etc):				
	At the End of the year				



## 5. INDEBTNESS

Indebtness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment

	Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtness
Indebtness at the beginning of the financial				
i) Principal Amount	—	18790	—	18790
ii) Interest due but not paid	—	18548	—	18548
iii) Interest accrued but not due	—	18548	—	18548
<b>Total (i+ii+iii)</b>		<b>37338</b>		<b>37338</b>
Change in Indebtness during the financial year				
· Addition	—	—	—	—
· Reduction	—	—	—	—
<b>Net Change</b>				
Indebtness at the end of the financial year				
i) Principal Amount	—	18790	—	18790
ii) Interest due but not paid	—	18548	—	18548
iii) Interest accrued but not due	—	18548	—	18548
<b>Total (i+ii+iii)</b>		<b>37338</b>		<b>37338</b>

## 6. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

### A. Remuneration to Managing Director, Whole – time Directors and/or Manager:

(Rs. in Lakhs)

SI No.	Particulars of Remuneration	NAME OF MD/WTD/Manager			Total Amount
		Sh. R. P. Tak	Sh. Manoj Misra	Sh. S. C. Agrawal	
1.	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17 (1) of the Income tax Act, 1961	14.63	25.26	22.03	61.93
	(b) Value of perquisites u/s 17 (2) Income –tax Act, 1961	—	—	—	—
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	—	—	—	—
2.	Stock Option			NIL	
3.	Sweat Equity			NIL	
4.	Commission				
	- As % of profit			NIL	
	- Others, specify....				
5.	Others , please specify				
	(i) Contribution to PF	0.93	1.75	1.59	4.27
	(ii) Medical Reimbursement	0.39	0.34	0.71	1.44
	<b>Total (A)</b>	<b>15.95</b>	<b>27.35</b>	<b>24.33</b>	<b>67.64</b>
	Ceiling as per the Act				

**B. Remuneration to other directors:**

(Rs. in Lakhs)

SI No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors			Total Amount
		Mrs. Divjot Kohli	—	—	
	3. Independent Directors				
	· Fee for attending board committee meetings				
	· Commission				
	· Others, please specify	—			
	<b>Total (1)</b>	—			
	4. Other Non-Executive Directors(BIFR Nominee)				
	· Fee for attending board committee meetings	0.66			0.66
	· Commission				
	· Others, please specify				
	Total (2)				0.66
	Total (b)=(1+2)				
	Total Managerial Remuneration				0.66
	Overall Ceiling as per the Act				

**C. REMUNERATION TO KEY MANAGERIAL PERSONNEL OTHER THAN MD/MANAGER/WTD**

(Rs. in Lakhs)

SI. NO.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		CEO/ C&MD	COMPANY SECRETARY	CFO	Dir(Fin.) /CFO
		Sh. Manoj Misra	Sh. Ajay Kumar Sharma	Sh. A B Deyashi*	Sh. S. C.**Agrawal
1.	Gross salary				
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	Shown at column 6 A.	11.02	16.42	Shown at column 6 A.
	(b) Value of perquisites u/s 17 (2) Income-tax Act, 1961				
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961				
2.	Stock Option		-	-	
3.	Sweat Equity		-	-	
4.	Commission				
	- As % of profit				
	- Others, specify		-	-	
5.	Others, please specify				
	(i) Contribution to PF		0.75	1.12	
	(ii) Medical Reimbursement		0.05	0.52	
	Total		11.82	18.06	

\*Mr. A.B Deyashi has been appointed as CFO w.e.f. 31/07/2015.

\*\*Sh. S.C.Agrawal has resigned from the post of CFO w.e.f. 05/05/2015.



**7. PENALTIES / PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:**

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/Punishment /Compounding fees imposed	Authority[RD/ NCLT/COURT]	Appeal made, if any (give details)
<b>A. COMPANY</b>					
Penalty					
Compounding					
<b>B. DIRECTORS</b>					
Penalty					
Punishment					
Compounding					
<b>C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT</b>					
Penalty					
Compounding					





# CS

## Amit Agrawal & Associates Company Secretaries

Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA  
Ph. : +91 - 11 - 22024525, 43019279, Mob. : +91 - 9811272307  
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

To

The Members of  
Cement Corporation of India Limited,  
Core-5, Scope Complex  
7-Lodhi Road, New Delhi - 110003

Sir/Madam

Our report in form no. MR-3 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of Accounts of the company.
4. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For- Amit Agrawal & Associates  
Company Secretaries

Place: Delhi  
Date : 18.09.2015

(CS Amit Agrawal)  
Practicing Company Secretary  
Membership No. 5311  
CP No. 3647



# Amit Agrawal & Associates

## Company Secretaries

Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA  
Ph. : +91 - 11 - 22024525, 43019279, Mob. : + 91 - 9811272307  
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com



### Form No. MR-3 SECRETARIAL AUDIT REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31<sup>st</sup> MARCH, 2015

[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,  
The Members,  
**Cement Corporation of India Limited**  
Core -5, Scope Complex  
7- Lodhi Road, New Delhi-110003

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable Statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **M/s. Cement Corporation of India Limited** (hereinafter called the Company) having its registered office at Core -5, Scope Complex. 7- Lodhi Road, New Delhi-110003 Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on our verification of the **M/s. Cement Corporation of India Limited** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, We hereby report that in our opinion, the company has, during the Audit period covering the financial year ended on **31<sup>st</sup> March, 2015** complied with the Statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **M/s. Cement Corporation of India Limited** for the financial year ended on **31<sup>st</sup> March, 2015** according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made thereunder;
- (ii) Other applicable laws as per **Annexure -I**

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to our below observation.

*As required appointment of Independent director under section 149 of the Companies Act, 2013 has not been complied;*

However, During the period under review, provisions of the following regulations were not applicable to the Company because of for clause (l) no FDI and ECB has been taken by the Company since incorporation

and for (II) to (IV) clauses below the Company is unlisted Company, Clause (V) the Company do not have any shares in Demat form, Clause (VI) the company has not commenced its business operation and for clause (VII) it shall be become applicable on the company w.e.f. 01.07.2015. Hence, comments are not required to be made in respect of these clauses:

- I. Foreign Exchange Management Act, 1999 and rules and regulation made there under to the extent Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings.
- II. The Rules, Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act').
- III. The Listing Agreement with any Stock Exchange.
- IV. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and Rules made there under;
- V. The Depositories Act, 1996;
- VI. The Electricity Act, 2003.
- VII. The Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

We further report that:

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of functional Directors, Government nominee director except Independent Directors. The Changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act. Subject to our observation on next page. (Annexure-1)

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

We further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period the company has provide details of specific events/actions having a major bearing on the company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. referred to above).

Place : Delhi

For Amit Agrawal & Associates  
(Companies Secretaries)

Date : 18.09.2015

(CS Amit Agrawal)  
(Proprietor)  
M.No. F5311  
C.P. No. : 3647



# Amit Agrawal & Associates

## Company Secretaries

Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA  
Ph. : +91 - 11 - 22024525, 43019279, Mob. : + 91 - 9811272307  
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com



Annexure-I

### 1. Labour Laws:

#### Central Act:

- a) Payment of Wages Act and Minimum Wages Acts
- b) Payment of Gratuity Act :
- c) Equal Remuneration Act 1976 :
- d) National & Festival Holidays Act-
- e) Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 :
- f) Maternity Benefit Act 1961.
- g) Employees Provident Fund Act 1952
- h) Employees State Insurance Act

#### Fiscal Laws:

- a) Income Tax Act and Rules and regulation made there under:
- b) Service Tax

#### Environment Law:

- a) Air (Prevention and Control of Pollution) Act
- b) Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974
- c) Environment (Protection) Act 1986

In terms of the provision of Section 204 of the Act, the Management has to give replies to the comments of the Secretarial Auditors which are placed below to be incorporated in the Board's Report:

**In respect of the comments made by the Secretarial Auditor's in their report, your Directors have clarified the same as under:**

**"The composition of the Board of Directors could not be duly constituted as per section 149 of the Companies Act, 2013 due to lack of required Independent Directors on the Board. Concerned Ministry has already been informed for appointing sufficient number of Independent Directors on the Board."**

## REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

### 1. Company's philosophy on Code of Governance:

The philosophy of the Company in relation to Corporate Governance is that Cement Corporation of India Ltd (CCI) believes in financial prudence, customers' satisfaction, transparency, accountability and commitment to stakeholders. CCI practices based on its stated belief and the guidelines the Government of India issues from time to time should go a long way to enhancing value for all those who are associated with the Corporation; shareholders, customers, suppliers, creditors, Government of India, State Governments, Government Agencies/Departments and the society at large.

The Corporation believes that its operations and actions must serve the underlying goal of enhancing the interests of its stakeholders over a sustained period of time, in a socially responsible way.

The Company is committed to conforming to the highest standards of Corporate Governance.

### 2. Board of Directors:

#### i. Size of the Board:

Cement Corporation of India Limited is a Government company as defined under the Companies Act. As per the Articles of Association of the company, the power to appoint directors rests with the President of India. The strength of the Board shall not be less than 3 Directors and not more than 12. The number of independent directors shall not be less than one third of the actual strength of the Board.

#### ii. Composition of Board:

As on 31<sup>st</sup> march 2015, the Board of CCI comprised of five (5) Directors out of which two were functional directors including the Chairman & Managing Director and two were Part-time official Directors, who were nominees of the Administrative Ministry, Government of India and one Special Director was BIFR nominee.

The name and categories of Directors, their attendance in Board Meeting held during the year and at the last Annual General Meeting as well as the number of Directorship and Committee (Audit Committee) positions are given in Table 1.

**Table 1: Categories of Directors and the Directorship and Committee positions held by them**

Sl. No.	Name of Directors	Board Meeting held during the tenure of Directors	No. of Board Meeting Attended	Attendance in AGM (held on 16.09.2014)	No. of Directorship held as on 31.03.2015	No. of Committee membership held in other companies as on 31.03.2015
<b>Functional Directors:</b>						
1.	Shri R.P. Tak (Chairman cum Managing Director) upto 30.09.2014	3	3	Yes	NIL	NIL
2.	Shri Manoj Misra, Director-HR/CMD (Additional charge) w.e.f. 01.10.14	5	5	Yes	NIL	NIL
3.	Shri S.C. Agrawal Director (Finance)	5	5	Yes	1*	NIL



<b>Government Nominee Directors:</b>						
4.	Shri S. K. Goyal Upto 30.09.2014	3	3	Yes	1	NIL
5.	Shri A. M. Manichan w.e.f. 01.10.2014	2	2	No	5	NIL
6.	Shri Vishvajit Sahay w.e.f. 28.04.2014	5	5	Yes	4	NIL
<b>Special Director / BIFR Nominee :</b>						
7.	Smt. Divjot Kohli	5	4	No	1	NIL

\*Holding additional Charge of Chairman & Managing Director of M/s Triveni Structural Ltd.

The company held five Board Meetings on 15.05.2014, 03.07.2014, 16.09.2014, 15.12.2014 and 09.03.2015 during the year under report and time gap between two Board Meetings was not more than three months.

**iii. Scheduling and selection of agenda items for Board/Committee meetings:**

The meetings are convened by giving appropriate notice after obtaining the approval of the Chairman of the Board/Committee. Detailed agenda notes, management reports, and other explanatory statements are circulated in advance among the members to facilitate meaningful, informed, and focused decisions during the meeting. When urgent issues need to be addressed, meetings are called at shorter notice or resolutions are passed by circulation.

Wherever it is not practical to attach any document to the agenda notes due to its confidential nature, or in special and exceptional circumstances, additional or supplemental items, such papers are placed on the table in the meeting.

The agenda papers are circulated after obtaining the approval of the functional director/CMD.

Presentations are made in the Board/Committees meetings on matters related to Finance, Operations, Human Resources, etc. to enable members to take informed decisions.

The members of the Board have complete access to all information of the Company. The Board is also free to recommend any issue that it may consider important for inclusion in the agenda. Senior management officials are called to provide additional inputs to the items being discussed by the Board, as and when necessary.

**iv. Recording of minutes of the Board/Committee meetings:**

Minutes of the proceedings of each Board/Committee meeting are duly recorded in the Minutes Book. The minutes of each Board meeting are circulated among Board members in the next Board meeting for their confirmation.

**v. Follow-up mechanism:**

An action-taken report on the important decisions of the Board/Committee members is presented in subsequent meetings. This acts as an effective follow-up, review and report process.

**vi. Compliance:**

It is our endeavor to ensure that all applicable provisions of law, rules, and guidelines are adhered to while preparing the agenda notes. The Company ensures compliance of all the applicable provisions of the Companies Act and various other statutory requirements under different laws. The requisite information is regularly provided to the Board as detailed below:-

- Capital budgets, Annual Plan, MOU
- Minutes of the meetings of the Audit Committee and other Committees of the Board.
- Show cause, demand, prosecution notices, and penalty notices, if any, which are materially important.
- Fatal or serious accidents, dangerous occurrences.
- Major investments, formation of subsidiaries, joint ventures, and strategic Alliances.
- Disclosure of interest by Directors about directorships and committee positions occupied by them in other companies/firms, etc.
- Award of large contracts.
- Other items in accordance with the law and DPE Guidelines.

**vii. Non-Executive Directors' compensation and disclosures:**

The company did not pay sitting fee to Government Nominee Directors. However, the independent Directors/ BIFR Nominee were paid sitting fees at the rate of Rs. 6000/- (Rs. Six thousand only) per meeting and out of pocket expenses for attending the meeting of Board of Directors and Committees thereof during the financial year 2014-15.

**viii. Directorship and Membership in Committee of Board of Directors of other Companies held**

Sl. No.	Name of Directors	Category	Directorship in other companies / Disclosures
<b>Functional Directors:</b>			
1.	Shri R.P. Tak upto 30.09.2014	Chairman cum Managing Director	Member of Executive Board of SCOPE and Member of Board of Governance of National council of Cement and Building Materials
2.	Shri Manoj Misra w.e.f. 01.10.2014	Chairman cum Managing Director & Director- HR	NIL
3.	Shri S.C. Agrawal	Director(Fin)	Addl. Charge of the post of C&MD of Triveni Structural Ltd.
<b>Government Nominee Directors</b>			
4.	Shri S.K. Goyal Upto 30.09.2014	Govt. Nominee Director	Hindustan Photo films Manufacturing Company Ltd.
5.	Shri A.M. Manichan w.e.f. 01.10.2014	Govt. Nominee Director	(1) M/s Bharti Bhari Udyog Nigam Ltd. (2) M/s Scooter India Ltd. (3) M/s Andrew Yule Company Ltd. (4) M/s ARAI, Pune (5) M/s ILK, Kota
6.	Shri Vishvajit Sahay w.e.f. 28.04.2014	Govt. Nominee Director	(1) Fluid Control Research Institute, Palakkad-Chairman, Governing Council (2) M/s HMT Limited (3) M/s HMT International Ltd. (4) M/s Heavy Engineering Corporation Limited, CMD I/C
<b>Special Director</b>			
7.	Smt. Divjot Kohli	BIFR nominee	M/s Supriya Pharmaceuticals Ltd.





**ix. Training of Board Members**

CCI takes initiatives to train its Board members about CCI’s profile, business, etc. All the relevant issues and significant developments related to the working of CCI are imparted to part-time Directors on the Board of CCI {(official) and (non-official)}, as the case may be by the management of CCI from time to time.

**x. Code of Conduct**

The company is committed to conduct its business in accordance with the highest standards of business ethics and comply with all applicable laws, rules and regulations. It is confirmed that the Board members and Sr. Management Personnel have affirmed compliance with Code of Conduct during the year 2014-15.

**xi. Policies for Risk Assessment & Minimization**

The risk management system is an integrated and aligned with the corporate and operational objectives. Risk management is undertaken as part of normal business practice and not as a separate task at set time.

**3. Audit Committee**

The Company is having an Audit Committee consisting of the following Directors:-

- 1) Smt. Divjot Kohli (BIFR nominee) as Chairperson
- 2) Shri A.M. Manichan ( Govt. nominee) as Member
- 3) Shri Manoj Misra, Director (HR)/C&MD as Member

Since there is no Independent Director on the board of CCI, the company does not save the constitution of the Audit committee as per the provisions of section 177 of the Companies Act, 2013.

The Audit Committee has the powers, role and terms of reference in accordance with the Companies Act, 2013 and the Guidelines on Corporate Governance as issued by Department of Public Enterprises.

During the year 2014-15, four Audit Committee Meetings were held on 20.06.2014, 16.09.2014, 15.12.2014 and 11.03.2015 and attended by following members:-

Name	No. of meetings held during the tenure of the Directors	Meetings attended
Smt. Divjot Kohli	4*	3
Shri S.K. Goyal**	2	2
Shri Manoj Misra	4	4
Shri A.M. Manichan***	2	2

\* Audit Committee was reconstituted on 15.12.2014 consisting of Smt. Divjot Kohli as Chairperson, Shri A.M. Manichan and Shri Manoj Misra as Members.

\*\* Ceased to be director on the Board w.e.f. 30.09.2014

\*\*\* Appointed as director on the Board w.e.f. 01.10.2014 vice Shri S.K. Goyal

**4. Remuneration Committee**

Remuneration and allowances payable to Directors are determined by the President of India. However, Department of Public Enterprises has directed that each CPSE will constitute a Remuneration Committee headed by a Part-time Non-official Director which will decide the Variable pay policy for its distribution across the Employees.

Presently, no Independent Director is on the Board of CCI. Accordingly, Remuneration Committee cannot be reconstituted.

#### Detail of Remuneration paid to Functional Directors:

Details of remuneration paid to functional Directors of the Company for the year 2014-15 are given below:-

(Rs. In lakhs)

Sl. No.	Name	Salary including DA & HRA	Other Benefits	Performance incentives	Value of Perquisites	Medical Reimbursement	Contribution to PF & Other Funds	Total
1.	Shri R.P. Tak	10.86	3.77	0.00	0.00	0.39	0.93	15.95
2.	Shri Manoj Misra	20.20	5.05	0.00	0.00	0.34	1.75	27.35
3.	Shri S.C. Agrawal	18.35	3.67	0.00	0.00	0.71	1.59	24.34
	Total	49.41	12.49	0.00	0.00	1.44	4.27	67.64

#### 5. Shareholders/ Investors grievances committee

Cement Corporation of India Limited is an Unlisted Government Company and the entire share capital is held by Hon'ble President of India and his nominees. Hence, no such committee is required to be constituted.

#### 6. Meeting of Independent Directors

There is no independent director on the board of the Company.

#### 7. Subsidiary Companies

The Company has no Subsidiary Company.

#### 8. Annual General Meeting

Details of Annual General Meetings for the last three years are given hereunder:-

Sl. No.	Year	Location	Date & Time	Whether any special resolution passed
1.	2011-12	New Delhi	18.9.2012(12.30 P.M.)	No
2.	2012-13	New Delhi	25.9.2013(12.30 P.M.)	No
3	2013-14	New Delhi	16.09.2014(12.45 P.M.)	No

#### 9. Disclosures

##### I. Related Party Transactions:

The Company has not entered into any significant related party transactions with the Directors or their relatives (Disclosure made by directors individually pursuant to Section 188 of the Companies Act, 2013) having potential interest with the Company at large.

##### II. Compliance of Laws:

The Company has taken steps to comply with the guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE) in May 2010.

The Company has not been imposed penalty by any statutory authority owing to non-compliance under laws, during the last three years.

There are no personal expenses incurred for the Board of Directors except which are as per terms of appointment as contractual obligations.

### III. Accounting Treatment:

The company followed the accounting standards as prescribed by the Institute of Chartered Accountants of India subject to the comments & observations as given by the Statutory Auditors in its Report for the financial Statement prepared for the financial year ended as on 31st March, 2015.

### IV. President Directives:

The company has not received any Presidential directives during the financial year 2014-15 and last three years.

### 10. Vigilance

CCI, being a PSU, the records of the Company are open to Audit by Comptroller and Auditor General of India and open to inspection by Vigilance. CCI has a Vigilance Department, headed by CVO.

### 11. Means of communication

Annual financial performance is posted on the Company's website. [www.cementcorporation.co.in](http://www.cementcorporation.co.in) The Company also hosts official news on significant corporate decisions and activities on the website of CCI from time to time.

### 12. Audit Qualifications

The Company has been putting all the efforts towards ensuring a regime of unqualified financial statements however there are certain qualifications and remarks in the Statutory Auditor's report in the financial year 2014-15 which will be resolved and complied with in due course.

### 13. Whistle Blower Policy:

The company has established a mechanism for employees to report concern about unethical behavior, actual or suspected fraud or violation of policy. The employees have direct access to the CMD & Chairperson, Audit Committee who are the competent Authority under the Whistle Blower Policy of the company. The whistle Blower Policy is hosted on the official website of the Company [www.cementcorporation.co.in](http://www.cementcorporation.co.in)

### 14. Compliance Certificate:

Certificate from M/s Amit Agrawal & Co., Company Secretaries in Whole Time Practice confirming the compliance subject to their remarks and observation thereon with the Conditions of Corporate Governance as stipulated under the guidelines issued by Department of Public Enterprises forms part of the Annual Report for the financial year 2014-15 which is **Annexed** herewith.

for and on behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi  
Date: 24 Sept, 2015

(Manoj Misra)  
(Chairman cum Managing Director)





# CS

# Amit Agrawal & Associates

## Company Secretaries

Office : H-63, Vijay Chowk, Laxmi Nagar, Delhi-110092, INDIA  
Ph. : +91 - 11 - 22024525, 43019279, Mob. : +91 - 9811272307  
E-mail : amitagcs@gmail.com, amit2kas@yahoo.com

## COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To  
The Members of  
Cement Corporation of India Limited,  
New Delhi - 110003

1. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Cement Corporation of India Limited, having its registered office at Core -5, Scope Complex, 7 Lodhi Road, New Delhi-110003, for the financial year ended on 31.03.2015, as stipulated in guidelines issued by the Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Govt of India, May,2010 ( as amended from time to time).
2. The compliance of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to the procedures and implementations thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statement of the company.
3. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned DPE guidelines except the following :
  - a. The Company do not have any Independent director,hence the composition of independent directors on the board does not fulfill,
  - b. As per the DPE guidelines the Audit Committee shall have minimum three Directors as members and Two-thirds of the members of audit committee shall be Independent Directors. But the company does not have any Independent Directors.
4. We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company not the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For- Amit Agrawal & Associates  
Company Secretaries

Place: Delhi  
Date : 16 SEP 2015

FCS Amit Agrawal  
(Proprietor)  
CP No. 3647

## MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

### 1. Overview

India's potential in infrastructure is vast and cement plays a vital role in growth and development of the nation. The demand for cement depends primarily on the pace of activities in the business, financial, real estate and infrastructure sectors of the economy. India has a lot of potential for development in the infrastructure and construction sector and the cement sector is expected to largely benefit from it.

The expected growth in demand has led to a huge capacity addition in the industry over the previous decade. Cement production in India has seen an increase from 255.83 Million tonnes to 270.17 Million tonnes during the period 2014- 15, a growth of 5.61% over previous year. The increased output with limited demand had, however, put pressure on the price front across the country resulting in lower realization. The expected rise in demand with the various government initiatives is likely to reverse the trend in the coming days and the future looks bright for the industry.

### 2. Outlook

The Indian cement industry is extremely energy intensive and is the third largest user of coal in the country. Indian Cement Industry has grown rapidly till recently. In the last few years the growth of the cement industry slowed down due to retarded economic situation of the country. With the advent of new government, stress is on development of the infrastructure and thus the coming years have promises for the industry in India. The capacity installation which took a break is now on path of recovery. This industry as on date uses latest technology, which is among the best in the world. Also, the industry has tremendous potential for development as limestone of excellent quality is found almost throughout the country.

### 3. Financial review and analysis

The net profit during the year has increased to Rs. 40.08 crores as against net profit of Rs. 16.20 crores during the previous year. The dispatches during the year were 9.47 lakhs MT of Cement as against 8.31 lakh MT during the previous year.

### 4. Risk and concerns

Risk is a probability or threat of damage, liability, loss, or any other negative occurrence that is caused by vulnerabilities and that may be avoided through pre-emptive action.

Risk Management is an important aspect in today's business environment. The aim of Risk Management is to identify, monitor and take mitigation measures in respect of events that may pose risks for the business. The company Risk Management is embedded in the business processes. Your company has identified the following risks:-

#### (a) Commodity price risk

This risk impacts the Corporation by way of price fluctuations in raw materials, energy as well as finished goods. As per the Sanctioned Scheme, CCI is installing energy saving equipment for conservation of energy so as to optimize the power consumption. Other measures are also taken for conservation of energy, such as, replacing inefficient/higher capacity motors with energy efficient low capacity motors, installing demand controllers for effective control of maximum demand, arresting leakages in pre-heater tower to maintain oxygen percentage in exit gasses at the optimum level. Conventional lights have been equipped with new energy efficient chokes and regulators etc.

#### (b) Securing Internal Resources

The cement business operations are dependent on continuous availability of quality coal at economic prices. The availability and quality of limestone depends on its reserve/deposits in the respective mining area. All the three operating units of CCI are having its own captive mines for limestone, shale, etc.

#### (c) Project Execution Risks

Your Company has undertaken expansion of Bokajan Expansion plan which are exposed to risk of time and cost over runs. Any delay in project implementation may impact the revenue and profit for the delayed period.

#### (d) Human Resource Risk

Company's ability to deliver value is dependent on its competence to attract, retain and nurture talent. Attrition and non-availability of the required talent



resources can affect the performance of CCI. In this regard, CCI is continuously benchmarking the past HR practices across the industry and carrying out necessary improvements to attract and retain the best talent.

**(e) Competition risk**

Presently, there are no barriers for entry of new cement manufacturers in the market. CCI is always exposed to competition risk. The increase in competition can create pressure on margin, market share etc. CCI is continuously making efforts to enhance the brand image of the company by focusing on quality, timely delivery and customer service.

**(f) Compliance Risk**

Any deficit in compliance of various rules, regulations, guidelines of Central Govt. and State Governments can attract penal provisions. The company is regularly monitoring and reviewing the changes being brought in regulatory framework and necessary actions are being taken accordingly.

**5. Internal Control system**

The Corporation's internal control systems are commensurate with the size and nature of its operations. Standard Operating Procedures are in place for critical areas of operations and the same are reviewed periodically. Internal Auditors have been selected from the list of firms obtained from C&AG. Further, no major internal control weakness have been reported by the Auditors.

The internal audit team monitors the effectiveness of the internal control systems. It reports to the Audit Committee about the adequacy and effectiveness of the internal control system of the Corporation. Actions are taken against discrepancies/deviations, if any. The recommendations of the internal audit team on improvements in the operating procedures and control systems are also presented to the Audit Committee and the business use these as tools for strengthening the operating procedures.

**6. CSR Policy**

The company has a CSR policy approved by the Board of Directors. *Being an age-old CPSE with modern outlook, CCI is fully aware of its responsibilities towards society, the nation and the humanity at large. CCI's CSR & Sustainability Policy is envisaged as "A commitment to meet its social*

*obligations by playing an active role to improve the quality of life of the communities and stakeholders on a sustainable basis, preferably in the project areas where it is operating".* CCI will integrate and align its CSR & Sustainability policies and activities with its goals, plans and strategies keeping in view the suggested activities as per schedule VII of the Companies Act 2013 and Guidelines issued by Department of Public Enterprises, Govt. of India. The CSR & Sustainability activities will be imbibed by the employees at all levels and it should permeate into all activities, processes, operations and transactions of CCI.

**7. Other disclosures**

Chapter-7 of Guidelines on Corporate Governance for Central Public Enterprises (CPSEs) provides that as a part of Directors' Report or as an addition thereto, a Management Discussion and Analysis Report should form part of the Annual Report which includes discussion on various matters within the limits set by the company's competitive position. As regards segment wise and product wise performance, the company deals only in one segment i.e. various brands of cement. The topics such as Human Resources, Industrial Relation front, Environmental Protection and conservation, Technological conservation and Foreign Exchange conservation etc. have already been covered in Directors' Report.

**Conclusion**

The demand growth slowdown in global economy coupled with surplus capacities may impact company's profitability. However, efforts are made to inroad in newer areas for marketing the products to meet the short term challenges. The company will continue to focus on cost reduction measures and improving its productivity and also to utilize the 'assets of non-operating units to generate the additional revenue to improve the financial performance of the Corporation.

**Cautionary Statement**

*Statements in this "Management Discussions & Analysis" describing company's objectives, projections and estimates are forward looking statements and progressive within the meaning of applicable security laws and regulations. Actual results may vary from those expressed or implied depending upon economic conditions, Govt. policies and other factors.*

## Resources and Utilisation of Resources

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	2014-15	2013-14	2012-13
<b>Resources</b>			
Net worth	(1,08,07)	(1,42,60)	(1,58,08)
Borrowings	3,73,38	3,73,38	3,73,38
<b>TOTAL</b>	<b>2,65,31</b>	<b>2,30,78</b>	<b>2,15,30</b>
<b>Utilisation of Resources</b>			
Fixed Assets	7,75,18	7,67,37	7,53,46
Less : Depreciation	5,95,85	5,84,86	5,77,23
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1,79,33</b>	<b>1,82,51</b>	<b>1,76,23</b>
Investments	2,28	2,28	2,28
Net Current Assets	83,70	45,99	36,79
<b>TOTAL</b>	<b>2,65,31</b>	<b>2,30,78</b>	<b>2,15,30</b>
<b>Income &amp; Expenditure</b>			
<b>Income</b>			
Sales & Despatches	4,02,92	3,23,89	2,84,27
Accretion/(Decretion) to Semi finished goods and transfer of clinker	(11,51)	(10,29)	17,97
Other Income	58,46	77,37	46,94
<b>TOTAL</b>	<b>4,49,87</b>	<b>3,90,97</b>	<b>3,49,18</b>
<b>Expenditure</b>			
Raw materials & Stores	68,16	59,96	51,99
Depreciation	6,36	9,06	8,11
Interest	2,97	2,95	4,46
Other Expenses	3,32,30	3,02,80	2,76,51
<b>SUB TOTAL</b>	<b>4,09,79</b>	<b>3,74,77</b>	<b>3,41,07</b>
<b>Profit/(Loss)</b>	<b>40,08</b>	<b>16,20</b>	<b>8,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,49,87</b>	<b>3,90,97</b>	<b>3,49,18</b>



## What We Earned and How we Spent

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	2014-15	2013-14	2012-13
<b>1. What we earned</b>			
Sales and despatches & clinker transfer	4,02,92	3,23,89	2,84,27
Misc. Income	58,46	77,37	46,94
Accretion/(Decretion) to Semi-finished goods and finished goods	(11,51)	(10,29)	17,97
<b>TOTAL</b>	<b>4,49,87</b>	<b>3,90,97</b>	<b>3,49,18</b>
<b>2. How we Spent</b>			
Raw Materials	47,79	41,16	36,65
Stores & packing Materials	20,37	18,80	15,34
Emp. Remuneration & Benefits	65,62	60,96	56,50
Power	74,26	63,58	46,32
Coal & fuel	1,04,36	86,18	81,48
Repairs & Maintenance	18,23	18,60	16,18
Selling Expenses	41,28	39,09	33,34
Interest	2,97	2,95	4,46
Depreciation	6,36	9,06	8,11
Other Expenses	28,55	34,39	42,69
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,09,79</b>	<b>3,74,77</b>	<b>3,41,07</b>
<b>Profit/(Loss)</b>	<b>40,08</b>	<b>16,20</b>	<b>8,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,49,87</b>	<b>3,90,97</b>	<b>3,49,18</b>

## Contribution to Exchequer

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	2014-15	2013-14	2012-13
Excise Duty	34,28	28,30	32,56
Sales Tax	49,54	37,11	29,62
Royalty & Cess	9,88	8,74	7,05
<b>TOTAL</b>	<b>93,70</b>	<b>74,15</b>	<b>69,23</b>



## Sources & Application of Funds

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	2014-15		2013-14		2012-13	
	Sources	Uses	Sources	Uses	Sources	Uses
<b>A. Internal Generation :</b>						
Additions to Reserves & Surplus	40,08	0	16,20	0	8,11	0
Depreciation	6,36	83	9,06	1,43	8,11	2,55
Provisions	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>46,44</b>	<b>83</b>	<b>25,26</b>	<b>1,43</b>	<b>16,22</b>	<b>2,55</b>
<b>B. Long term sources &amp; uses</b>						
Share Capital	0	0	0	0	0	0
Long term loans	0	0	0	0	0	0
Investments	0	0	0	0	0	0
Additions to Fixed Assets	0	7,81	0	1391	0	43,44
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>7,81</b>	<b>0</b>	<b>13,91</b>	<b>0</b>	<b>43,44</b>
<b>C. Short Term Sources &amp; uses</b>						
Increase/(Decrease) in working capital	0	37,71	0	9,20	30,72	0
Deferred Revenue	0	9	0	72	0	95
Expn. written off						
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>37,80</b>	<b>0</b>	<b>9,92</b>	<b>30,72</b>	<b>95</b>
<b>Summary</b>						
Internal Generation	46,44	83	25,26	1,43	16,22	2,55
Long term sources & uses	0	7,81	0	13,91	0	43,44
Short term sources & uses	0	37,80	0	9,92	30,72	95
<b>TOTAL</b>	<b>46,44</b>	<b>46,44</b>	<b>25,26</b>	<b>25,26</b>	<b>46,94</b>	<b>46,94</b>



## Value Added Statement

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	2014-15	2013-14	2012-13
Value of Production, Sales & Services	3,91,41	3,13,60	3,02,18
Less : Direct Materials consumed	1,67,91	1,41,59	1,28,93
<b>Value Added</b>	<b>2,23,50</b>	<b>1,72,01</b>	<b>1,73,25</b>
<b>Other Misc. Income</b>	<b>58,46</b>	<b>77,37</b>	<b>46,94</b>
<b>Distributed as follows :</b>			
<b>Employees :</b>			
Salaries, Wages and other benefits	65,62	60,96	56,50
<b>Suppliers of Materials &amp; Services:</b>			
Stores & Spares	13,54	15,54	12,94
Power	74,26	63,58	46,32
Repairs & Maintenance	9,30	7,61	7,78
Other production expenses	8,03	8,64	6,71
Selling Expenses	41,28	39,09	33,34
Others	20,52	25,75	35,92
<b>TOTAL</b>	<b>1,60,93</b>	<b>1,60,21</b>	<b>1,43,01</b>
<b>Suppliers of Capital:</b>			
Interest on Govt. Loans	0	0	0
Interest on Other Loans	2,97	2,95	4,46
<b>TOTAL</b>	<b>2,97</b>	<b>2,95</b>	<b>4,46</b>
<b>Retained in Business:</b>			
Depreciation for Replacement of Assets	6,36	9,06	8,11
Profit/(Loss)	40,08	16,20	8,11
<b>TOTAL</b>	<b>46,44</b>	<b>25,26</b>	<b>16,22</b>
Average Number of Employees		9,07	906
Value Added per Employee (₹ in lakhs)	27,49	18,96	19,12

## Ten Year Digest

(₹ in lakhs)

**PARTICULARS**                      **2014-15**    2013-14    2012-13    2011-12    2010-11    2009-10    2008-09    2007-08    2006-07    2005-06

### STATEMENT OF PROFIT & LOSS

Sales & despatches and Accretion/ (Decretion) to stock	<b>39141</b>	31360	30218	35613	30286	33426	32356	29209	28903	19523
Other Income	<b>5846</b>	7737	4694	4070	5893	3462	4402	2325	14906	94724
Raw Materials consumed	<b>4779</b>	4116	5137	4899	3969	3630	3412	2883	2911	3616
Stores & packing material consumed	<b>2037</b>	1880	1534	1690	1703	1640	1670	1368	1531	1216
Employees Remuneration & Benefits	<b>6562</b>	6096	5650	6045	4997	4597	5724	3689	3595	6943
Interest	<b>297</b>	295	446	911	3683	3752	3738	3465	3110	1152
Depreciation	<b>636</b>	906	811	744	774	899	1107	1150	1669	1687
Other Manufacturing Expenses	<b>26668</b>	24184	20523	23451	18340	17095	15852	14890	14332	16449
Profit (+)/Loss (-)	<b>4008</b>	1620	811	1943	2713	5275	5255	4089	16661	83184

### BALANCE SHEET

Equity	<b>81141</b>	81141	0	81140	81140	81140	81140	81140	80609	44682
Reserves & Surplus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Loans	<b>37338</b>	37338	37338	37338	37172	46875	44083	44519	41772	88288
Net Fixed Assets	<b>12169</b>	12741	12911	9863	10224	10734	11474	10982	11990	13600
Current Assets	<b>40394</b>	38412	40710	42486	39269	49033	41763	37285	29141	19898
Current Liabilities & Provisions	<b>32026</b>	33813	37033	35737	33137	36059	37404	38116	37305	35513
Capital W.I.P.	<b>5766</b>	5512	4713	3973	2051	1577	1329	2224	1375	1081
Other Assets (Including DRE)	<b>1902</b>	1891	1821	1726	1795	1907	1963	1931	1738	1802
Other Intangible Assets	<b>90274</b>	93736	95356	96167	98110	100823	106098	111353	115442	132102
Capital Employed	<b>20535</b>	17338	16588	16612	16356	27533	19499	13179	15943	9514
No. of Employees (Nos.)	<b>813</b>	907	906	907	988	1078	1159	1460	1523	1570



51st ANNUAL REPORT 2014-15

## BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	NOTE NO	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>I. EQUITY AND LIABILITIES</b>			
<b>(1) SHAREHOLDER'S FUNDS</b>			
a) Share Capital	1	8,11,41	8,11,41
b) Reserves & Surplus	2	(9,02,74)	(9,37,36)
<b>(2) SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT</b>		0	0
		(91,33)	(1,25,95)
<b>(3) NON CURRENT LIABILITIES</b>			
a) Long Term Borrowing	3	1,87,90	1,87,90
b) Other Long Term Liabilities	4	3,38,03	3,34,23
c) Long Term Provisions	5	85,63	99,06
		6,11,56	6,21,19
<b>(4) CURRENT LIABILITIES</b>			
a) Short Term Borrowings	6	0	0
b) Trade Payables	7	13,64	16,75
c) Other Current Liabilities	8	52,36	56,68
d) Short Term Provisions	9	16,08	16,89
		82,08	90,32
<b>TOTAL</b>		<b>6,02,31</b>	<b>5,85,56</b>
<b>II. ASSETS</b>			
<b>(1) NON CURRENT ASSETS</b>			
<b>a) Fixed Assets</b>			
i) Tangible Assets	10	1,21,69	1,27,41
ii) Capital work in Progress	11	57,64	55,10
iii) Intangible Assets-Under Development	11A	2	2
b) Non-Current Investments	12	2,28	2,28
c) Long term loans and Advances	13	27,24	19,26
d) Other non-current Assets	14	76	75
e) Unamortised expenses	15	16,74	16,65
<b>TOTAL NON CURRENT ASSETS</b>		<b>2,26,37</b>	<b>2,21,47</b>
<b>(2) CURRENT ASSETS</b>			
a) Current Investments	16	0	0
b) Inventories	17	1,36,15	1,48,88
c) Trade Receivables	18	7,61	10,59
d) Cash and Bank Balances	19	1,96,49	1,67,68
e) Short Term loans and Advances	20	27,19	28,06
f) Other Current Assets	21	8,50	8,88
		3,75,94	3,64,09
<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>		<b>3,75,94</b>	<b>3,64,09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6,02,31</b>	<b>5,85,56</b>

Significant Accounting Policies, (Notes No. 32) and the accompanying notes no. 1 to 31 forming part of the Financial Statements

Sd/-  
(Ajay Kumar Sharma)  
Company Secretary

Sd/-  
(A B Deyashi)  
Chief Financial Officer

Sd/-  
(A M Manichan)  
Director

Sd/-  
(Manoj Misra)  
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached  
For SPG ASSOCIATES  
Chartered Accountants  
FRN No. NO-011217N

Place : New Delhi  
Dated : 31/07/2015

(S P GOEL)  
Partner  
Membership No. 083131

**PROFIT AND LOSS STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015**

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	NOTE NO	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>REVENUE</b>			
<b>I Revenue from operations</b>			
a) Sale of Products (Includes Sale of Clinker ₹ 33 Lakhs)		<b>4,49,54</b>	3,63,03
Less:- Excise Duty		<b>46,62</b>	39,14
		<b>4,02,92</b>	3,23,89
b) Other Operating Revenues		<b>1,18</b>	63
<b>Net from operation</b>		<b>4,04,10</b>	3,24,52
<b>II Other Income</b>	22	<b>35,38</b>	33,69
<b>III Total Revenues</b>		<b>4,39,48</b>	3,58,21
<b>EXPENSES</b>			
Cost of Materials Consumed	23	<b>47,89</b>	41,26
Change in Inventories of Finished Goods, Work-in-progress and Stock in Trade	24	<b>11,51</b>	10,29
Employees Benefits Expenses	25	<b>65,62</b>	60,96
Other Expenses	26	<b>2,87,05</b>	2,60,64
Finance Cost	27	<b>2,97</b>	2,95
Depreciation and Amortisation		<b>6,26</b>	8,96
<b>IV Total Expenses</b>		<b>4,21,30</b>	3,85,06
<b>V Profit/(Loss) before Exceptional and Extraordinary Items</b>		<b>18,18</b>	(26,85)
VI Exceptional Items	28(A)	<b>21,90</b>	43,05
<b>VII Profit/(Loss) before Extraordinary Items</b>		<b>40,08</b>	16,20
VIII Extraordinary items	28(C)	<b>0</b>	0
<b>IX Profit/(Loss) before tax</b>		<b>40,08</b>	16,20
<b>X Tax Expense of Continuing operations</b>		<b>0</b>	0
<b>XI Profit/(Loss) for the year from continuing Operations</b>		<b>54,17</b>	(12,78)
<b>XII Profit/(Loss) from discontinuing operations</b>	28(D)	<b>(14,09)</b>	28,98
<b>XIII Tax Expense of discontinuing operations</b>		<b>0</b>	0
<b>XIV Profit/(Loss) from discontinuing operations After Tax</b>		<b>(14,09)</b>	28,98
<b>XV Profit/(Loss) for the year</b>		<b>40,08</b>	16,20
<b>XVI Earning Per Share (Rs.)</b>		<b>40</b>	(59)

Significant Accounting Policies, (Note No. 32) and the accompanying notes no. 1 to 31 forming part of the Financial Statements

Sd/-  
(A Jay Kumar Sharma)  
Company Secretary

Sd/-  
(A B Deyashi)  
Chief Financial Officer  
As per our report of even date attached  
For SPGASSOCIATES  
Chartered Accountants  
FRN No. NO-011217N

Sd/-  
(A M Manichan)  
Director

Sd/-  
(Manoj Misra)  
Chairman & Managing Director

Place : New Delhi  
Dated : 31/07/2015

(S P GOEL)  
Partner  
Membership No. 083131



51st ANNUAL REPORT 2014-15

## NOTE NO. 1 SHARE CAPITAL

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Authorised</b>		
5000000 Equity Shares (Previous Year 5000000) of ₹ 1000/- each	5,00,00	5,00,00
4000000 0.01% non-cumulative Redeemable Pref. Share of ₹ 1000/- each (Previous Year 4000000)	4,00,00	4,00,00
	<u>9,00,00</u>	<u>9,00,00</u>
<b>Issued, Subscribed &amp; Fully Paid up</b>		
4559749 Equity Shares of ₹ 1000/- each Fully Paid Up (Previous year 4559749 Shares)	4,55,98	4,55,98
3554325 0.01% Non-cumulative Redeemable Pref. Share of ₹ 1000/- each (Previous year 3554325 Shares)	3,55,43	3,55,43
<b>Total</b>	<u>8,11,41</u>	<u>8,11,41</u>

### Reconciliation of number of equity shares outstanding at the beginning and at the end of the year

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
Number of Shares outstanding as at the beginning of the year	4,55,97,49	4,55,97,49
Add: Number of shares Alloted during the year	0	0
Number of Shares outstanding as at the end of the year	<u>4,55,97,49</u>	<u>4,55,97,49</u>

### Reconciliation of number of preference shares outstanding at the beginning and at the end of the year

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
Number of Shares outstanding as at the beginning of the year	3,55,43,25	3,55,43,25
Add: Number of shares Alloted during the year	0	0
Number of Shares outstanding as at the end of the year	<u>3,55,43,25</u>	<u>3,55,43,25</u>
Details of shareholder holding more than 5% share in the Corporation		
Name/Class of share holder - Govt of India		
-Equity Shares	100%	100%
-Preference Shares	100%	100%

## NOTE NO. 2 RESERVES AND SURPLUS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Surplus/(Deficit) in statement of Profit and loss</b>		
As per Last Balance Sheet	(9,37,36)	(9,53,56)
Less:- Profit During the Year	40,08	16,20
Add : Depreciations relating to fixed Assets (Ref Note.30 Point No. 21)	(546)	0
<b>Closing Blance</b>	<b>(9,02,74)</b>	<b>(9,37,36)</b>

## NOTE NO. 3 LONG TERM BORROWINGS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Unsecured*</b>		
Govt. Loans	1,50,90	1,50,90
Inter Corporate Borrowings	37,00	37,00
<b>Total</b>	<b>1,87,90</b>	<b>1,87,90</b>

### Details of Default in respect of Loans & Borrowings

(₹ in lakhs)

S.No	PARTICULARS	Loan Amount	Default Period	2014-15		2013-14	
				Principal	Interest	Principal	Interest
1.	M/s. Goa Shipyard Ltd.	3000	1995	3000	1369	3000	1369
2.	M/s. ONGC Ltd.	700	1991	700	4794	700	4794
3.	Govt. Of India	15090	From 1975	15090	0	15090	0
4.	Govt. of India	0	From 2011	0	12385	0	12385
	<b>Total</b>	18790		18790	18548	18790	18548

\*As per Sanctioned Scheme payment of above Principal Amount of Plan Loan & Borrowings shall be made out of sale proceeds of Non-Operating Units



**NOTE NO. 4 OTHER LONG TERM LIABILITIES**

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Trade Payable</b>		
-MSMEs	81	81
-Others	27,84	29,89
Security & Earnest Money Received	19,78	19,09
Advance from Customers	12,45	8,55
Sales Tax Payable	11,48	11,71
Power	24,50	24,28
Royalty Payable	5,07	5,07
Interest Accrued and due on Borrowing- Govt Loan	1,23,85	1,23,85
Interest Accrued and due on Borrowing-Others	61,63	61,63
Others Payable	50,62	49,35
<b>Total</b>	<b>3,38,03</b>	<b>3,34,23</b>

**NOTE NO. 5 LONG TERM PROVISIONS**

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
Gratuity	34,67	34,95
Capital work in progress	24	47
Earned leave liability	16,84	15,44
Others	33,88	48,20
<b>Total</b>	<b>85,63</b>	<b>99,06</b>

**NOTE NO. 6 SHORT TERM BORROWINGS**

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
From Bank	0	0
Others	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





### NOTE NO. 7 TRADE PAYABLES

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Trade Payable</b>		
MSMEs	33	52
Others	13,31	16,23
<b>Total</b>	<b>13,64</b>	<b>16,75</b>

### NOTE NO. 8 OTHER CURRENT LIABILITIES

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
Advance from customers	8,73	9,25
Security and Earnest Money Deposits received	9,50	7,79
Sales tax payable	6,27	7,82
Excise duty payable	0	1,11
Power dues	8,30	7,82
Dues to Employees	5,85	6,45
Royalty payable	6	93
Others payable	13,65	15,51
<b>Total</b>	<b>52,36</b>	<b>56,68</b>

### NOTE NO. 9 SHORT TERM PROVISIONS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
Gratuity	7,62	6,13
Earned Leave Liabilities	2,95	2,31
Other Provisions	5,51	8,45
<b>Total</b>	<b>16,08</b>	<b>16,89</b>

NOTE NO. 10 FIXED ASSETS

Tangible Assets

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	As at 1st April, 2014	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK		
		Add- Adjustments	Deduct ions/ Sals	Train/ Traout	Asat31st March, 2015	Asat 1st April, 2014	Forthe Year	Adj/ dis posal	Adj/ Addit ions	Asat31st March, 2015	Asat31st March, 2015	Asat31st March, 2014
<b>Works</b>												
Land Freehold	1054	0	0	0	1054	146	0	0	0	146	908	908
Land Leasehold	481	0	0	0	481	158	0	0	0	158	323	323
Roads & Culverts	654	0	0	0	654	344	0	0	277	621	33	310
Plant Buildings	8884	0	0	0	8884	7743	133	0	0	7876	1008	1141
Non-Plant Buildings	1054	0	0	0	1054	545	31	0	54	630	424	509
Water Supply, Drainage & Sewerage	1015	94	0	0	1109	962	2	0	2	966	143	53
Railway Siding	1823	272	0	0	2095	1544	14	0	0	1558	537	279
Electrical Installation	1970	0	0	0	1970	1823	0	0	66	1889	81	147
Plant & Machinery	46328	148	0	0	46476	38618	338	0	0	38956	7520	7710
Aerial Ropeway	706	0	0	0	706	672	0	0	0	672	34	34
Railway Rolling Stock	423	0	0	0	423	406	0	0	0	406	17	17
Quarry Equipments	2606	0	(87)	0	2519	2456	7	(82)	0	2381	138	150
Vehicles	440	3	(2)	0	441	365	18	(1)	1	383	58	75
Furniture & Fixtures	266	0	0	0	266	249	4	0	2	255	11	17
Office Equipments	445	17	0	0	462	384	18	0	13	415	47	61
Misc. Equipments	823	81	0	0	904	700	33	0	8	741	163	123
P&M Costing ₹ 5000/-	50	1	0	0	51	50	1	0	0	51	0	0
<b>TOTAL WORKS</b>	69022	616	(89)	0	69549	57165	599	(83)	423	58104	11445	11857

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	As at 1st April, 2014	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK		
		Add- Adjustments	Deduct ions/ Sals	Train/ Traout	Asat31st March, 2015	Asat 1st April, 2014	Forthe Year	Adj/ dis posal	Adj/ addit ions	Asat31st March, 2015	Asat31st March, 2015	Asat31st March, 2014
<b>TOWN SHIP</b>												
Land Freehold	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	19
Land Leasehold	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	29	29
Roads & Culverts	39	0	0	0	39	20	0	0	16	36	3	19
Residential & Welfare Buildings	1754	0	0	0	1754	962	32	0	107	1101	653	792
Water Supply, Drainage & Sewerage	158	0	0	0	158	152	0	0	0	152	6	6
Electrical Installation	41	0	0	0	41	40	0	0	0	40	1	1
Vehicles	122	0	0	0	122	108	5	0	0	113	9	14
Furniture & Fixtures	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
Office Equipments	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0
Misc. Equipments	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
<b>Total Township</b>	2205	0	0	0	2205	1321	37	0	123	1481	724	884
<b>Total Works &amp; Township</b>	71227	616	(89)	0	71754	58486	636	(83)	546	59585	12169	12741
<b>Previous Year</b>	70634	752	159	0	71227	57723	906	0	(143)	58486	12741	12911

**NOTE NO. 10 FIXED ASSETS (Contd...)****Depreciation charged to :-**

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Statement of Profit & Loss	6,26	8,96
Quarry (Note -23)	10	10
	6,36	9,06

**NOTE NO. 11 CAPITAL WORKS IN PROGRESS***(₹ in lakhs)*

PARTICULARS	BALANCE AS AT 1ST APRIL, 2014	ADDITIONS DURING THE YEAR	ADJUSTMENTS	CAPITALISED DURING THE YEAR	BALANCE AS AT 31ST MARCH, 2015
Mechanical Consultancy	1,20	1	0	0	1,21
Civil Engineering Works	21,12	38	3	72	20,75
Plant & Machinery Incl. Awaiting Erection	29,75	4,27	10	1,34	32,58
Erection Expenses of Plant & Machinery	1	0	0	0	1
Incidental Expenditure	1,36	0	0	0	1,36
Pending Allocation (Refer Annex.)					
Capital Stores	12	0	0	0	12
Others	1,57	7	0	0	1,64
<b>TOTAL</b>	55,13	4,73	13	2,06	57,67
<b>Provision -WIP</b>					
Civil Engg, Works	3	0	0	0	3
<b>TOTAL</b>	55,10	4,73	13	2,06	57,64

**NOTE NO.11(A) CAPITAL WORKS IN PROGRESS (Intangible Assets)***(₹ in lakhs)*

PARTICULARS	BALANCE AS AT 1ST APRIL, 2014	ADDITIONS DURING THE YEAR	ADJUSTMENTS	CAPITALISED DURING THE YEAR	BALANCE AS AT 31ST MARCH, 2015
Software Development	2	0	0	0	2
<b>TOTAL</b>	2	0	0	0	2



## ANNEXURE OF NOTE-11 INCIDENTAL EXPENDITURE DURING CONSTRUCTION PERIOD

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Employees Remuneration and Benefits</b>		
Salaries, Wages & Allowances	0	0
<b>Total remuneration</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Misc. Expenses	1	2
Legal Expenses	2	12
Security Expenses	10	9
<b>Net Expenditure during the year</b>	<b>13</b>	<b>23</b>
Bal. Tfd. to NYO Expansion	13	22
Addition during the year	0	1
<b>Summary of IEDC Account</b>		
Opening Balance of IEDC	1,36	1,35
Addition during the year	0	1
Less:- Capitalised during the year	0	0
Adjustment during the year	0	0
<b>Closing balance of IEDC TFD. to capital WIP</b>	<b>1,36</b>	<b>1,36</b>

## NOTE NO.12 NON-CURRENT INVESTMENTS

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	Market Value as at 31-03-2015	Book Value as at 31-03-2015	Market Value As at 31-03-2014	Book Value as at 31-03-2014
<b>Long Term Investments</b>				
<b>Quoted Shares (Fully Paid) At Cost</b>				
(i) 31 Equity Shares of ₹10/-each of Andhra Cement Co Ltd. Market value@ ₹ 8.85 per share on NSE (Previous year ₹ 5.64 per Share)	@	@	@	@
(ii) 280 Equity Shares (Including 180 Bonus Shares) of ₹ 10/- each of ACC Ltd. Converted from 28 shares of ₹ 100 each, New shares certificates are awaited Market Value @ ₹ 1562.75 Per share on NSE (Previous Year ₹ 1362.00 per Share)	4	@	3	@
<b>Unquoted Shares (Fully Paid) At Cost</b>				
(i) 1 Equity Share of ₹ 10/- each of Assam Bengal Cement Co Ltd.*	-	@	-	@
(ii) 79 Equity Shares of ₹ 10/- each of Jaipur Udyog Ltd.	-	@	-	@
(iii) 40 Equity Shares of ₹ 5/- each of Sone Valley Cement Co. Ltd	-	@	-	@
(iv) 5531520 Equity Shares of ₹10/- each of AP Gas Power Corporation Ltd. (Incl 2315520 Bonus Shares) (1610680 Shares sold including 134000 Bonus Shares) Balance Held 3920840 Shares of ₹10/- each (Including 2181520 Bonus Shares)	3,22  94	  2,28	3,22  94	  2,28
<b>TOTAL NON-CURRENT INVESTMENTS</b>		<b>2,28</b>		<b>2,28</b>
<b>Aggregate of Quoted Investments</b>				
Cost	-	@	-	@
Market Value	4	-	3	-
<b>Aggregate of Unquoted Investments</b>				
Cost		<b>2,28</b>		<b>2,28</b>
<b>TOTAL NON CURRENT INVESTMENTS</b>		<b>2,28</b>		<b>2,28</b>

@ Amount less than ₹1,00,000/-

\* Yet to be transferred in the name of the Corporation



## NOTE No. 13 LONG TERM LOANS AND ADVANCES

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Capital Advances</b>		
- Secured, Considered Good	61	61
- Unsecured, Considered Good	1,91	1,91
- Doubtful	13	13
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	13	13
<b>Sub Total</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>
<b>Deposits</b>		
<b>- Central Excise</b>		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	1,43	1,48
- Doubtful	28	28
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	28	28
<b>Sub Total</b>	<b>1,43</b>	<b>1,48</b>
<b>Other Deposits</b>		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	10,85	10,52
- Doubtful	25	25
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	25	25
<b>Sub Total</b>	<b>10,85</b>	<b>10,52</b>
<b>Contractors &amp; Suppliers</b>		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	38	43
- Doubtful	2,53	2,62
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	2,53	2,62
<b>Sub Total</b>	<b>38</b>	<b>43</b>
<b>Balance with Govt. Deptt.</b>		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	2,19	1,29
- Doubtful	52	52
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	52	52
<b>Sub Total</b>	<b>2,19</b>	<b>1,29</b>
<b>Insurance &amp; Claims Others</b>		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	41	49
- Doubtful	2,04	1,96
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	2,04	1,96
<b>Sub Total</b>	<b>41</b>	<b>49</b>

## NOTE No. 13 LONG TERM LOANS AND ADVANCES (Contd.)

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Loans &amp; Advances to Employees</b>		
- Secured, Considered Good	2	1
- Unsecured, Considered Good	0	0
- Doubtful	0	0
Less : Allowance for Bad and Doubtful Loan & Advances	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>Claims Recoverable Railways</b>		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	7	7
- Doubtful	3,88	3,88
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	3,88	3,88
<b>Sub Total</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>ED Relief Recoverable</b>		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	4,49	29
- Doubtful	93	93
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	93	93
<b>Sub Total</b>	<b>4,49</b>	<b>29</b>
<b>Recoverable from Employees</b>		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	11	1
- Doubtful	8	8
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	8	8
<b>Sub Total</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
<b>Recoverable from Outside Party</b>		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	4,77	2,15
- Doubtful	8,53	8,55
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	8,53	8,55
<b>Sub Total</b>	<b>4,77</b>	<b>2,15</b>
<b>Shortage Losses pending Investigation</b>		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	0	0
- Doubtful	5,90	5,90
Less : Allowance for Bad and Doubtful Advances	5,90	5,90
<b>Sub Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Grand Total</b>	<b>27,24</b>	<b>19,26</b>

51

51st ANNUAL REPORT 2014-15

## NOTE No. 14 OTHER NON CURRENT ASSETS

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Long Term Trade Receivable</b>		
- Secured, Considered Good	0	0
- Unsecured, Considered Good	0	0
- Doubtful	15,02	15,02
Less : Allowance for bad and Doubtful Debts	15,02	15,02
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Interest Accrued and Due on Loans & Advances (Unsecured, Considered Good)	76	75
<b>Total</b>	<b>76</b>	<b>75</b>

## NOTE No. 15 UNAMORTISED EXPENSES

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Quarry Development Expenditure</b>		
Opening Balance	16,65	15,93
Additions	1,79	2,46
	18,44	18,39
Less : Adjusted/Capitalized	1,70	1,74
<b>Total</b>	<b>16,74</b>	<b>16,65</b>

## NOTE No. 16 CURRENT INVESTMENTS

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Current Investments:</b>		
<b>A) Non Trade Investments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1) Quoted Investments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2) Unquoted Investments</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**NOTE No. 17 INVENTORIES**  
**(As Verified, Valued and Certified by the Management)**

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>a) Stores and Spares</b>		
-In Stock	66,45	66,52
-In Transit	24	12
<b>Total</b>	<b>66,69</b>	<b>66,64</b>
<b>b) Work in Progress</b>		
-In Stock	30,62	39,94
-In Transit	0	0
<b>Total</b>	<b>30,62</b>	<b>39,94</b>
<b>c) Finished Goods</b>		
-In Stock	14,40	16,07
-In Transit	2,22	2,87
<b>Total</b>	<b>16,62</b>	<b>18,94</b>
<b>d) Raw Materials</b>		
-In Stock	9,78	9,87
-In Transit	3	3
<b>Total</b>	<b>9,81</b>	<b>9,90</b>
<b>e) Loose Tools</b>		
-In Stock	1	1
-In Transit	0	0
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>f) Packing Materials</b>		
-In Stock	1,02	92
-In Transit	16	0
<b>Total</b>	<b>1,18</b>	<b>92</b>
<b>g) Coal</b>		
-In Stock	7,76	9,20
-In Transit	0	0
<b>Total</b>	<b>7,76</b>	<b>9,20</b>
<b>h) Scrap</b>		
-In Stock	3,57	3,44
-In Transit	0	0
<b>Total</b>	<b>3,57</b>	<b>3,44</b>
<b>Total Inventory</b>	<b>1,36,26</b>	<b>1,48,99</b>
<b>Less: Unrealisable Inventory</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Grand Total</b>	<b>1,36,15</b>	<b>1,48,88</b>



51st ANNUAL REPORT 2014-15

## NOTE No. 18 TRADE RECEIVABLES

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>A) Trade Receivables Outstanding for a period exceeding six months:-</b>		
-Secured, Considered Good	0	48
-Unsecured, Considered Good	76	34
-Doubtful	0	0
Less: Allowances for bad and doubtful debts	0	0
<b>Total (A)</b>	<b>76</b>	<b>82</b>
<b>B) Others Trade Recivables:</b>		
-Secured, Considered Good	2,47	72
-Unsecured, Considered Good	4,38	9,05
-Doubtful	0	0
Less: Allowances for bad and doubtful debts	0	0
<b>Total (B)</b>	<b>6,85</b>	<b>9,77</b>
<b>Total (A+B)</b>	<b>7,61</b>	<b>10,59</b>

## NOTE No. 19 CASH AND BANK BLANCES

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Cash and Cash Equivalents</b>		
Cash in hand	2	2
Cheques / DD in hand	1,55	1,33
Bank Deposits*	1,77,48	1,50,54
Balance with Banks - on Current Accounts	8,47	7,71
<b>Total</b>	<b>1,87,52</b>	<b>1,59,60</b>
<b>Other Bank Balances</b>		
<b>Bank Balances held as margin money in form of FDR's Against Guarantees/Latter of credit</b>		
Guarantees	8,93	8,08
Letter of Credit	4	0
<b>Grand Total</b>	<b>1,96,49</b>	<b>1,67,68</b>

\*Note: Bank deposits includes deposits of ₹ 15223.90 lakhs (Previous Year ₹ 80.00 Lakhs) whose maturity period is more than 12 months.

## NOTE No. 20 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Balance with Govt. Deptt.</b>		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	3,31	3,28
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>3,31</b>	<b>3,28</b>
<b>Contractors &amp; Suppliers</b>		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	8,87	8,32
-Doubtful	3	3
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	3	3
<b>Sub Total</b>	<b>8,87</b>	<b>8,32</b>
<b>Claims Recoverable Railways</b>		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	7	0
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>Deposit Others</b>		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	3,47	2,88
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>3,47</b>	<b>2,88</b>
<b>Insurance &amp; Claims Others</b>		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	12	15
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
<b>Laons &amp; Advances to Employees</b>		
-Secured, Considered Good	0	2
-Unsecured, Considered Good	5	9
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
<b>ED/Vat Relief Recoverable</b>		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	2,40	6,70
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>2,40</b>	<b>6,70</b>

51

51st ANNUAL REPORT 2014-15

**NOTE No. 20 SHORT TERM LOANS AND ADVANCES (Contd.)**

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Recoverable from Employees</b>		
-Secured, Considered Good	20	33
-Unsecured, Considered Good	5	29
-Doubtful	0	0
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	0	0
<b>Sub Total</b>	<b>25</b>	<b>62</b>
<b>Recoverable from Outside Party</b>		
-Secured, Considered Good	0	0
-Unsecured, Considered Good	8,65	6,00
-Doubtful	48	65
Less: Allowance for Bad and Doubtful Advances	48	65
<b>Sub Total</b>	<b>8,65</b>	<b>6,00</b>
<b>Grand Total</b>	<b>27,19</b>	<b>28,06</b>

**NOTE No. 21 OTHER CURRENT ASSETS**

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
Interest Accrued on term deposit	8,50	8,88
<b>Total</b>	<b>8,50</b>	<b>8,88</b>

**NOTE No. 22 OTHER INCOME**

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Income from</b>		
Rent from Property	11,82	10,47
Interest on loans and Advances-Employees.	8	7
Receipts form Township	44	47
Prior Period Income (Net) (Note No. 28 B)	1	0
Excess Provision written back	1,67	31
Bank Interest	17,52	17,25
Misc. Income	3,75	4,82
Profit on sale of Discarded Assets	9	30
<b>Total</b>	<b>35,38</b>	<b>33,69</b>

## NOTE No. 23 COST OF RAW MATERIALS CONSUMED

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
Opening Balance	9,87	10,00
<b>Acquisition during the year</b>		
Limestone Raising, Quarrying & Transportation @ (Refer Details below)	29,19	24,85
Other Raw Materials Purchased	18,61	16,28
<b>Sub total</b>	<b>57,67</b>	<b>51,13</b>
Less Closing Stock	9,78	9,87
<b>Total Raw Materials Consumed</b>	<b>47,89</b>	<b>41,26</b>
<b>@ Limestone Raising, Quarrying &amp; Transportation</b>		
Limestone Raising & Payments to Contractors	6,28	5,63
<b>Employees Remuneration &amp; Benefits</b>		
Salaries, Wages & Bonus	5,07	4,91
Gratuity Paid	75	9
Benefits to Employees	0	0
Contribution to Provident Fund	26	28
Contribution to Pension Fund	7	5
Leave Encashment	26	9
Medical Expenses	17	23
Provision for Gratuity	16	61
Provision for Earned Leave	18	30
<b>Stores Consumed</b>	<b>6,92</b>	<b>6,56</b>
Gross Amount	2,85	2,84
Less: Amount Included under Repairs	1,89	1,87
	<b>96</b>	<b>97</b>
Power	72	63
Fuel	43	60
Rates & Taxes	14	15
Insurance	1	0
Royalty & Cess	9,89	7,18
Quarry Development Expenditure written Off	1,70	1,74
Travelling Expenses	2	1
Other Expenses	1,92	1,87
Depreciation	10	10
	<b>14,93</b>	<b>12,28</b>
Repairs-Machinery	82	99
- Building	0	6
- Others	1,07	82
	<b>1,89</b>	<b>1,87</b>
<b>Sub Total</b>	<b>30,98</b>	<b>27,31</b>
Less: Quarry Development Expenditure	1,79	2,46
<b>Total</b>	<b>29,19</b>	<b>24,85</b>

51

51st ANNUAL REPORT 2014-15

**NOTE No. 24 CHANGE IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS, WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE**

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Semi-Finished Goods</b>		
- Closing Stock	30,62	39,94
- Opening Stock	39,94	51,91
	(9,32)	(11,97)
<b>Finished Goods</b>		
- Closing Stock	14,40	16,07
- Opening Stock	16,07	9,87
	(1,67)	6,20
<b>Finished Goods in Transit</b>		
- Closing Stock	2,22	2,87
- Opening Stock	2,87	7,50
	(65)	(4,63)
<b>Scrap Stock</b>		
- Closing Stock	3,,57	3,44
- Opening Stock	3,44	3,33
	13	11
<b>Total Accretion/(Decretion)</b>	<b>(11,51)</b>	<b>(10,29)</b>

**NOTE No. 25 EMPLOYEES BENEFITS EXPENSES\****(₹ in Lakhs)*

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
Salaries, Wages & Bonus	45,28	44,02
Gratuity Paid	5,51	55
Benefits to Employees	9	8
Provision for Earned Leave	1,98	2,57
Contribution to Provident Fund	2,71	2,91
Contribution to Pension Fund	65	44
Medical Expenses	2,87	2,60
Leave Encashment	2,63	1,25
Provision for Gratuity	1,63	4,52
Staff Welfare Expenses	2,27	2,02
<b>Total</b>	<b>65,62</b>	<b>60,96</b>

\*Includes CMD and Directors Remuneration as under ;

Salaries and Allowances	65	74
Contribution to Provident Fund	4	5
Contribution to Pension Fund	0	0
Provision for Gratuity	8	5
Other Benefits	1	2
Earned Leave	17	4

In addition, Chairman & Managing Director and full time Directors are also allowed to use of company vehicle for non duty journey upto 1000 kms. per month on payment of ₹ 2000/- per month.



**NOTE No. 26 OTHER EXPENSES**

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
Power	74,26	63,58
Coal	1,04,15	86,01
Fuel Oil	21	17
Rent	33	22
Excise Duty	2,19	2,47
Rates & Taxes	3,78	3,10
Insurance	22	19
<b>Sub-Total</b>	<b>1,85,14</b>	<b>1,55,74</b>
<b>Repairs &amp; Maintenance</b>		
Plant & Machinery	13,50	13,17
Buildings	1,58	1,91
Others	3,15	3,52
<b>Total</b>	<b>18,23</b>	<b>18,60</b>
Other Production Expenses	8,03	8,64
Tools & Tackles Written Off	1	2
Travelling Expenses	85	1,03
<b>Selling Expenses</b>		
Freight on Cement	34,93	31,06
Handling Charges	5,88	7,50
Secondary Transportation	5	10
Octoroi Paid	0	5
Sales Promotion & Publicity	36	18
Other Selling Expenses	6	20
<b>Total Selling Expense</b>	<b>41,28</b>	<b>39,09</b>
Vehicles Running Expenses	49	44
<b>Auditors' Remuneration</b>		
Audit Fee	4	4
Reimbursement of Expenses	0	1
In Other Capacity	1	1
<b>Total Auditors Remunerations</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Cost Audit Fee	1	1
Cost Audit Expenses	0	0
<b>Total Cost Audit Expenses</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Subscriptions to CRI & Others	9	8
Losses on Disposal of Fixed Assets	0	0
Communication Charges	33	33
Printing & Stationary	30	26
Hire Charges on Data Processing	2	2
Legal and Professional Fees	67	99
Security Expenses	4,29	3,83
Training of Workers & Supervisors	8	4
Miscellaneous Expenses	3,45	3,34
Payment to Contract Labour	3,07	2,99
Expenses on closed project	13	22
Provision for Doubtful Debts & Advances	13	5,84
Prior Period expences (Net) Refr Note No. 28(B)]	0	27
Corporate Social Responsibilities	3	0
<b>Sub-Total</b>	<b>2,66,68</b>	<b>2,41,84</b>





## NOTE No. 26 OTHER EXPENSES (contd...)

### Stores and Spare Parts

Gross Amount	13,54		15,54	
Less: Incl. Under Repairs & Maint.	8,93		10,99	
Net Stores & Spares Consumed		4,61		4,55
Packing Materials		15,76		14,25
<b>Total</b>		<b>2,87,05</b>		<b>2,60,64</b>
Includes :- Entertainment Expenses		1		0
Director Sitting Fees		1		2

## NOTE No. 27 FINANCE COST

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Interest on</b>		
-Deposits From Stockists	13	13
-Others	2,84	2,82
<b>Total</b>	<b>2,97</b>	<b>2,95</b>

## NOTE No. 28 EXCEPTIONAL, EXTRA ORDINARY ITEMS & ADJUSTMENTS RELATING TO PAST YEARS

### Note No. 28 (A) Exceptional Items

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Income</b>		
Waiver of Interest /penalty as per Sanctioned Scheme	21,90	43,05
<b>Total Exceptional Income (i)</b>	<b>21,90</b>	<b>43,05</b>
<b>Expenses</b>		
Interest	0	0
<b>Total Exceptional Expences (ii)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Net Exceptional Items Income/ (Expenses) (i-ii)</b>	<b>21,90</b>	<b>43,05</b>

**NOTE : No. 28 (B) PRIOR PERIOD ITEMS**

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Income</b>		
Raw Materials	0	1
Employees Remuneration & Benefits	3	2
Sales	0	1
Repairs & Maintenance	0	12
Rates and Taxes	2	4
Interest	22	11
Power & Fuel	0	0
<b>Total Prior Period - Income (i)</b>	<b>27</b>	<b>31</b>
<b>Expenses</b>		
Repairs & Maintenance	8	18
Stores & Packing Materials	0	8
Interest	10	5
Power & Fuel	1	0
Rates and Taxes	0	12
Others	7	15
<b>Total Prior Period Expenses (ii)</b>	<b>26</b>	<b>58</b>
<b>Net Prior Period Income / (Expenses) (i-ii)</b>	<b>1</b>	<b>(27)</b>

**NOTE : No. 28 (C) EXTRA-ORDINARY ITEMS**

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>Income</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total Extra Ordinary Income (i)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Expenses</b>		
<b>Total Extra-Ordinary Expenses (ii)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Net Extra-Ordinary Income/(Expenses) (i-ii)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTE : NO. 28 (D)**

**STATEMENT OF REVENUE & EXPENSES OF CONTINUING AND DISCONTINUING OPERATION FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015**



(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
<b>A. Revenue :-</b>						
Turnover (Net)	4,02,92	3,23,89	0	0	4,02,92	3,23,89
Other Operating Revenue	1,18	63	0	0	1,18	63
Accretion/(Decretion) to Semi-Finished Goods and Finished Goods	(11,51)	(10,29)	0	0	(11,51)	(10,29)
<b>Total Income</b>	<b>3,92,59</b>	<b>3,14,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,92,59</b>	<b>3,14,23</b>
<b>B. Expenses:-</b>						
Operating Expenses	3,91,63	3,56,62	15,19	15,20	4,06,82	3,71,82
Impairment Loss	0	0	0	0	0	0
<b>Total Expenses</b>	<b>3,91,63</b>	<b>3,56,62</b>	<b>15,19</b>	<b>15,20</b>	<b>4,06,82</b>	<b>3,71,82</b>
<b>C. Profit/(Loss) before interest &amp; tax from Operating Activities</b>	<b>96</b>	<b>(42,39)</b>	<b>(15,19)</b>	<b>(15,20)</b>	<b>(14,23)</b>	<b>(57,59)</b>
Interest Expenses	1,86	1,83	1,11	1,12	2,97	2,95
<b>D. Profit/ (Loss) Before Tax</b>	<b>(90)</b>	<b>(44,22)</b>	<b>(16,30)</b>	<b>(16,32)</b>	<b>(17,20)</b>	<b>(60,54)</b>
<b>E. Income Tax</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Profit/(Loss) from Operating Activities after Tax</b>	<b>(90)</b>	<b>(44,22)</b>	<b>(16,30)</b>	<b>(16,32)</b>	<b>(17,20)</b>	<b>(60,54)</b>
G. Other Income	33,17	31,44	2,21	2,25	35,38	33,69
H. Exceptional items-Income/(Expenditure)	21,90	0	0	43,05	21,90	43,05
I. Extra Ordinary items-Income/(Expenditure)	0	0	0	0	0	0
<b>J. Net Profit/(Loss) from Operating Activities</b>	<b>54,17</b>	<b>(12,78)</b>	<b>(14,09)</b>	<b>28,98</b>	<b>40,08</b>	<b>16,20</b>

**NOTE No. 29 CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS-  
(TO EXTENT NOT PROVIDED FOR )**

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	FIGURES AS AT END OF CURRENT REPORTING PERIOD	FIGURES AS AT END OF PREVIOUS REPORTING PERIOD
<b>A) Contingent Liabilities</b>		
a) Claims against the company not acknowledged as debts		
1) Income Tax Demand u/s 271(1) (c) for AY 2007-08	29,61	29,61
2) Sales Tax demand of Tandur & Bokajan unit etc.	18,56	19,00
3) Excise Duty on Clinker - Sept 2012 to Feb. 2013 (Rajban unit)	13,77	13,75
4) Railways Land Licence Fees in respect of Rajban (04/10 to 31-03-15)	13,09	13,09
5) Norton Polymers Ltd. - Arbitration Matter	5,87	5,36
6) Tarrif Minimum Charges in respect of Akaltara & Mandhar	3,64,49	3,64,49
7) Power Wheeling charges etc. in respect to Tandur	35,26	21,94
8) Others-Miscellaneous Cases	76,82	60,60
b) Other money for which company is contingently liable	0	0
<b>Total (A)</b>	<b>5,57,47</b>	<b>5,27,84</b>
<b>B) Commitments</b>		
a) Estimated amount of contracts remaining to be executed on the capital accounts and not provided for	1,62,05	1,66,09
b) Other Commitments (specific nature)	0	0
<b>Total (B)</b>	<b>1,62,05</b>	<b>1,66,09</b>
<b>Total (A+B)</b>	<b>7,19,52</b>	<b>6,93,93</b>

a) No effect has been given in the books of Account for cases lying in various courts for compensation/ promotion/claims of employees for service matters etc. as the amount thereof is unascertainable.

## NOTE No. 30 NOTES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

1. No effect has been given in the Accounts for claims counter claims lodged by the Corporation for ₹9343.62 Lakhs (Previous year ₹8452.41 lakhs) which are under arbitration pending in Courts etc. as the outcome will be known only when award decree etc. are given.
2. (i) No provision is made or considered necessary for Sales Tax liability on account of non-receipt of 'C', 'D' and F/B-1 forms etc. upto the Balance Sheet date for ₹184.39 Lakhs (Previous year ₹355.85 lakhs) as the same are expected to be received before final assessment is completed and/or appeals are finalized.  
  
(ii) In terms of orders of the Assessing Officers (Income Tax Deptt.) for the Assessment Years 2006-07 & 2007-08, the Assessing Officers assessed income of ₹885,00,87,850/- and ₹87,98,64,000/- respectively and adjusted the same with brought forward losses of the company. In view of the same, the assessed losses of the company have been reduced by ₹972,99,51,850/- The company has filed appeals and same are subject to decision of Appellate Authorities.
3. Title deeds for land measuring, 1.06 acres (Mandhar), 5 Bighas (Bokajan), 0.146 hectares (Nayagaon), 495.75 acres (Akaltara), 10.12 acres ( Bhatinda Grinding Unit ) and lease deeds for 155.83 acres (Nayagoan) and 58.81 acres (Adilabad), are yet to be executed. Further, the allotment of land measuring 20.20 acres (Delhi Grinding Unit) on lease hold basis for 99 years was cancelled by the DDA against which CCI has filed an appeal before the Hon'ble Delhi High Court which has ordered to maintain status quo. Land details are under reconciliation.
4. Mining leases in respect of Mandhar 1056.98 acres, Kurkunta 105.22 hectares, Nayagoan 336.85 hectares, Akaltara 398.65 hectares, Adilabad . 839.393 hectares, and Tandur 1516.07 acres, have expired. The applications for renewal of mining leases have been filed. Mines and minerals (Development and Regulation) Amendment Act. 2015' was passed by the parliament and came in force w.e.f. 12-01-2015, wherein it is stated that the tenure of the mining leases of all Government companies or corporations whose mining leases have expired and renewal application have been made in time or which are due to expire before 31st March, 2020 will stand to be extended till 31st March 2020. Thus all the Mining leases of CCI stand extended upto 31.03.2020.
5. No provision has been made in the accounts for the consideration, if any, payable for acquisition of Government lands, outside the CCI, Adilabad Township and used as road from Pump house to National Highway No. 7 admeasuring 32 guntas for which alienation orders are awaited from Revenue Department.
6. Liability for un-paid Excise Duty amounting to ₹108.67 lakhs ( Previous year ₹88.56 lakhs ) has been provided for in respect of 19293.727 MT (Previous year 16912.693 MT) of closing stock of naked cement lying in Silos as on 31 st March, 2015. Liability for cess amounting to ₹0.14 lakhs (Previous year ₹0.13 lakhs) has also been provided for on cement stock of 19293.727 MT (Previous year 16912.693 MT ) as on 31 st March .2015. However, the said treatment does not vitiate true and fair view of Profit & Loss Statement of the Corporation.
7. The shares of various Companies (face value of ₹.37.79 lakhs), held by late Shri R.K.Dalmia and kept as security with erstwhile Dalmia Dadri Cement Limited against loan of ₹214.00 lakhs taken by him, have been taken possession of shares in earlier years. Although these shares were valued at ₹2.80 lakhs (at realisable value) but were considered doubtful and accordingly provided for in earlier years.
8. Pending execution of lease deed in favour of the Corporation in respect of Building at Scope Complex, New Delhi, the cost thereof of ₹266.58 lakhs excluding Electrical Installation of ₹5.70 lakhs, is being amortised provisionally by way of depreciation, considering as a deemed owner.



9. A reference was made to Board of Industrial & Financial Reconstruction under section 15(1) of Sick Industrial Co. (SP) Act, 1985 vide letter No. SEC/84/96/513 dt. 25.04.96. The Company was declared sick vide Hon'ble BIFR letter No. 501/96-BENCH IV SOL dt. 8.8.96. Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 has approved the Rehabilitation Scheme prepared by M/s. IFCI (OA) and approved by Govt. of India. The Sanctioned Scheme was circulated by Hon'ble BIFR on 03.05.2006 which interalia envisaged settlement of secured and unsecured creditors and expansion/technological upgradation of 3 operating plants and closure / sale of remaining 7 non-operating plants. As per sanctioned scheme closure has been made at six units and employees have been separated under VSS except Adilabad unit where matter is pending before the Hon'ble High Court of Andhra Pradesh. Further the sanctioned scheme is under implementation
- 10 (i) Reliefs and concessions in respect of Creditors, State Governments, Other Govt. Departments and Agencies etc. will be considered appropriately as and when such payments are made and such concessions/ reliefs become certain without any contingency attached to it or approval for the same is received, as the case may be.
- (ii) Plan Loan from Government of India (interest free) amounting to ₹150.90 crores ( Previous year ₹ 150.90 crores) will be repaid from the sale proceeds of seven non operating units as per the sanctioned scheme dated 3rd May 2006 of Hon'ble BIFR. Further, interest accrued amount of ₹ 123.85 crores on Non Plan Loan provided by Govt. of India has been freezed with effect from 01.04.2011. The interest will be paid out of sale proceeds of Non-operating Units.
11. Production at the following units has been discontinued from the dates mentioned against each unit:
- |  |                  |
|--|------------------|
| i) Mandhar (Chhatisqarh)                           | 06/06/1996       |
| ii) Charkhi Dadri (Haryana)                        | 14/08/1996       |
| iii) Akaltara (Chhatisgarh)                        | 09/12/1996       |
| iv) Nayagaon (Madhya Pradesh) & Nayagaon Expansion | 30/06/1997       |
| v) Kurkunta (Karnataka)                            | 01/11/1998       |
| Vi) Adilabad (Telangana)                           | 05/11/1998       |
| vii A) Delhi Grinding Unit                         | 08/02/1999       |
| B) Bhatinda Grinding Unit                          | Not commissioned |
- The Draft Rehabilitation Scheme (DRS) prepared by IFCI (OA) was approved by Hon'ble BIFR in its hearing held on 21.03.2006 and sanctioned scheme circulated on 03.05.2006, envisaged settlement of secured and unsecured creditors and closure /sale of above 7 non-operating units. The market value of the assets in respect of the above 7 units as mentioned in the said scheme is higher than book value of Assets. Similarly, the market value of the Assets in respect of units Bokajan, Rajban & Tandur are expected to be much more than the Book Value of the Assets. Hence, there is no indication of a potential impairment loss. Therefore, no provision for impairment loss has been considered in the Accounts.
12. The special auditor appointed by SBI Caps, Merchant Bankers, as per the terms of the MOU/ Sale agreement in respect of Yerraguntala Unit had submitted their report. Pending reconciliation and confirmation with M/s. India Cement Ltd., necessary liabilities as found accruing, on date of the sale has already been considered in the accounts.
13. As per Sanctioned Scheme of Hon'ble BIFR and approval of concerned authorities an amount of ₹2190.00 lakhs being waiver of interest, penalty etc. in respect of outstanding sales tax dues of Tandur unit has been written back and shown under Exceptional Income in Note No. 28A.
14. Deferred Tax Assets/Liabilities are not recognized in the absence of virtual certainty of realisation of the deferred tax assets within the allowable period under the Income Tax Act.



15. For classification of current and non current balances under current liabilities, the stipulations contained in the Sanctioned Scheme have been kept in view besides its nature.
16. Keeping in view the nature of business & Geographical status of the Corporation, the segment reporting under AS-17 is not applicable.
17. Details of provision as per Accounting Standard-29, Refer Note 5 & 9

₹(in Crores)

Units	Opening Balance		Adjustment/ Paid during the year		Addition during the year		Closing Balance	
	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year	Current year	Previous year
Year								
Gratuity	<b>41.08</b>	36.04	<b>0.58</b>	0.10	<b>1.79</b>	5.14	<b>42.29</b>	41.08
Bonus	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00
Capital work in progress	<b>0.47</b>	0.03	<b>0.23</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.44	<b>0.24</b>	0.47
E. L. liability	<b>17.75</b>	14.94	<b>0.12</b>	0.06	<b>2.16</b>	2.87	<b>19.79</b>	17.75
Others	<b>56.65</b>	57.11	<b>113.83</b>	16.98	<b>96.57</b>	16.52	<b>39.39</b>	56.65

**18. Details of interest due / paid to MICRO SMALL & MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)**

(₹in lakhs)

S.No	Description	Current Year	Previous Year
1.	The principal amount remaining unpaid to supplier as at the end of accounting year	<b>114</b>	133
2.	The interest due thereon remaining unpaid to supplier at the end of accounting year	<b>283</b>	288
3.	The amount of interest paid in terms of Section 16, along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during the year	<b>0</b>	0
4.	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under the Act.	<b>0</b>	0
5.	The amount of interest accrued during the year and remaining unpaid at the end of the accounting year.	<b>14</b>	14
6.	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprises for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of the Act.	<b>283</b>	288

**19. Employee's Benefits as per Accounting Standard 15**

The Corporation has adopted Accounting Standard 15 - Employees Benefits as per details given below:

**i) Provident Fund**

The Corporation pays fixed contribution of P.F. at pre-determined rates to a separate Trust which invests the funds in permitted securities. The Trust is required to pay a minimum rate of interest on contribution to the members of the Trust. Loss of the P.F. Trust, if any, is borne by the Corporation.

**ii) Gratuity**

The Corporation has a defined gratuity plan. Every employee is entitled to get gratuity as per provisions of the Gratuity Act. The liability of gratuity is recognized on the basis of actuarial valuation.

**iii) Leave Encashment**

Leave encashment is payable to the eligible employees who have accumulated EL, HPL etc. The liability towards leave encashment is recognized on the basis of actuarial valuation.

**iv) Other Defined Retirement Benefit**

The Corporation has a Scheme for settlement at home town for employees and dependants at the time of Superannuation. This is recognized in the Profit & Loss Statment on the basis of acturial valuation.

The summarize position of various defined benefits recognized in the Profit and Loss Statment and Balance Sheet are as under:-

**A. Expenses recognized in Profit & Loss Statement**

(₹ in lakhs)

		Gratuity		Leave encashment		Other defined retirement benefits	
		31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015
a)	Current service cost	147.05	<b>149.56</b>	77.47	81.93	1.04	<b>1.01</b>
b)	Interest cost	279.25	<b>339.50</b>	118.30	149.58	2.14	<b>2.49</b>
c)	Net actuarial (gain)/ loss recognized in the period	121.77	<b>38.48</b>	201.73	157.68	(0.53)	<b>(3.56)</b>
d)	Expenses recognized in the statement of profit & losses	548.07	<b>527.54</b>	397.50	389.19	2.66	<b>(0.06)</b>

**B. Amounts recognized in Balance Sheet**

(₹ in lakhs)

		Gratuity		Leave encashment		Other defined retirement benefits	
		31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015
a)	Present value of obligation as at the end of the period	3994.19	<b>4115.32</b>	1759.72	<b>1963.85</b>	29.31	<b>28.81</b>
b)	Funded status/ Difference	(3994.19)	<b>(4115.32)</b>	(1759.72)	<b>(1963.85)</b>	(29.31)	<b>(28.81)</b>
c)	Net asset/ (liability) recognized in balance sheet	(3994.19)	<b>(4115.32)</b>	(1759.72)	<b>(1963.85)</b>	(29.31)	<b>(28.81)</b>





**C. Change in present value obligation**

(₹ in lakhs)

	Gratuity		Leave encasement		Other defined retirement benefits	
	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015
a) Present value of obligation as at the beginning of the period	3490.67	<b>3994.19</b>	1478.75	<b>1759.72</b>	26.81	<b>29.31</b>
b) Interest cost	279.25	<b>339.50</b>	118.30	<b>149.58</b>	2.14	<b>2.49</b>
c) Current service cost	147.05	<b>149.56</b>	77.47	<b>81.93</b>	1.04	<b>1.01</b>
d) Benefits paid	(44.56)	<b>(406.41)</b>	(116.53)	<b>(185.06)</b>	(0.15)	<b>(0.44)</b>
e) Actuarial (gain)/ loss on obligation	121.77	<b>38.48</b>	201.73	<b>157.68</b>	(0.53)	<b>(3.56)</b>
f) Present value of obligation as at the end of the period	3994.19	<b>4115.32</b>	1759.72	<b>1963.85</b>	29.31	<b>28.81</b>

**D. Amount for the current period**

(₹ in lakhs)

	Gratuity		Leave encasement		Other defined retirement benefits	
	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015
a) Present value of obligation as at the end of the period	3994.19	<b>4115.32</b>	1759.72	<b>1963.85</b>	29.31	<b>28.81</b>
b) Surplus/(Deficit)	(3994.19)	<b>(4115.32)</b>	(1759.72)	<b>(1963.85)</b>	(29.31)	<b>(28.81)</b>

**E. Actuarial Assumptions**

S.No.	Description	As at 31.3.2015
i)	Retirement Age	60 years
ii)	Age	Withdrawal rate: % Upto 30 years - 00.00 From 31 to 44 - 1% Above 44 - 1%
iii)	Discounting rate	8 %
iv)	Future salary increase	6%
v)	Expected return on plan assets	-

20. Balances shown under advances, trade payable and trade receivable etc. are subject to confirmation/ reconciliation. These include certain old balances pending scrutiny and adjustment. Necessary effect would be given on completion of the same.
21. Pursuant to the enactment of Companies Act 2013, the company has applied the estimated useful lives as specified in Schedule II, except in respect of certain assets as disclosed in Accounting Policy on Depreciation. Accordingly the unamortized carrying amount is being depreciated over the revised remaining useful lives. The written down value of Fixed Assets whose life have expired as at 1<sup>st</sup> April 2014 have been adjusted in the opening balance of Profit and Loss amounting to Rs. 546 lakhs.

22. The Expenditure incurred towards various activities under Corporate Social Responsibility (CSR) are shown in Note No. 26 in the Accounts, and summarized statement as per Companies Act 2013 is given below:-

(₹ in lakhs)

a)	Average net profit of corporation for last three years	1458
b)	Prescribed CSR Expenditure (2% of the above under companies Act. 2013)	29
c)	Total amount spent during the year as given below :-	3
d)	Amount Spent (b-c)	26

		In Cash	Yet to be paid in cash	Total
i)	Construction/acquisition of any assets On purposes other than above	0	0	0
	(i) Two toilets – Under Swachh Bharat Mission	2	0	2
	(ii) Health (Medical) Camp	1	0	1

23. “ In accordance with Accounting Standard-18 “ Related Party Disclosures “ of the Companies (Accounting Standard) Rules 2006, it is certified by the Management that no related party transactions have been made during the year”
24. The Earning per Share (EPS) of the company as per Accounting Standard-20 issued by the Institute of Chartered Accountants of India is as under :-

S.No	Particulars	31 <sup>st</sup> March' 2015	31 <sup>st</sup> March' 2014
1	Number of equity share outstanding during the year	4559749	4559749
2	Face Value of Equity Share	1000	1000
3	Net Profit after tax for the year (₹ in Lakhs)	4008	1620
4	Less:- Amount of dividends on non-cumulative Preference shares (₹ in Lakhs)	4	4
5	Net Profit after tax attributable to equity shareholders (3-4)*	1814	(2689)
6	Basic and diluted earnings per share in rupees	39.79	(58.97)

\*Excluding extraordinary /Exceptional items.

25. Figures of the previous years have been split up and regrouped wherever necessary so as to correspond to the current year figures.

Sd/-  
(Ajay Kumar Sharma)  
Company Secretary

Sd/-  
(A B Deyashi)  
Chief Financial Officer

Sd/-  
(A M Manichan)  
Director

Sd/-  
(Manoj Misra)  
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached  
For SPG ASSOCIATES  
Chartered Accountants  
FRN No. NO-011217N

Place : New Delhi  
Dated : 31/07/2015

(S P GOEL)  
Partner  
Membership No. 083131

## NOTE No. 31 QUANTATIVE DETAILS

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	CURRENT YEAR		PREVIOUS YEAR	
<b>1. Actual Production</b>				
<b>1.1 Portland cement</b>				
Ordinary	835075	M. Tonnes	756905	M. Tonnes
Pozzolana	117610	M. Tonnes	79360	M. Tonnes
<b>TOTAL</b>	<b>952685</b>	<b>M. Tonnes</b>	<b>836265</b>	<b>M. Tonnes</b>
<b>2. Clinker (A pre cement stage, material &amp; not an additional product)</b>	<b>872600</b>	<b>M. Tonnes</b>	<b>740490</b>	<b>M. Tonnes</b>
<b>2.1 Clinker Purchased</b>	<b>0</b>	<b>M. Tonnes</b>	<b>0</b>	<b>M. Tonnes</b>
<b>3. Cement Despatches</b>	<b>947986</b>	<b>M. Tonnes</b>	<b>831049</b>	<b>M. Tonnes</b>
	<b>Quantity</b>	<b>Value</b>	<b>Quantity</b>	<b>Value</b>
	<b>M. Tonnes</b>	<b>(₹ in lakhs)</b>	<b>M. Tonnes</b>	<b>(₹ in lakhs)</b>
<b>4. Opening Stock</b>				
<b>Stock at Factory</b>				
Cement OPC	1,89,24	6,53	1,05,45	3,31
Cement PPC	3,78	17	35,41	1,38
<b>Stock at Dumps</b>				
Cement OPC	2,14,54	8,77	1,24,61	4,99
Cement PPC	10,64	60	3,84	19
In Transit OPC	61,81	2,42	1,88,97	7,43
In Transit PPC	7,92	45	1,32	7
<b>Set/ Damaged Cement</b>				
Cement OPC	59,37	0	59,37	0
Cement PPC	30,16	0	30,16	0
<b>TOTAL</b>	<b>5,77,46</b>	<b>18,94</b>	<b>5,49,13</b>	<b>17,37</b>
Clinker	17,59,77	36,34	25,74,45	47,89
Clinker (Purchase)	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>17,59,77</b>	<b>36,34</b>	<b>25,74,45</b>	<b>47,89</b>
<b>5. Net Sales Incl. self consumption / transfer</b>				
(A) Cement OPC	84,43,49	4,02,62	75,12,03	3,19,63
(B) Cement PPC	11,54,66	0	8,09,34	0
(C) Self Consumption OPC	1,10	0	8,25	0
(D) Self Consumption PPC	0	0	0	0
(E) Export of cement	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>95,99,25</b>	<b>4,02,62</b>	<b>83,29,62</b>	<b>3,19,63</b>
(F) Clinker	12,79	30	1,79,99	4,26
<b>TOTAL</b>	<b>12,79</b>	<b>30</b>	<b>1,79,99</b>	<b>4,26</b>
<b>6. a) Closing Stock - Cement</b>				
<b>Stock at Factory</b>				
Cement in Stock OPC	2,15,71	8,02	1,89,24	6,53
PPC	24,26	1,00	3,78	17
<b>Stock at Dumps</b>				
Cement OPC	1,11,00	4,60	2,14,54	8,77
PPC	14,21	76	10,64	60
In Transit OPC	43,61	2,00	61,81	2,42
In Transit PPC	4,32	22	7,92	45
Set / Damaged cement OPC	60,32	2	59,37	0
Set / Damaged cement PPC	30,16	0	30,16	0
<b>Total</b>	<b>5,03,59</b>	<b>16,62</b>	<b>5,77,46</b>	<b>18,94</b>

51

51st ANNUAL REPORT 2014-15

NOTE No. 31 QUANTATIVE DETAILS (Contd...)

(₹ in lakhs)

PARTICULARS	Current Year		Previous Year	
<b>b) Closing Stock-Clinker</b>				
Clinker in Stock	13,68,44	26,68	17,59,77	36,34
Clinker (Purchase)	0	0	0	0
<b>c) Cement - Used for Testing</b>	0	0	0	0
Stock transfer to unit OPC	0	0	0	0
Shortages during transit OPC	0	0	4,66	0
Shortages during transit PPC	1,47	0	4	0
<b>Total</b>	<b>1,47</b>	<b>0</b>	<b>4,70</b>	<b>0</b>
<b>7. Clinker - Used for cement grinding</b>	<b>91,04,54</b>	<b>2,43,73</b>	<b>80,39,59</b>	<b>2,10,19</b>
<b>8. Raw Materials Consumed</b>				
Limestone	1,28,79,60	28,32	1,09,04,35	25,24
Laterite	1,26,62	40	89,97	28
Iron ore	2,25,37	10,22	1,96,51	8,47
Gypsum	2,35,22	6,37	1,78,01	4,96
Shale	7,44,79	2,04	4,72,29	1,21
Fly Ash	1,78,44	42	1,10,03	82
Burnt Clay	23,23	12	84,44	28
Others	0	0	0	0
<b>Total Raw Material Consumed</b>	<b>47,89</b>		<b>41,26</b>	
<b>9. Value of Imports calculated on CIF basis in respect of</b>				
i) Raw Materials	0	0	0	0
ii) Components & Spare parts	0	0	0	0
iii) Capital Goods	0	0	0	0
<b>10. Value of all imported Raw materials, Spare Parts &amp; Components consumed during the Year and value of all indigenous Raw-materials spare parts and components simily consumed and the percentage of each to total consumption.</b>				
- Imported	4.10	2.52	0.37	21
- Indigenous	95.90	58.91	99.63	56.59
<b>Total</b>	<b>1,00</b>	<b>61,43</b>	<b>1,00</b>	<b>56,80</b>
<b>11. Amount Remitted in Foreign Currency</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Earning in Foreign Exchange</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sd/-  
(AJay Kumar Sharma)  
Company Secretary

Sd/-  
(A B Deyashi)  
Chief Financial Officer

Sd/-  
(A M Manichan)  
Director

Sd/-  
(Manoj Misra)  
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached  
For SPG ASSOCIATES  
Chartered Accountants  
FRN No. NO-011217N

Place : New Delhi  
Dated : 31/07/2015

(S P GOEL)  
Partner  
Membership No. 083131

## NOTE No. 32 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

### 1. Basis of Accounting.

The accounts are prepared on historical cost convention adopting the accrual method of accounting except for the following items which are accounted for on cash basis.

- i) Liquidated damages/penalties/claims other than Railway & Insurance made are accounted for on realization and included in miscellaneous Income.
- ii) Profit / loss, if any, on surplus / slow moving / non-moving items etc. of stores and spares, is accounted for only in the year of their disposal.

### 2. Revenue Recognition.

Sales are stated inclusive of Excise Duty and excluding Vat,/ Sales Tax. Excise duty is shown separately.

### 3. Land & Amortization.

- i) Land given free by the state Government is valued at nominal cost or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition.
- ii) Land free hold under mining lease at quarry and land lease hold with less than 99 years lease is amortized within a period of ten years from the date of commercial production of the respective unit.

### 4. Investments.

- i) Long term investments are stated at cost. Permanent decline in the value of such investments is recognized and provided for.
- ii) Current investments are stated at lower of cost and quoted / fair value. Unquoted current investments are stated at cost.

### 5. Borrowing Costs.

Borrowing Costs that are attributable to acquisition or construction or production of qualifying assets are capitalized as part of the costs of such assets. A qualifying asset is one that takes necessarily substantial period of time to get ready for its intended use. All other borrowing costs are charged to revenue.

### 6. Inventories.

#### a) Valuation

- i) Stores, spare parts and raw-materials except as indicated in (ii) below are stated at weighted average cost. The obsolete/unserviceable stores and spares when determined, are treated as scrap and valued at net realizable value.
- ii) Clinker and other semi-finished goods are stated at lower of unit's weighted average cost or net realizable value on the basis of work back formula. However, in case of negative valuation, it is stated at Nil value.
- iii) Finished goods at factories/projects/in dumps or in transit to dumps are stated at lower of units weighted average cost or realizable value. Freight included in selling expenses upto dump is included in value of finished goods lying at various dumps.
- iv) The total quantity of various scrap items as at the close of each financial year is valued as per rates available as per latest sale orders for respective items. However, where no such rates are available because of scrap having been generated for the first time or not disposed off earlier, reserve price fixed for disposal of such scrap items is adopted for the purpose of valuation.

#### b) Loose Tools & Tackles.

Tools and tackles are written off over a period of three years.



**7. Depreciation.**

- i) The financial statements have prepared under historical cost on accrual basis in compliance with applicable accounting standards specified under section 133 of the companies Act. 2013 read with Rule 7 of the companies (Accounts) Rules, 2014 and the relevant provision of the companies Act. 2013.
- ii) Depreciation is provided on assets after they are completed and become available for use.
- iii) Depreciation on assets added during the year is charged prorata from the date they are capitalized and upto the date these are discarded, /Sold / demolished/ destroyed.
- iv) Any individual asset whose written down value is ₹5000/- or less at the beginning of the year is fully depreciated during the year without retaining the residual value as it is considered insignificant.
- v) Any individual asset costing upto ₹ 5000/- purchased during the year is taken to gross block and depreciated fully in the same year.

**8. Deferred Revenue Expenditure.**

- i) Expenditure on Prospecting and Boring is treated as Deferred Revenue Expenditure and charged off in three to five years after Units go into commercial production.
- ii) Expenditure incurred on removal of over-burden etc. at the mines which is utilized for capital works like laying roads, stockyard, crusher ramp etc. is capitalized. The rest of the expenditure incurred on removal of over-burden etc. is treated initially as 'Deferred Revenue Expenditure' and is charged off over the period for which the limestone exposed out of quarry development is available for exploitation.
- iii) The cost of internal partitions and other fixtures in rented buildings are directly charged off in the year of installation, but if the cost is more than rupees one lakh, the same is treated as Deferred Revenue Expenditure and is charged off in three to five years.
- iv) After start of commercial production of a Unit, initial full charge of high-chrome grinding media is treated as Deferred Revenue Expenditure and written off over a period of three years. However, make up charges are charged to Statement of Profit & Loss.
- v) In case there is no un-utilized grant/subsidy for Voluntary Retirement Scheme (VRS), then terminal benefits which are attributable to VRS payment equivalent to one and a half months wages for each completed year of service or wages for the balance period of service, whichever is less and notice period pay are deferred and charged off during the remaining period of service of the individuals or in a maximum period of 5 years, whichever is less. However, any expenditure incurred on VRS/ VSS on or after 1/4/2003 will be recognized as an expense when it is incurred and charged off wholly in that year itself.

**9. Prior Period/Extra-ordinary Adjustments.**

Expenditure / Receipts relating to the particular year, coming to notice after closure of the Accounts i.e. after the cut off date are booked under the relevant head of expenditure / receipt of the next year, if the amount involved is not more than ₹ 10,000/-. In case, the amount is more than ₹ 10,000/- the provisions contained in the Accounting Standard-5 of the Institute of Chartered Accountants of India are applied for determination of its accountal under natural head of accounts of current year / prior period / extra ordinary Expenditure / Receipts.

**10. Accountal of Foreign Exchange Transaction.**

Foreign loan liabilities are translated at the closing market exchange rates. Gains or losses on settlement of transactions (a) during project period are credited/ debited to the relevant cost of equipment those relating to spares and service are credited/ debited to IEDC, (b) after project has gone into commercial production, the gains/ losses are credited/ debited to the relevant cost of equipment but those relating to spares and services are charged off to Statement of Profit & Loss. Depreciation on such adjustment to fixed assets is adjusted prospectively.



**11. Government Grants/ Subsidies.**

- i) Government Grants/ Subsidies related to specific fixed assets are deducted from the gross value of the concerned assets in arriving at their book value. Where the grants related to specific fixed assets equals the whole or virtually the whole of the cost of the asset, the asset is valued at nominal value or on the basis of incidental expenditure incurred on its acquisition/ installation.
- ii) Grants for Voluntary Retirement Scheme, Transport Subsidy and other Revenue Grants are deducted from the related expenditure.
- iii) Government Grants received under Central Investment Subsidy Scheme included in Central Government Incentive for Industries in backward areas and other similar grants received from the State Governments, where no repayment is ordinarily expected in respect thereof, the grants are treated as Capital Reserve.
- iv) Capital/ Revenue Grants/ Subsidies, other than those specified above, are accounted for as per Accounting Standard-12 issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

**12. Claims of the Corporation.**

- i) Insurance claims are brought to account on the basis of Surveyor's Report and / or on the basis of claims lodged where on account payments have been received. In case, however, where surveyor's Report for events of loss occurred upto 31<sup>st</sup> March is not received before closing of the Accounts, the disclosure to that effect is made in the form of Notes to the Accounts.
- ii) Railway claims are brought to account on lodging of the claims.

**13. Deposit Works.**

In respect of Deposit Works in progress, the same are treated as Corporation's Capital-work-in-Progress and Incidental Expenditure during Construction Period is proportionately added to the Deposit Work when the ownership is transferred and capitalized.

**14. Staff Benefits.**

- i) Provision for gratuity under the Payment of Gratuity Act, 1972 and Company's own Gratuity Scheme is made in respect of all employees in service as on 1<sup>st</sup> January of each year in accordance with the actuarial valuation.
- ii) Provision for earned leave / half pay leave etc. which is encashable on retirement or death of an employee is made in respect of employees in service as on 1<sup>st</sup> January of each year in accordance with the actuarial valuation.
- iii) Liability for bonus is provided as per the provisions of Payment of Bonus Act, 1965 on Unitwise basis and not Corporation as a whole. The liability for bonus for the Corporate Office is provided at a rate which is average of the rates at which the bonus is provided for the other Units.

**15. Premium on Redemption of Debentures.**

Premium payable on redemption of debentures is charged to Statement of Profit & Loss /IEDC Account in such equal instalments as the duration of debentures commencing from the year in which debentures are allotted.

**16. Pre-paid Expenses.**

Expenditure of ₹ 10,000/- or less in each case incurred in advance of the following year(s) are charged off as expenses of the current year.

**17. Accounting for Bad & Doubtful Debts/ Loans / Advances etc.**

- i) Provision is made for doubtful debts/loans and advances when the same is considered doubtful of recovery but chances of recovery subsist.
- ii) Amounts are written off, when the efforts for recoveries have failed either due to legal process or where it is considered litigation will not be fruitful and recovery is not possible.

**18. Inter unit/ Zones / Corporate Office transfers.**

- i) Finished goods transferred by the Units are initially valued at Despatch Plan rates and the

quantity sold is then settled by the Zones at the actual net realizable value.

- ii) Inter Unit/ Zones / Corporate Office transfers of Fixed assets etc. are accounted for at book value.
- iii) Inter Unit Transfer of clinker is accounted for at its realizable rates (by work back method from cement) and its losses in transit are absorbed in cost by the receiving Unit.
- iv) Inter Unit/ Zones/ Corporate Office balances are reconciled regularly and balance confirmations obtained.

**19. Classification of Expenditure .**

- i) Expenditure incurred on Repairs & Maintenance of fixed assets, including cost of stores & spares except as shown as in (ii) below, are charged to Statement Profit & Loss.
- ii) Expenditure incurred on repairs and maintenance of fixed assets including cost of stores & spares that increase the future benefits from the existing assets beyond its previously assessed standard of performance is capitalized e.g. an increase in capacity.
- iii) Salaries and Wages

Salaries and wages incurred on Repairs and Maintenance of Plant & Machinery, Buildings etc. are charged directly to Salaries and Wages Account.

- iv) Other Sundry Expenses

Expenditure on parks, plantation of trees and purchase of tents and tarpaulins etc. are charged off as revenue expenditure.

**20. Indirect Expenses on Expansion Projects/ New Projects Adjacent to the Existing Plant.**

The common expenses on administration, supervision etc. incurred by the existing plants are not charged to the Expansion Project/ New Projects adjacent to the existing plants.

**21. Allocation of Corporate Office Expenditure.**

Net Revenue Expenditure / Income of the Corporate Office is allocated to all the units and projects under construction on estimates based on the probable benefits or relatable to the different Units or projects as decided by the management to their best assessment and judgment.

Sd/-  
(AJay Kumar Sharma)  
Company Secretary

Sd/-  
(A B Deyashi)  
Chief Financial Officer

Sd/-  
(A M Manichan)  
Director

Sd/-  
(Manoj Misra)  
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached  
For SPG ASSOCIATES  
Chartered Accountants  
FRN No. NO-011217N

Place : New Delhi  
Dated : 31/07/2015

(S P GOEL)  
Partner  
Membership No. 083131



## Cash Flow Statement for the Year ended 31st March 2015

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	Continuing Operation		Discontinuing Operation		Total	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
<b>I. CASH FROM OPERATING ACTIVITIES</b>						
Net Profit/Loss (-) after taxation	54,17	(12,78)	(14,09)	28,98	40,08	16,20
Add:-Adjustment for						
Depreciation and amortisation (net)	5,02	6,68	1,34	2,38	6,36	9,06
Profit on disposal of Fixed Assets	(9)	29	0	1	(9)	30
Provision for doubtful debts loans and advances	0	5,84	13	0	13	5,84
Finance Cost	1,86	1,83	1,11	1,12	2,97	2,95
DRE Adjusted	1,70	1,74	0	0	1,70	1,74
Less:-						
Interest Income & Miscellaneous receipts	(53,34)	(31,73)	(2,18)	(45,31)	(55,52)	(77,04)
Other Excess Provision Written Back	(1,64)	(12)	(3)	(19)	(1,67)	(31)
<b>Operating Profit Before Working Capital Change:-</b>	<b>7,68</b>	<b>(28,25)</b>	<b>(13,72)</b>	<b>(13,01)</b>	<b>(6,04)</b>	<b>(41,26)</b>
<b>Change in working Capital :</b>						
<i>Adjustment For (Increase)/decrease in operating Assets:-</i>						
Inventories	12,35	12,90	38	59	12,73	13,49
Trade receivable	2,98	2,99	0	0	2,98	2,99
Short and Long term Loans & Advances	(6,39)	(8,82)	(74)	2	(7,13)	(8,80)
Other Current Assets	0	0	0	0	0	0
Other Non Current Assets	0	0	0	0	0	0
<i>Adjustment For (Increase)/decrease in operating Liabilities</i>						
Trade Payable	(3,11)	70	0	0	(3,11)	70
Other Long and Current Liabilities	(1,79)	10,16	1,26	(7,88)	(53)	2,28
Short and Long Term Provision	7,45	7,01	(95)	(1,63)	6,50	5,38
DRE (Addition)	(1,79)	(2,46)	0	0	(1,79)	(2,46)
<b>Net Cash From Operating Activities</b>	<b>17,38</b>	<b>(5,77)</b>	<b>(13,77)</b>	<b>(21,91)</b>	<b>3,61</b>	<b>(27,68)</b>
<b>II. Cash Flow From Investing Activities</b>						
Purchase of Fixed Assets	6,16	2,51	0	5,01	6,16	7,52
Intrest and other receipts	0	0	0	0	0	0
Receipt on sale of Fixed Assets	(15)	(36)	(1)	(3)	(16)	(39)
Work in Progress	2,54	7,98	0	0	2,54	7,98
<b>Net cash After Investing Activities</b>	<b>8,83</b>	<b>(15,90)</b>	<b>(13,76)</b>	<b>(26,89)</b>	<b>(4,93)</b>	<b>(42,79)</b>
<b>III. Cash from Financing Activities</b>						
Share Capital	0	0	0	0	0	0
Funds transferred to non-operating units	(11,69)	(23,96)	11,69	23,96		0
Loan Repayment to Govt of India	0	0	0	0	0	0
Secured & Unsecured Loans	0	0	0	0	0	0
Interest and other Receipts	31,81	31,70	2,19	2,25	34,00	33,95
Interest Paid	(26)	(20)	0	0	(26)	(20)
<b>Net Cash from Financing Activities</b>	<b>20,12</b>	<b>(13,16)</b>	<b>11,69</b>	<b>26,21</b>	<b>8,04</b>	<b>(13,04)</b>
<b>Net Increase(+)/ Decrease(-) in Cash &amp; cash Equivalents</b>	<b>28,69</b>	<b>(8,36)</b>	<b>12</b>	<b>(68)</b>	<b>28,81</b>	<b>(9,04)</b>
<b>Cash And cash Equivalents (Opening)</b>	<b>1,67,60</b>	<b>1,75,96</b>	<b>8</b>	<b>76</b>	<b>1,67,68</b>	<b>1,76,72</b>
<b>Cash And cash Equivalents (Closing)</b>	<b>1,96,29</b>	<b>1,67,60</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>1,96,49</b>	<b>1,67,68</b>



51st ANNUAL REPORT 2014-15

**Reconciliation of cash and Bank Balances :**

(₹ in Lakhs)

	Current Year	Previous Year
Cash in Hand	2	2
Cheque in Hand	1,55	1,33
Bank Deposits	1,77,48	1,50,54
Current Accounts	8,47	7,71
Bank Balance held under - Guarantees	8,93	8,08
- Letter of Credits	4	0
<b>Total</b>	<b>1,96,49</b>	<b>1,67,68</b>

1. Additional working capital, as when needed, is proposed to be met out of own cash resources.
2. Bank deposits includes deposits of ₹ 15223.90 Lakh (Previous ₹ 80 Lakhs) whose maturity period is more than 12 months.

(AJay Kumar Sharma)  
Company Secretary

(A B Deyashi)  
Chief Financial Officer

(A M Manichan)  
Director

(Manoj Misra)  
Chairman & Managing Director

As per our report of even date attached  
For SPGASSOCIATES  
Chartered Accountants  
FRN No. NO-011217N

Place : New Delhi  
Dated : 31/07/2015

(S P GOEL)

Partner

Membership No. 083131

**AUDITORS' CERTIFICATE**

We have verified the above CASH FLOW STATEMENT of CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED derived from the audited annual financial statements for the year ended March 31,2014 and found the same to be drawn in accordance therewith.

As per our report of even date attached  
For SPG Associates.  
Chartered Accountants  
Firm Reg. No. 011217N

New Delhi  
Dated : 31/07/2015

SP GOEL (Partner)  
Membership No. 083131

**Details of Investment & Expenditure on Social Overheads**

(₹ in Lakhs)

PARTICULARS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
<b>CAPITAL INVESTMENT</b>		
Township	20,41	20,41
Vehicles, Furniture & Misc. Equipment	1,64	1,64
<b>TOTAL-CAPITAL INVESTMENT</b>	<b>22,05</b>	<b>22,05</b>
<b>EXPENDITURE ON SOCIAL OVERHEADS</b>		
Upkeep & Maintenance of Township	54	60
Depreciation	37	33
Subsidised Canteen	57	52
Subsidised Education	80	1,05
Subsidised Social & Clutural Activities	15	28
Other Expenses	20	14
<b>TOTAL</b>	<b>2,63</b>	<b>2,92</b>
<b>DEDUCTION : RECEIPTS FROM TOWNSHIP</b>	<b>44</b>	<b>47</b>
<b>TOTAL NET EXPENDITURE ON SOCIAL OVERHEAD</b>	<b>2,19</b>	<b>2,45</b>

## INDEPENDENT AUDITORS' REPORT TO THE MEMBERS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED, NEW DELHI.

### INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To The Members,  
Cement Corporation of India Ltd New Delhi

#### Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of **CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED ("the CORPORATION")** which comprises the Balance Sheet as at **March 31, 2015**, and Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information, in which are incorporated eleven units (Mandhar, Tandur, Charkhi Dadri, Akaltara, Nayagaon, Nayagaon Expansion and Delhi Grinding unit, Kurukunta, Adilabad, Bokajan & Silchar Grinding Unit) audited by the branch auditors appointed by the Comptroller and Auditor General Of India and Rajban (Himachal Pradesh), Bhatinda Grinding Unit and Corporate Office audited by us.

#### Management's Responsibility for the Financial Statements

The Corporation's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Financial Statements that give true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the company in accordance with the accounting principal generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act. This responsibility includes maintenance of adequate accounting records in accordance with provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

#### Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those standards require that we comply with the ethical requirements and plan and perform the audit to obtain the reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amount and disclosures in the financial statements. The procedure selected depends on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatements of financial statements, whether due to fraud and error. In making those risk assessment, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements

#### BASIS FOR QUALIFIED OPINION

- a. *Execution of title and lease deeds of land of certain units in favour of corporation continues to be pending since long and land details are subject to reconciliation. Further, the allotment of land measuring 20.20 acres on leasehold basis for 99 years in respect of Delhi Grinding Unit has been cancelled by Delhi Development Authority and the*



- matter is pending before the Hon'ble Delhi High Court. [Refer Point No.3 of Note 30].
- b. Non determination and non-provision of the liability arising out of alienation orders is still awaited from revenue department in respect of government land outside CCI's Adilabad Township and used as road from pump house to national highway, [Refer Point No.5 of Note 30].
- c. Pending reconciliation, the effect of inconsistencies pointed out in the special audit report in relation to Yerraguntla unit sold in 1998, has not been considered. [Refer Point no.12 of Note 30].
- d. Interest on Inter corporate loans of Rs.3700.00 lakhs taken by the corporation has not been provided for after the cut off date of 31<sup>st</sup> March 2005, in terms of BIFR package.
- e. In respect of certain units, no provision has been made for interest on outstanding statutory dues as all the Units have not been following the same practice uniformly. Its impact on the Corporation's profit cannot be quantified, as the amount is not ascertainable.
- f. The balances of certain Trade receivables, Loan and Advances, Trade Payables, Deposits to and from Parties and other liabilities are subject to confirmation and reconciliation. The financial impact, if any arising out of non-reconciliation is unascertainable. [Refer Point No.20 of Note 30]
- g. The company has seven factories and a grinding unit at Delhi, where operations were discontinued between the years 1996 to 1999 and a grinding unit at Bhatinda (Punjab) which did not commence production, in respect of which attention is drawn to Point No. 11 of Note 30. In view of the Management, no provision for impairment of assets under AS -28 issued by the Institute of Chartered Accountants of India is required. Similarly, in the case of current assets, loans and advances and other assets at such factories/units, no provision is considered necessary, for decrease, if any, in realizable value.
- h. The Corporation had issued 3554325 Non-Cumulative Redeemable Preference Shares of Rs.1000/- each for a value of Rs.355.43 crores to Govt. of India on 22<sup>nd</sup> March 2007 to be redeemed within 7 (Seven) years from the date of issue. As per terms of issue, above Preference Shares were to be redeemed before 22<sup>nd</sup> March'2014, which is not in consonance with the terms of the issue.
- i. Capital expenditure programmes undertaken at various operating units including Silchar Grinding Unit for capital outlay of Rs.204.44 crores has not so far been completed despite target date fixed has already passed long back. The Corporation has incurred expenditure of Rs.42.45 crores on these projects. Financial impact, if any arising out due to non-completion of projects is unascertainable.
- j. The Corporation has not carried out periodical exercise to identify and determine obsolete/unserviceable stores & spares to treat them as scrap and value at net realizable value. In view of this, quantum of unserviceable/obsolete Stores & Spare parts included in total inventory of Rs.66.68 crores can not be ascertained for the purpose of making provision, if required.
- k. No effect has been given in accounts for claims / counter claims lodged by the Corporation for Rs.89.08 crores against various parties which are under Arbitration/pending in Courts etc. In most of the cases, latest status and relevant documents are not available with the Corporation for verification, hence genuineness of these claims lodged can not be ensured.
- l. There exists amount of Rs.40.09 crores towards provision for doubtful debts/loans and advances being carried forward for last several years with no hope of recovery as all the efforts legal or otherwise taken by the Corporation. As the circumstances exist are in consonance with write off policy of the Corporation, amount of provision of Rs.40.09 crores needs to be adjusted by way of write off against respective account i.e. sundry debtors and loans & advances.
- m. In Note 29, the Corporation has included an

amount of Rs 364.49 crores under contingent liabilities as claims against the company not acknowledged as debts on account of tariff minimum charges payable to M.P. Electricity Board in respect of Akaltara and Mandhar units. The details and status of the case are not available for our verification.

## OPINION

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matters described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31<sup>st</sup> March 2015, and its profit and its cash flows for the year ended on that date.

## EMPHASIS OF MATTER

We draw attention to following matters referred to in the Notes to the financial statements:

- a) The financial statements of the corporation have been prepared on going concern basis despite:
  - I. It being declared a sick company within the meaning of clause (O) of Section 31 of sick industrial companies (special provision) act 1985.
  - II. Corporation has accumulated losses far in excess of paid up capital and reserves.
  - III. BIFR sanctioned scheme pursuant to its order dated 3<sup>rd</sup> May 2006 for sale of seven factories of the Corporation including two units under Nayagaon expansion.

The company's ability to remain going concern is largely contingent on the successful implementation of revival scheme as envisaged in the BIFR package [Refer Point no. 9 of Note 30]. The financial statements do not include any adjustment relating to recoverability and classification of recorded assets and liabilities that may be necessary if the company is unable to continue as going concern.

- b) Assessments for the AY 2006-07 & 2007-

08 have been completed U/s 143(3) read with section 147 of the Income tax Act'1961 resulting into certain disallowances. As a result, assessed brought forward losses of the Corporation have been reduced by Rs.973.00 crores against which the corporation has filed appeals which are pending before Appellate Authorities. **[Refer Point No.2(ii) of Note 30].**

- c) Draft Rehabilitation Scheme (DRS) approved by BIFR vide order dated 03.05.2006 was to be implemented into 2 (two) phases of which first phase totally funded by GOI has been funded are completed. Second phase was to be completed by 2007-08 out of Sale proceeds of 7 (Seven) non-operating units, as on date no significant progress seems to have taken place in this direction. As a result, expansion of Bokajan Unit could not be completed which may result into cost overrun. Its impact on the financial statements of the Corporation could not be ascertained.

- d) In terms of Section 135 of the Companies Act, 2013, the Corporation spent an amount of Rs.3.00 lacs towards Corporate Social Responsibility against amount required to be spent of Rs.29.00 lacs based on average net profit of last 3 years.

## REPORT ON OTHER LEGAL AND REGULATORY REQUIREMENTS

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of clause (42) of section 2 of the Companies Act, 2013 we give in the Annexure a statement of the matters specified in the Para 3 of the Order.

2. The C&AG of India has issued directions/sub directions under section 143(5) of Companies Act, 2013, compliance thereof is set out in Annexure 1.

3. As required by the section 143(3) we report that:

- a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

- b) In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books.



- c) The reports on the accounts of the branch offices of the Corporation audited under Section 143(8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt by us in preparing this report.
- d) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account.
- e) In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.
- f) Provisions of section 164(2) of Companies Act, 2013 are not applicable to the Corporation.
- g) There are no other observations or comments on the financial transactions or matters except mentioned in our audit report, which may have adverse effect on the functioning of the Corporation.
- h) In our opinion, the Corporation has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- i) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we report as under with respect to other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014:
- i) The Corporation has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note No.29 to the financial statements ;
- ii) The Corporation did not have any long-term contracts including derivatives contracts for which there were any material foreseeable losses.
- iii) There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Corporation.

**For SPG ASSOCIATES**  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FRN: 011217N

Place: GURGAON  
Date: 14/09/2015

(S.P.GOEL)  
PARTNER  
M. No. : 083131

**Annexure - 1**

As required under section 143(5) of the Act, and on the basis of such checks as consider appropriate and according to the information and explanation given to us during our audit, we enclose in the Annexure hereto a statement on the matters specified in as per the direction issued by C&AG:-

i. If the Company has been selected for disinvestment, a complete status report in terms of valuation of Assets (including intangible assets and) and liabilities (including committed and general reserves) may be examined including the mode and present stage of disinvestment process.	No, the Company has not been selected for disinvestment. Hence it is not applicable.
ii. Whether there are any cases of waiver / write off of debts / interest, if yes, the reasons therefore and amount involved.	There are no cases of waiver of debts during the year.
iii. Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift from Govt. and other authorities.	The company does not have a policy to maintain inventory with third parties and neither has received any assets as gift from Govt. and other authorities.
iv. A Report on the age wise pending legal / arbitration cases including the reasons for pendency and existence / effectiveness of a monitoring mechanism for expenditure on all legal cases (foreign & local) may be given.	CCI Ltd is a declared "SICK" Co. Revival Scheme as approved by Hon'ble BIFR in 2006 is under implementation. The age wise analysis of legal / arbitration cases and amount shown in contingent liabilities are given below:-

**Ageing of the list pending cases of CCI Ltd., as on 31-03-2015**

S.No	Category	0-1 years	1-2 years	2-3 years	More than 03 Years	Total
1	Income Tax	1	1	0	0	2
2	Sales Tax	0	0	0	6	6
3	Excise Duty	0	0	0	1	1
4	Power including TMC	1	0	0	3	4
5	Commercial	4	4	0	179	187
6	labour	2	2	3	41	48
	<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>230</b>	<b>248</b>
7	<b>Amount (Rs/ Lakhs)</b>	<b>4946</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>50214</b>	<b>55747</b>



## Annexure to the Auditors' Report

[Referred to in paragraph 1 under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements' of our Report of even date to the members of CEMENT CORPORATION OF INDIA LTD on the accounts for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2015]

On the basis of such checks as we considered appropriate and according to the information and Explanations given to us during the course of our audit, we report that:

I. In respect of its fixed assets:

(a) The Corporation has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of the fixed assets.

(b) As explained to us, fixed assets (except at some units) have been physically verified by the management during the year in accordance with the phased programme of verification adopted by the management which, in our opinion, provides for physical verification of all the fixed assets at reasonable intervals. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification.

II. In respect of its inventory:

(a) As explained to us, the inventories of finished goods, semi-finished goods, A&B category of stores, spare parts and raw materials were physically verified at the end of the year by the Management. As regard inventory of C category of spare parts, the management has a system of physical verification so that all items are physically verified at least once in the block of three years. Accordingly, a part of such inventory was physically verified during the year. There are no inventories lying with third parties.

(b) In our opinion and according to the information and explanation given to us, the procedures of physical verification of inventories followed by the Management were reasonable and adequate in relation to the size of the Company and the nature of its business. In case of stores & spares, at

some units procedure needs to be improved in relation to the size and nature thereof.

(c) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has maintained proper records of its inventories and no material discrepancies were noticed on physical verification of stocks as compared to book records.

III. In respect of loans, secured or unsecured, granted to the parties covered in register maintained under section 189 of the Companies Act 2013:

According to the information and explanations given to us, the Company has not granted any loans to companies, firms or other parties covered in the Register maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013; and therefore paragraph 3(iii) of the Order is not applicable.

IV. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the company and the nature of its business for the purchase of inventory, fixed assets and for the sale of goods and services. During the course of our audit, we have not observed any continuing failure to correct major weaknesses in internal control.

V. In our opinion and according to the information and explanation given to us, the Unit has not accepted deposits and does not have any unclaimed deposits. Therefore, the provisions of clause 3(v) of the order are not applicable to the Corporation.

VI. We have broadly reviewed the cost records maintained by the Corporation pursuant to the Rules made by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that prima facie the prescribed cost records have been made and maintained. We have, however, not made a detailed examination of these records with a view to determining whether they are accurate or complete.

VII. In respect of statutory dues:

(a) According to the records of the Corporation and information and explanations given to



us, the Corporation has generally been regular in depositing undisputed statutory dues, including Provident Fund, Employees State Insurance (ESI), Investor Education and Protection Fund, Income-tax, Tax deducted at sources, Tax collected at source, Professional Tax, Sales Tax, Value added tax (VAT), Wealth Tax, Service Tax, Custom Duty, Excise Duty, Cess and other material statutory dues applicable to it, with the appropriate authorities. In the following undisputed cases, the payment is in arrear as at Balance Sheet date for a period of more than six months from the date they became payable:

Nature of Statute	Nature of dues	Amount (Rs. In Lakhs)
Local Sales Tax	Sales Tax	2059.68
Corporation Tax	NALA Tax	51.13
Corporation Tax	Property Tax	590.11
Service Tax	Service Tax	2.29
Excise & Customs	Excise Duty	11.20
Corporation Tax	Royalty	870.60
Corporation Tax	Entry Tax	12.45
Income tax	Interest on Late payment of Income tax	0.23
Central Sales tax	CST	9.40
Local sales Tax	Surcharge / Additional tax	0.16
Industries (Development and Regulation) Act, 1951	Cess on Cement	15.35

(b) According to the information and explanations given to us, there were no undisputed amounts payable in respect of Income-tax, Wealth Tax, Custom Duty, Excise Duty, sales tax, VAT, Cess and other material statutory dues in arrears / were outstanding as at 31 March, 2015 for a period

of more than six months from the date they became payable except in the following cases.

Particulars	Nature Of Dues	Where Pending	Amount (Rs. in Lakh)
Sales Tax	Sales Tax	APST Tribunal / Financial Commissioner/ Appropriate Authority	2080.95
Excise Duty	Duty Excise on clinker	Hon'ble Supreme Court & Other Appellate Authorities	1454.95
ESI Contribution	ESI Contribution on contract labour	Hon'ble BIFR and Regional Director-ESIC	72.84
Income tax penalty	Penalty U/s 271(1) (c) of the Income tax Act 1961	Commissioner of Income Tax (Appeals)	2961.22
Property Tax	Property Tax	Local Panchayat	23.35
Service Tax	GTA Service	Commissioner (Appeal) Central Excise & Service Tax	4.98

(c) According to the information and explanations given to us, there were no amounts which required to be transferred by the Corporation to the Investor Education and Protection Fund.

VIII. The Corporation has accumulated losses at the end of financial year which are more than 50% of its net worth. The company has not incurred any Cash losses during the financial covered by our Audit and the immediately preceding financial year.

IX. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Corporation has defaulted in the repayment of principal amount of loans and interest thereon, as per details given here as under:

Particulars	Amount in Lakhs	Period of Default
<i>Inter Corporate Borrowings</i>	<b>3700.00</b>	<i>More than 12 years</i>
<i>Interest Accrued on above</i>	<b>6163.00</b>	<i>More than 12 years</i>
<i>Govt. Of India</i>	<b>27475.00</b>	<i>Since Long</i>

- (x) In our opinion, and according to the information and the explanation given to us, the Corporation has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions during the year;

PLACE: GURGAON  
DATE: 14/09/2015

- (xi) The Corporation has not obtained any term loan during the year, so this para of order is not applicable.
- (xii) To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, no fraud by the Corporation and no material fraud on the Corporation has been noticed or reported during the year.

FOR SPG ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FIRM REGISTRATION NO.: 011217N

S.P. GOEL  
PARTNER  
MEMBERSHIP NO 083131

## ADDENDUM TO DIRECTORS' REPORT PURSUANT TO PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013.



Management's replies to the observations stipulated in the Auditors Report dated 14.09.2015 are given here under:-

**1. Basis for qualified opinion a,b,c,f**

The position has been adequately explained in the relevant points in Note No. 30 forming part of the Financial Statement.

**2. d,e,i**

By following the Sanctioned Scheme of Hon'ble BIFR.

**3. g**

The position regarding impairment of Assets of Non-operating units has been explained in point no 11 of Note 30 of the Financial Statement.

**4. h**

Department of Heavy Industry has been requested to approve extension of redeemable period further as available in the Companies Act 2013

**5. i**

By following guidance note on the revised schedule VI of the Companies Act as well as the policy of the Corporation.

**6. k,m**

Matter is under sub-judice.

**7. l**

Under process of its write off following the policy of the Corporation

**Emphasis of Matter**

- b) The position has been adequately explained in the relevant point no 2 (ii) of Note 30 forming part of the Financial Statement.
- c) By following the Sanctioned Scheme of Hon'ble BIFR and the Delay in sale process is unforeseen. However no extra liability is involved as Contract is Turnkey basis firm price without any escalation clause.

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL  
OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT 1956  
ON THE ACCOUNTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA  
LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015**

I forward the comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 on the Accounts of **Cement Corporation of India Limited** for the year ended 31st March, 2015. These comments may be printed in the Annual Report of the Company.

Place : New Delhi.  
Date : 22.09.2015

Sd/-  
(Supama Deb)  
Principal Director of Commercial Audit  
& Ex-officio Member Audit Board –II  
New Delhi.

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015**



The preparation of financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31st March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Companies Act, 2013 are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Companies Act, based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 14th Sept 2015.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under section 143 (6)(a) of the Act, of the financial statements of Cement Corporation of India Limited for the year ended 31st March 2015. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditor and is limited primarily to the inquireis of the statutory auditor and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the bases of my audit, nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditor's report.

**For and on behalf of the  
Comptroller and Auditor General of India**

Sd/-

(Supama Deb)

Principal Director of Commercial Audit  
& Ex-officio Member Audit Board –II  
New Delhi.

Place : New Delhi.

Date : 22.09.2015

## Our Employees-Our Greatest Assets

### HUMAN RESOURCES

“Human Resources” are of vital importance and significance to an enterprise and constitute a primary segment of the total resources held. A peculiar aspect of “Human Resources” is that while these have infinite potential yet whatever is realised out of this resources is generally akin to the tip of the iceberg the remaining whole lot lying submerged untapped. Deliberate efforts have therefore, to be made to augment the gap between ‘Actual’ and ‘potential’ “Human resources” may also be branded as “Mother Resources” through the medium of which other scarce resources viz. Machines, material, money are organised, co-ordinated, directed and controlled. Maximum realisation of the Potentialities of this “Mother Resources” is of crucial importance for the success of an enterprise. The in-house management and leadership styles the participative, collaborative and supportive climate, the motivational environment, care concern and fellow feelings for each other, the freedom and flexibility to operate within given frame-work of organisational goals and objectives productivity oriented performance yard sticks and continued management’s positive awareness for training & development effort to keep the threat of human obsolescence at bay are some of the essential inputs for tapping this resource of human assets. Besides, the human resources, the highly perishable by mere efflux of time unless they are effectively and meaningfully put to use continually.

A good insight into existing human potential can be well perceived through the profile of the human power distributed professionwise and agewise 21.03 % of the total employees strength of CCI represent technically and professional qualified, degree/diploma holders. As such 19.56 % of total strength of the organisation are in the age group of 26-50 year. However, average age of our employees comes to 54 years. The broad distribution of CCI’s human force is as under:

### Professional Profile

SI. No.	PARTICULARS	No. of employees	
		As on 31.3.2015	As on 31.3.2014
1.	Post Graduate Engineers	2	2
2.	Engineers with MBA	2	2
3.	Graduate Engineers	36	36
4.	CA/ICWA/SAS/ACS	7	7
5.	MBBS	0	0
6.	MBA's	30	30
7.	Engineer Diploma Holders	71	69
8.	Professional Diploma holders	23	24
9.	Post Graduate	46	46
10.	Graduates	135	138
11.	ITI Certificate Holders	141	165
12.	Others	320	388
	<b>TOTAL</b>	<b>813</b>	<b>907</b>

The age wise and category-wise distribution of employees as on 31.3.2015 is given below :

CATEGORY	YEARS							Total	Avg. Age
	<33	33-35	36-40	41-45	46-50	51-55	58 & Above		
Executives	19	1	4	7	25	39	65	159	51
Supervisors	2	0	0	1	9	29	68	110	56
Artisans (Skilled workers)	0	0	0	8	23	60	167	258	54
Semi Skilled	0	0	0	2	5	24	31	62	54
Clerical & other Supporting Staff	0	0	0	8	30	55	81	174	55
Unskilled	0	0	0	1	14	13	22	50	58
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>106</b>	<b>220</b>	<b>434</b>	<b>813</b>	<b>54</b>
Percentage	2%	0%	0%	3%	15%	27%	53%	100%	54

In the absence of clear cut, well defined and universally accepted model for evaluation of the economic worth of human assets of a company an attempt has been made to assess the same, by working out the present value of the anticipated future earnings of the employees taking into account the present pay scales and the promotional policies being followed. The computation has been based on the guidelines and principles enunciated in the economic models developed by Lev and Schwartz (1971) Eric Flamholtz (1974) and Taggi and Lau (1974) with appropriate modifications found necessary.

The total value of human assets of the company evaluated on the lines indicated above is as follows :

CATEGORY	As at 31.3.2015		As at 31.3.2014		As at 31.3.2013	
	Value in Lakhs (₹)	No. of Employees	Value in Lakhs (₹)	No. of Employees	Value in Lakhs (₹)	No. of Employees
Executives	1,04,92.70	159	84,39.23	149	86,65.39	135
Supervisors	55,45.93	110	57,02.67	130	63,22.61	129
Skilled Workers	1,16,59.27	258	1,29,70.97	363	84,21.47	256
Semi-Skilled Workers	16,13.39	62	13,03.90	61	41,33.75	168
Clerical & Other Supporting Staff	41,03.19	174	26,36.83	145	24,91.26	119
Unskilled workers	8,87.72	50	8,84.41	59	17,08.67	99
<b>TOTAL</b>	<b>3,43,02.20</b>	<b>813</b>	<b>3,19,38.01</b>	<b>907</b>	<b>3,17,43.15</b>	<b>906</b>

#### ACTIVITIES & PERFORMANCE PER EMPLOYEE

The performance & other indices of the corporation for the year 2014-2015, 2013-14, 2012-13, measured in terms of per employee are as follows:-

SI.	PARTICULARS	Unit	2014-15	2013-14	2012-13
1.	Production	MT	11,72	9,19	7,81
2.	Sales turn over	₹	5,52,93,97	3,98,93,40	3,49,40,39
3.	Profit/(Loss)	₹	49,29,89	17,80,22	8,95,14
4.	Payments of Employees	₹	80,71,34	66,98,90	62,36,20
5.	Interest on sums borrowed	₹	3,65,31	3,24,18	4,92,27
6.	Provisions for replacement of assets	₹	7,82,29	9,95,60	8,95,14
7.	Social over heads	₹	2,69,37	2,69,23	2,52,75
8.	Value added	₹	2,74,90,77	1,89,02,20	1,91,22,51
9.	Contribution to exchequer	₹	1,15,25,21	81,48,35	76,41,28
10.	Capital employed	₹	2,52,60,76	1,90,52,75	1,83,09,05



The Annual Statement in the prescribed format showing the representation of SCs, STs and OBCs as on 01/01/2015 and number of appointments made during the preceding calendar year, as furnished to the Government, is given below:

CEMENT CORPORATION OF INDIA LIMITED														
Groups	REPRESENTATION OF SCs/STs/OBCs.				No. of appointments made during the calendar year									
	(AS ON 01/01/2015)				By Direct Recruitment			By Promotion			By Deputation / Absorption			
	Total No. of Employees	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	OBCs	Total	SCs	STs	Total	SCs	STs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Group A-TOT	161	15	3	12	2	0	1	1	33	3	0	0	0	0
Group B-TOT	108	19	3	10	3	1	1	0	97	13	3	0	0	0
Group C-TOT	476	75	54	64	0	0	0	0	100	20	5	0	0	0
GROUP D-TOT	81	11	31	7	0	0	0	0	16	7	1	0	0	0
TOTAL	826	120	91	93	5	1	2	1	246	43	9	0	0	0

Manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2015, we have a total of 03 Physically Challenged employees in CCI. The group wise manpower strength of Physically Challenged employees in the Company as on 01/01/2015 is given below:

NAME OF THE UNIT CCI LIMITED																				
Manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2015																				
Group-wise manpower strength of Physically Challenged employees as on 01/01/2015																				
Groups	NUMBER OF EMPLOYEES				DIRECT RECRUITMENT (DURING THE CALENDER YEAR)								PROMOTION							
	(AS ON 01/01/2015)				NO. OF VACANCIES RESERVED			NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)					NO. OF VACANCIES RESERVED				NO. OF VACANCIES MADE (APPOINTED)			
	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH	VH	HH	OH	Total	VH	HH	OH		
Group A																				
Group B																		1		
Group C	3			3																
Group D																				
Total	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		

Note: VH stands for Visually Handicapped (persons suffering from blindness or low vision)

ii) HH stands for Hearing Handicapped (persons suffering from hearing impairment)

iii) OH stands for orthopadically Handicapped (persons suffering from locomotor disability or cerebral palsy)



## Salient features of our Units

### MANDHAR (Distt. Raipur, Chhattisgarh)

This is the first unit of the Corporation, which went into production in July, 1970 adopting the wet process and this was expanded to produce slag cement from November, 1978. The slag requirement is drawn from Bhilai Steel Plant.

	2014-15	2013-14	2012-2013
Installed capacity (in lakh tonnes)	3.30	3.80	3.80
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(1,55)	(1,27)	4,95

The production remained suspended due to unit being unviable.

### KURKUNTA (Distt. Gulbarga, Kamataka)

This is the second wet process unit which went into production from October, 1972.

	2014-15	2013-14	2012-2013
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(1,44)	(1,83)	(1,36)

### BOKAJAN (Distt. Karbi Anglong, Assam)

This unit is located in difficult area in Karbi Anglong Distt. of Assam, set up more from a socio economic point of view of serving the neighbouring areas with cement, rather than only from normal economic consideration. Limestone for this unit is transported, by ropeway 18 Kms long, passing through difficult terrain. The unit went into production from 1st April, 1977.

	2014-15	2013-14	2012-2013
Installed capacity (in lakh tonnes)	1.98	1.98	1.98
Production (in lakh tonnes)	0.82	0.92	1.33
Value of Production (₹ in lakhs)	37,55	49.79	70,41
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(4,61)	(10,08)	2,10

### RAJBAN (Distt. Sirmur, Himachal Pradesh)

This is yet another unit located in a hilly and difficult area. In addition to normal communication being difficult, the unit is serviced for both inward movement of materials and outward movement of finished products by road transport for a considerable lead, as the Unit does not have nearby rail head. The entire production of this factory has to be distributed by road. From the quarry situated in the hills, limestone is transported by a ropeway of 9 kms. The unit is in commercial production from April, 1980.

	2014-15	2013-14	2012-2013
Installed capacity (in lakh tonnes)	2.48	2.48	2.48
Production (in lakh tonnes)	1.70	1.25	1.40
Value of Production (₹ in lakhs)	82,72	37,69	52,25
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(4,42)	(15,51)	(9,23)

### NAYAGAON (Distt. Mandsaur, Madhya Pradesh)

This unit with an annual installed capacity of 4 lakh tonnes went into commercial production from 1st March, 1982.

	2014-15	2013-14	2012-2013
Installed capacity (in lakh tonnes)	4.00	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	(1,46)	(1,28)	(1,38)



Expansion project by another 10 lakh tonnes was undertaken on the concept of split location i.e. clinkerisation at Nayagaon and grinding of clinker at Delhi and Bhatinda. Clinkerisation plant at Nayagaon and grinding unit at Delhi have gone in to commercial production from 1.5.90.

#### **NAYAGAON Expn. Including DGU & BGU**

	<b>2014-15</b>	2013-14	2012-2013
Installed capacity (in lakh tonnes)	<b>5.00</b>	5.00	5.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	<b>(1,71)</b>	(1,49)	(2,44)

#### **AKALTARA (Distt. Bilaspur, Chhattisgarh)**

This unit went into commercial production from 1st April, 1981.

	<b>2014-15</b>	2013-14	2012-2013
Installed capacity (in lakh tonnes)	<b>4.00</b>	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	<b>(1,37)</b>	3,28	(7,07)

The production remained suspended due to unit being unviable.

#### **CHARKHI DADRI (Distt. Bhiwani, Haryana)**

This was a sick unit taken over by the Government of India and vested with CCI in June, 1981. After rehabilitation within a short period, cement grinding was started by September, 1981 and clinker production started subsequently. Out of two streams, only one was capable of rehabilitation.

	<b>2014-15</b>	2013-14	2012-2013
Installed capacity (in lakh tonnes)	<b>1.74</b>	1.74	1.74
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	<b>(1,70)</b>	(1,53)	1,49

The production remained suspended due to unit being unviable.

#### **ADILABAD (Distt. Adilabad, Andhra Pradesh)**

This unit went into commercial Production from April, 1984

	<b>2014-15</b>	2013-14	2012-2013
Installed capacity (in lakh tonnes)	<b>4.00</b>	4.00	4.00
Production (in lakh tonnes)	-	-	-
Value of Production (₹ in lakhs)	-	-	-
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	<b>(4,87)</b>	33,10	(6,46)

#### **TANDUR (Distt. K. V. Ranga Reddy, Andhra Pradesh)**

This unit went into commercial production from 1st July, 1987

	<b>2014-15</b>	2013-14	2012-2013
Installed capacity (in lakh tonnes)	<b>10.00</b>	10.00	10.00
Production (in lakh tonnes)	<b>7.00</b>	6.19	4.35
Value of Production (₹ in lakhs)	<b>2,70,83</b>	2,06,75	2,05,81
Profit/(Loss) (₹ in lakhs)	<b>63,21</b>	12,81	27,51

# 51वीं

## वार्षिक रिपोर्ट

### 2014–15



51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014–15

विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष का भाषण	105
निदेशक मण्डल की रिपोर्ट	108
सचिवालय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	134
निगमित शासन पर रिपोर्ट	137
प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण	145
वार्षिक लेखे 2014–15	148
कैश प्लो विवरणी	187
निष्पक्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं प्रबंधन के उत्तर	190
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां एवं समीक्षा	200

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)  
नई दिल्ली

## 51वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अभिभाषण

### प्रिय शोयरधारकों,

मुझे निदेशक मण्डल और अपनी ओर से कंपनी, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) की 51वीं वार्षिक आम सभा के इस अवसर पर आप सभी का स्वागत करते हुए प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हो रहा है। इस बैठक में आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि कंपनी के प्रयासों में आप रुचि रखते हैं और अपेक्षित सहायता प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं को पहले ही परिचालित किया जा चुका है। आपकी अनुमति से मैं यह मानता हूँ कि इन्हें पढ़ लिया गया है।

### उद्योग परिदृश्य

सीमेंट पृथ्वी पर पानी के बाद सबसे अधिक मात्रा में खपत होने वाली सामग्री है। वर्ष 2020 तक विश्व भर में सीमेंट की खपत लगभग 3560 मिलियन टन तक बढ़ने की उम्मीद है। इसी प्रकार भारत में सीमेंट की घरेलू खपत भी वर्ष 2020 तक 500 मिलियन टन तक पहुंचने की आशा है। विश्व भर में सीमेंट की औसतन खपत 513 किलोग्राम की तुलना में भारत के लिए 191 किलोग्राम, सऊदी अरब के लिए 1683 किलोग्राम और चीन के लिए 1581 किलोग्राम है। विश्व भर की कुल मांग की 84% मांग केवल विकासशील देशों से होगी।

पिछले कुछ समय में उल्लेखनीय मंदी देखी गई है। यथा परिकल्पित 8% की जीडीपी वृद्धि दर, सरकारी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और जनसंख्या की वृद्धि और विस्तार के साथ भारतीय सीमेंट उद्योग एक ऐसा बाजार है, जहां अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे होलसिम और लाफार्ज का अब विलय किया जा रहा है, जो बढ़ रही मांग को पूरा करने और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए नई व्यापारिक रणनीतियों को अपनाकर भवन निर्माण उद्योग में भारतीय सीमेंट कंपनियों का पदार्पण करने में सहयोग करेंगी।

सभी विकसित देशों में सिविल निर्माण कार्य लगभग पूरे हो रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि में अब विराम लग गया है और प्रायः जीर्णोद्धार और साफ-सफाई (अपकीप) के कार्य ही किए जा रहे हैं, जबकि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचना विकास की अपार संभावनाएं हैं। भारत के

विश्व में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते यह सीमेंट की मांग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। भारत में अवसंरचना और निर्माण क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं हैं तथा सीमेंट क्षेत्र को इससे बड़े पैमाने पर लाभ हो सकता है। अभी हाल ही में किए गए प्रमुख सरकारी उपायों और पहलों में विभिन्न विरासत स्थलों का पुनर्निर्माण, शहरी विकास, झुग्गी-झोपड़ियों का निर्माण, कंक्रीट की सड़कें, ग्रामीण संपर्क मार्ग और राजमार्ग शामिल हैं। जलविद्युत परियोजनाओं के बांधों, नदियों, नहरों को जोड़ने और उनके संपर्क तथा कई अन्य अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के अलावा मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद में मेट्रो रेल परियोजनाओं और दिल्ली में मेट्रो रेल के विस्तार से इस क्षेत्र में सीमेंट की मांग बढ़ेगी। प्रमुख शहरों में हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण से भी सीमेंट की मांग बढ़ेगी। कुछ प्रमुख सरकारी पहलों जैसे 98 स्मार्ट शहरों के विकास, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि से भी इस क्षेत्र के उत्थान की अपेक्षा है।

### निष्पादन संबंधी विशेषताएं

वर्ष 2014-15 के दौरान आपकी कंपनी का क्लिंकर और सीमेंट का उत्पादन और सीमेंट का प्रेषण पिछले 5 वर्ष में सर्वाधिक रहा। तांदूर स्थित मिलियन टन वाले प्लांट से पिछले वर्ष में 7लाख टन का अब तक का सर्वाधिक उत्पादन किया गया, जो 1987 में इस प्लांट की स्थापना से अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है। राजबन यूनिट का उत्पादन भी पिछले 5 वर्षों में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन रहा। सीसीआई के समक्ष कई प्रतिकूल स्थितियों, विशेष रूप से बोकाजन में पुराने और अप्रचलित प्लांट के संचालन से संबंधित कठिनाइयों के बावजूद भी सीसीआई की संपूर्ण क्षमता का सदुपयोग लगभग 66% (पिछले 5 वर्ष में सर्वाधिक) रहा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए महत्वपूर्ण लक्ष्यों में निम्नलिखित लक्ष्य शामिल हैं :-

- वित्तीय वर्ष 2013-14 में 8.36 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1 लाख टन से अधिक उत्पादन वृद्धि, जो 14% की वृद्धि दर्शाता है।
- इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 57.84% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्षमता सदुपयोग 65.88% रहा, जो निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ कड़ी स्पर्धा के बावजूद भी 8.1% की वृद्धि दर्शाता है।

- वित्तीय वर्ष 2013-14 में 363.03 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 449.55 करोड़ रुपए का बिक्री कारोबार लक्ष्य प्राप्त किया गया, जो 23.83 % की वृद्धि दर्शाता है।
- इसी प्रकार निबल लाभ वित्तीय वर्ष 2013-14 में 16.20 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में 40.08 करोड़ रुपए रहा, जो 147.41% की वृद्धि दर्शाता है।
- सीमेंट के प्रत्येक बैग पर औसत एकस-फैक्टरी वसूली में भी वित्तीय वर्ष 2013-14 की तुलना में 10% की वृद्धि हुई है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 10-11 से आगे पिछले वर्षों की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सर्वाधिक उत्पादन, क्षमता सदुपयोग, बिक्री टर्नओवर और निबल लाभ का लक्ष्य प्राप्त किया है।

#### परियोजनाएं और विकास संबंधी कार्यकलाप

ऊर्जा दक्षता का लक्ष्य प्राप्त करने और उत्पादन लागत घटाने के लिए सीमेंट के क्षेत्र में नवीनतम प्रौद्योगिकियों से आपकी कंपनी को समृद्ध बनाने के प्रयोजन से सीमेंट मिलों की निकटतम सर्किटिंग, प्री हीटर में एलपी साइक्लॉन की स्थापना, बहु चैनल बर्नर की स्थापना जैसी विभिन्न परियोजनाएं और विकासात्मक कार्यकलाप तांदूर प्लांट में शुरू किए गए हैं। बोकाजन और राजबन यूनिटों में भी प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार करने और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए ऐसे ही कार्यकलाप शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

#### गुणवत्ता प्रबंधन

आपकी कंपनी ने गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और तांदूर, राजबन और बोकाजन में प्रचालनरत प्लांटों के लिए आईएसओ 9001 प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है। पूरी कंपनी में गुणवत्ता अभिमुखीकरण की संस्कृति विकसित करने के लिए कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

#### मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी का मानना है कि किसी भी संगठन के निष्पादन में मानव संसाधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वे संगठन की सफलता के लिए प्रमुख चालक के रूप में होते हैं। उन्हें प्रेरित करने और संगठन में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन नीतियों की समीक्षा

करने के लिए सुदृढ़ और निरंतर प्रयास किए गए हैं तथा कंपनी के प्रमुख प्रचालन क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों सहित कौशल विकास कार्यक्रमों में उन्हें नामित किया गया है। मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी में 813 कर्मचारी हैं, जिसमें 147 कार्यपालक और 666 गैर कार्यपालक कर्मचारी शामिल हैं।

#### पर्यावरण स्वास्थ्य और संरक्षा (ईएचएस)

कंपनी ईएचएस के दो प्रमुख उद्देश्यों अर्थात् दुर्घटनाओं की रोकथाम और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, स्वास्थ्य और संरक्षा पर जोर दे रही है। इसके अलावा कामगारों को कार्य के समय होने वाली बीमारियों से उन्हें बचाने के लिए भी पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। सीसीआई भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा आयोजित "खान वातावरण और खनिज संरक्षण सप्ताह" और ईएचएस मानदंडों के उल्लेखनीय कार्यान्वयन के लिए खान संरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के तत्वावधान में आयोजित "खान संरक्षा सप्ताह" में लगातार पुरस्कार/ईनाम प्राप्त करती रही है। यह पर्यावरण, स्वास्थ्य और संरक्षा के क्षेत्र में सीसीआई प्रबंधन द्वारा किए गए प्रयासों का अपने आप में एक प्रमाण है।

#### निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

कंपनी ने अपने सीएसआर सिद्धांत (दर्शन) के एक भाग के रूप में अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व का हमेशा निर्वहन किया है, जिससे कि व्यापार और समाज विकास में भागीदार बन सकें। अपनी निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के अनुरूप कंपनी ने विभिन्न प्लांट स्थलों पर अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यकलाप शुरू किए हैं।

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII और लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी सुझाए गए कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए अपनी सीएसआर और स्थायित्व नीतियों तथा कार्यकलापों को एकीकृत करती है।

सीएसआर और स्थायित्व संबंधी कार्यकलापों का अनुपालन कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर किया जाएगा और यह सीसीआई के सभी कार्यकलापों, प्रक्रियाओं, प्रचालनों और लेन-देनों में भी परिलक्षित होगा।

#### उपभोक्ता फोकस

आपकी कंपनी हमेशा ग्राहक संतुष्टि के सिद्धांत पर विश्वास करती रही है और इसीलिए कंपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के प्रयोजन से नियमित अंतराल पर डीलरों की बैठक, राज मिन्त्री की बैठक और ऐसे ही अन्य

विकासात्मक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु लगातार प्रयास करती रही है, जिससे कि अपनी सेवाओं में सुधार किया जा सके और उनका उन्नयन किया जा सके। यहां इस बात का उल्लेख करना समीचीन है कि ग्राहक संतुष्टि सूचकांक को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ कंपनी के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मानदंडों में से एक प्रमुख मानदंड के रूप में शामिल किया गया है और खुशहाल ग्राहक बनाए रखने के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करने के प्रयोजन से इसकी लगातार निगरानी की जा रही है।

### पुरस्कार और समारोह (एकोलेड्स)

आपकी कंपनी को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा सार्वजनिक विनिर्माण संगठन (मध्यम) श्रेणी के अंतर्गत लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित 12वां राष्ट्रीय पुरस्कार-2014-प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार निदेशक मंडल स्तर पर कई पदों पर कार्यरत अधिकारियों और कंपनी के अन्य कर्मचारियों को मिली बहुत सी मान्यताओं के अलावा है।

### निगमित शासन

निगमित शासन पर कंपनी का दर्शन अपने व्यवसाय को इस तरीके से करना है जोकि अंशधारकों, उधारदाताओं तथा कर्मचारियों सहित कंपनी में सभी शेरधारकों के लिए नैतिक तथा पारदर्शी हो। सुशासन एक निरंतर अभ्यास है तथा कंपनी अपने सभी अंशधारकों के समग्र हित में अपने प्रचालनों के सभी पहलुओं में इसे बनाये रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। निगमित शासन संबंधी मानकों का और अधिक विस्तार करने के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपनी सचिवालयी लेखापरीक्षा करवायी है। निगमित शासन शीर्षक के अंतर्गत निदेशकों की रिपोर्ट के साथ एक पृथक भाग संलग्न किया गया है।

### भावी दृष्टिकोण

आपकी कंपनी गैर परिचालित यूनिटों की बिक्री से प्राप्त निधियों से अनुमोदित योजनाओं में परिकल्पित प्रमुख परियोजनाओं तथा योजनाओं के पूरा करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। माननीय बीआईएफआर द्वारा गठित परिसंपत्ति बिक्री समीति (एएससी) गैर

परिचालनात्मक यूनिटों की बिक्री के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। माननीय बीआईएफआर ने यह निश्चय किया है कि प्रचालन एजेंसी आईएफसीआई चरखी दादरी में अवस्थित गैर प्रचालनात्मक यूनिट की बेकार पड़ी मशीनरी और प्लांटों की बीआईएफआर द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात बिक्री के लिए आईएफसीआई के महाप्रबंधक की नेतृत्व में पहले गठित की गई एएससी के साथ ही अपना कार्य जारी रखेगी।

तत्पश्चात माननीय बीआईएफआर ने यह भी निश्चय किया है कि इस कार्य को शुरू करने के लिए एमएसटीसी के माध्यम से चरखी दादरी यूनिट की प्लांट और मशीनरी तथा चल परिसंपत्तियों के निपटान हेतु मौजूदा एएससी द्वारा ही विचार किया जाएगा।

### आभार प्रदर्शन

आपके सतत् सहयोग और विश्वास ने हमें उत्कृष्टता के लिए किए जा रहे हमारे सभी प्रयासों के लिए प्रेरित किया है और मैं आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से भारत सरकार विशेष रूप से भारी उद्योग विभाग, लोक उद्यम विभाग के प्रति हमारे सभी प्रयासों के लिए उनके मार्गदर्शन तथा सहयोग हेतु हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हम अपने सभी अंशधारकों और निदेशक मंडल के सदस्यों के सक्रिय सहयोग के बिना नए फोकस के साथ निष्पादन में सुधार करने की इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते।

इस अवसर पर मैं सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों के अपने सभी सम्माननीय ग्राहकों के प्रति भी सीसीआई के उत्पादों को लगातार सहयोग प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं।

मैं भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक और अन्य सभी संबंधित प्राधिकरणों एवं अभिकरणों, बैंकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रधान निदेशक तथा सदस्य ऑडिट बोर्ड-II के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं।

अंत में, मैं कॉर्पोरेशन के समग्र विकास एवं वृद्धि के लिए कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित भागीदारी एवं समर्पण भावना की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

धन्यवाद,  
जय हिन्द

(मनोज मिश्रा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 30 सितम्बर 2015

## निदेशक मंडल की रिपोर्ट



सेवा में

सभी सदस्य गण

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी की 51वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा विवरण और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है।

### 1. वित्तीय परिणाम

गत वर्ष के आंकड़ों के साथ-साथ समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार रहा:

क्र.सं.	कॉर्पोरेशन समग्र रूप में विवरण	रु. करोड़ में	
		31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2014-15) के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष (2013-14) के लिए
1	निवल बिक्री	404.10	324.52
2	अन्य आय (स्वीकृत योजना के अनुसार असाधारण आय सहित)	57.28	76.74
3	पीबीडीआईटी	49.41*	28.21*
4	घटाएं : ब्याज	2.97	2.95
5	मूल्यह्रास से पहले लाभ	46.44	25.26
6	घटाएं : मूल्यह्रास	6.36	9.06
7	मूल्यह्रास और ब्याज से पहले लाभ	40.08	16.20
8	घटाएं : चालू आय कर	0.00	0.00
9	घटाएं : गत वर्ष के आय कर का समायोजन	0.00	0.00
10	घटाएं : आस्थगित कर	0.00	0.00
11	कर पश्चात निबल लाभ	40.08	16.20
12	तुलन पत्र में स्थानांतरित बकाया राशि	40.08	16.20

\*इसमें 21.90 करोड़ रुपए (गत वर्ष में 43.05 करोड़ रुपए) की असाधारण आय (ब्याज की राशि) शामिल है।

### 2. लाभांश

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी का निबल मूल्य नकारात्मक होने के कारण वित्तीय वर्ष के 2014-15 के लिए आपकी कंपनी द्वारा कोई लाभांश की घोषणा नहीं की जाएगी।

### 3. व्यापार प्रचालन की समीक्षा और भावी संभावनाएं

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के व्यापार प्रचालन संबंधी विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत करना चाहता है :

## प्रचालनरत यूनिटें

प्रचालनरत यूनिटों की अलग-अलग और सामूहिक रूप से सीमेंट की सदुपयोग क्षमता (%) क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन में) सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन में) और सीमेंट का प्रेषण (मीट्रिक टन में) नीचे दर्शाया गया है :-

### क. उत्पादन

वर्ष	बोकाजन		राजबन		तांदूर		केवल प्रचालनरत संयंत्रों के लिए	
	13-14	14-15	13-14	14-15	13-14	14-15	13-14	14-15
सीमेंट की उपयोग क्षमता (%)	46.29	<b>41.41</b>	50.49	<b>68.55</b>	61.94	<b>70.06</b>	57.83	<b>65.88</b>
क्लिंकर उत्पादन (मीट्रिक टन)	103360	<b>72065</b>	102090	<b>133525</b>	535040	<b>667010</b>	740490	<b>872600</b>
सीमेंट उत्पादन (मीट्रिक टन)	91655	<b>82010</b>	125225	<b>170005</b>	619385	<b>700670</b>	836265	<b>952685</b>
प्रेषण (मीट्रिक टन)	87366	<b>80274</b>	130605	<b>167691</b>	613078	<b>700020</b>	831049	<b>947986</b>

### गैर प्रचालनात्मक यूनिटें

वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी (सीसीआई) की निम्नलिखित छः गैर प्रचालनरत यूनिटें बंद रहीं :-

1. मंढार
2. कुर्कुटा
3. नयागांव
4. अकलतरा
5. चरखी दादरी
6. दिल्ली सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट

### बोकाजन विस्तार परियोजना

स्वीकृत योजना के अनुसार बोकाजन यूनिट की संस्थापित क्षमता को क्लिंकर के 1200 टीपीडी तक बढ़ाया जाना है जिसके साथ-साथ बोकाजन में 750 टीपीडी सीमेंट ग्राइंडिंग क्षमता वृद्धि की भी परिकल्पना की गई है और 50 टीपीडी क्षमता वाली सिल्वर ग्राइंडिंग यूनिट स्थापित करने की भी योजना है।

बोकाजन सीमेंट फैक्टरी की क्षमता विस्तार के लिए 142.40 करोड़ रु. की कुल लागत से टर्नकी आधार पर दिनांक 30.09.2010 के कार्य आदेश संख्या 46/10/6(6)/10-एमएमओ के जरिए मैसर्स प्रोमेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि. बैंगलोर को कार्य सौंपा गया है। उपस्करों की आंशिक रूप से आपूर्ति और सिविल कार्यों का कुछ भाग पूरा कर लिया गया है।

50 टीपीडी क्षमता वाली सिल्वर ग्राइंडिंग यूनिट की स्थापना के लिए 39.68 करोड़ रु. की कुल लागत से टर्नकी आधार पर दिनांक 30.09.2010 के कार्य आदेश संख्या 47/10/6(6)/10- एमएमओ के जरिए मैसर्स प्रोमेक इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लि. बैंगलोर को कार्य सौंपा गया है। परियोजना कार्यान्वयन अभी प्रतीक्षित है।

### तांदूर प्लांट में प्रौद्योगिकी उन्नयन

अनुमोदित योजना में यथापरिकल्पित तान्दूर प्लांट में प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया गया है :



21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बकाया योजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। प्रमुख चालू योजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :

- (1) प्रथम चरण के अंतर्गत अर्थात् राँ मिल अनुभाग (1 नं.), किन फीड अनुभाग और सीमेंट मिल-1 एवं II (2 नं.) के लिए न्यूमेटिक ट्रांसपोर्ट प्रणाली को मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट प्रणाली से प्रतिस्थापित करने के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, संशोधन, आपूर्ति, सिविल/ढांचागत डिजाइन के साथ-साथ सिविल कार्यों/फाउंडेशन उन्निर्माण और स्थापना हेतु 6.91 करोड़ रु. की कुल लागत के टर्नकी आधार पर मैसर्स एनेक्सको टेक्नॉलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव को एलओआई/कार्य आदेश सौंपे गए हैं।

सीमेंट मिल-1 एवं 2 और राँ मिल के लिए बैल्ट बकट एलीवेटर के मामले में निष्पादन गारंटी (पीजी) परीक्षण किए गए हैं तथा वे प्रचालनरत हैं। किन फीड बैल्ट बकट एलीवेटर का भी प्रचालन शुरू कर दिया गया है।

दूसरे चरण के अंतर्गत योजना में तांदूर यूनिट के लिए टर्नकी आधार पर क्लिंकर कूलर हेतु ईएसपी की डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, संशोधन, सिविल संरचना/ढांचे की डिजाइन, उन्निर्माण और स्थापना के लिए 1084.55 करोड़ रुपए की कुल लागत से मैसर्स एंड्रयू युले (एवाईसी), कोलकाता को कार्य आदेश सौंपा गया है।

इनलेट और आउटलेट डक्ट, चिमनी, ट्रांसफार्मर, एमीटिंग और कलैक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, हॉट रूफ और कोल्ड रूफ, मोनोरेल कॉलम आदि के उन्निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। इंसूलेशन का कार्य भी लगभग पूरा होने वाला है। पक्षकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार परियोजना का कार्य अक्टूबर 2015 तक पूरा होने की उम्मीद है।

#### चार आइटमों के लिए एनआईटी अर्थात् :

- (i) मौजूदा पीएच टॉप स्टेज साइक्लोन को नए लो प्रेशर ड्रॉप उच्च दक्षता वाले साइक्लोन द्वारा प्रतिस्थापित करना
- (ii) बाल मिल का निकटतम परिचालन और पीपीसी का उत्पादन
- (iii) मौजूदा मैकेनिकल पैकर्स को इलेक्ट्रॉनिक पैकर्स द्वारा प्रतिस्थापित करना और
- (iv) कोल मिल में मौजूदा पारंपरिक स्टेटिक सैपरेटर को नई पीढ़ी के एच्च दक्षता वाले सैपरेटर द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए एनआईटी प्रकाशित किया गया।

पक्षकारों के साथ की गई चर्चा के आधार पर उपर्युक्त चारों योजनाओं की अनुमानित लागत 24.00 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। बाल मिल के निकटतम परिचालन और पीपीसी के उत्पादन के लिए निविदा तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है और उसके लिए अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। इन उपकरणों की सहायता से तांदूर प्लांट की दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ बिजली के बिलों पर भी बचत की जाएगी।

#### ख. लाभप्रदता

कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान 16.20 करोड़ रुपए के निबल लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 40.08 करोड़ रुपए का निबल लाभ अर्जित किया है। पिछले वर्ष के दौरान सीमेंट का उत्पादन 8.36 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 9.53 लाख मीट्रिक टन रहा है। स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के पश्चात तांदूर प्लांट ने अब तक के सर्वाधिक क्षमता सदुपयोग का लक्ष्य प्राप्त किया है।

#### ग. बिक्री

कंपनी ने पिछले वर्ष के दौरान 363.03 करोड़ रुपए के बिक्री टर्नओवर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 449.54 करोड़ रुपए के बिक्री टर्नओवर का लक्ष्य अर्जित किया है। यह बिक्री टर्नओवर पिछले पांच वर्षों में सर्वाधिक है।

**घ. विपणन और विपणन परिवेश****(i) विपणन**

बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी आपकी कंपनी ने प्रेषण, बिक्री और वसूली के संदर्भ में एक बार फिर पिछले पांच वर्ष के आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए बेहतर निष्पादन किया है। सीमेंट की बिक्री वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 8.32 लाख मीट्रिक टन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बढ़कर 9.59 लाख मीट्रिक टन हो गई है, इस प्रकार इसमें 15.26% की वृद्धि दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर फैंक्टरी बाह्येतर औसत वसूली में भी 193.61 रुपए प्रति बैग की तुलना में बढ़कर 214.22 रुपए प्रति बैग की वृद्धि हुई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 10% की वृद्धि को दर्शाता है। तांदूर यूनिट ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अब तक का सर्वोत्कृष्ट निष्पादन दर्शाते हुए 7.00 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक का प्रेषण और क्रमशः 700020 मीट्रिक टन और 711707 मीट्रिक टन सीमेंट की बिक्री की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 14% और 16% की वृद्धि को दर्शाता है। राजबन यूनिट ने भी अपनी बिक्री को 38478 मीट्रिक टन तक बढ़ाया है, जो पिछले वर्ष के बिक्री आंकड़ों की तुलना में 29% की वृद्धि को दर्शाता है। बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, भारी आवक, कम मांग और मणिपुर तथा नागालैंड में राजनीतिक उथल-पुथल के कारण पूर्वी क्षेत्र के बाजारों में सीमेंट की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप बोकाज्जन यूनिट में बिक्री के संदर्भ में 8.13% की नकारात्मक वृद्धि हुई।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान तांदूर यूनिट में 76081 मीट्रिक टन के कुल प्रेषण के साथ खुला (लूज) सीमेंट के नए खंड की शुरुआत किए जाने से इसका बड़ा ही सकारात्मक योगदान रहा। कर्नाटक और तेलंगाना दोनों राज्यों के बाजारों में बिक्री के साथ-साथ वसूली के संदर्भ में भी बेहतर निष्पादन दर्शाया गया। तांदूर क्षेत्र के साथ साथ राजबन क्षेत्र में भी डीलर नेटवर्क का विस्तार किया गया, जिसके फलस्वरूप बाजार का विस्तार हुआ है।

**(ii) गुणवत्ता**

सीसीआई की सभी तीनों प्रचालनरत यूनिटों में उत्पादित सीमेंट की गुणवत्ता को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। प्लांटों में स्थापित अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं भली-भांति अर्हता प्राप्त और सुप्रशिक्षित कार्मिकों और विशेषज्ञों द्वारा कच्चा माल चरण से लेकर उत्पाद चरण तक सीमेंट के नमूनों की नियमित रूप से जांच की जाती है। इसके अलावा सीमेंट की नमूनों की जांच सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री के लिए राष्ट्रीय परिषद (एनबीसी) तथा राष्ट्रीय परीक्षण गृह (एनबीएच) जैसी सरकारी प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं में उनके भौतिक और रासायनिक मानदंडों के परीक्षण की दृष्टि से भी की जाती है। सभी तीनों प्रचालनरत यूनिटें आईएसओ 9001 प्रमाणित है। तांदूर यूनिट एसए : 8000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

**ड. भावी परियोजनाएं**

वर्ष 2014-2019 की अवधि के दौरान भारतीय सीमेंट बाजार के 8.96 % की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ने की उम्मीद है। वर्ष 2015-16 में सीमेंट की समग्र मांग बढ़ने का अनुमान है। यदि अवसंरचना क्षेत्र में निवेश किया जाता है, तो सीमेंट की खपत और अधिक बढ़ सकती है।

**4. पूंजीगत संरचना**

कॉर्पोरेशन को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार से इक्विटी के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और वर्ष के अंत में आपकी कंपनी की पूंजी 811.41 करोड़ रुपए बनी रही अर्थात् इसकी पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

**5. ईआरपी और टेली ईआरपी 9 का कार्यान्वयन**

कॉर्पोरेशन की सभी गतिविधियों के कंप्यूटरीकरण द्वारा एक पारदर्शी वातावरण में अपेक्षाकृत अधिक तीव्र गति से और

सूचित निर्णय करने के लिए प्रबंधन की सहायता हेतु प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने के लिए ईआरपी के कार्यान्वयन के उद्देश्य से सितंबर 2012 माह के दौरान सलाहकार की नियुक्ति की गई। यह महसूस किया गया कि वास्तविक समय आधार पर वित्तीय लेखाकरण और बिक्री संबंधी रिपोर्ट आदि तैयार करने के प्रयोजन से बाजार में उपलब्ध ऑनलाइन सॉफ्टवेयरों का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए जिससे कि बेहतर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। इसमें तेजी लाने के लिए प्रयास किए गए और फरवरी 2015 माह के दौरान आउटसाइड डेटा सेंटर पर होस्ट किए गए टेली ईआरपी-9 के ऑनलाइन पैकेज (बहु प्रयोक्ता अनुज्ञप्ति) के कार्यान्वयन के लिए एक बाह्य पक्षकार को कार्य आदेश दिया गया। इस पैकेज के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:

- निर्धारित क्लाउड क्लस्टरों पर टेली ईआरपी – 9 की खरीद, परिनियोजन और कंफिगरेशन का काम पूरा कर लिया गया है।
- सभी स्थानों पर प्रयोक्ताओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ सभी प्रयोक्ताओं, कम्प्यूटरों और स्थानों पर इस पैकेज का अभिगम या उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
- मास्टर डेटा का इम्पोर्ट और सभी स्थानों पर वास्तविक समय आधार पर अभिगम के साथ पैकेज का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

इसके पश्चात वेंडर द्वारा हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप पैकेज के कस्टमाइजेशन और लाइव क्रियान्वयन का कार्य सभी स्थानों के लिए किया जाएगा।

## 6. ई-क्रय और ई-निविदा का कार्यान्वयन

बाह्य एजेंसी के साथ ई-क्रय सेवा प्रदाता करार पर 22.08.2014 को हस्ताक्षर किए गए।

यूनिटों और कॉर्पोरेट कार्यालय में प्रयोक्ताओं का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। प्रणाली को 1 जुलाई 2015 से लागू किया गया है और यूनिटों और कॉर्पोरेट कार्यालय में वेडर पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है। तत्पश्चात वेंडर अर्थात मैसर्स एमएसटीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑन लाइन पोर्टल पर ई-क्रय के लिए निविदाएं अपलोड की जा रही हैं।

## 7. मानव संसाधन प्रबंधन और औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी मानव संसाधन को अत्यधिक महत्व देती है क्योंकि कर्मचारी ही किसी भी संगठन की सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति होते हैं। आपकी कंपनी में विभिन्न प्रकार के कौशल तथा क्षमता वाले 813 कर्मचारी शामिल हैं। मानव संसाधनों के विकास हेतु आपका कॉर्पोरेशन प्रतिबद्ध है और उन्हें संगठन के उद्देश्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए अपार अवसर प्रदान करता है। आपका कॉर्पोरेशन मानवीय क्षमताओं का समुचित विकास सुनिश्चित करने तथा इसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान परिसम्पत्ति माने जाने वाले कर्मचारियों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करता है। कॉर्पोरेशन की सभी यूनिटों में पूरे वर्ष भर औद्योगिक संबंध शांतिपूर्ण बने रहे। विभिन्न मंचों पर ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के साथ उपयोगी विचार विमर्श और चर्चा की जा रही है। जिसने संचालन, शिकायत और मतभेदों के समाधान तथा औद्योगिक संबंधों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा इसके परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान एक भी कार्य दिवस का नुकसान नहीं हुआ।

## 8. मानव संसाधन विकास

आपकी कंपनी मानव संसाधन विकास की आवश्यकता के प्रति सजग है और एक स्वस्थ कार्य संस्कृति बनाए रखने तथा उच्चतर लक्ष्य एवं उत्पादकता प्राप्त करने के साथ-साथ भावी चुनौतियों का मुकाबला करने हेतु मानव संसाधनों के विकास पर बल दिया गया है। मानव क्षमता के पुनर्गठन और विस्तार हेतु कंपनी ने मैसर्स एडमिनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) हैदराबाद को कॉर्पोरेशन में मानव क्षमता का अध्ययन कराने के लिए नियुक्त किया

है। इस संबंध में एएससीआई द्वारा प्रबंधन को एक आरंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और कंपनी को कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जिन्हें इस रिपोर्ट में शामिल किया जाना है। समेकित और अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपयुक्त जनशक्ति के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

### 9. प्रशिक्षण एवं विकास

मानव संसाधन विकास के एक भाग के रूप में आपकी कंपनी ने प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों के कौशल विकास को पूरा महत्व दिया है। 2014-15 के दौरान, कर्मचारियों को उनके कौशल संवर्धन हेतु कुल 1028 दिनों की इन-हाउस ट्रेनिंग दी गई। आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों पर बाहरी प्रशिक्षण हेतु भी कर्मचारियों को मनोनीत किया है। कर्मचारियों के एक विशेष समूह को विभिन्न स्थानों पर उनके प्रकार्यात्मक कार्यक्षेत्र से जुड़े विभिन्न सेमीनार तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए मनोनीत किया गया। आपकी कंपनी की सभी प्रचालनात्मक यूनिटों के वरिष्ठ अधिकारियों को जोखिम प्रबंधन तकनीकों के क्रियान्वयन तथा अवधारणा से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने प्रचालनरत यूनिटों में पर्यवेक्षक स्तर के कर्मचारियों की दक्षता मैचिंग भी संचालित की ताकि कौशल की कमी को पूरा किया जा सके।

### 10. महिला कर्मचारियों का कल्याण

सीमेंट कॉर्पोरेशन महिला कल्याण के लिए अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति पूरी तरह से सजग है। कॉर्पोरेशन की विभिन्न यूनिटों और कार्यालयों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को सभी सांविधिक और अन्य लाभ बराबर दिए जाते हैं।

महिला कल्याण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से सीसीआई की सभी यूनिटों में महिला क्लबों की स्थापना की गई है, जहां महिलाओं के लिए बहुत से सामाजिक और मनोरंजक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इन विभिन्न क्लबों में कम्प्यूटर साक्षरता, महिला और बाल स्वास्थ्य देख-रेख आदि जैसे विषयों पर व्यावसायिक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन महिला कल्याण के लिए ऐसी गतिविधियों के आयोजन के लिए समय समय पर अवसंचनात्मक और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जहां तक कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का संबंध है, तो इस बारे में हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

### 11. राजभाषा कार्यान्वयन

कॉर्पोरेशन ने संघ की सरकार राजभाषा नीति के अनुसार राजभाषा का प्रगामी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास जारी रखे हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है और कॉर्पोरेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों में भी नियमित रूप से एवं सक्रिय भागीदारी करता है। अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिन्दी सप्ताह/पखवाड़ा मनाया जा रहा है।

### 12. निगमित शासन का अनुपालन

सीसीआई एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है और पूरी शेर्यधारिता भारत सरकार द्वारा अपने पास रखी जाती है। कम्पनी निगमित शासन के मानकों का अनुपालन बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित शासन पर रिपोर्ट संलग्न है।

### 13. पुरस्कार

इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लागत प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए संभ्रांत 12वां राष्ट्रीय पुरस्कार – सार्वजनिक क्षेत्र के विनिर्माण संगठन (मध्यम) श्रेणी के अंतर्गत प्रथम

पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त) एवीएसएम, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री द्वारा दिनांक 15 जुलाई 2015 को होटल द अशोक में आयोजित एक समारोह के दौरान प्रदान किया गया।

#### 14. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय संबंधी विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के अंतर्गत यथावश्यक ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन, विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय संबंधी विवरण अनुबंध में दिए गए हैं और यह अनुबंध इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

#### 15. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

जोखिम प्रबंधन प्रणाली कॉर्पोरेशन के निगमित और प्रचालनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप एकीकृत और निरपेक्ष प्रणाली है। जोखिम प्रबंधन सामान्य व्यापार प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाता है और इसके लिए अलग से समय निर्धारित करके कोई कार्य नहीं किया जाता है।

#### 16. कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व प्रयास नीति के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित विवरण

आपकी कंपनी ने अपने सीएसआर सिद्धांत के एक अंश के रूप में अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को सदैव निभाया है जिसके अनुसार व्यवसाय और समाज दोनों विकास के लिए भागीदार बन सकते हैं। अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसार आपकी कंपनी ने अपने प्लांटों के स्तर पर विभिन्न गतिविधियां तथा बहुत सी पहलों को संचालित किया है। कंपनी की सीएसआर गतिविधियां परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

#### 17. सतर्कता विभाग की गतिविधियां और उपलब्धियां

सतर्कता प्रबंधन के कार्यकलापों का एक अभिन्न अंग है और इसका हमेशा यही प्रयास होता है कि संगठन के कार्यों में ईमानदारी, प्रबंधकीय प्रभावशीलता, निष्पक्षता और पारदर्शिता की संस्कृति का विकास किया जाए। कॉर्पोरेशन में सभी स्तरों के कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता की संस्कृति का विकास किया गया और ईमानदारी की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के अलावा गलत आचरण की परंपराओं शामिल होने की संभावनाओं को कम करने के लिए प्रणाली सुधारों पर विशेष रूप से जोर दिया गया। 'संदेहास्पद सत्यनिष्ठा' वाले अधिकारियों की सूची और 'सहमत सूची' तैयार की जाती है और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

कमियों का पता लगाने और सीसीआई के सभी विभागों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के प्रयोजन से प्रणाली के सरलीकरण के उद्देश्य से समय समय पर मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जांच की जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से बिक्री डम्पों में नियमित और औचक जांच की जाती है।

कार्मिक, विपणन तथा खरीदारी मैनुअलों के उन्नयन/संशोधन का कार्य शुरू कर दिया गया है। वित्त और लेखा मैनुअल 20.01.2015 को जारी कर दिया गया है। ई-निविदा प्रक्रिया ई-क्रय प्रक्रिया के भाग के रूप में चल रही है। सीसीआई पहले से ही ई-निविदा प्रक्रिया के जरिए अपनी निविदाएं प्रकाशित करता आ रहा है। समाचार पत्रों में निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) की छोटी सी क्लिपिंग प्रकाशित करने के बाद निविदा दस्तावेज के साथ-साथ निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) को सीसीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। सीसीआई के पास केंद्रीय रूप से खरीदी जाने वाली वस्तुओं के लिए वेंडरों की एक सूची उपलब्ध है। इसे समय समय पर वेबसाइट पर भी अद्यतन किया जाता है और नए वेंडरों को भी इसमें शामिल किया जाता है। सीसीआई में 90% से अधिक भुगतान आरटीजीएस के जरिए



किया जाता है। व्यवहार्य सीमा तक ई-क्रय और ई-नीलामी प्रक्रिया का कार्यान्वयन कर दिया गया है। सीसीआई में सत्यनिष्ठा समझौते (पैक्ट) को अपनाने की प्रक्रिया उन्नत चरण पर है। सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमता का इस्तेमाल करने के प्रयोजन से ईआरपी का कार्यान्वयन प्रगति पर है जिससे कि विभिन्न कार्यकलापों और प्रचालनों को इसमें शामिल किया जा सके। सीसीआई की वेबसाइट पर आरटीआई अधिनियम और इसके विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों की सांविधिक जरूरतों को पूरा किया जाता है अर्थात् इससे संबंधित सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जाती है।

सीसीआई के निदेशक मण्डल द्वारा सतर्कता संबंधी कार्यकलापों की समीक्षा अर्द्धवार्षिक रूप से की जाती है। इस प्रयोजन से एक विस्तृत कार्यसूची तैयार की जाती है जिसमें प्राप्त / निपटाई गई शिकायतों, छोटी / बड़ी शास्तियों पर की गई कार्रवाई, महत्वपूर्ण मामलों के बारे में संक्षिप्त जानकारी, प्रशिक्षण और सतर्कता अनुभाग में जनशक्ति के साथ साथ चिंताजनक क्षेत्रों सहित सभी कार्यकलापों को शामिल किया जाता है।

सभी कर्मचारियों से वार्षिक संपत्ति विवरणियां (रिटर्न) प्राप्त की जा रही हैं। सतर्कता कार्यों से संबंधित सभी विहित विवरणियां (रिटर्न) सीवीसी, डीएचआई आदि को टाइम पर भेजी जा रही हैं। सीवीसी के निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कॉर्पोरेट कार्यालय, यूनिटों, क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में वार्षिक आधार पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। सीसीआई के कर्मचारियों को गुप्त सरकारी कार्य (ड्यूटी) के लिए प्रतिनियुक्त कर डीओपीटी के अनुदेशों के संदर्भ में सीबीआई को आवश्यक सहयोग/सहायता प्रदान की जाती है।

#### 18. गैर-प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री संबंधी स्थिति

सम्मानित बीआईएफआर द्वारा गठित परिसंपत्ति बिक्री समिति गैर प्रचालन वाली (निष्क्रिय) इकाइयों की बिक्री के लिए मार्गदर्शन दे रही है।

चरखी दादरी इकाई पर स्थित गैर प्रचालन की इकाई (गैर क्रियाशील इकाई) है, उसके बंद पड़े संयंत्र (प्लांट) और मशीनरी की बिक्री के लिए सम्मानित बीआईएफआर ने निर्णय लिया है कि मैसर्स आईएफसीआई द्वारा पूर्व गठित परिसंपत्ति बिक्री समिति के साथ मिलकर इस विक्रय के कार्य को जारी रखें। जो आईएफसीआई के महाप्रबंधक की देखरेख में होगा तथा यह बीआईएफआर द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होगा।

सफल बोलीदाता (बिडर) के पक्ष में खनन पट्टों के स्थानांतरण से संबंधित मामले को संबंधित राज्य सरकार के पास भेजा गया है।

#### 19. ऋणों, गारंटियों अथवा निवेश के विवरण

आपकी कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत कोई सरकारी ऋण, गारंटियां अथवा निवेश नहीं किया गया है।

#### 20. लेखापरीक्षकों और पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा अपनी रिपोर्टों में अर्हताओं, अवलोकनों अथवा प्रतिकूल अभ्युक्तियों या अस्वीकारोक्तियों पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणियां

सांविधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बारे में प्रबंधन का उत्तर निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

#### 21. संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/व्यवस्थाओं के विवरण

आपकी कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष अर्थात् 2014-15 के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा अथवा व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं।



## 22. कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति, मेहनताने के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में कंपनी की नीति

सीसीआई भारत सरकार की एक कंपनी अर्थात् सीपीएसई होने के नाते इसके निदेशक की नियुक्ति, मेहनताने और अन्य देय भत्तों के भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्णय किया जाता है।

## 23. वार्षिक विवरणी (रिटर्न)

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 के साथ पठित अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के अनुक्रम में वार्षिक विवरणी का सारांश इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

## 24. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित की गई निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या

कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की पांच (5) बैठकों का आयोजन किया है।

## 25. निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के अंतर्गत आपका निदेशक मंडल एतद्वारा अपनी जिम्मेदारियों के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता है :-

- (क) वार्षिक लेखे तैयार करने में वास्तविक विचलनों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों को अपनाया गया है;
- (ख) निदेशकों द्वारा ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उन्हें लगातार लागू किया गया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो उचित एवं विवेकी हैं ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के लाभ अथवा हानि की स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत की जा सके;
- (ग) निदेशकों द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमित्तियों का पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम में किए गए प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है; और
- (घ) निदेशकों द्वारा वार्षिक लेखे एक निरंतर जारी प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- (ङ) निदेशकों द्वारा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली निर्धारित की गई थी जिसका कंपनी को अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाया गया और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और कंपनी द्वारा प्रभावी ढंग से प्रचालित किए जा रहे थे। आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों से कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की रक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और उनका पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता और समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करने सहित अपने व्यापार का क्रमिक रूप से और दक्षता पूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई नीतियां और प्रक्रियाएं अभिप्रेत हैं।
- (च) निदेशकों द्वारा सभी लागू सांविधिक विधियों, विनियमों और कंपनी की नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई थी और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से प्रचालित की जा रही थीं।

## 26. सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट कंपनियां

आपकी कंपनी के पास कोई सहायक कंपनियां, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट कंपनियां नहीं हैं।

## 27. जमा राशियां

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न तो कोई जमा राशियां स्वीकार की हैं और न ही उनका नवीनीकरण किया है।

## 28. निदेशक मंडल

समीक्षाधीन वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित निदेशक नियुक्त हुए / त्यागपत्र दिया गया :

- श्री एस एस महलावत (सरकारी नामिति) और श्री एस के गोयल (सरकारी नामिति) का कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकाल क्रमशः 28.04.2014 और 01.10.2014 से पूरा हुआ। कंपनी उनके द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी को दिए गए मार्गदर्शन और योगदान के लिए तहेदिल से उनकी प्रशंसा करती है।
- श्री विश्वजीत सहाय, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग (सरकारी नामिति) और श्री ए एम मनीचन, उप सचिव, भारी उद्योग विभाग (सरकारी नामिति) को क्रमशः 28.04.2014 और 01.10.2014 से निदेशक मण्डल में सरकारी नामिति के रूप में शामिल हुए।
- श्री आर पी टाक द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का प्रभार छोड़ने के उपरांत 1 अक्टूबर 2014 से श्री मनोज मिश्रा ने सीएमडी के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। तत्पश्चात 21.01.2015 से श्री मनोज मिश्रा ने सीएमडी के पद का प्रभार ग्रहण किया।
- श्री एस सी अग्रवाल ने 05.05.2015 से कंपनी के निदेशक (वित्त) के पद से त्यागपत्र दे दिया है।

## 29. स्वतंत्र निदेशकों के बारे में घोषणा

दिनांक 09.09.2013 से सीसीआई के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

## 30. लेखापरीक्षक

### सांविधिक लेखापरीक्षक

वर्ष 2014-15 के लिए मेसर्स एस. पी. जी. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, गुडगांव को प्रधान सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया और मेसर्स आर. के. सिंघानिया एण्ड एसोसिएट्स, मेसर्स टंक एण्ड श्रीकान्त, मेसर्स गोपाल एण्ड राजन ए. के. गुटगुटिया एण्ड कंपनी, मेसर्स पी गागर एण्ड एसोसिएट्स, मेसर्स एम के ए एसोसिएट्स, मेसर्स एसएसआर एंड कंपनी और मेसर्स लुहारूका एंड एसोसिएट्स शाखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किए गए। सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और उनके उत्तर एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गयी है।

### लागत लेखापरीक्षक

कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) संशोधन नियमावली, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर मेसर्स सुभद्रा दत्ता एंड कंपनी, लागत लेखाकार, मेसर्स जुगल के पुरी एंड एसोसिएट्स, दिल्ली, लागत लेखाकार, मेसर्स बीवीआर एंड





एसोसिएट्स, हैदराबाद, लागत लेखाकार को लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है, वार्षिक आम सभा के आयोजन संबंधी नोटिस में उल्लिखित मेहनताने पर 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की लागत लेखापरीक्षा संचालित करेंगे।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत यथावश्यक होने से लागत लेखापरीक्षक को देय मेहनताने को संशोधन अथवा पुष्टि के लिए वार्षिक आम सभा में सदस्यों के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। तदनुसार लागत लेखापरीक्षकों को देय मेहनताने के लिए सदस्यों की पुष्टि प्राप्त करने विषयक संकल्प को आगामी वार्षिक आम सभा के नोटिस के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है।

### सचिवालयी लेखापरीक्षक

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और मेहनताना) नियमावली, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 204 के प्रावधानों के अनुसार आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स अमित अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली को 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की सचिवालयी लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए सचिवालयी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सचिवालयी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट अनुबंध के रूप में संलग्न है।

सचिवालयी लेखापरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में अपने निदेशक मंडल ने निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया है :

“निदेशक मंडल में आवश्यक स्वतंत्र निदेशक के अभाव में डीपीई के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन नहीं किया जा सका। संबंधित मंत्रालय से पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पहले ही अनुरोध किया जा चुका है।”

### 31. लेखापरीक्षा समिति के स्वरूप के बारे में प्रकटन और सतर्कता तंत्र उपलब्ध कराना

लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

क. श्रीमती दिवजोत कोहली (बीआईएफआर नामिती)	—	अध्यक्ष
ख. श्री मनोज मिश्रा	—	सदस्य
ग. श्री ए एम, मनीचन	—	सदस्य

निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल में श्री एस के गोयल के स्थान पर अंशकालिक निदेशक के रूप में श्री ए एम मनीचन की नियुक्ति पर निदेशक मंडल की 321वीं बैठक में किया गया।

कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्हिसिल ब्लोवर नीति लागू की गई है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों और निदेशकों जो अपनी चिंताओं को उजागर करते हैं, को शोषण का शिकार होने से बचाने के लिए भी पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। कंपनी में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात करने की भी सुविधा प्रदान की है, जो कर्मचारियों और कंपनी के हितों से संबंधित मुद्दों के बारे में रिपोर्ट करने पर कंपनी की व्हिसिल ब्लोवर नीति के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी हैं। व्हिसिल ब्लोवर नीति को कंपनी की अधिकृत (सरकारी) वेबसाइट : [www.cementcorporation.co.in](http://www.cementcorporation.co.in) पर भी होस्ट किया गया है।

### 32. आभार प्रदर्शन

निदेशक मंडल भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के साथ-साथ रेल मंत्रालय, डीजी एस एण्ड डी, पीईएसबी, बीआरपीएसई, बीआईएफआर, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और केन्द्रीय और राज्य सरकार के अन्य विभागों से कॉर्पोरेशन को प्राप्त सहयोग और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता है। हम सीसीआई के उत्पादों पर लगातार विश्वास प्रकट करने और सहयोग प्रदान करने के लिए सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों के सम्मानित ग्राहकों के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल मेसर्स एस. पी. जी. एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक तथा प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा और पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निदेशक मंडल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के समर्पण हेतु हृदय से उनकी प्रशंसा करना चाहता है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से  
(मनोज मिश्रा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

तारीख : 24 सितंबर 2015

स्थान : नई दिल्ली



## निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) संबंधी कार्यकलाप

1. शुरु किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलापों, परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की समीक्षा और सीएसआर नीति के वेब-लिंक के संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति के बारे में संक्षिप्त जानकारी :

सीसीआई की सीएसआर और स्थायित्व नीति की परिकल्पना “प्राथमिक रूप से ऐसे परियोजना क्षेत्रों, जहां कंपनी का प्रचालन चल रहा है, में स्थाई आधार पर समुदायों और पणधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा कर अपनी सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता” निम्नलिखित रूप में की गई है।

सीसीआई अपनी सीएसआर और स्थायित्व नीतियों और कार्यकलापों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सुझाए गए कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों, योजनाओं और रणनीतियों के अनुरूप एकीकृत और निरपेक्ष करता है। सीएसआर और स्थायित्व नीति सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा लागू की जाएगी और इसे सीसीआई के सभी कार्यकलापों, प्रक्रियाओं और लेनदेनों में परिलक्षित होना चाहिए।

सीएसआर नीति का वेब-लिंक पता : <http://www.cementcorporation.co.in/page.php?id=194> है।

2. सीएसआर समिति का स्वरूप निम्नानुसार है :

निदेशक मंडल के स्तर वाली निगमित सामाजिक जिम्मेदारी समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

- क. श्री मनोज मिश्रा – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- ख. श्रीमती दिवजोत कोहली (बीआईएफआर नामिती)
- ग. श्री ए एम, मनीचन – (सरकारी नामिती)

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत निबल लाभ : 1458 लाख रुपए रहा।

4. विहित सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद संख्या 3 में उल्लिखित राशि का 2%) : 29 लाख रुपए।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर किए गए व्यय के विवरण :

- (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि : 29 लाख रुपए
- (ख) खर्च न की गई राशि, यदि कोई है : 26 लाख रुपए
- (ग) वित्तीय वर्ष के दौरान राशि को खर्च किए जाने के ढंग के विवरण नीचे दिए गए हैं :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क्र. सं.	पहचान की गई सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	परियोजना अथवा कार्यकलाप (1) स्थानीय अथवा अन्य	परियोजना परिव्यय की राशि (बजट)	खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचित व्यय	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1.	स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन किया गया	ग्राम मुगलोवाला, तहसील –पोंटा, जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	शून्य	30,000 /-	30,000 /-	प्रत्यक्ष
2.	दवाओं का निःशुल्क वितरण	ग्राम मुगलोवाला, तहसील –पोंटा, जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	शून्य	30,000 /-	60,000 /-	प्रत्यक्ष

3.	स्कूलों में दो शौचालयों का निर्माण	ग्राम-राजपुर देगली और ग्राम-भाजोन, तहसील -पोंटा, जिला-सिरमौर, हिमाचल प्रदेश	शून्य	2,00,550 / -	2,60,550 / -	प्रत्यक्ष
----	------------------------------------	---	-------	--------------	--------------	-----------

6. ऐसे मामलों में जब कंपनी द्वारा तीन वित्तीय वर्षों के शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत या कंपनी उसके एक हिस्से को व्यय करने में असफल होती है, तो कंपनी को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में इस प्रकार व्यय कम करने के कारणों को देना पड़ेगा।

सीसीआई माननीय बीआईएफआर द्वारा संदर्भित एक रुग्ण कंपनी है, जिसके समक्ष निधियों की कमी का संकट मौजूद है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कोई भी विशिष्ट बजट निर्धारित नहीं किया जा सका। तथापि वित्तीय वर्ष 2015-16 से आगे कॉर्पोरेशन की सीएसआर नीति के अनुसार सीएसआर कार्यकलापों के अंतर्गत निधियों और परियोजनाओं का उचित आबंटन किया जाएगा।



## कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटन) नियमावली 1988 के अंतर्गत आवश्यक विवरण

### क. ऊर्जा संरक्षण

(क) किए गए ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायः—

#### बोकाजन

- i. दैनिक आधार पर विद्युत खपत की निगरानी की जा रही है।
- ii. उपस्करों के बेकार संचालन को नियंत्रित और न्यूनतम किया गया है।
- iii. खानों और फैक्टरी में 6 वीवीवीएफडी इंस्टाल किए गए हैं।
- iv. संविदागत न्यूनतम मांग को 5500 केवीए से घटाकर 4752 केवीए किया गया है और फैक्टरी के विद्युत घटक में सुधार किया गया है।
- v. उच्च वोल्टेज वाले प्रकाश उपकरणों को सीएफएल फिक्चर्स द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

#### राजबन

- i. ईओटी क्रेन के पुराने और अप्रचलित बूस्टर ट्रांसफार्मर को नए संस्करण वाले बूस्टर ट्रांसफार्मर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।
- ii. ईओटी क्रेन के पुराने और अप्रचलित को प्रतिस्थापित करने के लिए नए मोटरों के खरीद की प्रक्रिया चल रही है।
- iii. नई ईओटी क्रेन को प्रचालित किया गया है, जिसमें उपस्करों के नवीनतम संस्करण वाले उपस्कर लगाए गए हैं।
- iv. प्लांट और कॉलोनी क्षेत्रों में उच्च क्षमता वाली पारंपरिक लाइट फिटिंग के स्थान पर एलईडी लाइट फिटिंग की स्थापना की जा रही है।
- v. केवल ऊर्जा दक्ष इलेक्ट्रॉनिक चोक और रेग्युलेटर ही लगाए जा रहे हैं।

#### तांदूर

- i. निम्नलिखित स्थानों में मौजूदा मोटरों को ऊर्जा दक्ष मोटरों से प्रतिस्थापित करना :
  - कोल मिल मेन ड्राइव नं. 2
  - कोल मिल फेन नं. 1
  - वीआरएम फेन मेन मोटर
  - एलएस क्रशर मेन मोटर
- ii. फ्लूरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से प्रतिस्थापित करना।

(ख) कुल ऊर्जा खपत और प्रति यूनिट उत्पादन के अनुसार ऊर्जा खपत :

	(2014-2015)	(2013-2014)
	(प्रचालनरत यूनिट मात्र)	(प्रचालनरत यूनिट मात्र)
<b>1. विद्युत</b>		
<b>क) खरीद</b>		
i) यूनिट (लाख में)	1230.56	1144.84
ii) कुल राशि (लाख रुपए में)	7426	6346
iii) दर प्रति यूनिट	6.03	5.54
<b>ख) स्वयं का उत्पादन</b>		
i) डीजल जनरेटर के माध्यम से		
• यूनिट (केडब्ल्यूएच)	81484	66778
• डीजल आयल के प्रति लीटर यूनिट (केडब्ल्यूएच प्रति लीटर)	2.59	2.94
• प्रति यूनिट लागत (रुपए प्रति केडब्ल्यूएच)	17.68	15.22
<b>2. कोयला</b>		
i) खपत की गई मात्रा (टन में)	205931	175183
ii) कुल लागत (लाख रुपए में)	10415	8601
iii) औसत दर (रुपए प्रति मीट्रिक टन)	5057.60	4909.46
<b>प्रति यूनिट उत्पादन पर खपत</b>		
i) विद्युत (टाउनशिप सहित पैक किए गए सीमेंट के प्रति टन केडब्ल्यूएच)	129.25	137
ii) बुक किया गया कोयला (किलोग्राम/ प्रति किलोग्राम क्लिंकर उत्पादन)	0.2366	0.2360
iii) कोयले की गुणवत्ता (यूएचवी) (कि. सेल्सियस प्रति किलोग्राम कोल)	4097	3818
<b>ख. प्रौद्योगिकी आमेहन</b>		
<b>I. अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी)</b>		
i) ऐसे विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कंपनी द्वारा अनुसंधान और विकास कार्य किए गए— प्वाइंट नं 6 उल्लिखित गुणवत्ता नियंत्रण/सुधार कार्य किए गए हैं।		
ii) अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ : सीमेंट की उचित गुणवत्ता बनाए रखना।		
<b>II. प्रौद्योगिकी आमेहन अंगीकरण एवं नवाचार :</b>		
चूंकि वर्ष के दौरान कोई भी प्रौद्योगिकी आयात नहीं हुई, आमेहन अंगीकरण और नवाचार संबंधी सूचना शून्य है।		
<b>7. अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय (2014-15)</b>		
	(रु.करोड़ में)	
(क) पूंजीगत	—	
(ख) राजस्व	शून्य	
(ग) कुल	शून्य	
(घ) कुल टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर किया गया कुल व्यय	शून्य	



### ग. विदेशी विनियमन से अर्जन और बर्हिगमन

यद्यपि हमें समय-समय पर विभिन्न पक्षकारों से निर्यात संबंधी रूझान प्राप्त होते रहे हैं, परंतु हमारे प्लांट जो समुद्री बंदरगाहों से काफी दूर हैं, की अवस्थिति संबंधी समस्या के कारण प्लांटों से निकटतम समुद्री बंदरगाह के बीच अंतर्देशीय मालभाड़ा बहुत अधिक हो जाता है। इस कारण से हमारे एफओबी मूल्य की गणना प्रतिस्पर्धी नहीं रह जाती है। अवसर प्राप्त होने पर निर्यात के क्षेत्र में निकटतम निगरानी की जा रही है। हालांकि सीमेंट का जितना भी उत्पादन हो रहा है उसकी बिक्री घरेलू बाजार में की जा रही है।

(रु. करोड़ में)

प्रयुक्त और अर्जित कुल विदेशी विनिमय	शून्य
वर्ष के दौरान प्रयुक्त कुल विदेशी विनिमय	शून्य
वर्ष के दौरान अर्जित कुल विदेशी विनिमय	शून्य

फॉर्म संख्या एमजीटी- 9  
वार्षिक विवरणी का सारांश

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति के अनुसार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में,

1. पंजीकरण और अन्य विवरण:

- i) सीआईएन : यू74899डीएल 1965पीएलसी004322
- ii) पंजीकरण की तारीख : 18.01.1965
- iii) कंपनी का नाम:- सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- iv) कंपनी की श्रेणी / उप श्रेणी :- विनिर्माण क्षेत्र
- v) पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण :-  
कोर -5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड नई दिल्ली- 110003
- vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है- हां/नहीं :- नहीं
- vii) रजिस्टर और अंतरण एजेंट, यदि कोई है का नाम, पता तथा संपर्क विवरण :- शून्य

2. कंपनी के प्रमुख व्यापारिक कार्यकलाप

कंपनी के ऐसे सभी कार्यकलापों का उल्लेख किया जाएगा, जो कंपनी के कुल कारोबार में 10 % या उससे अधिक का योगदान देते हैं.

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	सीमेंट	2394	100 %
2	क्लंकर	2394	

3. धारक, सहायक और एसोसिएट कंपनियों के विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारक/सहायक/ एसोसिएट कंपनी	धारित शेयरों का %	लागू धारा
	शून्य				



#### 4. शेयरधारिता का पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी के ब्यौरे)

##### (i) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान %में परिवर्तन
	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	वास्तविक	कुल	कुल शेयरों का %	
क) प्रमोटर									
(1) भारतीय									
(क) व्यक्ति विशेष / एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(ख) केंद्र सरकार के इक्विटी शेयर	—	45,59,749	45,59,749	100%	—	45,59,749	45,59,749	100%	शून्य
प्राथमिकता शेयर	—	35,54,325	35,54,325	100%	—	35,54,325	35,54,325	100%	
(ग) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	
(घ) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0	
(ड) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(च) अन्य कोई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
उप जोड. (क) (1)	0	81,14,074	81,14,074	100%		81,14,074	81,14,074	100%	
(2) विदेशी									
(क) एनआरआई-व्यक्ति विशेष	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(ख) निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(ग) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(घ) अन्य कोई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
उप जोड. (क) (2) :	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
प्रमोटर की कुल शेयरधारिता (क) = (क) (1)+(क) (2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
क. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
ग) केंद्र / राज्य सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
घ) उद्यम पूंजी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
ड.) बीमा कंपनियों	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
ड.) एफआईआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	

च) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
छ) अन्य विनिर्दिष्ट करें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
प्रत्यास्थ परिसंपत्तियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
उप जोड़. (ख) (1):	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
2. गैर संस्थागत निकाय									
क) निगमित निकाय (भारतीय और विदेशी)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
ख) व्यक्ति विशेष									
(i) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपए तक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
(ii) व्यक्तिगत शेयरधारक, जिनके पास सामान्यतः 1 लाख रुपए से अधिक की शेयर पूंजी है	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) न्यास	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
एनआरआई और विदेशी निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
ग-ii) समाशोधन सदस्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
उप जोड़. (ख) (2):-	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख) (1)+(ख) (2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
क. जीडीआर और एडीआर के अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
<b>सकल योग (क+ख+ग)</b>	<b>0</b>	<b>81,14,074</b>	<b>81,14,074</b>	<b>100%</b>		<b>81,14,074</b>	<b>81,14,074</b>	<b>100%</b>	<b>शून्य</b>

**(ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता**

क्र. सं.	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या			वर्ष के दौरान %में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए/ कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का कुल शेयरों की तुलना में %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए/ कम कीमत पर निर्धारित किए गए शेयरों का कुल शेयरों की तुलना में %	
1.	केंद्र सरकार	81,14,074	100 %	.	81,14,074	100%	.	शून्य
	जोड़	81,14,074	100 %	.	81,14,074	100%	.	शून्य

**(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया विनिर्दिष्ट करें)**

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण / बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि )				
	वर्ष के अंत में				

**(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशक, प्रमोटर और जीडीआर तथा एडीआर धारकों से अन्य) की शेयरधारिता का पैटर्न:**

क्र. सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	कोई परिवर्तन नहीं			
	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण / बोनस				

/स्वीट इक्विटी आदि ) वर्ष के अंत में (अथवा				
पृथक्करण की तारीख को, यदि पृथक्करण उसी वर्ष के दौरान हुआ है)				

## (v) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शोयरधारिता :

क्र. सं.	वर्ष के प्रारंभ में शोयरधारिता	वर्ष के दौरान संचित शोयरधारिता	
		शोयरो की संख्या	कंपनी के कुल शोयरो का %
		शोयरो की संख्या	कंपनी के कुल शोयरो का %
वर्ष के प्रारंभ में			
वर्ष के दौरान प्रमोटरो की शोयरधारिता में तारीखवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारण भी विनिर्दिष्ट किए जाएं (उदाहरण के लिए आवंटन/अंतरण /बोनस /स्वीट इक्विटी आदि )		शून्य	
वर्ष के अंत में			

## 5. कर्जदारी

बकाया /संचित परंतु भुगतान के लिए देय नहीं राशियों पर ब्याज सहित कंपनी की कर्जदारी

(रु. लाख में)

	जमा राशियों सहित सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशियां	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी				
i) मूलधन की राशि	—	18790	—	18790
ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	—	18548	—	18548
iii) संचित परंतु देय नहीं ब्याज				
जोड़ (i+ii+iii)		37338		37338
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
• वृद्धि	—	—	—	—
• कमी				
निबल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी				
i) मूलधन की राशि	—	18790	—	18790
ii) देय परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	—	18548	—	18548
iii) संचित परंतु देय नहीं ब्याज	—	—	—	—
जोड़ (i+ii+iii)		37338		37338

6. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का मेहनताना

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधकों का मेहनताना

(रु. लाख में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक/ प्रबंधक का नाम			कुल राशि
		श्री आर पी टक	श्री मनोज मिश्रा	श्री एस सी अग्रवाल	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	14.63	25.26	22.04	61.93
		—	—	—	—
		—	—	—	—
2.	स्टॉक विकल्प	शून्य			
3.	स्वेट इक्विटी	शून्य			
4.	कमीशन — लाभ के % के रूप में — अन्य, विनिर्दिष्ट करें.....	शून्य			
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें				
	(i) भविष्य निधि में अंशदान	0.93	1.75	1.59	4.27
	(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.39	0.34	0.71	1.44
	जोड़ (क)	15.95	27.35	24.34	67.64
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा				

ख. अन्य निदेशकों का मेहनताना:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	निदेशक का नाम			कुल राशि
		श्रीमती दिवजोत कोहली	—	—	
3.	स्वतंत्र निदेशक ● बोर्ड कमिटी बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क ● कमीशन ● अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें				



	जोड़ (1)				
	4. अन्य गैर कार्यपालक निदेशक (बीआईएफआर नामिती) ● बोर्ड कमिटी बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क ● कमीशन ● अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	0.66			0.66
	जोड़ (2)				0.66
	जोड़ (ख)=(1+2)				
	कुल प्रबंधकीय मेहनताना				0.66
	अधिनियम के अनुसार संपूर्ण सीमा				

ग. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधकों से इतर अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का मेहनताना

(रु. लाख में)

क्र. सं.	मेहनताने का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ/ सीएमडी	कंपनी सचिव	सीएफओ	निदेशक (वित्त)/सीएफओ
		श्री मनोज मिश्रा	श्री अजय कुमार शर्मा	श्री ए बी दयाशी *	श्री एस सी अग्रवाल **
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	कॉलम 6 क में दर्शाया गया है।	11.02	16.42	कॉलम 6 क में दर्शाया गया है।
2.	स्टॉक विकल्प		—	—	
3.	स्वेट इक्विटी		—	—	
4.	कमीशन — लाभ के % के रूप में — अन्य, विनिर्दिष्ट कर.....		—	—	
5.	अन्य, विनिर्दिष्ट करें				
	(iii) भविष्य निधि में अंशदान		0.75	1.12	
	(iv) चिकित्सा प्रतिपूर्ति		0.05	0.52	
	जोड़		11.82	18.06	

\* श्री ए बी दयाशी को 31/07/2015 से सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है।

\*\* श्री एस सी अग्रवाल ने 05/05/2015 से सीएफओ के पद से त्यागपत्र दे दिया है।

7. अपराधों के लिए सजा/दंड/समझौता :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित की गई सजा/दिए गए दंड/समझौता शुल्क के विवरण	प्राधिकार आरडी/एनसीएल/न्यायालय,	की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)
<b>क. कंपनी</b>					
दण्ड					
समझौता					
<b>ख. निदेशक</b>					
सजा					
दंड					
समझौता					
<b>ग. चूक करने वाले अन्य अधिकारी</b>					
सजा					
समझौता					



सेवा में,  
सदस्यगण,  
सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड,  
कोर-5, स्कोप काम्प्लेक्स,  
7- लोधी रोड, नई दिल्ली-110003  
महोदय/महोदया,  
फॉर्म संख्या-

**एमआर - 3 में उसी दिनांक की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।**

1. कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि सचिवालयी अभिलेख (रिकॉर्ड) का अनुरक्षण करे। हमारे लेखापरीक्षक के आधार पर इन सचिवालयी अभिलेखों पर अपनी राय जाहिर करना हमारी जिम्मेदारी है।
2. हमने, लेखापरीक्षण की पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है जो सचिवालयी अभिलेखों की अंतर्वस्तु (कंटेंट्स) के सही -सही होने हेतु तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त था। परीक्षण के आधार पर यह सत्यापित किया गया है कि सचिवालयी अभिलेखों के सही - सही तथ्य प्रतिबिंबित हो। हमे विश्वास है कि प्रक्रियाओं और पद्धतियों जिनका हम पालन करते हैं वे हमारी राय के लिए उपयुक्त आधार पर आधारित होते हैं।
3. हमने कंपनी की वित्तीय अभिलेखों और खातों का शोधन और विनियोजन को सत्यापित नहीं किया है।
4. जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ी हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के घटित होने से सम्बंधित प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगम के प्रावधानों तथा लागू होने वाले कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारा परीक्षण टेस्ट के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करना था।
6. सचिवालयी लेखा परीक्षण की रिपोर्ट कंपनी की सक्षमता (वायबिलिटी) का आश्वासन नहीं देती है और यह प्रभावकारिता और प्रभावशीलता को भी नहीं सूचित करती है जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का कार्यसंचालन किया।

हस्ताक्षर

दिनांक: 18.09.2015  
स्थान: दिल्ली

(सी.एस. अमित अग्रवाल)  
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव  
सदस्य संख्या - 5311  
प्रैक्टिस सर्टिफिकेट संख्या - 3647



फार्म संख्या एमआर-3सचिवालयीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और मेहनताना) नियमावली 2014 के नियम संख्या 9 के अनुक्रम में)

सेवा में सदस्यगण

हमने समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर 5, स्कोप काम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में है, द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और बेहतर निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की सचिवालयीय लेखापरीक्षा संचालित की है। सचिवालयीय लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई, जिसके जरिए मुझे निगमित संव्यवहार/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उनपर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्राप्त हुआ।

मैसर्स सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खाताबही, कागजात, कार्यवृत्त, बही, भरे गए फार्मों और विवरणियों तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्डों के आधार पर और साथ ही कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवालयीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान हमें दी गई सूचना के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे दृष्टिकोण में कंपनी ने 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष अर्थात हमारी लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध किए गए सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही यह कि कंपनी में उचित बोर्ड प्रक्रियाएं तथा अनुपालन तंत्र उस सीमा और ढंग से मौजूद है, जो यहां नीचे की गई रिपोर्टिंग के अध्यक्षीय है :

हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मैसर्स सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की खाताबही, कागजातों, कार्यवृत्त बही, कंपनी द्वारा भरे गए फार्म और विवरणियों तथा रखे गए अन्य रिकॉर्डों की जांच की है :

- (i) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम
- (ii) अनुबंध 1 के अनुसार अन्य लागू विधियां

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और ऊपर बताए गए मानकों का अनुपालन किया है, जो हमारे निम्नलिखित अवलोकनों के अध्यक्षीय हैं।

जैसा कि आवश्यक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति संबंधी अपेक्षा का अनुपालन किया गया है;

तथापि समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित खंडों के कारण नीचे दिए गए विनियमों के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं थे : (i) कंपनी द्वारा अपनी स्थापना से अब तक कोई भी एफडीआई और ईसीबी नहीं लिया गया है और

नीचे दिए गए खंड (ii) से (iv) के अनुसार कंपनी एक गैर सूचीबद्ध कंपनी है, खंड (v) के अनुसार कंपनी के पास डीमैट रूप में कोई भी शेयर नहीं है, खंड (vi) के अनुसार कंपनी ने अपना व्यापारिक प्रचालन शुरू नहीं किया है और खंड vii कंपनी के लिए 01.07.2015 से लागू होगा। अतः इन खंडों के संदर्भ में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

- i. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक ऋण की सीमा तक विदेशी विनियम प्रबंधक अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम।
- ii. भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत यथाविहित नियम, विनियम और दिशानिर्देश
- iii. किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार।
- iv. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम
- v. डिपोजीटरी अधिनियम 1996
- vi. विद्युत अधिनियम 2003
- vii. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक

इसके अलावा हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है, जिसमें स्वतंत्र निदेशकों को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों, सरकारी नामिती निदेशक का उचित संतुलन है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के स्वरूप में जो परिवर्तन किया गया, वह अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किया गया और आगामी पेज पर हमारे अवलोकन के अध्यक्षीन है।

सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकें अनुसूचित करने के लिए पर्याप्त समय रहते नोटिस दिया जाता है, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट उन्हें कम से कम 7 दिन पहले भेजे गए और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर कोई भी स्पष्टीकरण और उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रणाली मौजूद है, जिससे कि बैठक में सार्थकता के साथ भागीदारी की जा सके।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चय करने के लिए कंपनी के आकार एवं प्रचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने उन विशेष घटनाओं/कार्रवाईयों के विवरण उपलब्ध कराए हैं, जिनका उपर्युक्त संदर्भित नियमों, विनियमों, विधियों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुक्रम में कंपनी के कार्यों पर प्रमुख प्रभाव पड़ सकता है।

हस्ताक्षर

दिनांक: 18.09.2015  
स्थान: दिल्ली

(सी.एस. अमित अग्रवाल)  
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव  
सदस्य संख्या – 5311  
प्रैक्टिस सर्टिफिकेट संख्या – 3647



## 1. श्रम कानून :

### केंद्रीय अधिनियम :

- I. मजदूरी के भुगतान अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम।
- II. उपदान का भुगतान अधिनियम।
- III. समान पारिश्रामिक अधिनियम 1976.
- IV. राष्ट्रीय तथा त्यौहार अवकाश अधिनियम।
- V. ठेका / संविदा श्रम (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम 1970.
- VI. प्रसूति / मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961.
- VII. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952.
- VIII. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम।

### राजकोषीय कानून :

- I. आयकर अधिनियम और उन पर बने नियम तथा विनियम।
- II. सेवाकर

### पर्यावरण कानून :

- I. वायु (निवारक और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम।
- II. जल (निवारक और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974.
- III. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986.

अधिनियम की धारा 204 के प्रावधानों की शर्तों के अनुरूप सचिवालयी लेखा परीक्षणों की नीचे लिखी टिप्पणी पर प्रबंधन को जवाब देना है और उसे बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित करना है।

सचिवालयी लेखापरीक्षक की अपनी रिपोर्ट की टिप्पणी के सम्बन्ध में, आपके निदेशक गण निम्नलिखित के अनुरूप वर्गीकृत करते हैं।

“कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के अनुरूप, बोर्ड के स्तर पर स्वतंत्र निदेशकों की कमी के कारण बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों के गठन को गठित नहीं किया जा सका है। संबंधित मंत्रालय को सूचित किया गया है कि बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के लिए अनुमोदन करे।”

## निगमित शासन पर रिपोर्ट

### 1. शासन की संहिता पर कंपनी का दर्शन/सिद्धांत:

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन है कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वित्तीय समझदारी, उपभोक्ता की संतुष्टि, पारदर्शिता, जबावदेहिता और शेयरधारकों के प्रति वचनबद्धता में विश्वास करता है। सीसीआई भारत सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए निर्देशों और उक्त विश्वास के माध्यम से कार्य करता है और इसे व्यापक रूप में जो समाज और सरकारी एजेंसियों/विभागों, राज्य सरकारों, भारत सरकार, ऋणदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं, उपभोक्ताओं, शेयरधारकों, निकाय से जुड़े हैं, उन सभी के लिए मूल्य संवर्धन के लिए लंबा सफर तय करना चाहिए।

निगम विश्वास करता है कि इसके परिचालन और कार्यों को एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से, शेयरधारकों के उल्लिखित लक्ष्यों के हितों का लंबे समय तक संवर्धन करें।

कंपनी निगमित शासन के उच्चस्तरीय मानकों की पुष्टि करने के प्रति वचनबद्ध है।

### 2. निदेशक मंडल

#### i. मंडल का आकार :

सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जैसा कि कंपनी अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है। कंपनी के संस्था अन्तर्नियम के अनुच्छेद के अनुसार निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। मंडल की संख्या 3 निदेशकों से कम तथा 12 निदेशकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह निर्धारित करता है कि स्वतंत्र निदेशकों की संख्या किसी भी स्थिति में निदेशक मंडल के सदस्यों की वास्तविक संख्या की एक तिहाई से अधिक नहीं होनी चाहिए।

#### ii. मंडल का स्वरूप:

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार सीसीआई के निदेशक मंडल में 5 (पांच) निदेशक हैं जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सहित दो कार्यकारी निदेशक और दो अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं जो भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय के नामित निदेशक हैं। एक बीआईएफआर द्वारा नामित विशेष निदेशक है।

निदेशकों के नाम और श्रेणी इस वर्ष आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति और आखिर में वार्षिक आम सभा में निदेशकों की संख्या के साथ-साथ समिति (लेखापरीक्षा समिति) के विवरण सारणी 1 में दिए गए हैं।

#### सारणी 1: निदेशकों की श्रेणी और विभिन्न समितियों में उनके पद (स्थिति)

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	निदेशकों के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	एजीएम में (को आयोजित) में उपस्थिति	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार डायरेक्टर शिप की संख्या	31.03.2015 की स्थिति के अनु-सार अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता की संख्या
<b>कार्यकारी निदेशक:</b>						
1.	श्री आर.पी.टक (अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक) (30.09.2014 तक)	3	3	हां	शून्य	शून्य



2.	श्री मनोज मिश्रा निदेशक मानव संसाधन /अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 01.10.2014 से	5	5	हां	शून्य	शून्य
3.	श्री एस. सी. अग्रवाल निदेशक(वित्त)	5	5	हां	1*	शून्य
<b>सरकारी नामिति निदेशक:</b>						
4.	श्री एस.के. गोयल 30.09.2014 तक	3	3	हां	1	शून्य
5.	श्री ए. एम. मणिचन 01.10.2014 से	2	2	नहीं	5	शून्य
6.	श्री विश्वजीत सहाय 28.04.2014 से	5	5	हां	4	शून्य
<b>विशेष निदेशक / बीआईएफआर नामिति</b>						
7.	श्रीमती दिवजोत कोहली	5	4	नहीं	1	शून्य

\* मैसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाले हुए हैं।

कंपनी द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की पांच बैठकें क्रमशः 15.05.2014, 03.07.2014, 16.09.2014, 15.12.2014 तथा 09.03.2015 को आयोजित की गईं तथा दो बैठकों के बीच तीन महीने से अधिक का अंतराल नहीं था।

### iii. मंडल/समिति सभाओं के लिए एजेंडा का चयन और समय सारणी:

मंडल/समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करके उपयुक्त नोटिस देने के बाद सभाएं आयोजित की जाती हैं। अर्थपूर्ण सूचित और केंद्रित निर्णय उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत एजेंडा नोट्स, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक कथन सभा के दौरान सदस्यों के बीच अग्रिम रूप से प्रसारित किए गए। तात्कालिक महत्व के मुद्दों को संबोधित किए जाने की आवश्यकता होने पर लघुकालिक नोटिस पर सभाएं आयोजित की जाती हैं या परिचालन द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाते हैं।

गोपनीय प्रवृत्ति के कारण जब कभी किसी दस्तावेज को एजेंडा नोट्स के साथ जोड़ना व्यवहारिक नहीं होता, तो विशेष और अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में अतिरिक्त या संपूरक विषय से संबंधित ऐसे दस्तावेज सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं।

एजेंडा के दस्तावेज कार्यकारी निदेशक/सीएमडी के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात परिचालित किए जाते हैं।

सदस्यों को सूचित निर्णय लेने की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए बोर्ड/समिति की बैठकों में वित्तीय परिचालन, मानव संसाधन आदि से संबंधित सामग्री पर प्रेजेंटेशन तैयार किए गए हैं।

बोर्ड के सदस्य कंपनी की सभी सूचनाओं तक पूरी पहुँच रखते हैं। बोर्ड ऐसे किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है जो वह एजेंडा में समावेशन के लिए आवश्यक समझे। जब कभी आवश्यक हो, बोर्ड द्वारा बातचीत करके शीर्षस्थ प्रबंधन अधिकारी को अतिरिक्त लागत प्रदान करने के लिए कहा जाता है।

**iv. मंडल/समिति सभाओं में कार्यवृत्त की अभिलेखनबद्ध करना :**

प्रत्येक बोर्ड/समिति की कार्यवाही के कार्यवृत्त की कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत रिकॉर्ड किए जाते हैं। प्रत्येक बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त अगली बोर्ड बैठक में बोर्ड सदस्यों के बीच उनकी पुष्टि के लिए प्रसारित किए जाते हैं।

**v. व्यवस्था/तंत्र पर अनुवर्ती कार्रवाई :**

बोर्ड/समिति के सदस्यों के निर्णयों पर एक कार्यवाही रिपोर्ट अनुवर्ती सभाओं में प्रस्तुत की जाती है। यह एक प्रभावशील अनुसरण, पुनर्विचार और रिपोर्ट प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है।

**vi. अनुपालन:**

हमारा प्रयत्न यह सुनिश्चित करना है कि जब एजेंडा नोट्स तैयार किए जायें तो विधि के सभी अनुप्रयोग प्रावधान, नियम और दिशानिर्देशों का समर्थन किया जाए। कंपनी, कंपनी अधिनियम के सभी अनुप्रयोग प्रावधानों तथा अलग-अलग विधियों के अंतर्गत विभिन्न अन्य निकायकीय आवश्यकता के अनुसरण को सुनिश्चित करती है। निम्नलिखित सूचनाएं बोर्ड को लगातार प्रदान की जाती हैं:

- पूंजी बजट, वार्षिक योजना, समझौता ज्ञापन
- लेखा समिति कार्यवृत्त और बोर्ड की अन्य समितियों की सभाओं के कार्यवृत्त
- कारण, मांग, अभियोग नोटिस और हर्जाना नोटिस जो सामग्री की दृष्टि से आवश्यक है, यदि हो, को दिखाना
- घातक और गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं
- प्रमुख निवेश, अनुषंगी कंपनी का निर्माण, संयुक्त उद्यम और रणनीतिक भागीदार
- निदेशकों द्वारा अन्य कंपनियों और कार्यों आदि में उनके द्वारा उपयोग किए गए समिति पदों और डायरेक्टरशिप के बारे में खुलासा
- बड़े संविदाओं का अधिनिर्णय
- विधि और डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य विषय

**vii. गैर कार्यकारी निदेशकों के प्रकटन और क्षतिपूर्ति:**

कंपनी सरकारी नामिति निदेशक को सीटिंग फीस का भुगतान नहीं करती। हालांकि वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निदेशक मंडल और समिति की सभाओं में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों/बीआईएफआर के नामिति को प्रति बैठक 6000/- रु. (छह हजार रुपए मात्र) की दर से तथा अतिरिक्त मानदेय का भुगतान किया गया।

**viii. अन्य कंपनियों के निदेशक मंडल/समिति में अध्यक्षता और सदस्यता**

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	श्रेणी	अन्य कंपनियों में डायरेक्टरशिप/प्रकटन
<b>कार्यकारी निदेशक:</b>			
1.	श्री आर. पी. टक (30.09.2014 तक)	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	मेंबर ऑफ एकजीक्यूटिव बोर्ड ऑफ स्कोप एंड मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स
2.	श्री मनोज मिश्रा (01.10.2014 से)	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (मानव संसाधन)	शून्य



3.	श्री एस. सी. अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार
<b>सरकारी नामिती निदेशक :</b>			
4.	श्री एस. के. गोयल 30.09.2014 तक	सरकारी नामिती निदेशक	हिंदुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
5.	ए एम मणिचन 01.10.2014 से	सरकारी नामिती निदेशक	(1) मैसर्स भारती भारी उद्योग निगम लिमिटेड (2) मैसर्स स्कूटर इंडिया लिमिटेड (3) मैसर्स एंड्रयू यूले कंपनी लिमिटेड (4) मैसर्स एआरएआई पुणे (5) मैसर्स आईएलके, कोटा
6.	श्री विश्वजीत सहाय 28.04.2014 से	सरकारी नामिती निदेशक	(1) फ्लूड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पलक्कड़- अध्यक्ष, गवर्निंग काउंसिल (2) मैसर्स एचएमटी लिमिटेड (3) मैसर्स एचएमटी इंटरनेशनल लिमिटेड (4) मैसर्स हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, सीएमडी आई/सी
<b>विशेष निदेशक</b>			
7.	श्रीमती दिवजोत कोहली	बीआईएफआर नामिती	मैसर्स सुप्रिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

#### ix. मंडल सदस्यों का प्रशिक्षण

सीसीआई अपने निदेशक मंडल के सदस्यों को सीसीआई के प्रोफाइल, व्यवस्था आदि के बारे में प्रशिक्षित करने का प्रयास करता है। सीसीआई की कार्यशैली से संबंधित सभी प्रासंगिक मुद्दे और महत्वपूर्ण विकास सीसीआई मंडल (सरकारी) और (गैर सरकारी) अंशकालिक निदेशकों को समय-समय पर सीसीआई प्रबंधन द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

#### x. आचार संहिता

कंपनी व्यवसायिक नीतिशास्त्र के मानकों के अनुसार अपने व्यवसाय को करने के प्रति और सभी अनुप्रयोग विधियों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह निर्धारित किया गया है कि वर्ष 2014-15 के दौरान मंडल सदस्यों और शीर्षस्थ प्रबंधन स्तरीय अधिकारियों ने आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

#### xi. जोखिम प्रबंधन के लिए नीतियां

जोखिम प्रबंधन प्रणाली निगमित और प्रचालित उद्देश्यों के साथ एकीकृत और संबद्ध है। जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यवसाय व्यवहार के एक हिस्से के रूप में लिया जाता है न कि निर्धारित समय में एक भिन्न कार्य के रूप में।

### 3. लेखापरीक्षा समिति

कंपनी में एक लेखा समिति होती है जिसमें निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं :

1. श्रीमति दिवजोत कोहली (बीआईएफआर नामिति), अध्यक्ष
2. श्री ए एम मणिचन, (सरकारी नामिति), सदस्य
3. श्री मनोज मिश्रा, निदेशक (मनाव संसाधन)/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सदस्य

चूंकि सीसीआई बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 177 के अनुसार कंपनी के पास लेखापरीक्षा समिति के संविधान का कोई अधिकार नहीं है।

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लेखा समिति संदर्भित शर्तें, शक्तियां, भूमिका तथा निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम के विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार लेखा समिति को अधिकार प्राप्त हैं।

वर्ष 2014-15 के दौरान 20.06.2014, 16.09.2014, 15.12.2014 तथा 11.03.2015 को चार लेखा समितियां सभाएं आयोजित की गईं और निम्नलिखित सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई:

नाम	वर्ष के दौरान आयोजित सभाओं की संख्या	सभाएं आयोजित की गयीं
श्रीमति दिवजोत कोहली	4*	3
श्री एस. के. गोयल**	2	2
श्री मनोज मिश्रा	4	4
श्री ए एम मणिचन***	2	2

\*लेखा समिति का पुनर्गठन 15.12.2014 को हुआ जिसमें श्रीमति दिवजोत कोहली अध्यक्ष, तथा श्री ए एम मणिचन एवं श्री मनोज मिश्रा सदस्य के रूप में शामिल थे।

\*\*30.09.2014 को निदेशक मण्डल में कार्यकाल पूरा किया

\*\*\*श्री एस के गोयल के स्थान पर 01.10.2014 से निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

#### 4. मेहनताना समिति

निदेशकों को किये जाने वाले भुगतान भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। हालांकि सार्वजनिक उद्यम विभाग यह निर्देश दे चुका है कि प्रत्येक सीपीएसई एक मेहनतानासमिति का गठन करेगा जिसकी अध्यक्षता एक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक द्वारा की जाएगी जो सभी कर्मचारियों में इसके वितरण के लिए परिवर्तनीय भुगतान नीति तय करेगा। वर्तमान में सीसीआई के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है। तदनुसार मेहनताना समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता।

#### कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताना का विवरण

वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी के कार्यकारी निदेशकों को भुगतान किए गए मेहनताना का विवरण निम्नलिखित है:-

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	नाम	वेतन और भत्ता	अन्य लाभ	निष्पादन प्रोत्साहन	परिलब्धियों का मूल्य	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	पीएफ और अन्य निधियों में अंशदान	कुल
1.	श्री आर.पी.टक	10.86	3.77	0.00	0.00	0.39	0.93	15.95
2.	श्री मनोज मिश्रा	20.20	5.06	0.00	0.00	0.34	1.75	27.35
3.	श्री एस. सी. अग्रवाल	18.36	3.68	0.00	0.00	0.71	1.59	24.34
	<b>कुल</b>	<b>49.42</b>	<b>12.51</b>	0.00	0.00	<b>1.44</b>	<b>4.27</b>	<b>67.64</b>





## 5. शेयरधारक और निवेशक शिकायत समिति

सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनी है और पूरी शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति और उनके नामित द्वारा आयोजित की जाती है। अतः ऐसी किसी भी समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है।

## 6. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कंपनी के निदेशक मंडल में कोई भी स्वतंत्र निदेशक नहीं है।

## 7. सहायक कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

## 8. वार्षिक आम सभा

पिछले तीन सालों की वार्षिक आम सभाओं का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

क्रम सं.	वर्ष	स्थान	समय और तिथि	यदि कोई प्रस्ताव पारित किया गया हो
1.	2011-12	नई दिल्ली	18.09.2012(12.30 पीएम)	नहीं
2.	2012-13	नई दिल्ली	25.09.2013(12.30 पीएम)	नहीं
3.	2013-14	नई दिल्ली	16.09.2014(12.45 पीएम)	नहीं

## 9. प्रकटन

### i. संबंधित पार्टी लेन देन :

कंपनी निदेशकों या उनके ऐसे संबंधियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अनुक्रम में अलग-अलग निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटन) के साथ पार्टी से संबंधित किसी लेन-देन में शामिल नहीं हुई है, जो कंपनी के साथ बड़े स्तर पर संभावित हित रखते हैं।

### ii. दिशानिर्देशों का अनुपालन :

मई 2010 में निगमित शासन पर सार्वजनिक उद्यम के विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन के लिए कंपनी ने कदम उठाए हैं।

कंपनी पर पिछले तीन सालों के दौरान विधि के तहत गैर अनुपालन वाले किसी निकाय प्राधिकार द्वारा जुर्माना नहीं लगाया गया है।

निदेशक मंडल के लिए नियुक्ति के समय नियत खर्चों के अतिरिक्त जो कि समझौता के तौर पर दायित्व के रूप में है, व्यक्तिगत खर्च का प्रावधान नहीं है।

### iii. लेखा उपचार :

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किए गए वित्तीय कथन के लिए इसकी रिपोर्ट में वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा टिप्पणी करने और पर्यवेक्षण करने में कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विहित लेखा मानकों का अनुसरण किया है।

**iv. राष्ट्रपति निर्देश :**

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 और पिछले तीन सालों के दौरान राष्ट्रपति से संबंधित कोई निर्देश प्राप्त नहीं किया है।

**10. सतर्कता**

सीसीआई पीएसयू होने के नाते कंपनी का रिकार्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा पीरक्षा के लिए तथा सतर्कता द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुला है। सीसीआई का सीवीओ की अध्यक्षता में एक सतर्कता विभाग है।

**11. संप्रेषण के साधन**

वार्षिक वित्तीय निष्पादन कंपनी की वेबसाइट [www.cementcorporation.co.in](http://www.cementcorporation.co.in) पर जारी कर दिया गया है। कंपनी समय-समय पर सीसीआई की वेबसाइट पर महत्वपूर्ण निगमीय निर्णयों और गतिविधियों पर सरकारी समाचार प्रायोजित करती है।

**12. लेखा अर्हताएं**

कंपनी ने अनर्हत वित्तीय कथनों का शासन सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रयास किए हैं। हालांकि वर्ष 2014-15 में वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां और निश्चित अर्हताएं पायी गयी हैं जो निश्चित समय सीमा में कृतसंकल्पित और अनुपालित की जाएंगी।

**13. व्हिस्ल ब्लोअर नीति**

अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदेहात्मक धोखाधड़ी या नीति का अतिक्रमण के बारे में चिंता दर्ज करने हेतु कंपनी ने कर्मचारियों के लिए एक यंत्रीकरण की स्थापना की है। कर्मचारी कंपनी के लेखा समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक जोकि कंपनी क व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी के तहत सक्षम प्राधिकारी हैं तक सीधी पहुंच रखते हैं। व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी कंपनी की सरकारी वेबसाइट [www.cementcorporation.co.in](http://www.cementcorporation.co.in) पर जारी की गई है।

**14. अनुपालन प्रमाणपत्र**

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के एक हिस्से के रूप में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत शर्तों के रूप में निगमित शासन की शर्तों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने वाले पूर्णकालिक अभ्यास में कंपनी सचिवों, मैसर्स अमित अग्रवाल एण्ड कंपनी से प्राप्त प्रमाणपत्र उनकी टिप्पणियों और पर्यवेक्षण का विषय है जो यहां संलग्न किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली  
तारीख: 24.09.2015

निदेशक मंडल की ओर से तथा उनके लिए

(मनोज मिश्रा)  
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)



### निगमित शासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,  
सदस्यगण  
सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०  
नई दिल्ली-110003

- हमने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मई, 2010 में जारी किए गए दिशा-निर्देशों (समय-समय पर यथासंशोधित) में किए गए उल्लेखानुसार 31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय कोर 5, स्कोप काम्प्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 में है, द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।
- निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनायी गयी प्रक्रियाओं और उनके अनुपालन तक ही सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवरणों की कोई लेखापरीक्षा है और न ही उन पर व्यक्त किया गया कोई दृष्टिकोण।
- हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निम्नलिखित को छोड़कर डीपीई के उपर्युक्त दिशानिर्देशों में किए गए उल्लेखों के अनुसार निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:
  - निदेशक मंडल में चूंकि कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, अतः निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं किया गया।
  - डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक सदस्य के रूप में शामिल होंगे और लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे। परंतु कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है।
- हम यह भी उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का कोई आश्वासन है और न ही ऐसी कोई दक्षता अथवा प्रभावशीलता है, जिसके जरिये प्रबंधन ने कंपनी के कार्यकलापों का संचालन किया है।

हस्ताक्षर

दिनांक: 16.09.2015  
स्थान: दिल्ली

(सी.एस. अमित अग्रवाल)  
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव  
सदस्य संख्या - 5311  
प्रेक्टिस सर्टिफिकेट संख्या - 3647

## प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण

### 1. सिंहावलोकन

सीमेंट उद्योग महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है, जो किसी राष्ट्र की वृद्धि और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सीमेंट की मांग प्राथमिक रूप से अर्थव्यवस्था के व्यापार, वित्तीय, रियल एस्टेट और अवसंरचना क्षेत्रों के कार्यकलापों की गति पर निर्भर करता है। भारत में अवसंरचना और निर्माण क्षेत्र के विकास की अपार संभावनाएं हैं और सीमेंट क्षेत्र को इसका बड़े पैमाने पर लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है।

मांग में संभावित वृद्धि के परिणामस्वरूप पिछले दशक के दौरान इस उद्योग क्षेत्र में भारी क्षमता निर्माण हुआ है। भारत में सीमेंट उत्पादन में पिछले वर्ष 255.83 मिलियन टन की तुलना में 5.61% की वृद्धि के साथ वर्ष 2014-15 के दौरान 270.17 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। तथापि, सीमित मांग के साथ बढ़े हुए आउटपुट के फलस्वरूप देश भर में सीमेंट की कीमतों पर दबाव बढ़ा, जिसके कारण वसूली अपेक्षाकृत कम रही। पूर्ववर्ती सरकार की पहलों से मांग में संभावित वृद्धि के रुझान आनेवाले दिनों में परिवर्तित होने की संभावना है और इस उद्योग का भविष्य बेहतर दिखाई दे रहा है।

### 2. दृष्टिकोण

भारतीय सीमेंट उद्योग अत्यधिक ऊर्जा संवेदी है और यह देश में कोयला के इस्तेमाल के संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारतीय सीमेंट उद्योग का अभी हाल ही में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट उद्योग की वृद्धि देश की खराब आर्थिक स्थिति के कारण कम हुई है। नई सरकार के गठन के साथ अवसंरचना के विकास पर जोर दिया जा रहा है और इस प्रकार आगे आने वाले वर्षों में भारत में इस उद्योग का भविष्य बेहतर प्रतीत होता है। स्थापना और क्षमता निर्माण में कुछ रुकावटें आई थीं, परंतु अब अर्थव्यवस्था पुनः बहाल हो रही है। इस उद्योग क्षेत्र में अब नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, जो विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा भारत भर में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला चूना पत्थर मौजूद होने के कारण सीमेंट उद्योग की वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं।

### 3. वित्तीय समीक्षा और विश्लेषण

कॉर्पोरेशन का निबल लाभ गत वर्ष 16.20 करोड़ रु. से बढ़कर वर्तमान वर्ष के दौरान 40.08 करोड़ रु. हो गया है। सीमेंट का डिस्पैच गत वर्ष 8.31 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्तमान वर्ष के दौरान 9.47 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

### 4. जोखिम और चिंताएं

वर्तमान व्यापार परिवेश में जोखिम प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है। जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य ऐसी घटनाओं की पहचान, निगरानी और उनके उन्मूलन के संदर्भ में उपाय करना है जो कॉर्पोरेशन के व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं और उसके समक्ष जोखिम पैदा कर सकती हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन इसकी व्यापार प्रक्रिया में निहित है। आपकी कंपनी ने निम्नलिखित जोखिमों की पहचान की है:-

#### (क) पण्यवस्तु मूल्य जोखिम

जोखिम, कॉर्पोरेशन को कच्चे माल, ऊर्जा के साथ-साथ तैयार माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के रूप में प्रभावित करता है। स्वीकृत योजना के अनुसार सीसीआई ऊर्जा के संरक्षण हेतु ऊर्जा की बचत करने वाले उपकरणों की स्थापना कर रहा है ताकि विद्युत खपत को इष्टतम बनाया जा सके। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण के लिए कुछ अन्य उपाय भी किए गए हैं, जैसे- आदक्ष/अधिक क्षमता वाले मोटरों के स्थान पर ऊर्जा की दृष्टि से दक्ष और कम क्षमता वाले मोटर लगाना, अधिकतम मांग के प्रभावी नियंत्रण हेतु मांग नियंत्रकों की स्थापना, उत्सर्जित गैसों में अधिकतम स्तर तक ऑक्सीजन का प्रतिशत बनाए रखने के लिए प्री-हीटर टावरों में रिसाव को रोकना आदि उपाय किए गए हैं। पारंपरिक लाईटों और पंखों को ऊर्जा की दृष्टि से दक्ष नए चोक और रेगुलेटर आदि से प्रतिस्थापित किया गया है।



### (ख) आंतरिक संसाधनों की रक्षा

सीमेंट कारोबार का प्रचालन किफायती मूल्य पर गुणवत्तायुक्त कोयला की निरंतर उपलब्धता पर निर्भर करता है। चूना पत्थर की उपलब्धता/गुणवत्ता संगत खनन क्षेत्र में इसके आरक्षित/जमा भंडारों पर निर्भर करती है। सीसीआई की तीनों प्रचालनरत यूनिटों के लिए इसके पास चूनापत्थर के लिए अपनी कैप्टिव खानें, शेल आदि हैं।

### (ग) परियोजना क्रियान्वयन जोखिम

आपकी कंपनी ने बोकाजन विस्तार योजना शुरू की है, जिसके लिए कंपनी को समय और लागत अधिक होने के जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। परियोजना के कार्यान्वयन में कोई भी विलंब उस अवधि के राजस्व और लाभ को प्रभावित कर सकता है।

### (घ) मानव संसाधन जोखिम

मूल्यवान सेवाएं प्रदान करने में कंपनी की योग्यता प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कंपनी में उन्हें रोक कर रखने और उनकी प्रतिभा में निखार लाने की क्षमता/दक्षता पर निर्भर करती है। अपेक्षित प्रतिभावान संसाधनों की कमी और अनुपलब्धता सीसीआई के निष्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। इस संदर्भ में सीसीआई उद्योग जगत में लागू की गई पिछली मानव संसाधन प्रक्रियाओं की लगातार बेंच मार्किंग कर रहा है और प्रतिभाओं को आकर्षित करने तथा उन्हें रोकने के लिए आवश्यक सुधार कर रहा है।

### (ङ) प्रतिस्पर्धा जोखिम

बाजार में नए सीमेंट विनिर्माताओं के प्रवेश हेतु वर्तमान में कोई बाधाएं अथवा प्रतिबंध नहीं है। सीसीआई को हमेशा प्रतिस्पर्धा जोखिम का सामना करना पड़ता है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से लाभ मार्जिन, बाजार में हिस्सेदारी आदि पर दबाव पड़ सकता है। सीसीआई गुणवत्ता, समय पर प्रदायगी और ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित कर कंपनी की ब्रांड छवि को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

### (च) अनुपालन जोखिम

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों के अनुपालन में किसी भी चूक अथवा कमी के लिए दांडिक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं। कंपनी नियामक ढांचे में किए जा रहे परिवर्तनों की नियमित रूप निगरानी और समीक्षा कर रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

## 5. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कॉर्पोरेशन की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां कंपनी के प्रचालन के आकार और प्रकृति के अनुरूप हैं। प्रचालन के जटिल क्षेत्रों में मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को लागू किया गया है और उनकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षकों का चयन सी एण्ड एजी के कार्यालय से प्राप्त फर्मों की सूची से किया गया है। इसके अलावा लेखापरीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण के संबंध में किसी बड़ी कमजोरी/कमी की रिपोर्ट नहीं की गई है।

आंतरिक लेखापरीक्षा टीम आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता की निगरानी करती है। यह कॉर्पोरेशन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के बारे में लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट करती है। पाई गई त्रुटियों और विचलन, यदि कोई हैं, के विरुद्ध कार्रवाई की जाती हैं। प्रचालन प्रक्रियाओं और नियंत्रण प्रणालियों में सुधार हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा टीम की सिफारिशों को भी लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और व्यवसाय/उद्योग प्रचालन प्रक्रियाओं के सुदृढीकरण हेतु टूल के रूप में इनका इस्तेमाल करते हैं।

## 6. सीएसआर नीति

कंपनी की एक सीएसआर नीति है, जिसे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। आधुनिक दृष्टिकोण के साथ एक पुराना सीपीएसई होने के नाते सीसीआई बड़े पैमाने पर समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पूरी तरह से जागरूक है। सीसीआई की सीएसआर और स्थायित्व नीति की परिकल्पना “प्राथमिक रूप से ऐसे परियोजना क्षेत्रों, जहां कंपनी का प्रचालन चल रहा है, में स्थाई आधार पर समुदायों और पणधारकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सक्रिय भूमिका अदा कर अपनी सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता” निम्नलिखित रूप में की गई है। सीसीआई अपनी सीएसआर और स्थायित्व नीतियों और कार्यकलापों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार सुझाए गए कार्यकलापों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों, योजनाओं और रणनीतियों के अनुरूप एकीकृत और संरेखित करता है। सीएसआर और स्थायित्व नीति सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा लागू की जाएगी और इसे सीसीआई के सभी कार्यकलापों, प्रक्रियाओं और लेनदेनों में परिलक्षित होना चाहिए।

## 7. अन्य प्रकटन


केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देश के अध्याय-7 में प्रावधान किया गया है कि वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में अथवा उसके साथ एक अतिरिक्त संलग्नक के रूप में प्रबंधन के साथ चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न की जानी चाहिए, जिसमें विभिन्न मामलों पर कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के आधार पर निर्धारित सीमाओं के भीतर चर्चा-परिचर्चा शामिल होती है। जहां तक क्षेत्रवार और उत्पादवार निष्पादन का संबंध है, कंपनी केवल एक क्षेत्र अर्थात् सीमेंट के विभिन्न ब्रांडों का व्यवसाय करती है। मानव संसाधन, औद्योगिक संबंधों तथा पर्यावरण संरक्षण और रक्षा, प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, विदेशी विनिमय संरक्षण जैसे मुद्दों को निदेशकों की रिपोर्ट में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

### उपसंहार

वैश्विक अर्थव्यवस्था में मांग वृद्धि में गिरावट और अतिरेक क्षमता दोनों ही कंपनी के मुनाफे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। तथापि अल्पकालिक चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्पादों के विपणन हेतु नये क्षेत्रों की तलाश का प्रयास किया जा रहा है। कंपनी कीमतों में कमी के उपायों, उत्पादन में सुधार तथा निगम की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए गैर प्रचालनरत इकाइयों की परिसंपत्तियों के उपयोग पर अपना ध्यान केंद्रित करती रहेगी।

### एहतियाती वक्तव्य

‘प्रबंधन के साथ चर्चा एवं विश्लेषण में दिए गए विवरण कंपनी के उद्देश्यों, योजनाओं एवं अनुमानों को दर्शाने वाले प्रगतिशील तथा सुरक्षा के नियमों एवं प्रावधानों से परिपूर्ण कथन हैं। वित्तीय स्थिति, शासकीय नीतियों एवं अन्य प्रभावित करने वाले कारकों के अनुसार वास्तविक परिणाम व्यक्त अथवा इंगित किये गए परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।



वार्षिक लेखे  
2014–2015

## तुलन पत्र 31 मार्च 2015 को

(₹ लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>1. साम्या और दायित्व</b>			
<b>1) अंशधारियों की निधियाँ</b>			
क) शेयर पूंजी	1	8,11,41	8,11,41
ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	(9,02,74)	(9,37,36)
<b>2 आवंटन लंबित रहने के दौरान शेयर आवेदन धन</b>		0	0
		<b>(91,33)</b>	<b>(1,25,95)</b>
<b>3. गैर-चालू दायित्व</b>			
क) दीर्घ-कालिक उधार	3	1,87,90	1,87,90
ख) अन्य दीर्घ-कालिक दायित्व	4	3,38,03	3,34,23
ग) दीर्घ-कालिक उपबंध	5	85,63	99,06
		<b>6,11,56</b>	<b>6,21,19</b>
<b>4. चालू दायित्व</b>			
क) अल्प-कालिक उधार	6	0	0
ख) व्यापार देय	7	13,64	16,75
ग) अन्य चालू दायित्व	8	52,36	56,68
घ) अल्प-कालिक उपबंध	9	16,08	16,89
		<b>82,08</b>	<b>90,32</b>
<b>योग</b>		<b>6,02,31</b>	<b>5,85,56</b>
<b>II. परिसम्पत्तियाँ</b>			
<b>1) गैर चालू परिसम्पत्तियाँ</b>			
क) स्थायी परिसम्पत्तियाँ			
i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ	10	1,21,69	1,27,41
ii) चालू पूंजी संकर्म	11	57,64	55,10
ii) चालू पूंजी संकर्म	11A	2	2
ख) गैर-चालू निवेश	12	2,28	2,28
ग) दीर्घ-कालिक ऋण और अग्रिम	13	27,24	19,26
घ) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	14	76	75
ड) अपरिशोधित व्यय	15	16,74	16,65
<b>कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ</b>		<b>2,26,37</b>	<b>2,21,47</b>
<b>2) चालू परिसम्पत्तियाँ</b>			
क) चालू निवेश	16	0	0
ख) सूचियाँ	17	1,36,15	1,48,88
ग) व्यापार प्राप्य	18	7,61	10,59
घ) नगद और बैंक शेष	19	1,96,49	1,67,68
ड) अल्प-कालिक ऋण और अग्रिम	20	27,19	28,06
च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	21	8,50	8,88
<b>कुल चालू परिसम्पत्तियाँ</b>		<b>3,75,94</b>	<b>3,64,09</b>
<b>योग</b>		<b>6,02,31</b>	<b>5,85,56</b>

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (नोट सं. 32) और संलग्नित नोट संख्या 1 से 31, जो की वित्तीय विवरणी के भाग हैं।

ह0  
(अजय कुमार शर्मा)  
कंपनी संचिव

ह0  
(ए. बी. देयाशी)  
मुख्य अधिकारी वित्त

ह0  
(ए. एम्. मनीचन)  
निदेशक

ह0  
(मनोज मिश्रा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार  
कृते एस.पी.जी. एसोसिएट  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 011217 एन

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 31.07.2015

ह0  
(एस.पी.गोयल)  
भागीदार  
मेम्बरशिप नं. 083131,



## लाभ हानि विवरण 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का

(₹ लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>आय</b>			
<b>1. प्रचालनों से राजस्व</b>			
क) उत्पादों के विक्रय (₹. 33 लाख की किलंकर बिक्री सहित) घटाएँ : उत्पाद शुल्क		<b>4,49,54</b> <b>46,62</b>	3,63,03 39,14
		<b>4,02,92</b>	3,23,89
ख) अन्य प्रचालन राजस्व शुद्ध प्रचालनों से आय		<b>1,18</b> <b>4,04,10</b>	63 3,24,52
<b>2. अन्य आय</b>	22	<b>35,38</b>	33,69
<b>3. कुल आय</b>		<b>4,39,48</b>	3,58,21
<b>व्यय</b>			
उपभोग की गई सामग्रियों की लागत तैयार माल, व्यापार स्टॉक और चालू सकर्म की सूचियों में परिवर्तन	23	<b>47,89</b>	41,26
कर्मचारी हित व्यय	24	<b>11,51</b>	10,29
अन्य व्यय	25	<b>65,62</b>	60,96
वित्त संबंधी लागत	26	<b>2,87,05</b>	2,60,64
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	27	<b>2,97</b> <b>6,26</b>	2,95 8,96
<b>4. कुल व्यय</b>		<b>4,21,30</b>	3,85,06
<b>5. आपवादिक और असाधारण मर्दों से पूर्व लाभ/(हानि)</b>		<b>18,18</b>	(26,85)
<b>6. आपवादिक मर्दें</b>	28(क)	<b>21,90</b>	43,05
<b>7. असाधारण मर्दों से पूर्व लाभ</b>		<b>40,08</b>	16,20
<b>8. असाधारण मर्दें</b>	28(ग)	<b>0</b>	0
<b>9. कर से पूर्व लाभ</b>		<b>40,08</b>	16,20
<b>10. चालू प्रचालनों से कर संबंधी व्यय</b>		<b>0</b>	0
<b>11. सतत प्रचालनों से वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)</b>		<b>54,17</b>	(12,78)
<b>12. रोक दिए गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)</b>	28(घ)	<b>(14,09)</b>	28,98
<b>13. रोक दिए गए प्रचालनों के कर संबंधी व्यय</b>		<b>0</b>	0
<b>14. कर के पश्चात रोक दिए गए प्रचालनों से लाभ/(हानि)</b>		<b>(14,09)</b>	28,98
<b>15. वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)</b>		<b>40,08</b>	16,20
<b>16. प्रति अर्जित अंश</b>		<b>40</b>	(59)

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (नोट सं. 32) और संलग्न नोट संख्या 1 से 31, जो वित्तीय विवरणी के भाग हैं।

ह0  
(अजय कुमार शर्मा)  
कंपनी संचिव

ह0  
(ए. बी. देयाशी)  
मुख्य अधिकारी वित्त

ह0  
(ए. एम. मनीचन)  
निदेशक

ह0  
(मनोज मिश्रा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार  
कृते एस.पी.जी. एसोसिएट  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 011217 एन

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 31.07.2015

ह0  
(एस.पी.गोयल)  
भागीदार  
मेम्बरशिप नं. 083131

## नोट सं.-1 शेयर पूजी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>प्राधिकृत</b>		
प्रत्येक रु 1000/- के 5,00,00,00 साम्या अंश (गत वर्ष 5,00,00,00)	<b>5,00,00</b>	5,00,00
प्रत्येक रु 1000/- के 4,00,00,00 (गत वर्ष 4,00,00,00) 0.01 % गैर संचयी मोचन हेतु अधिमानी अंश	<b>4,00,00</b>	4,00,00
	<b>9,00,00</b>	9,00,00
<b>निर्गमित, अभिदत्त तथा प्रदत्त</b>		
प्रत्येक रु 1000/- के 4,55,97,49 साम्या अंश पूर्ण प्रदत्त (गत वर्ष 4,55,97,49)	<b>4,55,98</b>	4,55,98
प्रत्येक रु 1000/- के 3,55,43,25 (गत वर्ष 3,55,43,25) 0.01 % गैर संचयी मोचन हेतु अधिमानी अंश	<b>3,55,43</b>	3,55,43
<b>योग</b>	<b>8,11,41</b>	8,11,41
<b>अवधि के प्रारम्भ और अंत पर बकाया साम्या शेयरों की संख्या का समाधान</b>		
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयरों की संख्या	<b>4,55,97,49</b>	4,55,97,49
जमा: वर्ष के दौरान आवंटित शेयरों की संख्या	<b>0</b>	0
वर्ष के अंत पर बकाया शेयरों की संख्या	<b>4,55,97,49</b>	4,55,97,49
<b>अवधि के प्रारम्भ और अंत पर बकाया अधिमानी शेयरों की संख्या का समाधान</b>		
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयरों की संख्या	<b>3,55,43,25</b>	3,55,43,25
जमा: वर्ष के दौरान आवंटित शेयरों की संख्या	<b>0</b>	0
वर्ष के अंत पर बकाया शेयरों की संख्या	<b>3,55,43,25</b>	3,55,43,25
<b>निगम में 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयर धारक की विवरणी</b>		
<b>शेयर धारक का नाम एवं शेयर की विवरणी—भारत सरकार</b>		
साम्या अंश	<b>100%</b>	100%
अधिमानी अंश	<b>100%</b>	100%



### नोट संख्या-2 आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए
<b>लाभ/हानि विवरण में अधिशेष/(कमी)</b>		
तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान लाभ	(9,37,36)	(9,53,56)
स्थायी सम्पत्ति के सर्दमित मूल्यहास	40,08	16,20
अंतिम शेष	(5,46)	0
	<b>(9,02,74)</b>	<b>(9,37,36)</b>

### नोट संख्या-3 दीर्घ-कालिक उधार (ऋण)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>अप्रतिभूत ऋण</b>		
भारत सरकार से ऋण	1,50,90	1,50,90
अन्तर निगमित उधार योग	37,00	37,00
	<b>1,87,90</b>	<b>1,87,90</b>

ऋण एवं अन्तर निगमित उधार का ब्यौरा :

(₹ लाखों में)

क्रम सं.	विवरण	ऋण राशि	कब से चूक	2014-15		2013-14	
				मूल	ब्याज	मूल	ब्याज
1.	मै. गोवा शिपयार्ड लि.	3000	1995	3000	1369	3000	1369
2.	मै. ओ. एन. जी. सी. लि.	700	1991	700	4794	700	4794
3.	भारत सरकार	15090	1975 से	15090	0	15090	0
4.	भारत सरकार	0	2011 से	0	12385	0	12385
	<b>योग</b>	<b>18790</b>		<b>18790</b>	<b>18548</b>	<b>18790</b>	<b>6163</b>

मंजूरशुदा योजना के अनुसार, उपरोक्त योजनागत ऋण एवं निगमित उधार का भुगतान, गैर प्रचलन ईकाइयों की बिक्री से किया जाएगा

### नोट संख्या-4 अन्य दीर्घ-कालिक दायित्व

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>व्यापार देय</b>		
एम.एस.ई.	81	81
अन्य प्रतिभूति एवं पेशगी से प्राप्त राशी	27,84	29,89
ग्राहकों से अग्रिम	19,78	19,09
बिक्री कर देय	12,45	8,55
विद्युत	11,48	11,71
रायल्टी देय	24,50	24,28
भारत सरकार से ऋण पर प्रोदभूत एवं देय ब्याज	5,07	5,07
अन्य ऋण पर प्रोदभूत एवं ब्याज देय	1,23,85	1,23,85
अन्य देय	61,63	61,63
	50,62	49,35
<b>योग</b>	<b>3,38,03</b>	<b>3,34,23</b>

## नोट संख्या-5 दीर्घ-कालिक उपबंध

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
उपदान (ग्रेच्युटी)	34,67	34,95
निर्माणधीन पूजागत कार्य	24	47
अर्जित अवकाश दायित्व	16,84	15,44
अन्य	33,88	48,20
<b>योग</b>	<b>85,63</b>	<b>99,06</b>

## नोट संख्या-6 अल्प-कालिक उधार

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
बैंकों से	0	0
अन्य	0	0
<b>योग</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## नोट संख्या-7 व्यापार देय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>व्यापार देय</b>		
एम.एस.एम.ई.	33	52
अन्य	13,31	16,23
<b>योग</b>	<b>13,64</b>	<b>16,75</b>

## नोट संख्या-8 अन्य चालू दायित्व

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
ग्राहकों से अग्रिम	8,73	9,25
प्रतिभूति एवं पेशगी से प्राप्त राशि	9,50	7,79
बिक्री कर देय	6,27	7,82
उत्पाद शुल्क देय	0	1,11
विद्युत बकाया	8,30	7,82
कर्मचारियों को देय	5,85	6,45
रायल्टी देय	6	93
अन्य देय	13,65	15,51
<b>योग</b>	<b>52,36</b>	<b>56,68</b>

## नोट संख्या-9 अल्प-कालिक उपबंध

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
उपदान (ग्रेचुटी)	7,62	6,13
अर्जित अवकाश दायित्व	2,95	2,31
अन्य उपबंध	5,51	8,45
<b>योग</b>	<b>16,08</b>	<b>16,89</b>

## नोट संख्या - 10 : स्थायी परिसम्पत्तियां

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यहास				शुद्ध ब्लाक		
	1 अप्रैल, 2014 को	परिक्वर्न/समायोजन	कटौतियां बिक्री	कटौतियां अन्तरण	31 मार्च 2015 को	01 अप्रैल 2014 को	वर्ष के लिए समायोजन /निपटान	समायोजन /वृद्धि	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को	
<b>वर्क्स</b>												
फ्री होल्ड भूमि	1054	0	0	0	1054	146	0	0	0	146	908	908
पट्टे की भूमि	481	0	0	0	481	158	0	0	0	158	323	323
सड़कें एवं पुलिया	654	0	0	0	654	344	0	0	277	621	33	310
संयंत्र भवन	8884	0	0	0	8884	7743	133	0	0	7876	1008	1141
गैर संयंत्र भवन	1054	0	0	0	1054	545	31	0	54	630	424	509
जल प्रदाय, मल निकास व व्ययन	1015	94	0	0	1109	962	2	0	2	966	143	53
रेलवे साइडिंग	1823	272	0	0	2095	1544	14	0	0	1558	537	279
विद्युत संस्थापन	1970	0	0	0	1970	1823	0	0	66	1889	81	147
संयंत्र एवं मशीनरी	46328	148	0	0	46476	38618	338	0	0	38956	7520	7710
हवाई रज्जु मार्ग (रोपवे)	706	0	0	0	706	672	0	0	0	672	34	34
रेलवे रोलिंग स्टॉक	423	0	0	0	423	406	0	0	0	406	17	17
खदान उपकरण	2606	0	(87)	0	2519	2456	7	(82)	0	2381	138	150
वाहन	440	3	(2)	0	441	365	18	(1)	1	383	58	75
फर्नीचर, जुड़नार	266	0	0	0	266	249	4	0	2	255	11	17
कार्यालय उपकरण	445	17	0	0	462	384	18	0	13	415	47	61
विविध उपकरण	823	81	0	0	904	700	33	0	8	741	163	123
₹ 5,000/- लागत तक प्रभारित परिसम्पत्तियां	50	1	0	0	51	50	1	0	0	51	0	0
<b>वर्क्स योग</b>	<b>69022</b>	<b>616</b>	<b>(89)</b>	<b>0</b>	<b>69549</b>	<b>57165</b>	<b>599</b>	<b>(83)</b>	<b>423</b>	<b>58104</b>	<b>11445</b>	<b>11857</b>

51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

नोट संख्या – 10 : स्थायी परिसम्पत्तियां

(₹ लाखों में)

विवरण	सकल ब्लाक					मूल्यहास				शुद्ध ब्लाक		
	1 अप्रैल, 2014 को	परिक्लृप्त/समायोजन	कटौतियां बिक्री	कटौतियां अन्तरण	31 मार्च 2015 को	01 अप्रैल 2014 को	वर्ष के लिए	समायोजन /निपटान	समायोजन /वृद्धि	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>टाउनशिप</b>												
फ्री होल्ड भूमि	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	19	19
पट्टे की भूमि	29	0	0	0	29	0	0	0	0	0	29	29
सड़कें एवं पुलिया	39	0	0	0	39	20	0	0	16	36	3	19
आवासीय एव कल्याण भवन	1754	0	0	0	1754	962	32	0	107	1101	653	792
जल प्रदाय, मल निकास तथा व्ययन	158	0	0	0	158	152	0	0	0	152	6	6
विद्युत संस्थापन	41	0	0	0	41	40	0	0	0	40	1	1
वाहन	122	0	0	0	122	108	5	0	0	113	9	14
फर्नीचर, जुडनार	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
कार्यालय उपकरण	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	0	0
विविध उपकरण	20	0	0	0	20	18	0	0	0	18	2	2
<b>टाउनशिप योग</b>	2205	0	0	0	2205	1321	37	0	123	1481	724	884
<b>वर्क्स एवं टाउनशिप का योग</b>	71227	616	(89)	0	71754	58486	636	(83)	546	59585	12169	12741
गत वर्ष	70634	752	(159)	0	71227	57723	906	0	(143)	58486	12741	12911

प्रभारित मूल्यहास :

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
लाभ हानि खाता	6,26	8,96
खदान (नोट सं. 23)	10	10
	<b>6,36</b>	<b>9,06</b>

## नोट संख्या-11 निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य

(₹ लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2014 का शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पूँजीगत	31 मार्च 2015 को शेष
यांत्रिक परामर्श	1,20	1	0	0	1,21
सिविल इंजीनियरिंग कार्य	21,12	38	3	72	20,75
संयंत्र एवं मशीनरी प्रतिस्थापन के अधीन सहित	29,75	4,27	10	1,34	32,58
संयंत्र एवं मशीनरी प्रतिस्थापन व्यय	1	0	0	0	1
प्रासंगिक व्यय जिनका आवंटन करना है। (संलग्न संदर्भित)	1,36	0	0	0	1,36
पूँजीगत भंडार	12	0	0	0	12
अन्य	1,57	7	0	0	1,64
<b>योग</b>	<b>55,13</b>	<b>4,73</b>	<b>13</b>	<b>2,06</b>	<b>57,67</b>
प्रावधान डब्ल्यू आई पी सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स	3	0	0	0	3
<b>योग</b>	<b>55,10</b>	<b>4,73</b>	<b>13</b>	<b>2,06</b>	<b>57,64</b>

## नोट संख्या-11 (क) निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य (अमूर्त सम्पत्ति)

(₹ लाखों में)

विवरण	1 अप्रैल 2014 का शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	समायोजन	वर्ष के दौरान पूँजीगत	31 मार्च 2015 को शेष
सॉफ्टवेयर विकसित करना	2	0	0	0	2
<b>योग</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>



51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

नोट संख्या – 11 का संलग्नक : निर्माण काल के दौरान प्रासंगिक व्यय लेखा

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित सुविधाएं</b>		
वेतन मजदूरी एवं भत्ते	0	0
कुल पारिश्रमिक	0	0
विविध व्यय	1	2
विधिक व्यय	2	12
सुरक्षा व्यय	10	9
<b>शुद्ध व्यय</b>	<b>13</b>	<b>23</b>
नयागाँव विस्तार में अंतरित शेष	13	22
वर्ष के दौरान वृद्धि	0	1
<b>आई. ई. डी. सी. के खाते का सारांश</b>		
निर्माण काल के दौरान प्रासंगिक व्यय का आरम्भिक शेष	1,36	1,35
वर्ष के दौरान वृद्धि	0	1
<b>घटाएँ:</b>		
वर्ष के दौरान पूजीगत किया गया	0	0
वर्ष के दौरान समायोजन किया गया	0	0
निर्माण काल के दौरान प्रासंगिक व्यय का अन्तिम शेष	<b>1,36</b>	<b>1,36</b>



## नोट संख्या- 12 : गैर चालू निवेश

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2015 को बाजार मूल्य	31 मार्च, 2015 को खाता मूल्य	31 मार्च, 2014 को बाजार मूल्य	31 मार्च, 2014 को खाता मूल्य
<b>लंबी अवधि के निवेश</b>				
<b>लागत पर उद्धरित शेयर (पूर्ण प्रदत्त)</b>				
(i) आन्ध्र सीमेंट कंपनी लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 31 इक्विटी शेयर @ ₹ 8.85 (गत वर्ष ₹ 5.64)	@	@	@	@
(ii) ए.सी.सी.लि. के ₹ 10 के प्रत्येक मूल्य के 280 इक्विटी शेयर (जिसमें 180 बोनस शेयर सम्मिलित हैं) जोकि ₹ 100 मूल्य के 28 शेयरों से बदले गये हैं जिनका बाजार मूल्य बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से ₹ 1562.75 प्रति शेयर है। (गत वर्ष ₹ 1362.00)	4	@	3	@
<b>लागत पर अनुद्धरित शेयर (पूर्ण प्रदत्त)</b>				
(i) असम बंगाल सीमेंट कंपनी लि. का 10 रुपए का 1 इक्विटी शेयर *	-	@	-	@
(ii) जयपुर उद्योग लि. के ₹ 10 प्रत्येक के 79 इक्विटी शेयर	-	@	-	@
(iii) सोन वैली सीमेंट कंपनी लि. के ₹ 5 प्रत्येक के 40 इक्विटी शेयर	-	@	-	@
(iv) आन्ध्र प्रदेश गैस पावर कारपोरेशन के ₹ 10 मूल्य के 55,31,520 इक्विटी शेयर (23,15,520 बोनस शेयर सहित) 16,10,680 शेयर बेच दिए गए, जिसमें 1,34,000 बोनस शेयर सम्मिलित है। ₹ 10 मूल्य के 39,20,840 शेयर शेष बचे है (21,81,520 बोनस शेयर सहित)	3,22 94 <u>          </u>	- - 2,28	3,22 94 <u>          </u>	- - 2,28
<b>निवेश का योग</b>		<b>2,28</b>		<b>2,28</b>
<b>उद्धरित निवेशों का योगफल</b>				
लागत	-	@	-	@
बाजार मूल्य	4	-	3	-
<b>अनुद्धरित निवेशों का योगफल</b>				
लागत	-	<b>2,28</b>		<b>2,28</b>
<b>निवेश का योग</b>		<b>2,28</b>		<b>2,28</b>

@ ₹ 1,00,000/- से कम राशि

\* निगम के नाम हस्तांतरण होना बाकी है।



51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

## नोट संख्या-13 दीर्घ-कालिक ऋण और अग्रिम

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>पूँजीगत अग्रिम</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	61	61
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,91	1,91
संदिग्ध	13	13
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	13	13
<b>उपयोग</b>	<b>2,52</b>	<b>2,52</b>
<b>जमा केन्द्रीय उत्पादक शुल्क</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	1,43	1,48
संदिग्ध	28	28
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	28	28
<b>उपयोग</b>	<b>1,43</b>	<b>1,48</b>
<b>अन्य जमा</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	10,85	10,52
संदिग्ध	25	25
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	25	25
<b>उपयोग</b>	<b>10,85</b>	<b>10,52</b>
<b>ठेकेदार एवम् पूर्तिकर्ता</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	38	43
संदिग्ध	2,53	2,62
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	2,53	2,62
<b>उपयोग</b>	<b>38</b>	<b>43</b>
<b>सरकारी विभाग के साथ शेष</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	2,19	1,29
संदिग्ध	52	52
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	52	52
<b>उपयोग</b>	<b>2,19</b>	<b>1,29</b>
<b>बीमा व अन्य दावे</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	41	49
संदिग्ध	2,04	1,96
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	2,04	1,96
<b>उपयोग</b>	<b>41</b>	<b>49</b>

नोट संख्या-13 दीर्घ-कालिक ऋण और अग्रिम (जारी.....)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>कर्मचारियों को अग्रिम व ऋण</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	2	1
असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
संदिग्ध	0	0
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
<b>उपयोग</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
<b>वसूली योग्य दावे-रेलवे</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	7	7
संदिग्ध	3,88	3,88
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	3,88	3,88
<b>उपयोग</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>वसूली योग्य उत्पादक शुल्क राहत</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	4,49	29
संदिग्ध	93	93
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	93	93
<b>उपयोग</b>	<b>4,49</b>	<b>29</b>
<b>कर्मचारियों से वसूली योग्य</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	11	1
संदिग्ध	8	8
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	8	8
<b>उपयोग</b>	<b>11</b>	<b>1</b>
<b>बाह्य पार्टियों से वसूली योग्य</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	4,77	2,15
संदिग्ध	8,53	8,55
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	8,53	8,55
<b>उपयोग</b>	<b>4,77</b>	<b>2,15</b>
<b>जाँच होने तक कमियाँ-हानियाँ</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
संदिग्ध	5,90	5,90
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	5,90	5,90
<b>उपयोग</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>कुल योग</b>	<b>27,24</b>	<b>19,26</b>



51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

### नोट संख्या-14 : अन्य गैर चालू सम्पत्तियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
क) दीर्घ-कालिक व्यापार प्राप्त		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
घटाए: बटटे खाते और संदिग्ध मदों के लिए	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
ख) ऋणों एवं अग्रिमों पर देय व प्रोदभूत ब्याज (असुरक्षित, उत्तम माने गए)	76	75
योग	<u>76</u>	<u>75</u>

### नोट संख्या-15 व्यय- अपरिशोधित व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
खनन विकास व्यय		
आरम्भिक शेष	16,65	15,93
वर्ष के दौरान वृद्धि	1,79	2,46
	<u>18,44</u>	<u>18,39</u>
घटाए: समायोजित/पूंजीगत	1,70	1,74
योग	<u>16,74</u>	<u>16,65</u>

### नोट संख्या-16 चालू निवेश

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
चालू निवेश		
गैर व्यापार निवेश	0	0
1. कोट किए गए निवेशों से	0	0
2. कोट नहीं किए गए निवेशों से	0	0
योग	<u>0</u>	<u>0</u>

नोट संख्या-17 वस्तु सूचियाँ  
(प्रबंधक द्वारा बनाई गई, मूल्यांकित एवं प्रमाणित)

(₹ लाखों में)



विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
क) भंडार व अतिरिक्त पुर्जे		
–स्टाक में	66,45	66,52
–मार्गस्थ में	24	12
उपयोग	66,69	66,64
ख) कार्य प्रगति में		
–स्टाक में	30,62	39,94
–मार्गस्थ में	0	0
उपयोग	30,62	39,94
ग) तैयार माल		
–स्टाक में	14,40	16,07
–मार्गस्थ में	2,22	2,87
उपयोग	16,62	18,94
घ) कच्ची सामग्रियाँ		
–स्टाक में	9,78	9,87
–मार्गस्थ में	3	3
उपयोग	9,81	9,90
ङ) खुले औजार एवं उपकरण		
–स्टाक में	1	1
–मार्गस्थ में	0	0
उपयोग	1	1
च) पैकिंग सामग्री		
–स्टाक में	1,02	92
–मार्गस्थ में	16	0
उपयोग	1,18	92
छ) कोयला		
–स्टाक में	7,76	9,20
–मार्गस्थ में	0	0
उपयोग	7,76	9,20
ज) स्क्रेप		
–स्टाक में	3,57	3,44
–मार्गस्थ में	0	0
उपयोग	3,57	3,44
योग	1,36,26	1,48,99
घटाएँ: अप्राप्य वस्तु सूची का प्रावधान	11	11
कुल	1,36,15	1,48,88

51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

नोट संख्या-18 व्यापार प्राप्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
क) व्यापार प्राप्य जो छह माह से अधिक की अवधि से बकाया है		
—सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	48
—असुरक्षित, उत्तम माने गए	76	34
—संदिग्ध	0	0
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
<b>योग (क)</b>	<b>76</b>	<b>82</b>
ख) अन्य व्यापार प्राप्य:		
—सुरक्षित, उत्तम माने गए	2,47	72
—असुरक्षित उत्तम माने गए	4,38	9,05
—संदिग्ध	0	0
घटाए: बट्टे खाते और संदिग्ध मदों के लिए प्रावधान	0	0
<b>योग (ख)</b>	<b>6,85</b>	<b>9,77</b>
<b>कुल योग (क+ख)</b>	<b>7,61</b>	<b>10,59</b>

नोट संख्या-19 नगद और बैंक शेष

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>नगद और नगद समतुल्य</b>		
हाथ में नगदी	2	2
चेक / डी.डी. हाथ में	1,55	1,33
बैंक में जमा*	1,77,48	1,50,54
बैंक शेष चालू खाता	8,47	7,71
<b>योग</b>	<b>1,87,52</b>	<b>1,59,60</b>
<b>अन्य बैंक शेष</b>		
बैंक में शेषों को, जो कि मार्जिन मनी अथवा प्रतिभूतियों के रूप में धारित किया है		
—प्रतिभूति	8,93	8,08
—साख पत्र	4	0
<b>कुल योग</b>	<b>1,96,49</b>	<b>1,67,68</b>

\* बैंकों में जमा राशि में, ₹ 15223.90 लाख (गत वर्ष रु. 80.00 लाख) की जमा जिसकी मैच्युरटी तारीख 12 महीनों से ज्यादा है, भी सम्मिलित है।

नोट संख्या-20 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>सरकारी विभागों के साथ शेष</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	3,31	3,28
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	0	0
<b>उपयोग</b>	<b>3,31</b>	<b>3,28</b>
<b>ठेकेदार एवं पूर्तिकर्ता</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	8,87	8,32
संदिग्ध	3	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	3	0
<b>उपयोग</b>	<b>8,87</b>	<b>8,32</b>
<b>रेल वसूली दावे</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	7	0
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	0	0
<b>उपयोग</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>अन्य जमा</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	3,47	2,88
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	0	0
<b>उपयोग</b>	<b>3,47</b>	<b>2,88</b>
<b>बीमा व अन्य दावे</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	12	15
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	0	0
<b>उपयोग</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
<b>कर्मचारियों के ऋण व अग्रिम</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	2
असुरक्षित, उत्तम माने गए	5	9
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	0	0
<b>उपयोग</b>	<b>5</b>	<b>11</b>
<b>उत्पाद शुल्क/वैट वसूली योग्य राहत</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	2,40	6,70
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	0	0
<b>उपयोग</b>	<b>2,40</b>	<b>6,70</b>



51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

### नोट संख्या-20 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम (जारी)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>कर्मचारियों से वसूली योग्य</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	20	33
असुरक्षित, उत्तम माने गए	5	29
संदिग्ध	0	0
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	0	0
<b>उपयोग</b>	<b>25</b>	<b>62</b>
<b>बाहरी पूर्तिकर्ता</b>		
सुरक्षित, उत्तम माने गए	0	0
असुरक्षित, उत्तम माने गए	8,65	6,00
संदिग्ध	48	65
घटाएं: बट्टे खाते और संदिग्ध	48	65
<b>उपयोग</b>	<b>8,65</b>	<b>6,00</b>
<b>कुल योग</b>	<b>27,19</b>	<b>28,06</b>

### नोट संख्या-21 अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
मियादी जमा पर प्रोदभूत ब्याज	8,50	8,88
<b>योग</b>	<b>8,50</b>	<b>8,88</b>

### नोट संख्या-22 अन्य आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>आय</b>		
सम्पत्ति से किराया	11,82	10,47
कर्मचारियों के ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	8	7
टाउनशिप से प्राप्तियाँ	44	47
विगत वर्षों से आय (शुद्ध) (नोट सं. 28 ख)	1	0
अधिक प्रावधान वापसी	1,67	31
बैंक ब्याज	17,52	17,25
विविध आय	3,75	4,82
पृथक की गई सम्पत्तियों की बिक्री से आय	9	30
<b>योग</b>	<b>35,38</b>	<b>33,69</b>



## नोट संख्या-23 : उपभुक्त कच्चे माल की लागत

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>प्रारम्भिक शेष</b>	<b>9,87</b>	10,00
<b>वर्ष के दौरान अर्जन</b>		
चूना पत्थर की खनन एवं परिवहन ( *नीचे दी गई टिप्पणी को संदर्भित करें )	29,19	24,85
अन्य कच्चे माल की खरीद	18,61	16,28
<b>उप-योग</b>	<b>57,67</b>	51,13
घटाएं : अंतिम रहतिया	9,78	9,87
<b>कुल उपभुक्त कच्चा माल</b>	<b>47,89</b>	41,26
<b>*टिप्पणी—चूना पत्थर की खनन तथा परिवहन</b>		
चूना पत्थर की खनन तथा ठेकेदारों को किया गया भुगतान	6,28	5,63
<b>कर्मचारियों को पारिश्रमिक तथा सुविधाएं</b>		
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	5,07	4,91
उपदान भुगतान	75	9
कर्मचारियों को सुविधाएं	0	0
भविष्य निधि में अंशदान	26	28
पेंशन निधि में अंशदान	7	5
छुट्टियों का नकदीकरण	26	9
चिकित्सा खर्च	17	23
उपदान के लिए प्रावधान	16	61
अर्जित अवकाश दायित्व	18	30
	<b>6,92</b>	6,56
<b>उपभुक्त भण्डार</b>		
सकल राशि	2,85	2,84
घटाएं : मरम्मत में सम्मिलित	1,89	1,87
	<b>96</b>	97
विद्युत	72	63
ईंधन	43	60
दर एवं कर	14	15
बीमा	1	0
रॉयल्टी एवं उपकर	9,89	7,18
बट्टे खाते में डाला गया खदान विकास व्यय	1,70	1,74
यात्रा व्यय	2	1
अन्य व्यय	1,92	1,87
मूल्यहास	10	10
	<b>14,93</b>	12,28
मरम्मत मशीनरी	82	99
भवन	0	6
अन्य	1,07	82
	<b>1,89</b>	1,87
<b>उपयोग</b>	<b>30,98</b>	27,31
घटाएं : खदान विकास व्यय	1,79	2,46
<b>योग</b>	<b>29,19</b>	24,85



51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

## नोट संख्या-24 : तैयार माल, व्यापार स्टॉक और चालू सकर्म की सूचियों में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>अर्द्ध तैयार माल</b>		
अंतिम रहतिया	30,62	39,94
प्रारम्भिक रहतिया	39,94	51,91
	(9,32)	(11,97)
<b>तैयार माल</b>		
अंतिम रहतिया	14,40	16,07
प्रारम्भिक रहतिया	16,07	9,87
	(1,67)	6,20
<b>तैयार माल मार्गस्थ</b>		
अंतिम रहतिया	2,22	2,87
प्रारम्भिक रहतिया	2,87	7,50
	(65)	(4,63)
<b>स्क्रेप रहतिया</b>		
अंतिम रहतिया	3,57	3,44
प्रारम्भिक रहतिया	3,44	3,33
	13	11
<b>योग-उपचय / (अनुपचय)</b>	<b>(11,51)</b>	<b>(10,29)</b>

## नोट संख्या 25 : कर्मचारियों का पारिश्रमिक एवं हित लाभ \*

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
वेतन मजदूरी एवं बोनस	45,28	44,02
उपदान भुगतान	5,51	55
कर्मचारियों को हितलाभ	9	8
अर्जित अवकाश	1,98	2,57
भविष्य निधि में अंशदान	2,71	2,91
पेंशन निधि में अंशदान	65	44
चिकित्सा खर्च	2,87	2,60
छुट्टियों का नकदीकरण	2,63	1,25
उपदान के लिए प्रावधान	1,63	4,52
कर्मचारी कल्याण व्यय	2,27	2,02
<b>योग</b>	<b>65,62</b>	<b>60,96</b>

\*अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशकों सहित पारिश्रमिक इस प्रकार है:-

वेतन एवं भत्ते	65	74
भविष्य निधि में अंशदान	4	5
कर्मचारी पेंशन निधि में अंशदान	0	0
उपदान का प्रावधान	8	5
अन्य हित लाभ	1	2
अर्जित अवकाश	17	4

\*इनके अतिरिक्त अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक तथा पूर्णकालिक निदेशकों को गैर-कार्यालयीन कार्यों के लिए रु. 2000/- प्रतिमाह की दर से भुगतान करने पर 1000 कि.मी. प्रतिमाह तक कम्पनी का वाहन उपयोग करने की अनुमति है।

नोट संख्या 26: अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
विद्युत	74,26	63,58
कोयला	1,04,15	86,01
ईंधन तथा तेल	21	17
किराया	33	22
उत्पाद शुल्क	2,19	2,47
दर एवं कर	3,78	3,10
बीमा	22	19
	<b>1,85,14</b>	<b>1,55,74</b>
<b>मरम्मत एवं रख रखाव</b>		
संयंत्र एवं मशीनरी	13,50	13,17
भवन	1,58	1,91
अन्य	3,15	3,52
कुल मरम्मत एवं रख-रखाव	<b>18,23</b>	<b>18,60</b>
अन्य उत्पादन व्यय	8,03	8,64
बटटे खाते में डाले गये औजार एवं उपकरण	1	2
यात्रा व्यय	85	1,03
<b>बिक्री व्यय</b>		
सीमेंट का भाड़ा	34,93	31,06
चढाई-उतराई खर्चे	5,88	7,50
द्वितीयक परिवहन	5	10
चुंगी भुगतान	0	5
बिक्री संवर्धन एवं प्रचार	36	18
अन्य बिक्री व्यय	6	20
कुल बिक्री व्यय	<b>41,28</b>	<b>39,09</b>
वाहनों का परिचालन व्यय	49	44
<b>लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक</b>		
लेखा परीक्षा शुल्क	4	4
खर्चों की प्रतिपूर्ति	0	1
अन्य क्षमता में	1	1
कुल लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	<b>5</b>	<b>6</b>
लागत लेखा परीक्षा फीस	1	1
लागत लेखा परीक्षा व्यय	0	0
कुल लागत लेखा परीक्षा व्यय	<b>1</b>	<b>1</b>
सी. आर. आई तथा अन्यो को अंशदान	9	8
स्थायी सम्पत्ति के निपटान से हानि	0	0
संचार व्यय	33	33
मुद्रण तथा लेखन सामग्री व्यय	30	26
डाटा प्रोसेसिंग पर भाड़ा प्रभार	2	2
कर्मचारियों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण व्यय	67	99
विधिक एवं व्यावसायिक व्यय	4,29	3,83
सुरक्षा व्यय	8	4
विविध व्यय*	3,45	3,34
संविदा श्रमिकों को भुगतान	3,07	2,99
बन्द योजना पर व्यय	13	22
बटटे खाते का प्रावधान	13	5,84
विगत वर्षों का व्यय (शुद्ध) (नोट सं. 28 ख के संदर्भित)	0	27
निगमित समाजिक दायित्व	3	0
<b>उप योग</b>	<b>2,66,68</b>	<b>2,41,84</b>



51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

### नोट संख्या 26: अन्य व्यय (जारी...)

विवरण	₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>भंडार एवं अतिरिक्त पुर्जे</b>		
सकल राशि	13,54	15,54
घटाएं : मरम्मत तथा रख रखाव के अधीन सम्मिलित	8,93	10,99
	<u>4,61</u>	<u>4,55</u>
पैकिंग सामग्री	15,76	14,25
<b>योग</b>	<u>2,87,05</u>	<u>2,60,64</u>
*सम्मिलित :		
—मनोरंजन व्यय	1	0
—निदेशक उपस्थिति फीस	1	2

### नोट संख्या—27 वित्त संबंधी लागतें

विवरण	₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>ब्याज</b>		
—स्टाकिस्टों से जमा पर	13	13
—अन्य	2,84	2,82
<b>योग</b>	<u>2,97</u>	<u>2,95</u>

### नोट संख्या—28 आपवादिक, असाधारण एवं विगत वर्षों से सम्बन्धित समायोजन

#### नोट संख्या—28 (क) आपवादिक मर्दे

विवरण	₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>आपवादिक मर्दे</b>		
<b>आय</b>		
स्वीकृत योजना के तहत ब्याज की वापसी	21,90	43,05
योग : आपवादिक आय (i)	<u>21,90</u>	<u>43,05</u>
<b>व्यय</b>		
ब्याज	0	0
योग : आपवादिक व्यय (ii)	<u>0</u>	<u>0</u>
शुद्ध आपवादिक मर्दे आय / (व्यय) (i-ii)	<u>21,90</u>	<u>43,05</u>

नोट संख्या-28 (ख) विगत वर्षों के मद

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>आय</b>		
कच्चा माल	0	1
कर्मचारियों की पारिश्रमिक एवं हितलाभ	3	2
बिक्री	0	1
मरम्मत एवं रखरखाव	0	12
दर एवं कर	2	4
ब्याज	22	11
ईंधन एवं विद्युत	0	0
<b>पूर्वावधि आय का योग (i)</b>	<b>27</b>	<b>31</b>
<b>व्यय</b>		
मरम्मत एवं रखरखाव	8	18
भंडार एवं पैकिंग सामग्री	0	8
ब्याज	10	5
बिजली एवं ईंधन	1	0
दर व कर	0	12
अन्य	7	15
<b>पूर्वावधि व्यय का योग (ii)</b>	<b>26</b>	<b>58</b>
<b>शुद्ध पूर्वावधि आय / व्यय (i-ii)</b>	<b>1</b>	<b>(27)</b>

नोट संख्या-28 (ग) असाधारण मदें

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>आय</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
योग असाधारण मदें आय (i)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>व्यय</b>		
योग असाधारण मदें व्यय (ii)	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>शुद्ध असाधारण आय / (व्यय) (i-ii)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

नोट संख्या – 28 (घ)

31.3.2015 को समाप्त वर्ष का प्रचालन एवं गैर-प्रचालन के आय और व्यय का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	प्रचालित		गैर-प्रचालित		योग	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
<b>क) आय:-</b>						
बिक्री (शुद्ध)	4,02,92	3,23,89	0	0	4,02,92	3,23,89
अन्य प्रचालित आय	1,18	63	0	0	1,18	63
अर्द्ध तैयार तथा तैयारमाल की उपचय (अनुपचय)	(11,51)	(10,29)	0	0	(11,51)	(10,29)
<b>कुल आय</b>	<b>3,92,59</b>	<b>3,14,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,92,59</b>	<b>3,14,23</b>
<b>ख) व्यय:-</b>						
प्रचालित व्यय	3,91,63	3,56,62	15,19	15,20	4,06,82	3,71,82
खराब हानि	0	0	0	0	0	0
<b>कुल व्यय</b>	<b>3,91,63</b>	<b>3,56,62</b>	<b>15,19</b>	<b>15,20</b>	<b>4,06,82</b>	<b>3,71,82</b>
<b>ग) प्रचालन गतिविधियों से एवम् ब्याज व कर पूर्व लाभ</b>	<b>96</b>	<b>(42,39)</b>	<b>(15,19)</b>	<b>(15,20)</b>	<b>(14,23)</b>	<b>(57,59)</b>
ब्याज खर्च	1,86	1,83	1,11	1,12	2,97	2,95
<b>घ) कर पूर्व लाभ / (हानि)</b>	<b>(90)</b>	<b>(44,22)</b>	<b>(16,30)</b>	<b>(16,32)</b>	<b>(17,20)</b>	<b>(60,54)</b>
<b>ड) आय कर</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>च) कर पश्चात्, प्रचालन गतिविधियों से लाभ / (हानि)</b>	<b>(90)</b>	<b>(44,22)</b>	<b>(16,30)</b>	<b>(16,32)</b>	<b>(17,20)</b>	<b>(60,54)</b>
<b>छ) अन्य आय</b>	<b>33,17</b>	<b>31,44</b>	<b>2,21</b>	<b>2,25</b>	<b>35,38</b>	<b>33,69</b>
ज) आपवादिक मद्दे-आय / (व्यय)	21,90	0	0	43,05	21,90	43,05
झ) आसाधरण मद्दे-आय / (व्यय)	0	0	0	0	0	0
<b>ज) परिचालन गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि)</b>	<b>54,17</b>	<b>(12,78)</b>	<b>(14,09)</b>	<b>28,98</b>	<b>40,08</b>	<b>16,20</b>

नोट संख्या-29 आकस्मिक दायित्वों और प्रतिबद्धताएँ (उस सीमा तक जिस तक उपबंध नहीं किया है।)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2015 को	31 मार्च 2014 को
<b>अ) आकस्मिक दायित्वः</b>		
क) कंपनी के विरुद्ध ऐसे दावे, जिन्हें उधार के रूप में अभी स्वीकार नहीं किया गया है		
1 कर निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए अधिनियम 271 (1)(C) के अन्तर्गत आयकर की मांग	29,61	29,61
2 तादूर व बोकाजन ईकाई हेतु बिक्रीकर मांग	18,56	19,00
3 किलंकर पर उत्पाद शुल्क- सितम्बर 2012 से फरवरी 2013 राजबन	13,77	13,75
4 राजबन सर्दभित, रेलवे जमीन लाइसेंस शुल्क (अप्रैल 10 से मार्च 15)	13,09	13,09
5 मध्यस्था मामला-नोरटन पोलीमर लि.	5,87	5,36
6 मण्डार एवं अकलतरा हेतु टी.एम.सी.	3,64,49	3,64,49
7 तादूर हेतु विद्युत व्हीलिंग प्रभार	35,26	21,94
8 अन्य, विविध मामले	76,82	60,60
ख) ऐसे अन्य धन, जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है।	0	0
<b>योग (अ)</b>	<b>5,57,47</b>	<b>5,27,84</b>
<b>ब) प्रतिबद्धताएँ:-</b>		
क) पूँजीगत लेखा निष्पादित किए जाने के लिए शेष सभी सविदाओं की अनुमानित रकम जिनके लिए उपबंध नहीं किया गया है।	1,62,05	1,66,09
ख) अन्य प्रतिबद्धताएं (विनिर्दिष्ट प्रकृति)	0	0
<b>योग (ब)</b>	<b>1,62,05</b>	<b>1,66,09</b>
<b>योग (अ+ब)</b>	<b>7,19,52</b>	<b>6,93,93</b>

कर्मचारियों के सेवा मामले आदि के लिए क्षतिपूर्ति/पदोन्नति/दावों के लिए विभिन्न अदालतों में लंबित(अनिर्णीत) मामलों के प्रभाव को खातों में नहीं दिया गया है क्योंकि राशि अभी निश्चित नहीं है।



51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

1. कार्पोरेशन द्वारा किए गए ₹ 9343.62 लाख (गत वर्ष ₹ 8452.41 लाख) के दावे/प्रतिदावे, जो कि आर्बीट्रेशन/कोर्ट इत्यादि के अधीन अनिर्णीत हैं तथा जिनके निर्णय/अवार्ड/डिक्री इत्यादि दिए/किए जाने के बाद ही पता चलेगा, के लिए लेखों में कोई प्रभाव नहीं दिया गया है।
2. (i) फार्म "सी"/"डी" और "एफ"/"बी-II" इत्यादि प्राप्त न होने के कारण बिक्री कर की देयता के लिए तुलन-पत्रा की तारीख तक 184.39 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 355.85 लाख) का कोई प्रावधान नहीं किया गया या आवश्यक समझा गया क्योंकि इनके अंतिम कर निर्धारण और अपीलों पर निर्णय होने के पहले प्राप्त होने की आशा है।  
(ii) कर निर्धारण वर्ष 2006-07 एवं 2007-08 के लिए निर्धारण अधिकारी (आयकर विभाग) आदेशानुसार, निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई आय क्रमशः राशि 8,85,00,87,850/- और राशि 87,98,64,000/- को कम्पनी की, आगे ले जाई गई हानियाँ से समायोजित किया गया है। जिसके मद्देनजर, कम्पनी की, आगे ले जाई हानियाँ रु. 9,72,99,51,850/- से कम हो गई है। निगम ने अपनी अपील दायर की है जो कि निर्णय हेतु अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित है।
3. 1.06 एकड़ (मांडर), 5 बीघा (बोकाजन), 0.146 हैक्टेयर (नयागांव), 495.75 एकड़ (अकलतारा), 10.12 एकड़ (भटिण्डा ग्राइंडिंग यूनिट) भूमि के लिए टाइटिल विलेख तथा 155.83 एकड़ (नयागांव), 58.81 एकड़ (अदिलाबाद)। आगे, दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट को 20.02 एकड़ भूमि पट्टे पर 99 वर्षों के लिए दी गई थी जिसे डीडीए ने जमीन के पट्टे को निरस्त कर दिया है। जिसपर सीसीआई ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है और न्यायालय ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। भूमि का ब्यौरा मिलान के अधीन है।
4. मांडर की 1056.98 एकड़, कुर्कुटा की 105.22 हैक्टेयर, नयागांव की 336.85 हैक्टेयर, अकलतारा की 398.65 हैक्टेयर, अदिलाबाद की 839.393 हैक्टेयर और तांदूर की 1516.07 एकड़ भूमि का खनन पट्टा समाप्त हो गया है, यद्यपि खनन पट्टों के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जा चुका है, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 को संसद में पारित कर दिया गया और 12.1.2015 से प्रभावित (लागू) हो गया। जिसमें यह कहा गया है कि सभी सरकारी कम्पनियों या निगमों के खनन पट्टे समाप्त हो गये हैं और नवीनीकरण का आवेदन समय पर किया है या जोकि 31.3.2020 से पहले समाप्त होने को देय हैं। सभी खनन पट्टों का कार्यकाल 31.3.2020 तक बढ़ाया गया है। यानि कि सी. सी. आई. के सभी खनन पट्टों को 31.3.2020 तक बढ़ा माना गया है।
5. सीसीआई अदिलाबाद कालोनी के बाहर की सरकारी भूमि के अधिग्रहण जिसे पंप हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 7 के लिए सड़क हेतु उपयोग में ली गई है और जिसकी माप 32 गुंटा है, जिसके लिए हस्तांतरण आदेश राजस्व विभाग से प्राप्त होने की प्रतीक्षा है, के लिए देय राशि यदि कोई हो, का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
6. 31 मार्च, 2015 को खतियों में पड़े 19293.727 मी. टन (पिछले वर्ष 16912.693 मी. टन) अंतिम रहतिये के खुले सीमेंट के संबंध में ₹ 108.67 लाख (पिछले वर्ष ₹ 88.56 लाख) के अदत्त उत्पाद शुल्क की देयता के लिए व्यवस्था कर दी गई है। 31 मार्च, 2015 को 19293.727 मी. टन (पिछले वर्ष 16912.693 मी. टन) सीमेंट के स्टॉक के लिए ₹ 0.14 लाख (गत वर्ष ₹ 0.13 लाख) की राशि का उपकर देयताओं के लिए प्रावधान किया गया है। परंतु इससे कार्पोरेशन के लाभ-हानि लेखे की वास्तविक स्थिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
7. विभिन्न कम्पनियों के शेयरों (₹ 37.79 लाख का अंकित मूल्य), जिन्हें स्व. श्री आर. के. डालमिया द्वारा धारित किया गया था और जिन्हें उनके द्वारा लिए गए ₹ 214 लाख के ऋण के बदले भूतपूर्व डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड के पास प्रतिभूति के रूप में रखा गया है। यद्यपि इन शेयरों का मूल्य ₹ 2.80 लाख था (प्राप्य मूल्य





पर) लेकिन इन्हें संदिग्ध माना गया था और तदनुसार इन्हें पूर्व वर्ष में हिसाब में लिया गया था।

8. स्कोप काम्लैक्स, नई दिल्ली भवन की लीज डीड जिसका कार्पोरेशन के पक्ष में निष्पादन होना बाकी है, को ₹ 266.58 लाख की लागत पर बिना विद्युत संस्थापन ₹ 5.70 लाख के प्रावधिक रूप से मालिकाना हक मानते हुए इसका मूल्यहास के रूप में परिशोधित किया जा रहा है।
9. दिनांक 25.04.96 के पत्रा सं. एस ई सी/84/96/513 के तहत रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (एस पी) अधिनियम, 1985 की धारा 15(i) के अंतर्गत औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को एक संदर्भ भेजा गया था। कम्पनी को माननीय बी. आई. एफ. आर. के पत्र सं. 501/96-बैंच iv एस. ओ. एल. दिनांक 8.8.96 के तहत रुग्ण घोषित किया गया था। मै. आई एफ सी आई, परिचालन एजेंसी द्वारा तैयार की गई डी आर एस को माननीय बी. आई. एफ. आर. की 21.3.06 को हुई उसकी बैठक में अनुमोदन कर दिया गया और मंजूर की गई योजना को 3.5.06 को परिचालित कर दिया गया। जिसमें प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों का समाधान करने और तीन परिचालन संयंत्रों का विस्तार/प्रोद्योगिकी उन्नयन करने तथा बाकी 7 परिचालनेतर संयंत्रों को बंद करने/बिक्री करने की परिकल्पना की गई है। स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत 6 इकाईयों को बंद कर दिया गया है तथा कर्मचारियों को, अदिलाबाद इकाई को छोड़कर जिनका मामला माननीय उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में लंबित है, वी एस एस के अंतर्गत पृथक कर दिया गया है।
10. i) लेनदारों/राज्य सरकारों/अन्य सरकारी विभागों/एजेंसियों आदि के संबंध में राहतों और रियायतों पर तब उचित विचार किया जाएगा जब कभी इसके साथ कोई आकस्मिकता न जुड़ी होने के कारण या इसके लिए अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर जैसे भी मामला हो, ऐसी रियायतें/राहतें देना निश्चित हो जाए।
- ii) माननीय बी. आई. एफ. आर. की दिनांक 3.5.2006 की मंजूर योजना के अनुसार भारत सरकार के ऋण जिसमें ₹ 150.90 करोड़ (गत वर्ष ₹ 150.90 करोड़) ब्याज रहित ऋण भी सम्मिलित हैं की अदायगी सात गैर प्रचलनरत इकाईयों की बिक्री से की जाएगी। जबकि 1.4.2011 से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए रु. 123.85 करोड़ के गैर योजनागत ऋण पर प्रोदभूत ब्याज की गणना रोक दी गई है। व ब्याज की अदायगी गैर प्रचलनरत इकाईयों की बिक्री से की जाएगी।
11. निम्नलिखित इकाईयों का उत्पादन प्रत्येक इकाई के सामने दी गई तिथि से बन्द कर दिया गया है :-
- |  |   |                    |
|--|---|--------------------|
| 1) मंडार (छत्तीसगढ़)                         | — | 06.06.1996         |
| 2) चरखीदादरी (हरियाणा)                       | — | 14.08.1996         |
| 3) अकलतारा (छत्तीसगढ़)                       | — | 09.12.1996         |
| 4) नया गांव (मध्य प्रदेश), नया गांव विस्तार  | — | 30.06.1997         |
| 5) कुर्कन्टा (कर्नाटक)                       | — | 01.11.1998         |
| 6) अदिलाबाद (तेलंगाना)                       | — | 05.11.1998         |
| 7) क. दिल्ली सीमेंट ग्राइडिंग यूनिट (दिल्ली) | — | 08.02.1999         |
| ख. भटिंडा ग्राइडिंग यूनिट (पंजाब)            | — | चालू नहीं किया गया |

आई. एफ. सी. आई. (ओ. ए.) द्वारा तैयार की गई मसौदा पुनर्वास योजना (डी.आर.एस) को माननीय बी.आई. एफ.आर. द्वारा 21.3.06 को हुई अपनी सुनवाई में अनुमोदित किया गया है और मंजूर की गई योजना को 03.05.06 को परिचालित किया गया है। जिसमें प्रतिभूत और अप्रतिभूत लेनदारों का समाधान करने तथा उक्त सात परिचालनेतर इकाईयों को बन्द करने/उनकी बिक्री करने की परिकल्पना की गई थी। उक्त सात इकाईयों की परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य उनकी पुस्तक से अधिक है का उल्लेख उक्त योजना में किया गया है। इसी

प्रकार बोकाजन, राजबन, व तांदूर ईकाई की परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य, उनकी पुस्तक मूल्य से कही अधिक है। अतः सम्भावित अनर्जक हानि के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। अतः अनर्जक हानि के लिए लेखों में कोई प्रावधान करने पर विचार नहीं किया गया है।

12. येरागुटंला के बारे एम. ओ. यु./बिक्री करार के अनुसार एस. बी. आई. कैप्स, मर्चेन्ट बैंकर्स द्वारा नियुक्त विशेष लेखा परिक्षक ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, इण्डिया सीमेंट लिमिटेड के साथ लम्बित (रूका हुआ) मिलान तथा पुष्टीकरण, यद्यपि बिक्री के समय पाई गई जरूरी देयताओं का पहले से ही खातों में समावेश किया जा चुका है।
13. सम्बन्धित प्राधिकारियों के अनुमोदन एवं माननीय बी आई एफ आर की स्वीकृत योजना के अनुसार, तादूर के बकाया बिक्रीकर हेतु ब्याज व दण्ड को माफ करते हुए, रु. 2190.00 लाख को वापसी की गई है जिसे नोट संख्या 28 क में आपवादिक मदें के अन्तर्गत दर्शाया गया है।
14. आय कर अधिनियम के तहत अनुमेय अवधि के अन्तर्गत आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता की अनुपस्थिति में आस्थगित कर-निर्धारण को मान्यता नहीं दी जाती है।
15. चालू देयताओं के अन्तर्गत, चालू एवं गैर चालू शेषों को वर्गीकृत करते हुए, मंजूर शुदा योजना में इनकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर समाविष्ट किया गया है।
16. निगम की भौगोलिक एवं व्यापार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, लेखा मानक - 17 के अंतर्गत सेगमेंट रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
17. लेखा मानक 29 के अनुसार, प्रावधानों का ब्यौरा नोट 5 व 9 के संदर्भ में

(₹ करोड़ों में)

विवरण	वर्ष के आरंभ में शेष		वर्ष के दौरान भुगतान एवं समायोजन		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के अंत में शेष	
	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
उपदान	<b>41.08</b>	36.04	<b>0.58</b>	0.10	<b>1.79</b>	5.14	<b>42.29</b>	41.08
बोनस	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.00
निर्माणाधीन पूंजीगत कार्य	<b>0.47</b>	0.03	<b>0.23</b>	0.00	<b>0.00</b>	0.44	<b>0.24</b>	0.47
अर्जित अवकाश दायित्व	<b>17.75</b>	14.94	<b>0.12</b>	0.06	<b>2.16</b>	2.87	<b>19.79</b>	17.75
अन्य	<b>56.65</b>	57.11	<b>113.83</b>	16.98	<b>96.57</b>	16.52	<b>39.39</b>	56.65

18. सूक्ष्म, छोटे एवं मध्यम एम. एस. एम. ई. उद्यमों को देय ब्याज का विवरण।

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	गतवर्ष
1.	वर्ष के अंत में विक्रेताओं (पूर्तिकारों) को अप्रदत्त बकाया मूल्य	<b>1,14</b>	1,33
2.	वर्ष के अंत में उस पर अप्रदत्त बकाया ब्याज	<b>2,83</b>	2,88
3.	विक्रेताओं (पूर्तिकारों) को वर्ष के दौरान, धारा 16 के अन्तर्गत, निश्चित अवधि के उपरान्त राशि सहित, ब्याज का भुगतान	<b>0</b>	0



4.	विलम्ब अवधि के लिये भुगतान योग्य राशि पर देय ब्याज जिसमें नियम के तहत निश्चित ब्याज राशि नहीं छोड़ी गई है। (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान, निश्चित दिवस के बाद किया जा चुका है।)	0	0
5.	वर्ष के दौरान, प्रोदभूत ब्याज और वर्ष के अंत में बकाया अप्रदत्त ब्याज	14	14
6.	लघु उदयमों को ब्याज की देय राशि तथा अगले वर्ष में की जाने वाली भुगतान अथवा देय ब्याज का भुगतान उस तिथि तक, धारा 23 के अन्तर्गत अयोग्य राशि का निर्धारण होना बाकी है।	2,83	2,88

**19. लेखा मानक 15 के अनुसार कर्मचारी हित**

निगम ने लेखा मानक-15 को अपनाया है- कर्मचारी हित निम्नानुसार हैं

**(i) भविष्य निधि**

निगम पूर्व निर्धारित दर से, भविष्यनिधि का अंशदान अलग से न्यास (ट्रस्ट) को भुगतान करता है, और न्यास धन को अनुमति प्राप्त प्रतिभूति में निवेश करता है। न्यास (ट्रस्ट) को, सहभागियों के किये गये अंशदान पर न्यूनतम दर से ब्याज भुगतान करना आवश्यक है। यदि भविष्य निधि न्यास को कोई हानि होती है, तो उसे निगम द्वारा सहन किया जाता है।

**(ii) उपदान**

निगम की एक निश्चित (परिभाषित) योजना है। प्रत्येक कर्मचारी, उपदान नियम के अनुसार, उपदान पाने का हकदार है। उपदान की देयता, मान्यता प्राप्त बीमांकक मूल्यांकनकर्ता के आधार पर की जाती है।

**(iii) छुट्टी नकदीकरण**

जिन कर्मचारियों की संचित ई.एल. एच.पी.एल. आदि हैं और वह देय छुट्टी नकदीकरण के योग्य है। छुट्टी नकदीकरण की देयता मान्यता प्राप्त बीमांकक मूल्यांकनकर्ता के आधार पर की जाती है।

**(iv) अन्य निश्चित सेवानिवृति हित**

कर्मचारी के सेवा निवृत्त होने पर, कर्मचारी व उनके आश्रितों को गृह प्रदेश में व्यवस्थापन हेतु निगम की एक योजना है। बीमांक मूल्यांक के आधार पर लाभ हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

विभिन्न निश्चित हित की संक्षिप्त स्थितियों को, निम्नसार लाभ हानि खाते व तुलन पत्रा में मान्यता दी जाती है।

**(क) लाभ हानि खाते में खर्चों की मान्यता**

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृत्ति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015
क	वर्तमान सेवा लागत	147.05	149.56	77.47	81.93	1.04	1.01
ख	व्याज लागत	279.25	339.50	118.30	149.58	2.14	2.49
ग	अवधि में शुद्ध (वृद्धि) हानि की बीमांकक मान्यता	121.77	38.48	201.73	157.68	(0.53)	(3.56)
घ	लाभ हानि विवरण में मान्यता प्राप्त खर्च	548.07	527.54	397.50	389.19	2.66	(0.06)

(ख) तुलन पत्रा में रकम की मान्यता

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृत्ति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015
क	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	3994.19	4115.32	1759.72	1963.85	29.31	28.81
ख	निधि स्थिति / अन्तर	(3994.19)	(4115.32)	(1759.72)	(1963.85)	(29.31)	(28.81)
ग	तुलनपत्र में शुद्ध परिसंपत्तियों / (देयताओं) की मान्यता	(3994.19)	(4115.32)	(1759.72)	(1963.85)	(29.31)	(28.81)

(ग) वर्तमान मूल्य की बाध्यता में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृत्ति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015
क	अवधि के प्रारम्भ में वर्तमान मूल्य बाध्यता	3490.67	3994.19	1478.75	1759.72	26.81	29.31
ख	ब्याज लागत	279.25	339.50	118.30	149.58	2.14	2.49
ग	प्रचलित सेवा लागत	147.05	149.56	77.47	81.93	1.04	1.01
घ	हित भुगतान	(44.56)	(406.41)	(116.53)	(185.06)	(0.15)	(0.44)
ड.	बीमांकक (वृद्धि) हानि पर बाध्यता	121.77	38.48	201.73	157.68	(0.53)	(3.56)
च	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	3994.19	4115.32	1759.72	1963.85	29.31	28.81

(घ) वर्तमान अवधि के लिए राशि

(₹ लाखों में)

		उपदान		छुट्टी नकदी करण		सेवा निवृत्ति पर अन्य निश्चित हित	
		31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015	31.3.2014	31.3.2015
क	अवधि के अन्त में वर्तमान मूल्य बाध्यता	3994.19	4115.32	1759.72	1963.85	29.31	28.81
ख	ब्याज लागत	(3994.19)	(4115.32)	(1759.72)	(1963.85)	(29.31)	(28.81)

(ड) बीमांकक कल्पना

क्र. सं.	विवरण	31-03-2015 को
क	सेवानिवृत्ति आयु	60 वर्ष
ख	आयु	वापसी दर : % 30 वर्ष तक - 00.00 31 वर्ष से 44 वर्ष - 1% 44 वर्ष से उपर - 1%
ग	स्थिति दर	8%
घ	भविष्य वेतन वृद्धि	6%
ड.	योजनागत परिसम्पत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	0

20. अग्रिमों, देनदारों एवं लेनदारों आदि के अन्तर्गत दर्शाई गई बकाया राशि पुष्टि/पुनर्मिलान के अध्यक्षीन है। इनमें कुछ पुरानी बकाया राशियाँ, लम्बित जाँच और समायोजन शामिल है। इसके पूरे होने पर इनकी आवश्यक गणना की जाएगी।
21. कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसरण में, कम्पनी (कुछ सम्पत्तियों को छोड़कर जैसे कि लेखा नीति में मूल्यहास पर खुलासा किया गया है) ने अनुसूची-II में निर्दिष्ट अनुमानित उपयोगी लाइफ को लागू किया गया है। तदानुसार मूल्यहासित ले जाई गई राशि, संशोधित शेष उपयोगी लाइफ पर मूल्यहासित की गई है। वह सम्पत्ति जिसकी लाइफ 1.4.2014 को समाप्त हो रही हो कि बची राशि रुपये 546.00 लाख को लाभ हानि खाते के प्रारम्भिक शेष में समायोजित किया गया है।
22. कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार निगमित समाजिक दायित्वों (सी.एस.आर.) के तहत विभिन्न गतिविधियों हेतु किये गए निम्नलिखित व्यय को संक्षिप्त विवरणी व खातों को नोट संख्या 26 में दिखाया गया है।

(₹ लाखों में)

(क) निगम का पिछले तीन वर्षों का औसत लाभ हानि	1458
(ख) निर्धारित सी.एस.आर. व्यय (कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन उपरोक्त का 2% )	29
(ग) नीचे दिये अनुसार वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	3
(घ) खर्च नहीं की गई राशि (ख-ग)	26

		नगद	अभी तक नगद में किया गया भुगतान	जोड
1	किसी भी सम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0	0	0
	उपरोक्त के अलावा			
	(I) 2 शौचालय-स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत	2	0	2
	(II) स्वास्थ्य (मेडिकल) कैम्प	1	0	1

23. "कम्पनी (लेखा मानक) नियम 2006 में "सम्बन्धित पार्टी खुलासा" लेखा मानक 18 के अनुसार प्रबंधन यह प्रमाणित करता है कि वर्ष के दौरान कोई भी सम्बन्धित लेनदेन नहीं हुआ है।
24. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 20 के अनुसार कम्पनी का प्रतिर्जन शेयर (अंश) निम्नलिखित है।

क्रम.	विवरण	31.03.2015	31.03.2014
1.	वर्ष के दौरान बकाया साम्या अंशों की संख्या	4559749	4559749
2.	साम्या अंशों का अंकित मूल्य	1000	1000
3.	वर्ष के लिए कर पश्चात शुद्ध लाभ (₹. लाख में)	4008	1620
4.	घटाएँ-गैर संचयी प्रवर्तनीय अंशों पर लाभांश की राशि (₹. लाखों में)	4	4
5.	अंशधारकों के योग्य कर पश्चात लाभ (₹. लाख में) (3-4)*	1814	(2689)
6.	मूल व कम किया हुआ प्रति शेयर अर्जन रु. में	39.79	(58.97)

\*असाधारण व अपवादिक को छोड़कर

25. पूर्ववर्ती वर्ष के आँकड़ों को विभाजित किया गया है और आवश्यकता होने पर चालू वर्ष के आँकड़ों से समरूपता के लिए उन्हें पुनः समूहबद्ध किया गया है।

ह0  
(अजय कुमार शर्मा)  
कंपनी संचिव

ह0  
(ए. बी. देयाशी)  
मुख्य अधिकारी वित्त

ह0  
(ए. एम. मनीचन)  
निदेशक

ह0  
(मनोज मिश्रा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार  
कृते एस.पी.जी. एसोसिएट  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 011217 एन

नई दिल्ली  
दिनांक : 31.07.2015

ह0  
(एस.पी.गोयल)  
भागीदार  
मेम्बरशिप नं. 083131

नोट संख्या-31 : दिनांक 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लाभ (हानि) विवरण का अंश / भाग



विवरण	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
	मात्रा मी. टन	मूल्य (₹ लाखों में)	मात्रा मी. टन	मूल्य (₹ लाखों में)
<b>1. वास्तविक उत्पादन</b>				
1.1 पोर्टलैंड सीमेंट				
साधारण	835075		756905	
पोजोलाना	117610		79360	
<b>योग</b>	<b>952685</b>		<b>836265</b>	
2 क्लिंकर (सीमेंट तैयार होने से पूर्व की सामग्री न कि अतिरिक्त उत्पादन)	872600		740490	
2.1 क्लिंकर क्रय	0		0	
<b>3. सीमेन्ट प्रेषण</b>	<b>947986</b>		<b>831049</b>	
<b>4. आरम्भिक रहतिया कारखाने में रहतिया</b>				
सीमेंट- साधारण	1,89,24	6,53	1,05,45	3,31
सीमेंट- पोजोलाना	3,78	17	35,41	1,38
<b>डम्प में रहतिया</b>				
सीमेंट- साधारण	2,14,54	8,77	1,24,61	4,99
सीमेंट- पोजोलाना	10,64	60	3,84	19
मार्गस्थ सीमेंट- साधारण	61,81	2,42	1,88,97	7,43
मार्गस्थ सीमेंट- पोजोलाना	7,92	45	1,32	7
सैट सीमेंट / क्षतिग्रस्त सीमेंट				
सीमेंट- साधारण	59,37	0	59,37	0
सीमेंट- पोजोलाना	30,16	0	30,16	0
<b>योग</b>	<b>5,77,46</b>	<b>18,94</b>	<b>5,49,13</b>	<b>17,37</b>
क्लिंकर	17,59,77	36,34	25,74,45	47,89
क्लींकर (क्रय)	0	0	0	0
<b>योग</b>	<b>17,59,77</b>	<b>36,34</b>	<b>25,74,45</b>	<b>47,89</b>
<b>5. बिक्री स्वयं उपभोग / अन्तरण सहित</b>				
क) सीमेंट - साधारण	84,43,49	4,02,62	75,12,03	3,19,63
ख) पोजोलाना	11,54,66	0	8,09,34	0
ग) स्वयं उपभोग - साधारण	1,10	0	8,25	0
घ) - पोजोलाना	0	0	0	0
ड) सीमेंट - निर्यात	0	0	0	0
<b>योग</b>	<b>95,99,25</b>	<b>4,02,62</b>	<b>83,29,62</b>	<b>3,19,63</b>
<b>6. क्लिंकर</b>	<b>12,79</b>	<b>30</b>	<b>1,79,99</b>	<b>4,26</b>
<b>योग</b>	<b>12,79</b>	<b>30</b>	<b>1,79,99</b>	<b>4,26</b>

51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

नोट संख्या-31 : दिनांक 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लाभ (हानि) विवरण का अंश/भाग (जारी...)

विवरण	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
	मात्रा मी. टन	मूल्य (₹ लाखों में)	मात्रा मी. टन	मूल्य (₹ लाखों में)
<b>6. क. अंतिम रहतिया कारखाने में रहतिया</b>				
सीमेंट – साधारण	2,15,71	8,02	1,89,24	6,53
सीमेंट – पोजोलाना	24,26	1,00	3,78	17
<b>डम्प में रहतिया</b>				
सीमेंट – साधारण	1,11,00	4,60	2,14,54	8,77
सीमेंट – पोजोलाना	14,21	76	10,64	60
मार्गस्थ सीमेंट – साधारण	43,61	2,00	61,81	2,42
मार्गस्थ सीमेंट – पोजोलाना	4,32	22	7,92	45
सैट सीमेंट – साधारण	60,32	2	59,37	0
सैट सीमेंट – पोजोलाना	30,16	0	30,16	0
<b>योग</b>	<b>5,03,59</b>	<b>16,62</b>	<b>5,77,46</b>	<b>18,94</b>
<b>ख. अन्तिम रहतिया</b>				
क्लिंकर	13,68,44	26,68	17,59,77	36,34
क्लींकर (खरीद)	0	0	0	0
<b>ग. सीमेंट –परीक्षण, मार्गस्थ में कमी इत्यादि</b>				
परीक्षण में प्रयुक्त	0	0	0	0
इकाई को अन्तरण	0	0	0	0
मार्गस्थ इत्यादि में कमी – साधारण	0	0	4,66	0
मार्गस्थ इत्यादि में कमी – पोजोलाना	1,47	0	4	0
<b>योग</b>	<b>1,47</b>	<b>0</b>	<b>4,70</b>	<b>0</b>
<b>7. क्लिंकर : सीमेंट ग्राइडिंग में प्रयुक्त</b>	<b>91,04,54</b>	<b>2,43,73</b>	<b>80,39,59</b>	<b>2,10,19</b>
<b>8. उपभुक्त कच्चा माल</b>				
चूना पत्थर	1,28,79,60	28,32	1,09,04,35	25,24
लैटराइट	1,26,62	40	89,97	28
लौह अयस्क	2,25,37	10,22	1,96,51	8,47
जिप्सम	2,35,22	6,37	1,78,01	4,96
शैल	7,44,79	2,04	4,72,29	1,21
फलाई ऐश	1,78,44	42	1,10,03	82
जली हुई मिट्टी	23,23	12	84,44	28
अन्य	0	0	0	0
<b>उपभुक्त कच्चे माल का योग</b>		<b>47,89</b>		<b>41,26</b>





**नोट संख्या-31 : दिनांक 31.3.2015 को समाप्त वर्ष के लाभ (हानि) विवरण का अंश/भाग (जारी...)**

विवरण	वर्तमान वर्ष		गत वर्ष	
	मात्रा मी. टन	मूल्य (₹ लाखों में)	मात्रा मी. टन	मूल्य (₹ लाखों में)
9. आयातित माल का मूल्य जिसको सी.आई.एफ. आधार पर गुणित किया गया				
क) कच्चा माल	0	0	0	0
ख) संघटक एवं अतिरिक्त पुर्जे	0	0	0	0
ग) पूंजीगत माल	0	0	0	0
10. वर्ष के दौरान उपभुक्त सभी आयातित कच्चे माल अतिरिक्त पुर्जे एवं संघटकों का मूल्य तथा इसी प्रकार वर्ष के दौरान उपभुक्त सभी देशी कच्चे माल, संघटकों का मूल्य तथा प्रत्येक का कुल उपभोग का%				
आयातित	4.10	2.52	0.37	21
स्वदेशी	95.90	58.91	99.63	56,59
<b>योग</b>	<b>1,00</b>	<b>61,43</b>	<b>1,00</b>	<b>56,80</b>
11. विदेशी मुद्रा का प्रेषण	0	0	0	0
12. विदेशी मुद्रा में आय	0	0	0	0

ह0  
(अजय कुमार शर्मा)  
कंपनी संचिव

ह0  
(ए. बी. देयाशी)  
मुख्य अधिकारी वित्त  
हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार  
कृते एस.पी.जी. एसोसिएट  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 011217 एन

ह0  
(मनोज मिश्रा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली  
दिनांक : 31.07.2015

ह0  
(एस.पी.गोयल)  
भागीदार  
मेम्बरशिप नं. 083131

## नोट संख्या-32 : महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

## 1. लेखांकन का आधार

लेखे प्रोद्भूत आधार अपनाते हुए ऐतिहासिक लागत परिपाटी पर तैयार किये जाते हैं, केवल निम्नलिखित मद ही जो कि नकद आधार पर लेखांकित किये जाते हैं।

(i) परिसमाप्त क्षतियों/दंड/किये गये दावों रेलवे व बीमा छोड़कर, को वसूल होने पर खातों में लिया जाता है तथा विविध आय में जोड़ा जाता है।

(ii) स्टोर और कलपुर्जों को अधिशेष/कम प्रचलित/अप्रचलित वस्तुओं आदि पर हुए, लाभ/हानि यदि कोई है, को केवल उनके निपटान के वर्ष में ही लेखाकृत किया जाता है।

## 2. राजस्व मान्यता

बिक्री, उत्पाद-शुल्क सहित एवम् बिक्री कर को छोड़कर बताई जाती है। उत्पाद-शुल्क पृथक दिखाया जाता है।

## 3. भूमि एवं परिशोधन

(i) राज्य सरकार द्वारा निशुल्क दी गई भूमि को नाममात्रा लागत या इसके अर्जन पर हुए प्रासंगिक व्यय के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

(ii) खदान के खान-पट्टे के अधीन उन्मुक्त भूम्याधिकार एवं पट्टे की भूमि जो 99 वर्ष से कम पट्टे पर है, 10 वर्ष की अवधि के भीतर संबंधित इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से परिशोधित की जाती है।

## 4. निवेश

(i) दीर्घकालीन निवेश को लागत मूल्य पर दर्शाया जाता है। ऐसे निवेशों के मूल्यों में स्थाई गिरावट को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया जाता है।

(ii) चालू निवेश को लागत एवं उर्द्धित/उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है।

## 5. उधार लागत

उधार लागत प्राप्त होने वाली परिसम्पतियों के अर्जन, निर्माण अथवा उत्पादन के योग्य हैं को उधार लागत की तरह परिसम्पतियों के एक भाग को पूँजीगत किया जाता है। ऐसी परिसम्पतियाँ जिनके प्रयोग में आने के लिए काफी समय लगता है उधार लागतों को राजस्व खातों में प्रभारित किया जाता है।

## 6. वस्तुसूची

## क) मूल्यांकन

(i) सामग्री, कलपुर्जों एवं कच्चा माल केवल (ii) नीचे में दर्शाये गये को छोड़कर भारित औसत लागत पर दर्शाया जाता है। अप्रचलित / कार्य में न आने योग्य सामग्री एवं कलपुर्जों को जब उनका निर्धारण होता है वसूली योग्य मूल्य पर उन्हें स्क्रेप मान लिया जाता है।

(ii) क्लिंकर व अन्य अर्द्ध-निर्मित माल को इकाई की भारित औसत लागत अथवा वसूल होने वाले मूल्य वर्कबैक फार्मूले के आधार पर, में से जो भी कम हो, को दर्शाया जाता है किन्तु नकारात्मक मूल्य होने की स्थिति में यह शून्य मूल्य पर लिया जाता है।

(iii) कारखानों/परियोजनाओं/डम्पों अथवा डम्पों के मार्गस्थ तैयार माल को इकाईयों की भारित औसत लागत अथवा प्राप्य मूल्य में, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है। डम्प तक किये गये बिक्री व्यय में सम्मिलित भाड़े को विभिन्न डम्पों के तैयार माल के मूल्य में शामिल किया जाता है।

(iv) विविध स्क्रेप मदों की कुल मात्रा को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित मदों के लिए नवीनतम बिक्री आदेशों के अनुसार प्राप्त दर पर मूल्यांकित किया जाता है। तथापि जहां यह दर उपलब्ध नहीं होती है क्योंकि स्क्रेप पहली बार उत्पन्न हुआ है अथवा पहले उसका निपटान नहीं किया गया हो तो ऐसी स्क्रेप मदों के मूल्यांकन के लिए इनके निपटान हेतु तय आरक्षित मूल्य से किया जाता है।

## ख) खुले औजार और उपकरण

औजारों एवं उपकरणों को तीन वर्ष की अवधि में प्रभारित किया जाता है।

## 7. मूल्यह्रास

(i) वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 में विनिर्दिष्ट पैरा 133 के लेखा मानक के अनुपालन, के साथ पठित कम्पनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधान के अन्तर्गत ऐतिहासिक लागत पर प्रोद्भूत आधार पर बनाये गये हैं।

(ii) परिसम्पतियों पर मूल्यह्रास तभी किया जाता है जब कि वे पूरी हो गई है और प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है।

(iii) वर्ष के दौरान बढ़ाई गई परिसम्पतियों पर मूल्यह्रास उन्हें पूँजीगत करने के तिथि के अनुपात में और हटा

देना/बिक्री/समाप्त करने की तिथि तक यथानुपात लगाया जाता है।

(iv) वर्ष के प्रारम्भ में कोई भी अकेली परिसम्पत्ति जिसका ह्रासित मूल्य ₹ 5000 या उससे कम हो, उसे वर्ष के दौरान पूर्ण-ह्रासित कर दिया जाता है। बिना अवशिष्ट कीमत रखे हुए क्योंकि इसे नगण्य माना जाता है।

(v) वर्ष के दौरान खरीदी गई ₹ 5000 मूल्य तक की अकेली परिसम्पत्ति को सकल ब्लॉक में लेकर उसी वर्ष उन पर पूरा मूल्यह्रास कर दिया जाता है।

## 8. आस्थगित राजस्व व्यय

(i) पर्यवेक्षण और बेधन पर हुए व्यय को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और इकाइयों के वाणिज्यिक उत्पादन में जाने के बाद इसे तीन से पांच वर्षों में प्रभारित किया जाता है।

(ii) खान पर से हटाई गई जालोद मिट्टी आदि के व्यय को, जिसका उपयोग सड़क बिछाने, स्टाकयार्ड, क्रशर रैम्प आदि जैसे पूंजीगत कार्यों के लिए है, को पूंजीगत किया जाता है। जालोद मिट्टी आदि हटाने पर हुए शेष व्यय को प्रारम्भिक रूप से आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और उस अवधि तक के लिए प्रभारित किया जाता है जब तक खदान विकास से निकाला गया चूना-पत्थर उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है।

(iii) किराए के भवनों में किए गए अंदरूनी विभाजन और जुड़नार की लागत को स्थापना के वर्ष में ही सीधा खर्च में दिखाया जाता है। परन्तु यदि यह लागत एक लाख रुपये से अधिक हो तो इसे आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और 3 से 5 वर्षों में प्रभारित किया जाता है।

(iv) इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के बाद हाई क्रोम ग्राइडिंग मीडिया के प्रारम्भिक सम्पूर्ण प्रभार को आस्थगित राजस्व व्यय माना जाता है और तीन वर्ष की अवधि के अन्दर प्रभारित किया जाता है। तथापि प्रतिपूर्ति-प्रभार लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है।

(v) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना हेतु यदि कोई अप्रयुक्त अनुदान सहायिकी नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिए देय डेढ़ माह के वेतन (वेज) के बराबर का भुगतान या शेष सेवा अवधि का बकाया, जो भी कम हो, तथा नोटिस अवधि वेतन को कर्मचारी की बाकी सेवा अवधि या इसकी अधिकतम अवधि 5 वर्ष जो भी कम हो, के लिए आस्थगित एवं प्रभारित किया जाता है। अपितु

01.04.2003 को या उसके बाद में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति/स्वैच्छिक पृथक योजना के मद में किया गया पूरा खर्च जब खर्च हुआ उसी वर्ष में प्रभारित किया जाएगा।

## 9. पूर्वावधि/असाधारण मदों का समायोजन

वर्ष विशेष से संबंधित व्यय/प्राप्तियां जो खातों के बंद होने के बाद अर्थात् निर्धारित तारीख के बाद ध्यान में आती है और जिनकी धनराशि ₹ 10,000/- से अधिक न हो तो उसे अगले वर्ष में संबंधित व्यय/प्राप्तियों के शीर्षक में अंकित कर दिया जाता है। यदि धनराशि ₹ 10,000/- से अधिक हो तो इसके लेखांकन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के ए. एस.-5 में दिए प्रावधानों के अनुसार वर्तमान वर्ष/पूर्वावधि/असाधारण आय/प्राप्तियों के सामान्य/आय प्राप्तियों के सामान्य लेखाशीर्षक में व्यवहृत किया जाता है।

## 10. विदेशी मुद्रा व्यवहारों का लेखांकन

विदेशी ऋण देयताओं का निर्धारण वर्ष के अंतिम कार्यदिवस पर बंद बाजार विनिमय दर पर किया जाता है। व्यवहार के निपटान पर प्राप्तियां या हानियां (क) परियोजना अवधि के दौरान संबंधित उपस्कर लागत में जमा/नामे किया जाता है। जो स्टोर्स एवं सेवाओं से संबंधित है, को आई0 ई0 डी0 सी0 में जमा/नामे किया जाता है (ख) परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन में जाने के बाद प्राप्तियों/हानियों को संबंधित उपस्कर की लागत में डाला जाता है परन्तु जो पुर्जों एवं सेवाओं से संबंधित है उन्हें लाभ/हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। स्थाई परिसम्पत्तियों पर ऐसे समायोजनों से फलित मूल्यह्रास भविष्यलक्षी प्रभाव से समायोजित किया जाता है।

## 11. सरकारी अनुदान / सहायता

(i) विनिर्दिष्ट स्थायी परिसम्पत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों/सहायता को उन परिसम्पत्तियों के सकल मूल्य में से घटाकर उनका खाता मूल्य निकाला जाता है। जहाँ विनिर्दिष्ट स्थायी परिसम्पत्ति हेतु अनुदान उस परिसम्पत्ति की लागत के बराबर अथवा लगभग बराबर हो तो उस परिसम्पत्ति का मूल्यांकन नाममात्रा लागत अथवा उसके अधिग्रहण/संस्थापन पर हुए प्रासंगिक व्यय के आधार पर किया जाता है।

(ii) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना हेतु अनुदान, परिवहन सहायता एवं अन्य राजस्व अनुदान संबंधित व्यय में से घटा दिए जाते हैं।

(iii) केन्द्रीय निवेश जनित सहायता के योजनांतर्गत प्राप्त

51

51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

सरकारी अनुदानों को, जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन स्वरूप हों, एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अन्य समरूप अनुदानों को, जिनमें साधारणतः पुनर्भुगतान अपेक्षित नहीं हैं, ऐसे अनुदानों को पूंजीगतसंचिती माना जाता है।

(iv) उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य पूंजीगत/राजस्व अनुदानों/सहायता को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ए. एस. 12 के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

## 12. निगम के दावे

(i) बीमा के दावों को सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर खाते में लेखांकित किया जाता है। और / या जिन दावों का कुछ भुगतान प्राप्त किया जा चुका है उन्हें दावों के दायर करने के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। यद्यपि जहाँ पर, यदि 31 मार्च तक हुई हानियों के मामले की सर्वे रिपोर्ट खाते बंद करने की अवधि से पहले प्राप्त नहीं होती है तो उसके प्रकटीकरण लेखा टिप्पणियों के रूप में किया जाता है।

(ii) रेलवे के दावे उनके दायर करने पर लेखांकित किए जाते हैं।

## 13. जमा कार्य

प्रगतिशील निक्षेप कार्यों को निगम का पूंजीगत प्रगतिशील कार्य समझा जाता है तथा आई. ई. डी. सी. को समानुपात रूप में निक्षेप कार्यों के साथ तब जोड़ा जाता है जब उनका स्वामित्व अंतरित एवं पूंजीगत किया जाता है।

## 14. कर्मचारी हित सुविधाएँ

(i) संदायगी उपदान अधिनियम, 1972 तथा कम्पनी की अपनी उपदान योजना के अधीन उपदान के लिए प्रावधान प्रत्येक वर्ष एक जनवरी को सेवारत सभी कर्मचारियों के संबंध में एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(ii) अर्जित अवकाश/अर्द्धवेतन अवकाश आदि जो कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर नकदीकरण योग्य होते हैं, का प्रावधान प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को सेवारत कर्मचारियों के एक्चूरियल मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

(iii) बोनस के लिए देयता का लेखा संदायगी बोनस अधिनियम 1965 के प्रावधानों के अनुसार इकाई के आधार पर किया जाता है न कि सम्पूर्ण निगम के आधार पर। मुख्यालय के लिए बोनस की देयता की व्यवस्था अन्य इकाईयों को देय बोनस की औसत दर के अनुसार की जाती है।

## 15. ऋण पत्रों के मोचन पर प्रीमियम

ऋण पत्रों के मोचन पर देय प्रीमियम को जिसकी शुरुआत ऋण पत्रों आबंटन के वर्ष ऋण पत्रों की अवधि तक बराबर किश्तों में लाभ तथा हानि खाते/आई.ई.डी.सी. खाते में प्रभारित किया जाता है।

## 16. पूर्वदत्त-व्यय

प्रत्येक मामले में ₹ 10,000/- अथवा उससे कम राशि जो आगामी वर्षों के लिए अग्रिम व्यय कर दी गई है उसे चालू वर्ष के व्ययों के रूप में लेखांकित किया जाता है।

## 17. वसूली न होने वाले एवं संदिग्ध देनदारियां/ऋणों/अग्रिमों आदि का आलेखन

(i) संदिग्ध देनदारी/ऋण या अग्रिम यदि वे संदिग्ध हों परन्तु जिनकी वसूली होने की आशा हो, उनके लिए प्रावधान किया जाता है।

(ii) जब वसूली प्रयास वैधानिक प्रक्रिया से असफल हो जाएं या जहां यह समझा जाता है कि मुकदमेबाजी से वसूली संभव तथा फलदायी नहीं है तब उस रकम को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

## 18. अंतर-इकाई/अंचल/मुख्यालय अंतरण

(i) इकाईयों द्वारा तैयार माल प्रारंभ में प्रेषण योजना दर पर मूल्यांकित किया जाता है तथा बाद में बेची गई मात्रा का वास्तविक वसूली मूल्य, अंचल द्वारा तय किया जाता है।

(ii) अंतर इकाई/अंचल/मुख्यालय को अंतरित स्थायी परिसम्पत्ति इत्यादि को लेखा खाता मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।

(iii) विलकर का अंतर इकाई अंतरण उसके वसूली दरों पर (सीमेंट से वर्कबैक पद्धति द्वारा) आलेखित किया जाता है तथा इसकी मार्गस्थ हानियों को माल प्राप्त करने वाली इकाई द्वारा लागत में आमेलित किया जाता है।

(iv) अंतर इकाई/अंचल/मुख्यालय के शेषों का नियमित रूप से मिलान किया जाता है तथा उनका पुष्टीकरण प्राप्त किया जाता है।

## 19. व्यय का वर्गीकरण

(i) स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत पर किया हुआ व्यय जिसमें सामग्री और कलपुर्जों की कीमत सम्मिलित है, नीचे (ii) में दर्शाये को छोड़कर लाभ/हानि विवरणी में प्रभारित किया जाता है।



(ii) स्थायी परिसंपत्तियों की मरम्मत पर किया हुआ व्यय जिसमें सामग्री और कलपुर्जों की कीमत सम्मिलित है और जो वर्तमान परिसंपत्ति से भविष्य में प्राप्त होने वाले लाभ में पहले अनुमानित की गई कार्य क्षमता में ज्यादा वृद्धि करता है, पूंजीकृत किया जाना है उदाहरणतः क्षमता में वृद्धि।

### (iii) वेतन एवं मजदूरी

संयंत्रा एवं मशीनरी, भवनों आदि की मरम्मत और अनुरक्षण की मजदूरी और वेतन को सीधे वेतन और मजदूरी लेखे में प्रभारित किया जाता है।

### (iv) अन्य विविध व्यय

पार्कों, वृक्षारोपण और तम्बु एवं तारपोलिन आदि खरीदने

पर किया गया व्यय, राजस्व व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है।

### 20. विद्यमान संयंत्र के साथ ही विस्तार परियोजनाओं / नई परियोजनाओं पर अप्रत्यक्ष व्यय

विद्यमान संयंत्रा द्वारा प्रशासन, पर्यवेक्षण आदि पर किए गए सामान्य व्यय को विस्तार परियोजनाओं / नई परियोजनाओं पर प्रभारित नहीं किया जाता है।

### 21. निगमित कार्यालय के व्यय का नियतन

प्रबंधन के श्रेष्ठतम मूल्यांकन और निर्णय के अनुसार अनुमानित लाभ के आधार पर या विभिन्न इकाईयों के अनुपात में इकाईयों और निर्माणाधीन परियोजनाओं में निगमित कार्यालय का राजस्व व्यय आबंटित किया जाता है।

ह0  
(अजय कुमार शर्मा)  
कंपनी संचिव

ह0  
(ए. बी. देयाशी)  
मुख्य अधिकारी वित्त

ह0  
(ए. एम. मनीचन)  
निदेशक

ह0  
(मनोज मिश्रा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार  
कृते एस.पी.जी. एसोसिएट  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 011217 एन

नई दिल्ली  
दिनांक : 31.07.2015

ह0  
(एस.पी.गोयल)  
भागीदार  
मेम्बरशिप नं. 083131

## 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरणी

(₹ लाखों में)

विवरण	प्रचालित इकाईयां		गैरप्रचालित इकाईयां		योग	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
<b>प्रचालन गतिविधियों से कैश</b>						
कर के पश्चात निवल लाभ/हानि (-)	54,17	(12,78)	(14,09)	28,98	40,08	16,20
योग : मूल्य ह्रास के लिए समायोजन	5,02	6,68	1,34	2,38	6,36	9,06
स्थाई परिसम्पत्तियों के निपटान से लाभ	(9)	29	0	1	(9)	30
ऋण व अग्रिमों के बट्टे खाते के लिए प्रावधान	0	5,84	13	0	13	5,84
वित्त लागत	1,86	1,83	1,11	1,12	2,97	2,95
आस्थगित राजस्व व्यय का समायोजन	1,70	1,74	0	0	1,70	1,74
घटाएँ : आय ब्याज व अन्य प्राप्तियों	(53,34)	(31,73)	(2,18)	(45,31)	(55,52)	(77,04)
अन्य अधिक प्रावधान वापसी	(1,64)	(12)	(3)	(19)	(1,67)	(31)
<b>कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ</b>	<b>7,68</b>	<b>(28,25)</b>	<b>(13,72)</b>	<b>(13,01)</b>	<b>(6,04)</b>	<b>(41,26)</b>
<b>कार्यशील पूंजी परिवर्तन</b>						
समायोजन परिचलित सम्पत्ति में कमी/वृद्धि के लिए						
वस्तु सूची	12,35	12,90	38	59	12,73	13,49
व्यापार देय	2,98	2,99	0	0	2,98	2,99
चालू व गैर चालू ऋण एवं अग्रिम	(6,39)	(8,82)	(74)	2	(7,13)	(8,80)
अन्य चालू सम्पत्ति	0	0	0	0	0	0
अन्य गैर चालू सम्पत्ति	0	0	0	0	0	0
समायोजन परिचलित देयताओं में कमी/वृद्धि के लिए						
व्यापार प्राप्य	(3,11)	70	0	0	(3,11)	70
अन्य दीर्घ-कालिक चालू देयताएँ	(1,79)	10,16	1,26	(7,88)	(53)	2,28
अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रावधान	7,45	7,01	(95)	(1,63)	6,50	5,38
अस्थगित राजस्व व्यय (परिवर्धन)	(1,79)	(2,46)	0	0	(1,79)	(2,46)
<b>प्रचालन गतिविधियों से निवल नगदी</b>	<b>17,38</b>	<b>(5,77)</b>	<b>(13,77)</b>	<b>(21,91)</b>	<b>3,61</b>	<b>(27,68)</b>
<b>II. निवेश गतिविधियों से कैश फ्लो</b>						
अचल परिसम्पत्तियों की खरीद	6,16	2,51	0	5,01	6,16	7,52
अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्तियाँ	(15)	(36)	(1)	(3)	(16)	(39)
कार्य प्रगति पर	2,54	7,98	0	0	2,54	7,98
<b>निवेश गतिविधियों से निवल नगदी</b>	<b>8,83</b>	<b>(15,90)</b>	<b>(13,76)</b>	<b>(26,89)</b>	<b>(4,93)</b>	<b>(42,79)</b>
<b>III. वित्तीय गतिविधियों से कैश</b>						
अंश पूंजी	0	0	0	0	0	0
गैर प्रचलनरत इकाईयों को निधि का अन्तरण	(11,69)	(23,96)	11,69	23,96		0
भारत सरकार को ऋण भुगतान	0	0	0	0	0	0
प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत ऋण	0	0	0	0	0	0
ब्याज एवं अन्य प्राप्तियाँ	31,81	31,70	2,19	2,25	34,00	33,95
ब्याज भुगतान	(26)	(20)	0	0	(26)	(20)
<b>नगदी एवं समतुल्य नगदी में निवल वृद्धि व गिरावट</b>	<b>28,69</b>	<b>(8,36)</b>	<b>12</b>	<b>(68)</b>	<b>28,81</b>	<b>(9,04)</b>

## 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरणी .....(जारी)

	प्रचालित इकाईयां		गैरप्रचालित इकाईयां		(₹ लाखों में) योग	
	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14	2014-15	2013-14
नगदी एवं समतुल्य नगदी (प्रारम्भिक)	1,67,60	1,75,96	8	76	1,67,68	1,76,72
नगदी एवं समतुल्य नगदी (अंतिम)	1,96,29	1,67,60	20	8	1,96,49	1,67,68

### नगदी एवं बैंक का शेष

	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
नगदी हाथ में	2	2
चैक हाथ में	1,55	1,33
बैंक जमा	1,77,48	1,50,54
चालू खाता	8,47	7,71
बैंकों में शेष जो कि अधीन है		
—प्रतिभूत	8,93	8,08
—साख पत्र	4	0
<b>योग</b>	<b>1,96,49</b>	<b>1,67,68</b>

1. जब जब कार्यशील पूँजी की आवश्यकता हुई, स्वयं के संसाधनों से पूर्ति की गई है।
2. बैंकों में जमा राशि में रु. 15223.90 लाख, (गत वर्ष रु. 80 लाख) जिनकी मेच्यूरटी अवधि 12 महीनों से अधिक है भी सम्मिलित है।

ह0  
(अजय कुमार शर्मा)  
कंपनी संचिव

ह0  
(ए. बी. देयाशी)  
मुख्य अधिकारी वित्त

ह0  
(ए. एम. मनीचन)  
निदेशक

ह0  
(मनोज मिश्रा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

### आडिर्टिस प्रमाणपत्र

हमने उपयुक्त कैश फ्लो विवरणी जो कि सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2015 के सत्यापित वार्षिक वित्तीय से उद्धृत की गयी है और उसी के अनुरूप पायी गयी है।

हमारी संलग्न सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार  
कृते एस.पी.जी. एसोसिएट  
सनदी लेखाकार  
फर्म पंजीकरण सं. 011217 एन

नई दिल्ली  
दिनांक : 31.07.2015

ह0  
(एस.पी.गोयल)  
भागीदार  
मेम्बरशिप नं. 083131



सामाजिक अधिशीर्षों पर निवेश एवं व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
<b>पूँजीगत निवेश</b>		
टाउनशिप	20,41	20,41
वाहन, फर्नीचर एवं विविध उपकरण	1,64	1,64
<b>कुल निवेश</b>	<b>22,05</b>	<b>22,05</b>
<b>सामाजिक अधिशीर्षों पर व्यय</b>		
टाउनशिप का रख-रखाव एवं अनुरक्षण	54	60
मूल्यह्रास	37	33
जलपान गृह सहायिकी (सब्सिडी)	57	52
शिक्षा सहायिकी	80	1,05
सामाजिक एवं संस्कृतियां गतिविधियों हेतु सहायिकी	15	39
अन्य व्यय	20	3
<b>योग</b>	<b>2,63</b>	<b>2,92</b>
घटाएं : टाउनशिप से प्राप्तियां	44	47
<b>सामाजिक अधिशीर्षों में कुल निवल व्यय</b>	<b>2,19</b>	<b>2,45</b>



## स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,  
सदस्य,  
सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया  
नई दिल्ली

### वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (दी कॉर्पोरेशन) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिनमें 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण तथा नगदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण युक्त सूचना का सारांश शामिल हैं। इसमें ग्यारह यूनिटों (मांढर, तान्दूर, चरखी-दादरी, अलकतरा, नयागांव, नयागांव विस्तार और दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट, कुर्कुटा, आदिलाबाद, बोकाजन, सिल्वर ग्राइंडिंग यूनिट) जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा की गई और राजबन (हिमाचल प्रदेश), भटिंडा ग्राइंडिंग यूनिट और निगमित कार्यालय, जिनकी लेखापरीक्षा हमारे द्वारा की गई है, शामिल हैं।

### वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कार्पोरेशन का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सही और स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और उनका पता लगाने, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और उन्हें लागू करने, ऐसे निर्णय करने और अनुमान लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल हैं, जो उचित और तथ्यपुरक हैं; तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी इसमें शामिल है, जो वित्तीय विवरणों

की तैयारी और प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से लागू किए गए और जो स्पष्ट और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं तथा धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण किसी तथ्यपुरक गलत विवरण से मुक्त हैं।

### लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक दृष्टिकोण व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के ऐसे प्रावधानों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों और मामलों पर विचार किया है, जिन्हें अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना आवश्यक है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार संचालित की है। उन मानकों के तहत यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार से करें ताकि इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में किसी भी प्रकार की वास्तविक रूप से कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है और वित्तीय विवरण गलत तथ्यों से मुक्त हैं।

किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य एकत्र करने के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से गलत तथ्यों संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन शामिल होता है चाहे वे गलत तथ्य किसी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण क्यों न दिए गए हों। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने में लेखापरीक्षक कंपनी की तैयारी के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय विवरणों की सही तस्वीर प्रस्तुत करने पर विचार करता है, जो वित्तीय विवरणों की कंपनी द्वारा तैयारी के संबंध में ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करने में सहायक होता है, जो उन परिस्थितियों की दृष्टि से उपयुक्त हैं और सही तथा स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, परंतु उसकी लेखापरीक्षा में ऐसी प्रक्रियाएं शामिल नहीं होती हैं, जो वित्तीय रिपोर्टिंग और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावशीलता पर कंपनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू करने के संबंध में अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए अपनाई जाएं। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन



सिद्धांतों का मूल्यांकन और कंपनी के निदेशकों द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों के साथ-साथ संपूर्ण वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है।

हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे दृष्टिकोण के लिए एक उपयुक्त एवं तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

### अर्हतापूर्ण दृष्टिकोण के लिए आधार

- क. कॉर्पोरेशन के पक्ष में कुछ यूनिटों की भूमि के अधिकार और पट्टा अभिलेख (लीज डीड) काफी समय से लंबित हैं तथा भूमि संबंधी विवरणों का पुनर्मिलान किया जाना है अर्थात् वे पुनर्मिलान के अधधीन हैं। इसके अलावा दिल्ली ग्राइंडिंग यूनिट के संदर्भ में 99 वर्ष के लिए पट्टा आधार पर 20.20 एकड़ भूमि का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया है और मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है (नोट संख्या 30 का बिंदु सं. 3 देखें)।
- ख. सीसीआई की आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि के संदर्भ में एलीनेशन आदेशों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली देनदारी के लिए निर्धारण न करने और प्रावधान न करने के लिए राजस्व विभाग से स्वीकृति प्रतीक्षित है, जिसका प्रयोग पम्प हाउस से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क मार्ग के रूप में किया गया है, (नोट 30 का बिंदु सं. 5 देखें)
- ग. पुनर्मिलान लंबित होने के कारण 1998 में बेची गई येरगुंतला यूनिट के संदर्भ में विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित असंगतताओं के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है (नोट 30 का बिंदु सं. 12 देखें)।
- घ. बीआईएफआर पैकेज के अनुसार कॉर्पोरेशन द्वारा लिए गए 3700.00 लाख रु. के अंतर कार्पोरेट ऋणों पर ब्याज के संदर्भ में 31 मार्च, 2005 को अंतिम तारीख के बाद कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- ङ. कुछ यूनिटों के संदर्भ में बकाया सांविधिक देयताओं पर ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया

है, क्योंकि सभी यूनिटें एक जैसी प्रक्रिया का समान रूप से अनुपालन नहीं कर रही हैं। कॉर्पोरेशन के लाभ पर इसके प्रभाव की गणना नहीं की जा सकती है क्योंकि ऐसी राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

- च. व्यापारिक प्राप्तियों, ऋण और अग्रिमों, व्यापारिक देयताओं, पक्षकारों के साथ जमा और उनसे प्राप्त होने वाली राशियों और अन्य देयताओं की बकाया राशियों की पुष्टि और पुनर्मिलान किया जाना है। पुनर्मिलान न करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है (नोट 30 का बिंदु सं. 20 देखें)।
- छ. कंपनी की 7 फैक्टरियां और दिल्ली में एक ग्राइंडिंग यूनिट है, जहां वर्ष 1996 से 1999 के बीच प्रचालन बाधित हो गया था और भटिंडा (पंजाब) में भी कार्पोरेशन की एक ग्राइंडिंग यूनिट है, जहां उत्पादन शुरु नहीं किया जा सका, जिसके संदर्भ में नोट 30 के बिंदु संख्या 11 में ध्यान आकर्षित किया गया है। प्रबंधन के दृष्टिकोण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)-28 के अंतर्गत परिसंपत्तियों के इंपेयरमेंट के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार ऐसी फैक्टरियों/यूनिटों में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों तथा अन्य परिसंपत्तियों के मामले में यदि कोई कमी अथवा उनके वसूली मूल्य में कोई कमी होती है, तो इसके लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।
- ज. कार्पोरेशन ने 22 मार्च 2007 को 355.43 करोड़ रुपए मूल्य के प्रत्येक 1000 रुपए के 3554325 आसंचयी रिडिमेबल प्राथमिकता शेयर भारत सरकार को जारी किए थे, जिन्हें जारी किए जाने की तारीख से 07 (सात) वर्ष के भीतर रिडिम किया जाना था। जारी किए जाने की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त प्राथमिकता शेयरों को 22 मार्च 2014 से पहले रिडिम किया जाना था, जो जारी किए जाने की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं।
- झ. 204.44 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय के लिए

सिचलर ग्राइडिंग यूनिट सहित विभिन्न प्रचालनात्मक यूनिटों में शुरू किए गए पूंजीगत व्यय कार्यक्रमों को इस तथ्य के बावजूद भी अब तक पूरा नहीं किया गया है, जबकि उनके लिए निर्धारित लक्ष्य (तिथि) काफी पहले ही निकल चुके हैं। कार्पोरेशन ने इन परियोजनाओं पर 42.45 करोड़ रुपए का व्यय किया है। परियोजनाओं को पूरा न किए जाने के कारण उत्पन्न होने वाला वित्तीय प्रभाव, यदि कोई है, अनिश्चित है।

- ज. कार्पोरेशन ने अप्रचलित और बेकार भंडार तथा कलपुर्जों की पहचान और उन्हें अनुपयोगी निर्धारित करने के लिए आवधिक रूप से कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे कि उन्हें स्क्रेप के रूप में माना जा सके और उनका निबल वसूली योग्य मूल्य निर्धारित किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुपयोगी/बेकार भंडार और कलपुर्जों की मात्रा में 66.68 करोड़ रुपए की कुल इंटेंटी शामिल है, जिसके लिए प्रावधान, यदि आवश्यक है, नहीं किया जा सकता है।
- ट. कार्पोरेशन द्वारा विभिन्न पक्षकारों के विरुद्ध दायर किए गए 89.08 करोड़ रुपए के दावों और प्रतिदावों, जो न्यायालयों आदि में लंबित हैं अथवा माध्यस्थों के अधीन हैं, के लिए लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया। ज्यादातर मामलों में नवीनतम स्थिति और संगत दस्तावेज सत्यापन हेतु कार्पोरेशन के पास उपलब्ध नहीं है। अतः किए गए इन दावों की वास्तविकता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
- ठ. पिछले कई वर्षों से आगे ले जाए जा रहे संदेहास्पद ऋणों/कर्जों और अग्रिमों के लिए प्रावधान के रूप में 40.09 करोड़ रुपयों की मौजूदा राशि बरकरार है, जबकि इसकी वसूली की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कार्पोरेशन ने कानूनी अथवा अन्य तरह के सभी उपाय कर लिए हैं। चूंकि मौजूदा परिस्थितियां कार्पोरेशन की राइट ऑफ नीति के अनुरूप हैं। अतः 40.09 करोड़ रुपए के प्रावधान की राशि को संबंधित खाते अर्थात फुटकर कर्जदार और ऋण तथा अग्रिम के विरुद्ध राइट ऑफ करके समायोजित करने की आवश्यकता है।

ड. नोट सं. 29 में कार्पोरेशन ने अकलतारा और मांढर यूनिटों के संदर्भ में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को देय न्यूनतम टैरिफ प्रभार के मद में कर्ज के रूप में स्वीकार किए गए कंपनी के विरुद्ध दावों को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत 364.49 करोड़ रुपयों की राशि को शामिल नहीं किया है। मामले के विवरण और स्थिति सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं है।

## 5. दृष्टिकोण

हमारे दृष्टिकोण से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त अर्हता दृष्टिकोण वाले पैराग्राफ के लिए आधार में उल्लिखित मामलों के प्रभाव को छोड़कर उपर्युक्त वित्तीय अधिनियम के अंतर्गत यथावश्यक सूचना विहित ढंग से प्रदान करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार कंपनी के कार्यकलापों की स्थिति उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और नकदी प्रवाह की एक सही और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

## मामलों पर जोर

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में संदर्भित निम्नलिखित मामलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं:

- (क) कार्पोरेशन के वित्तीय विवरण जारी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों के अनुरूप तैयार किए गए हैं, जबकि :
- इसे रुग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 की धारा 31 के खंड (ओ) के अर्थ में एक रुग्ण कंपनी घोषित कर दिया है।
  - कार्पोरेशन की संचित हानियां इसकी प्रदत्त पूंजी और आरक्षित निधियों से अधिक हो रही हैं और
  - बीआईएफआर ने नयागांव विस्तार योजना के अंतर्गत दो यूनिटों सहित कार्पोरेशन की 7 फैक्टरियों की बिक्री के लिए दिनांक 3 मई 2006 के अपने आदेश के अनुक्रम में

एक योजना स्वीकृत कर दी है।

कंपनी की एक जारी प्रतिष्ठान के रूप में प्रचालन बनाए रखने की योग्यता काफी हद तक तक बीआईएफआर पैकेज में यथा परिकल्पित पुनरुद्धार योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन पर काफी हद तक निर्भर है (नोट 30 का बिंदु संख्या 9 देखें)। वित्तीय विवरणों में रिकॉर्ड की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों की वसूली और वर्गीकरण से संबंधित कोई समायोजन शामिल नहीं किया गया है, जो कंपनी जारी प्रतिष्ठान के रूप में अपना प्रचालन जारी न रख पाने की स्थिति में आवश्यक हो सकती हैं।

(ख) मूल्यांकन वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए मूल्यांकन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 147 के साथ पठित धारा 143 (3) के अंतर्गत पूरे किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप कुछ भत्तों का नुकसान हुआ है। इसके फलस्वरूप कार्पोरेशन की मूल्यांकित और आगे लाई गई हानियों में 973.00 करोड़ रुपए की कमी दर्शाई गई है, जिसके विरुद्ध कार्पोरेशन ने अपील दायर की है, जो अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है (नोट 30 का बिंदु संख्या 2 (ii) देखें)।

(ग) बीआईएफआर द्वारा दिनांक 03.05.2006 के आदेश के जरिए अनुमोदित मसौदा पुनर्वास योजना (डीआरएस) को 2 चरणों में कार्यान्वित किया जाता है, जिसके पहले चरण के लिए भारत सरकार द्वारा पूरी वित्तीय सहायता प्रदान की गई, वह चरण पूरा हो गया है। दूसरे चरण को 2007-08 तक पूरा किया जाना था, जिसे 07 (सात) गैर प्रचालनरत यूनिटों की बिक्री से होने वाली आय से कार्यान्वित करने की योजना थी, अब तक इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। इसके परिणामस्वरूप बोकाजन यूनिट का विस्तार कार्य पूरा नहीं किया जा सका, जिसके कारण इसकी लागत में भी वृद्धि हो सकती है। कार्पोरेशन के वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।

(घ) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के संदर्भ में कार्पोरेशन ने पिछले तीन वर्ष के औसत निबल लाभ के आधार पर खर्च किए जाने वाले 29.00 लाख रुपए की

राशि की तुलना में निगमित सामाजिक जिम्मेदारी के मद में 3.00 लाख रुपए की राशि खर्च की है।

### अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड (42) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 ("आदेश") के अनुसार यथाआवश्यक हमने इस रिपोर्ट के अनुबंध में उपर्युक्त आदेश के पैराग्राफ 3 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण पत्र संलग्न किया है।

2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत निर्देश/उप निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुपालन संबंधी विवरण अनुबंध-1 में दिए गए हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) के अंतर्गत जैसा आवश्यक है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(क) हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे;

(ख) हमारे दृष्टिकोण में और जैसा कि इन खाता बहियों की हमारे द्वारा की गई जांच से प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि के अंतर्गत आवश्यक लेखाओं की उचित बही तैयार की गई है;

(ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित कार्पोरेशन के शाखा कार्यालयों के लेखाओं पर रिपोर्टें हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उन रिपोर्टों को उचित ढंग से ध्यान में रखा गया है।

(घ) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखाबहियों के अनुरूप हैं अर्थात् उनसे मेल खाते हैं;

(ङ) हमारे दृष्टिकोण में इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं;

- (च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधान कार्पोरेशन के लिए लागू नहीं हैं।
- (छ) हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों और मामलों को छोड़कर वित्तीय लेनदेनों या मामलों पर ऐसे कोई अवलोकन अथवा टिप्पणियां नहीं की गई हैं, जिनका कार्पोरेशन की कार्यप्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो;
- (ज) हमारे दृष्टिकोण में कार्पोरेशन ने पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू की है और ऐसे नियंत्रण प्रभावशाली ढंग से प्रचालनरत हैं।
- (झ) हमारे दृष्टिकोण में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर हम कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की

रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं :

- i. कार्पोरेशन ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है— वित्तीय विवरणों पर नोट संख्या 29 देखें;
- ii. कार्पोरेशन ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदाएं नहीं कीं, जिसके लिए कोई बड़ी दृश्य हानियां हुई हों।
- iii. ऐसी कोई भी निधियां नहीं पाई गईं, जिन्हें कार्पोरेशन द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित करने की आवश्यकता रही हो।

कृते एसपीजी एसोसिएट्स  
 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स  
 फर्म पंजीयन सं.: 011217एन  
 (एस पी गोयल)  
 भागीदार  
 सदस्यता सं. 083131

स्थान: गुड़गांव  
 तारीख : 14.09.2015



51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

अधिनियम की धारा 143 (5) के अंतर्गत यथावश्यक और हमारे लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा उपयुक्त समझी गई ऐसी जांच के आधार पर हम भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न कर रहे हैं।

i.	यदि कंपनी का चयन विनिवेश के लिए किया जाता है तो परिसंपत्तियों (अमूर्त परिसंपत्तियों सहित) और देनदारियों (प्रतिबद्ध और सामान्य आरक्षित राशियों सहित) के मूल्यांकन के संदर्भ में पूर्ण स्थिति रिपोर्ट की जांच की जाए, जिसमें विनिवेश की प्रक्रिया के वर्तमान चरण और उसका तरीका शामिल हो।	जी नहीं, कंपनी का चयन विनिवेश के लिए नहीं किया गया है। अतः यह कार्पोरेशन के लिए लागू नहीं है।
ii.	क्या कर्जों/ब्याज, यदि कोई है, के माफ किए जाने/बट्टे खाते में डाले जाने के कोई मामले सामने आए हैं, यदि हां तो उसे कारण और उसमें निहित राशि का उल्लेख किया जाए।	वर्ष के दौरान कर्जों को माफ किए जाने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।
iii.	क्या तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी इवेंटरी और सरकार तथा अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए उचित रिकॉर्ड बनाए गए हैं।	कंपनी में तृतीय पक्षकार के पास इवेंटरी रखने संबंधी कोई नीति लागू नहीं है और न ही कंपनी ने सरकार और अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में कोई परिसंपत्तियां प्राप्त की हैं।
iv.	लंबित होने के कारणों सहित अवधि वार लंबित कानूनी/माध्यस्थम से संबंधित मामलों पर एक रिपोर्ट और सभी कानूनी मामलों (विदेशी और स्थानीय) पर व्यय के लिए निगरानी तंत्र की मौजूदगी/प्रभावशीलता की जानकारी दी जाए।	सीसीआई लिमिटेड एक घोषित "रुग्ण" कंपनी है। वर्ष 2006 में माननीय बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। अवधिवार लंबित कानूनी/माध्यस्थम से संबंधित मामलों पर एक विश्लेषण और आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्शाई गई राशि नीचे दर्शाई गई है:-

**31.03.2015 की स्थिति के अनुसार सीसीआई लिमिटेड के लंबित मामलों की अवधिवार सूची**

क्र.सं.	श्रेणी	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
1.	आयकर	1	1	0	0	2
2.	बिक्री कर	0	0	0	6	6
3.	उत्पाद शुल्क	0	0	0	1	1
4.	टीएमसी सहित विद्युत प्रभार	1	0	0	3	4
5.	वाणिज्यिक कर	4	4	0	179	187
6.	श्रमिक	2	2	3	41	48
	<b>जोड़</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>230</b>	<b>248</b>
7.	<b>राशि (लाख रुपए में)</b>	<b>4946</b>	<b>587</b>	<b>0</b>	<b>50214</b>	<b>55747</b>

## लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं पर सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 देखें।

ऐसी जांच के आधार पर जिन्हें हमने उपयुक्त समझा है और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

### I. इसकी स्थाई परिसंपत्तियों के संदर्भ में :

- (क) कॉर्पोरेशन ने स्थाई परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड तैयार किए हैं।
- (ख) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन संबंधी चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थाई परिसंपत्तियों (कुछ यूनिटों में छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है जो हमारे दृष्टिकोण से स्थाई परिसंपत्तियों का उचित अंतराल पर भौतिक सत्यापन प्रतीत होता है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे सत्यापन में कोई बड़ी त्रुटि नहीं पाई गई।

### II. इसकी इन्वेंटरी के संदर्भ में:

- (क) हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार फैक्टरी में कच्चा माल, तैयार माल और ए तथा बी श्रेणी के स्टोर एवं कलपुर्जों की इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन का संबंध है, तो प्रबंधन के पास ऐसी प्रणाली मौजूद है कि ऐसे सभी आइटमों का भौतिक सत्यापन तीन वर्ष के ब्लॉक में कम से कम एक बार अवश्य किया जाता है तदनुसार ऐसी इन्वेंटरी के एक भाग का भौतिक सत्यापन वर्ष के दौरान किया गया। हमारे दृष्टिकोण में इन्वेंटरी के आकार और स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भौतिक सत्यापन का अंतराल बढ़ाने की आवश्यकता है।
- (ख) हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार स्टोर और कलपुर्जों को छोड़कर इन्वेंटरी के भौतिक सत्यापन के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं कंपनी के आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप उचित एवं पर्याप्त हैं। कुछ यूनिटों में स्टोर और कलपुर्जों के मामले में उनके आकार और संख्या की दृष्टि से ऐसी प्रक्रियाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।
- (ग) हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने इन्वेंटरी का उचित रिकॉर्ड तैयार किया है और भौतिक सत्यापन पर पाई गई त्रुटियां/कमियां बही रिकॉर्डों की तुलना में बड़ी नहीं थी।

### III. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल अन्य कंपनियों/पक्षकारों को स्वीकृत किए गए सुरक्षित और असुरक्षित ऋणों के संदर्भ में :

हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों से कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है; और अतः आदेश का पैराग्राफ 2 (iii) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

- IV. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार इन्वेंटरी, स्थाई परिसंपत्तियों की खरीद, माल और सेवाओं की बिक्री के संदर्भ में कंपनी के आकार और इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां मौजूद हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में किसी बड़ी कमजोरी को दूर करने में कंपनी की लगातार कोई विफलता नहीं पाई है।

- V. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार यूनिट ने कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की है और न ही उसके पास ऐसी कोई जमा राशियां हैं, जिनके बारे में कोई दावा न किया गया हो। अतः आदेश के खंड 3 (v) के प्रावधान कॉर्पोरेशन के लिए लागू नहीं होते हैं।
- VI. हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए यथाविहित नियमों के अनुसार कॉर्पोरेशन द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्डों की व्यापक समीक्षा की है और हमारा यह मानना है कि कॉर्पोरेशन ने प्रथम दृष्टया विहित लागत रिकॉर्ड तैयार किए हैं और उन्हें बनाए रखा है। हालांकि हमने यह निर्धारित करने के लिए लागत रिकॉर्डों की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे परिशुद्ध अथवा पूर्ण हैं या नहीं।

**VII. सांविधिक देयताओं के संदर्भ में :**

- (क) कॉर्पोरेशन के रिकॉर्डों के अनुसार और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कॉर्पोरेशन में सामान्यतः भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई), निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, आयकर, स्रोत पर कर की कटौती, स्रोत पर संग्रहित कर, व्यवसायिक कर, बिक्री कर, मूल्यवर्धित कर (वैट), धन कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, उपकर और इसके लिए यथालागू अन्य बड़ी सांविधिक देयताओं का भुगतान संगत प्राधिकारियों को नियमित रूप से किया गया है। निम्नलिखित अविवादित मामलों में तुलन पत्र की तारीख को भुगतान बकाया राशियों के रूप में है जो उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि से देय है:

सांविधि का स्वरूप	देयता का स्वरूप	राशि (लाख रु. में)
स्थानीय बिक्री कर	बिक्री कर	2059.68
निगमित कर	नाला कर	51.13
निगमित कर	संपत्ति कर	590.11
सेवा कर	सेवा कर	2.29
उत्पाद और सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	11.20
निगमित कर	रॉयल्टी	870.60
निगमित कर	प्रवेश कर	12.45
आय कर	आयकर के विलंब से भुगतान पर ब्याज	0.23
केंद्रीय बिक्री कर	सीएसटी	9.40
स्थानीय बिक्री कर	अधिभार/अतिरिक्त कर	0.16
उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951	सीमेंट पर उपकर	15.35

- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार निम्नलिखित को छोड़कर आयकर, धन कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, वैट, उपकर और अन्य बड़ी सांविधिक देयताएं 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार एरियर के रूप में देय/बकाया नहीं हैं, जो भुगतान हेतु उनकी वास्तविक देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि से देय हैं :





विवरण	देयता का स्वरूप	कहां लंबित है?	राशि (लाख रु. में)
बिक्री कर	बिक्री कर	एपीएसटी अधिकरण/ वित्त आयुक्त/ उपयुक्त पदाधिकारी	2080.95
उत्पाद शुल्क	क्लिकर पर उत्पाद शुल्क	माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य अपीलीय प्राधिकारी	1454.95
ईएसआई का अंशदान	संविदा श्रमिकों पर ईएसआई का अंशदान	माननीय बीआईएफआर और क्षेत्रीय निदेशक/ ईएसआईसी	72.84
आयकर दण्ड	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 (1) (ग) के अंतर्गत दण्ड	आयकर आयुक्त (अपील)	2961.22
संपत्ति कर	संपत्ति कर	स्थानीय पंचायत	23.35
सेवा कर	जीटीए सेवा	आयुक्त (अपील) केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर	4.98

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसी कोई भी राशियां नहीं थीं, जिन्हें कार्पोरेशन द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता नहीं हो।

VIII. कंपनी की संचित हानियां इसके निबल मूल्य के 50 % से अधिक हैं। कार्पोरेशन को हमारी लेखापरीक्षा में शामिल वित्तीय वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी नकद हानि नहीं हुई है।

IX. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कार्पोरेशन ने ऋण के मूलधन और उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक की है। विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	राशि (लाख रु. में)	चूक की अवधि
अंतर निगमित ऋण	3700.00	12 वर्ष से अधिक
उपर्युक्त पर संचित ब्याज	6163.00	12 वर्ष से अधिक
भारत सरकार	27475.00	काफी लंबे समय से

X. हमारे दृष्टिकोण में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कार्पोरेशन ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अन्य लोगों/संगठनों द्वारा लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

XI. वर्ष के दौरान कार्पोरेशन ने कोई सावधि ऋण नहीं लिया है, अतः आदेश का यह पैरा कार्पोरेशन के लिए लागू नहीं है।

XII. हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों और सूचना के अनुसार कार्पोरेशन में लेखापरीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी धोखाधड़ी नहीं पाई गई अथवा कार्पोरेशन पर कोई बड़ी धोखाधड़ी की रिपोर्ट की गई।

कृते एसपीजी एसोसिएट्स  
 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स  
 फर्म पंजीयन सं. 011217एन  
 हस्ताक्षर  
 एस पी गोयल  
 भागीदार  
 सदस्यता सं.- 083131

स्थान: गुडगांव  
 दिनांक: 14/09/2015

## कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप निदेशकों की रिपोर्ट का शुद्धिपत्र

लेखापरीक्षकों की दिनांक 14.09.2015 की रिपोर्ट में उल्लिखित अवलोकनों के प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर निम्नानुसार हैं :-

### 1. अर्हक विकल्प क, ख, ग, च के लिए आधार

इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट संख्या 30 के संगत बिंदुओं में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।

### 2. घ, ङ, झ

माननीय बीआईएफआर की स्वीकृत योजना का अनुपालन करते हुए

### 3. छ

गैर प्रचालनरत यूनिटों की परिसंपत्तियों के ऋणमोचन से संबंधित स्थिति वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट संख्या 30 के बिंदु संख्या 11 में स्पष्ट कर दी गई है।

### 4. ज

भारी उद्योग विभाग से कंपनी अधिनियम 2013 में किए गए प्रावधान के अनुसार ऋणमोचन की अवधि बढ़ाने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

### 5. ञ

कंपनी अधिनियम की संशोधित अनुसूची पर मार्गदर्शन नोट के साथ-साथ कारपोरेशन की नीति का अनुपालन करते हुए

### 6. ट, ड

मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

### 7. ड

कारपोरेशन की नीति का अनुपालन करते हुए बट्टे खाते में डालने की प्रक्रिया चल रही है।

### 8. मामले का महत्व

ख) इस स्थिति को वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में नोट संख्या 30 के बिंदु संख्या 2 (ii) में पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया गया है।

ग) माननीय बीआईएफआर की स्वीकृत योजना के अनुपालन में और बिक्री प्रक्रिया में विलंब आशातीत हैं। तथापि कोई अतिरिक्त देयता निहित नहीं है, क्योंकि संविदा टर्नकी आधार पर है और किसी वृद्धि खंड के बिना कीमत निर्धारित है।

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ



मैं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिये **सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की **टिप्पणियाँ** अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए।

ह0

(सुपर्णा देव)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा  
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड II  
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक : 22.09.2015

51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कम्पनी के प्रबन्धन का है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अधीन इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स जैसे व्यावसायिक निकाय द्वारा विहित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुरूप स्वतंत्रा लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। ऐसा करने के लिए धारा 143 (10) के अधीन उनकी दिनांक 14 सितम्बर, 2015 की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा यह बताया गया है।

मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम 2015 की धारा 143(6) के अन्तर्गत सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की हैं। पूरक लेखा परीक्षा का निष्पादन सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यकरण संबंधी दस्तावेजों को देखे बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी कार्मिकों द्वारा की गई पूछताछ और कुछेक लेखांकन अभिलेखों की चयनात्मक परीक्षा तक सीमित हैं। मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मुझे ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिली है जिसके आधार पर कम्पनी अधिनियम, के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा जोड़ी जा सके।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की ओर से

ह0

(सुपर्णा देव)

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड II

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22.09.2015

## इकाईवार कार्य परिणाम

(₹ करोड़ों में)

इकाई	लेखानुसार लाभ (+)/हानि (-)	पूर्वावधि समायोजन एवं असाधारण मदें	लाभ (+) हानि (-)
<b>बोकाजन</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>(-4.61)</b>	<b>0.00</b>	<b>(-4.61)</b>
2013-2014	(-10.08)	0.00	(-10.08)
2012-2013	2.10	0.00	2.10
<b>राजबन</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>(-4.42)</b>	<b>0.00</b>	<b>(-4.42)</b>
2013-2014	(-15.51)	0.00	(-15.51)
2012-2013	(-9.23)	0.00	(-9.23)
<b>तांदूर</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>41.31</b>	<b>21.90</b>	<b>63.21</b>
2013-2014	12.81	0.00	12.81
2012-2013	27.51	0.00	27.51
<b>कारपोरेट आफिस</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013-2014	0.00	0.00	0.00
2012-2013	0.00	0.00	0.00
<b>योग प्रचालनेतर इकाईयाँ</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>32.28</b>	<b>21.90</b>	<b>54.18</b>
2013-2014	(-12.78)	0.00	(-12.78)
2012-2013	20.38	0.00	20.38
<b>मांडर</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>(-1.55)</b>	<b>0.00</b>	<b>(-1.55)</b>
2013-2014	(-1.37)	0.10	(-1.27)
2012-2013	(-1.43)	6.38	4.95
<b>कुरकुंटा</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>(-1.44)</b>	<b>0.00</b>	<b>(-1.44)</b>
2013-2014	(-1.83)	0.00	(-1.83)
2012-2013	(-1.36)	0.00	(-1.36)
<b>नयागांव</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>(-1.46)</b>	<b>0.00</b>	<b>(-1.46)</b>
2013-2014	(-1.28)	0.00	(-1.28)
2012-2013	(-1.38)	0.00	(-1.38)



51वीं वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

## इकाईवार कार्य परिणाम (जारी...)

(₹ करोड़ों में)

इकाई	लेखानुसार लाभ (+)/हानि (-)	पूर्वावधि समायोजन एवं असाधारण मदें	लाभ (+) हानि (-)
<b>अकलतारा</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>(-1.37)</b>	<b>0.00</b>	<b>(-1.37)</b>
2013-2014	(-) 0.79	4.07	1.49
2012-2013	(-)7.08	0.01	(-)7.07
<b>चरखी दादरी</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>(-1.70)</b>	<b>0.00</b>	<b>(-1.70)</b>
2013-2014	(-) 1.53	0.00	(-) 1.53
2012-2013	0.32	1.17	1.49
<b>अदिलाबाद</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>(-4.87)</b>	<b>0.00</b>	<b>(-4.87)</b>
2013-2014	(-) 5.78	38.88	33.10
2012-2013	(-)6.46	0.00	(-)6.46
<b>नया गांव विस्तार (डी जी यू सहित)</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>(-1.71)</b>	<b>0.00</b>	<b>(-1.71)</b>
2013-2014	(-) 1.49	0.00	(-) 1.49
2012-2013	(-)2.44	0.00	(-)2.44
<b>येरागुटला कंट्रोल खाता</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013-2014	0.00	0.00	0.00
2012-2013	4.02	(-)4.02	0.00
<b>योग गैर प्रचालनेतर इकाईया</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>(-14.10)</b>	<b>0.00</b>	<b>(-14.10)</b>
2013-2014	(-) 14.07	43.05	28.98
2012-2013	(-)15.82	3.55	(-)12.27
<b>कुल योग</b>			
<b>2014-2015</b>	<b>18.18</b>	<b>21-90</b>	<b>40.08</b>
2013-2014	(-) 26.85	43.05	16.20
2012-2013	4.56	3.55	8.11



*Golden Jubilee Celebration at Corporate Office*



*Plantation by E&MD at Rajban Unit*



*Celebration of Independence Day at Tandur Unit*



सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड  
(भारत सरकार का उद्यम)

**Cement Corporation of India Ltd.**  
**(A Govt. of India Enterprise)**